NEXT IAS

THE CRUX

जनवरी अंक; 2026

मुख्य संपादक

बी. सिंह (Ex. IES)

CMD, NEXT IAS & MADE EASY Group

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.

Corporate Office: 44-A/4, Kalu Sarai, New Delhi-110016

Visit us at: www.madeeasypublications.org

☎ 011-45124660, 8860378007

E-mail: infomep@madeeasy.in

© Copyright 2026

MADE EASY Publications Pvt. Ltd. has taken due care in collecting the data before publishing this book. Inspite of this, if any inaccuracy or printing error occurs then MADE EASY Publications owes no responsibility. MADE EASY Publications will be grateful if you could point out any such error. Your suggestions will be appreciated. © All rights reserved by MADE EASY Publications Pvt. Ltd. No part of this book may be reproduced or utilized in any form without the written permission from the publisher.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this magazine are those of the authors and do not necessarily reflect policy or position of CURRENT AFFAIRS Magazine or MADE EASY Publications. They should be understood as the personal opinions of the author/authors. The MADE EASY assumes no responsibility for views and opinions expressed nor does it vouch for any claims made in the advertisements published in the Magazine. While painstaking effort has been made to ensure the accuracy and authenticity of the informations published in the Magazine, neither Publisher, Editor or any of its employee does not accept any claim for compensation, if any data is wrong, abbreviated, cancelled, omitted or inserted incorrect.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher.

1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक यूपीएससी से संबंधित प्रासंगिक समसामयिकी का संकलन

विषयसूची

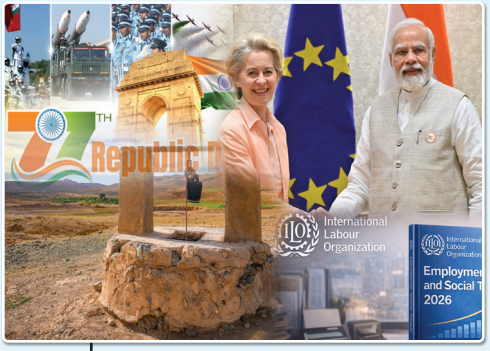

कवर स्टोरी

भारत का 77वाँ गणतंत्र दिवस 4
भारत-यूरोपीय संघ संबंध 6
भूजल प्रबंधन 8
रोजगार और सामाजिक रुझान रिपोर्ट 2026 11

विशेष लेख

यूजीसी समता विनियम, 2026 13
लोकलुभावन मुफ्त वितरण बनाम वंचितों के लिए कल्याण 15
केंद्रीय सतर्कता आयोग 16
प्रवासी भारतीय दिवस 18
यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा 20
एमएसएमई क्षेत्र में दक्षता हासिल करना 22
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण 25
चौथी औद्योगिक क्रांति 28
भारत में किसान आत्महत्याएँ 30
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 33
यूएन उच्च समुद्र संधि 40
आधुनिक युद्ध और भारत की उभरती सुरक्षा चुनौतियाँ 43
रिमोट-सेंसिंग प्रौद्योगिकी 44
भारत में जैव प्रौद्योगिकी 46
राष्ट्रीय बालिका दिवस 48
सुभाष चन्द्र बोस 50

Disclaimer:

MADE EASY Publications Pvt. Ltd. has taken due care in collecting the data before publishing this book. Inspite of this, if any inaccuracy or printing error occurs then MADE EASY Publications owes no responsibility. MADE EASY Publications will be grateful if you could point out any such error. Your suggestions will be appreciated. © All rights reserved by MADE EASY Publications Pvt. Ltd. No part of this book may be reproduced or utilized in any form without the written permission from the publisher.

विषयसूची | संक्षिप्त लेख

THE CRUX
जनवरी अंक; 2026

1. राजव्यवस्था एवं शासन

पीएम द्वारा प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता....51
निरसन और संशोधन अधिनियम, 2025....51
सम्पन्न....52
भारतीय मानक ब्यूरो....52
पंखुड़ी पोर्टल....52
स्वदेश दर्शन स्कीम....52
पॉक्सो अधिनियम में "रोमियो-जूलियट" प्रावधान....52
28वाँ CSPOC सम्मेलन....53
एनपीएस वात्सल्य स्कीम, 2025....53
छात्र आत्महत्या पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश....54
उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक (RNI)....54
अनुच्छेद 15(5)....54
राज्यपालों द्वारा वॉकआउट और संवैधानिक बहस....55

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

वाइमर त्रिकोण....56
भारत और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त जल मापन....56
वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला....56
66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका की वापसी....58
पैक्स सिलिका....58
निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड....58
ग्राहम-ब्लूमेंथल प्रतिबंध विधेयक....59
अमेरिका-ईरान तनाव के मध्य चाबहार बंदरगाह....59
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के 80 वर्ष....59
यूरोपीय संघ का एंटी-कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट....59
बुल्गारिया का यूरोजोन में प्रवेश....59
इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) में स्पेन....60
गाजा के लिए शांति बोर्ड....61

3. अर्थव्यवस्था

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट....62
लैब-ग्रोन डायमंड....62
लैंड स्टैक....63
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम....63
पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड....64
कैग का राज्यों पर बढ़ते राजकोषीय दबाव की ओर संकेत....64
ग्लोबल मिनिमम टैक्स....65
ओपिनियन ट्रेडिंग....65
तांबा....66
विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ (WESP) 2026....66
क्विक कॉमर्स....66
ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट 2026....67
नारायण रामचंद्रन समिति....67
यस बैंक मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग पर SEBI की टिप्पणी....68
एक जिला एक उत्पाद....68
SIDBI में ₹5,000 करोड़ का इक्विटी निवेश....68
सीमेंट, एल्युमिनियम और MSME क्षेत्रों में हरित संक्रमण पर नीति आयोग की रिपोर्ट....69
भारत की पहली खुले समुद्र में समुद्री मत्स्य पालन परियोजना....69
सामाजिक वाणिज्य....70
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पर आरबीआई द्वारा निगरानी सुदृढ़....70
चिप्स टू स्टार्ट-अप (C2S) कार्यक्रम....71
भारतीय रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2026....71
संकर गोवंश नस्लें....72
निर्यात तत्परता सूचकांक (EPI) 2024....72

4. पर्यावरण

पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 और भारत....73
2025: रिकॉर्ड किया गया सबसे गर्म ला नीना वर्ष....73
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर....74
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य....74
क्षेत्रीय कवरेज....74
द्वितीयक कणीय पदार्थ: दिल्ली के शीतकालीन प्रदूषण का प्रमुख कारक....75
हीराकुंड आर्द्रभूमि एक प्रमुख प्रवासी पक्षी आश्रय स्थल के रूप में उभरा....75
ताज ट्रेपेजियम जोन....75
समुद्री कछुओं की उपग्रह टैगिंग से संरक्षण को बढ़ावा....76
जैव-बिटुमेन....76
बैटरी पैक आधार संख्या....77

5. भूगोल

डूम्सडे ग्लेशियर (थ्वाइट्स ग्लेशियर)....78
शक्सगाम घाटी....78
पश्चिमी विक्षोभ....78
फूलों की घाटी....79
ध्रुवीय भंवर....79
डोनबास....80
इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक आउटपोस्ट को नई बस्ती के रूप में कानूनी मान्यता....80
कामचटका प्रायद्वीप....80

6. आंतरिक सुरक्षा

DRDO ने 'प्रलय' मिसाइलों के सल्वो लॉन्च को सफलतापूर्वक अंजाम दिया....81
हाइपरसोनिक मिसाइल विकास....81
सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर प्रणाली....82
राष्ट्रीय IED डेटा प्रबंधन प्रणाली....82
एक्सरसाइज सांझा शक्ति....82
भैरव बटालियन्स....82
जस्टिस मिशन-2025....83
भारत के रणनीतिक हितों पर प्रभाव....83
लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल....83

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तत्परता मूल्यांकन ढाँचा....85
थोरियम....85
BSNL द्वारा वॉइस ओवर WIFI (VOWIFI) लॉन्च (VoWiFi)....85
दिल्ली में मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करने की योजना....86
GLP-1 वजन कम करने वाली दवाएँ....86
कैंसर चिकित्सा में नैनोबॉट्स....87
हॉटिंग्टन रोग....87
वुल्फ सुपरमून....88
स्टेलर ट्विन्स....88
स्पाइना बिफिडा....88
एचपीवी टीकाकरण....89
परम शक्ति....89
अमोनियम नाइट्रेट....89
स्टील स्लैग प्रौद्योगिकी....90
भारत का पहला 'राज्य बैक्टीरियम'....90

8. समाज

भारत में ट्रांस पुरुषों के लिए पूर्वाग्रह और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच....92
वोमेनिया पहल....92

9. संस्कृति एवं इतिहास

संगीत कलानिधि पुरस्कार....93
सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती....93
रानी वेलु नचियार....93
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व....93
पुरातत्त्वविदों ने कुषाण काल के दुर्लभ सिक्के खोजे....94
तुर्कमान गेट....94
जाहनपोरा में स्तूपों की खोज....94
भद्रकाली अभिलेख....95
बागुरुम्बा नृत्य....95
जल्लिकट्टु....95
तांत्या मामा भील....96
ग्रंथ कुटीर....96
पवित्र पिपरहवा अवशेष....96
वन्दे मातरम्....96
पेरियार ई. वी. रामासामी....97

10. विविध

पद्म पुरस्कार....98
राष्ट्रीय युवा दिवस 2026....98
जथिया देवी....99
सुखात्मे राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार....99
फ्रांज एडेलमैन पुरस्कार....99
जीवन रक्षक पदक पुरस्कार....100
विश्व ब्रेल दिवस....100

11. डेटा पुनर्कथन

....101
स्वयं परीक्षण....102

भारत का 77वाँ गणतंत्र दिवस

राष्ट्र द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भारतीय संविधान के लागू होने की 77वीं वर्षगाँठ मनाई गयी।

विषय और भागीदारी

- गणतंत्र दिवस समारोह "वंदे मातरम् के 150 वर्ष" थीम के आधार पर आयोजित किए गए।
- इस समारोह में सांस्कृतिक झाँकियाँ, जनभागीदारी और सैन्य प्रदर्शन शामिल थे, जिनमें पहली बार यूरोपीय संघ के सैन्य दल की भागीदारी भी हुई।

गणतंत्र दिवस 2026 समारोह

- **राष्ट्रीय परेड:** कर्त्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में 30 झाँकियों के माध्यम से भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, तकनीकी प्रगति और संघीय एकता का प्रदर्शन किया गया।
- **सार्वजनिक आयोजन:** विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी संस्थानों तथा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से यह दिवस मनाया गया।

77वें गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य झलकियाँ

- **सांस्कृतिक और विकासात्मक झाँकियाँ:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी विरासत, स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक सुधार तथा डिजिटल साक्षरता और अवसंरचना विकास जैसी आधुनिक उपलब्धियों को प्रदर्शित किया।
- **रक्षा प्रदर्शन:** परेड में उन्नत रक्षा प्रणालियों और संयुक्त सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया, जो समेकित युद्ध प्रणाली की दिशा में भारत के बढ़ते कदम को दर्शाता है।
- **प्रमुख झाँकियों के विषय:**
  - **उप-विषय:** स्वतंत्रता का मंत्र - वंदे मातरम् और समृद्धि का मंत्र - आत्मनिर्भर भारत।
  - असम ने अशारीकांडी गाँव और उसकी टेराकोटा शिल्प परंपरा को प्रदर्शित किया।
  - गुजरात ने मैडम भीकाजी कामा को सम्मानित किया और 1906 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास को दर्शाया, जिसका समापन महात्मा गाँधी और चरखे के साथ हुआ।
  - उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत के साथ आधुनिक विकास को प्रस्तुत किया।
  - महाराष्ट्र ने लोकमान्य तिलक द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए प्रारंभ किए गए गणेशोत्सव को जन आंदोलन के रूप में प्रदर्शित किया।
  - पश्चिम बंगाल ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम् की उत्पत्ति को दर्शाया तथा सुभाष चंद्र बोस, मातंगिनी हाजरा और खुदीराम बोस जैसे नेताओं को शामिल किया।
    - पंजाब ने गुरु तेग बहादुर को उनकी शहादत के 350वें वर्ष पर "हिंद दी चादर" के रूप में श्रद्धांजलि दी।
  - केरल ने कोच्चि वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता की उपलब्धि को प्रदर्शित किया।
  - त्रि-सेवा झाँकी, "ऑपरेशन सिंदूर - संयुक्तता के माध्यम से विजय" विषय के अंतर्गत, राफेल जेट, ब्रह्मोस मिसाइल, एस-400 वायु रक्षा प्रणाली और हारोप प्रणाली को दर्शाया।
  - संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम् के 150 वर्ष को प्रदर्शित किया।
  - गृह मंत्रालय (एनडीएमए और एनडीआरएफ) ने 2001 के भुज भूकंप के बाद पुनर्प्राप्ति प्रयासों को उजागर किया।
- **बीटिंग रिट्रीट समारोह 2026:**
  - बीटिंग रिट्रीट समारोह ने सैन्य बैंड और औपचारिक प्रदर्शनों के माध्यम से गणतंत्र दिवस समारोहों के औपचारिक समापन को चिह्नित किया।
  - यह अनुशासन, परंपरा और भारत की सशस्त्र सेनाओं के गौरव का प्रतीक है।

गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि

- यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जो भारत-यूरोपीय संघ के बीच गहराते सामरिक संबंधों को दर्शाता है।

- उनकी उपस्थिति भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के साथ हुई, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में सहयोग पर विशेष बल दिया गया।

गणतंत्र दिवस का ऐतिहासिक महत्त्व

- **पूर्ण स्वराज की विरासत:**
  - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को अपनाया और 26 जनवरी 1930 को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा के दिवस के रूप में निर्धारित किया।
  - गणतंत्र दिवस की तिथि जानबूझकर 1930 के पूर्ण स्वराज घोषणा को सम्मान देने के लिए चुनी गई, जिससे संविधान को स्वतंत्रता आंदोलन से प्रतीकात्मक रूप से जोड़ा जा सके।
- **संवैधानिक संक्रमण:** यद्यपि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत होने और 26 जनवरी 1950 को लागू होने तक भारत एक ब्रिटिश डोमिनियन के रूप में कार्य करता रहा।
  - इस दिन भारत सरकार अधिनियम, 1935 को प्रतिस्थापित किया गया, राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख बने और भारत औपचारिक रूप से एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना।

गणतंत्र दिवस 2026 पर पुरस्कार और सम्मान

- **पद्म पुरस्कार 2026:** कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल थे। इन सम्मानों द्वारा लोक सेवा, कला, विज्ञान, खेल और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में योगदान को मान्यता दी गई।
- **वीरता पुरस्कार:** सशस्त्र बलों के सत्तर कर्मियों को अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना, नौसेना और वायु सेना पदक जैसे वीरता पदकों से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार शांति और युद्ध की परिस्थितियों में असाधारण साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा को मान्यता देते हैं।
- **रक्षा अलंकरण:** राष्ट्रपति ने 301 रक्षा अलंकरण प्रदान किए, जिनमें परम विशिष्ट सेवा, उत्तम युद्ध सेवा, अति विशिष्ट सेवा, युद्ध सेवा, सेना, नौसेना, वायु सेना और विशिष्ट सेवा पदक शामिल थे। कुछ पदकों पर बार (Bar) भी प्रदान किए गए, जो विशिष्ट या समर्पित सेवा के अतिरिक्त कार्यों की मान्यता है।
- **तटरक्षक सम्मान:** भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक (PTM) और तटरक्षक पदक (TM) प्रदान किए गए। ये पुरस्कार उत्कृष्ट वीरता, कर्त्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण और उत्कृष्ट सेवा को मान्यता देते हैं।
- **आंतरिक सुरक्षा और सेवा पदक:** पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस तथा सुधार सेवा के कुल 982 कर्मियों को पदकों से सम्मानित किया गया। इनमें राष्ट्रपति पुलिस पदक (विशिष्ट सेवा), पुलिस पदक (वीरता) और पुलिस पदक (सराहनीय सेवा) शामिल थे।
- **जीवन रक्षा पदक पुरस्कार:** जीवन रक्षा पदक उन नागरिकों को प्रदान किए गए जिन्होंने किसी का जीवन बचाया। ये तीन श्रेणियों- सर्वोत्कृष्ट, उत्तम और जीवन रक्षा पदक- में दिए जाते हैं तथा इन्हें मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है।

गणतंत्र दिवस का संवैधानिक महत्त्व

- **संविधान की सर्वोच्चता:** गणतंत्र दिवस इस तथ्य की पुनः पुष्टि करता है कि भारत में शासन का सर्वोच्च प्राधिकरण संविधान है।
- **लोकतांत्रिक मूल्य:** यह समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और विधि के शासन के आदर्शों को सुदृढ़ करता है।

लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में संविधान की भूमिका

- **लोकतांत्रिक ढाँचा:** संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकारों और स्वतंत्र न्यायपालिका की गारंटी देता है।
- **समावेशी शासन:** संघवाद, शक्तियों का पृथक्करण और सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं।

वंदे मातरम्: प्रमुख तथ्य

- **उद्गम और रचना:** वंदे मातरम्, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, 1875 में पहली बार बंगदर्शन में प्रकाशित हुआ और बाद में उपन्यास आनंदमठ (1882) में शामिल किया गया। रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा इसे संगीतबद्ध किए जाने पर यह मातृभूमि के प्रति एकता, त्याग और समर्पण का प्रतीक बन गया।
- **राष्ट्रीय दर्जा:** 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने घोषणा की कि जन गण मन राष्ट्रीय गान होगा, जबकि वंदे मातरम् को स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका के लिए राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मानित किया जाएगा। संविधान में राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है, परंतु अनुच्छेद 51क(क) नागरिकों से संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने का आह्वान करता है।

स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम्:

- **कांग्रेस और जनस्वीकरण:** रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 1896 में कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम् गाया। 1905 में वाराणसी अधिवेशन में इसे अखिल भारतीय अवसरों के लिए अपनाया गया।
- **संगठन और प्रेस:** 1905 में उत्तर कलकत्ता में गठित 'बंदे मातरम् संप्रदाय' ने मातृभूमि के प्रति भक्ति को प्रोत्साहित किया। 1906 में बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में आरंभ हुआ अंग्रेजी दैनिक 'बंदे मातरम्', जिसमें बाद में श्री अरविंद भी शामिल हुए, स्वदेशी, एकता और प्रतिरोध का समर्थन करता था।
- **विभाजन विरोधी आंदोलन:** 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में छात्रों ने विभाजन-विरोधी प्रदर्शनों के दौरान वंदे मातरम् को एक राजनीतिक नारे के रूप में प्रयोग किया। इसकी लोकप्रियता के कारण लॉर्ड कर्जन सहित ब्रिटिश अधिकारियों ने इसके सार्वजनिक गायन पर रोक लगाने के प्रयास किए।
- **विदेशों में प्रभाव:** 1907 में भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में एक त्रिवर्ण ध्वज फहराया, जिस पर "वंदे मातरम्" अंकित था। 1909 में मदन लाल ढींगरा के कथित अंतिम शब्दों तथा 1912 में केप टाउन में गोपाल कृष्ण गोखले के स्वागत में भी यह नारा प्रतिध्वनित हुआ।

भारत-यूरोपीय संघ संबंध

27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय संघ ने अपने व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए आधिकारिक रूप से वार्ताओं का समापन कर दिया। इससे लगभग बीस वर्षों से चल रही अनियमित और कई बार ठप पड़ चुकी चर्चाओं का निर्णायक अंत हो गया।

परिचय

- भारत और यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर कर एक निर्णायक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार 136 अरब डॉलर पर है और यूरोपीय संघ भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लगभग 16% योगदान करता है। यह समझौता लगभग 75 अरब डॉलर के अतिरिक्त निर्यात को प्रोत्साहित करने की संभावना रखता है।
- दोनों पक्षों के नेतृत्व द्वारा इसे अक्सर "सभी समझौतों की जननी" कहा गया है। यह समझौता सामरिक महत्त्वाकांक्षा और राजनीतिक व्यावहारिकता का एक परिष्कृत संतुलन प्रस्तुत करता है।

भारत-यूरोपीय संघ संबंध

- **राजनीतिक सहयोग:** भारत-यूरोपीय संघ संबंधों की शुरुआत 1960 के दशक की शुरुआत में हुई। वर्ष 1994 में हस्ताक्षरित सहयोग समझौते ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापार और आर्थिक सहयोग से आगे बढ़ाया। वर्ष 2000 में आयोजित पहला भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन इस संबंध के विकास में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर था।
  - 2004 में हेग में आयोजित 5वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में इन संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक उन्नत किया गया।
- **आर्थिक सहयोग:** वर्ष 2023-24 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 137.41 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिससे

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के प्रमुख प्रावधान

- **वस्तु व्यापार में शुल्क कटौती:** भारत के 99% से अधिक निर्यात को यूरोपीय संघ के बाजार में वरीयतापूर्ण पहुँच मिलेगी।
  - मुख्य श्रम-प्रधान उत्पादों के लिए तत्काल शून्य-शुल्क प्रवेश।
  - ऑटोमोबाइल, इस्पात और कृषि के लिए विशेष कोटा के साथ चरणबद्ध शुल्क कटौती।

भारत को यूरोपीय संघ के निर्यात

- **बाजार पहुँच:** भारत 92.1% टैरिफ लाइनों पर शुल्क राहत प्रदान करता है, जो यूरोपीय संघ के 97.5% निर्यात को कवर करता है।
- **औद्योगिक वस्तुएँ:** संवेदनशील वस्तुओं पर 5-10 वर्षों में क्रमिक शुल्क समाप्ति।
- **कृषि कोटा:** टैरिफ दर कोटा के माध्यम से सीमित फल आयात।
- **प्रौद्योगिकी पहुँच:** यूरोपीय संघ के उच्च-प्रौद्योगिकी इनपुट का आसान आयात भारतीय उत्पादन लागत को कम करेगा।
- **उत्पत्ति के नियम:** समझौते में सख्त उत्पाद-विशिष्ट उत्पत्ति नियम (PSRs) शामिल हैं, ताकि केवल भारत या यूरोपीय संघ में पर्याप्त प्रसंस्करण किए गए उत्पादों को ही कर रियायत का लाभ मिले और तीसरे देशों के माध्यम से व्यापार विचलन रोका जा सके। यह वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के अनुरूप है और लघु व्यवसायों को लाभ पहुँचाता है। निर्यातक स्वयं उत्पत्ति प्रमाणित कर लागत बचा सकते हैं।
- **कृषि व्यापार:** समझौता भारतीय चाय, कॉफी, मसाले, फल और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए अनुकूल बाजार पहुँच सुनिश्चित करता है। भारत ने कृषि क्षेत्र में संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए डेयरी, अनाज, पोल्ट्री और सोयामील जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में बाजार पहुँच नहीं दी है। ये क्षेत्र घरेलू खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार के लिए महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं।
- **सेवा क्षेत्र:** यह समझौता भारतीय आईटी, पेशेवर और शिक्षा सेवाओं के लिए 144 सेवा उप-क्षेत्र खोलता है। यूरोपीय संघ के सेवा प्रदाताओं के लिए 102 उप-क्षेत्र खोले गए हैं।
- **पेशेवर गतिशीलता:**
  - **कार्य श्रेणियाँ:** कंपनी अंतरण, व्यावसायिक आगंतुक, अनुबंध श्रमिक और पेशेवर शामिल।
  - **परिवार समर्थन:** यूरोपीय संघ आईसीटी कर्मियों के आश्रितों और परिवार के सदस्यों को काम और अध्ययन की अनुमति देता है।
  - **आयुष पहुँच:** पारंपरिक भारतीय चिकित्सक स्थानीय नियमों के बिना यूरोपीय संघ देशों में कार्य कर सकेंगे।
  - **सामाजिक सुरक्षा:** दोहरे सामाजिक सुरक्षा भुगतान को कम करने के लिए पाँच वर्षीय योजना।
- **गैर-शुल्क बाधाएँ:** यूरोपीय संघ भारतीय वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क, सुरक्षा मानकों और एसपीएस उपायों को सरल बनाएगा। सीमा शुल्क, व्यापार सुगमता और तकनीकी मानकों पर संयुक्त कार्य किया जाएगा।
- **कार्बन बॉर्डर समायोजन:** भारत को अन्य देशों के समान सीबीएएम लचीलापन प्राप्त होगा। सहयोगात्मक दृष्टिकोण भारत की विकास प्राथमिकताओं की रक्षा करेगा।

यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। भारत के कुल निर्यात का लगभग 17% यूरोपीय संघ को जाता है और यूरोपीय संघ के कुल निर्यात का लगभग 9% भारत को आता है।

- **भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ताएँ:** इसका उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और भौगोलिक संकेतकों को शामिल करते हुए एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है।
  - यूरोपीय संघ और भारत, इस महीने गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूरोपीय संघ के नेताओं की यात्रा के दौरान 'मुक्त व्यापार समझौते' की घोषणा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।
- **अन्य सहयोग के क्षेत्र:** भारत-यूरोपीय संघ जल साझेदारी (IEWP), जिसकी स्थापना 2016 में हुई, जल प्रबंधन में तकनीकी, वैज्ञानिक और नीतिगत ढाँचे को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखती है।
  - वर्ष 2020 में यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय और भारत सरकार के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता हुआ।
  - वर्ष 2023 में भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) की स्थापना की। TTC व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक मंच है।
- **भारत की दो स्तरों पर सहभागिता:**
  - **एक समूह के रूप में यूरोपीय संघ के साथ:** नियमित शिखर सम्मेलन, व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और विदेश नीति पर रणनीतिक संवाद।
  - **प्रमुख सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर:** फ्रांस, जर्मनी, नॉर्डिक और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ संबंधों को और सुदृढ़ करना।

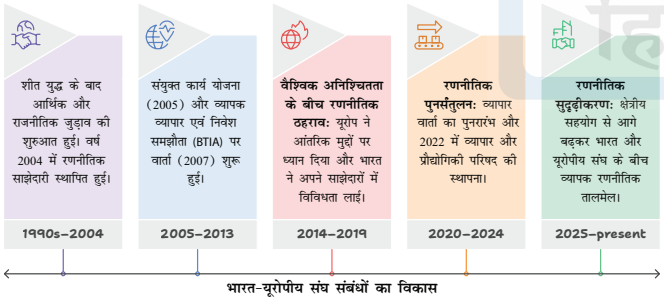

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों का विकास

भारत-यूरोप संबंधों को आकार देने वाले कारक

- **वैश्विक सुरक्षा परिवर्तन:** रूस और यूक्रेन के बीच यूरोप में पुन: उत्पन्न हुआ संघर्ष स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। विश्वभर में बहुपक्षीय संस्थाएँ बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रही हैं।
- **यूरोप का सामरिक पुनर्संतुलन:** विशेषकर ट्रंप काल के बाद, यूरोप अमेरिका के प्रभाव से अधिक स्वतंत्रता चाहता है। भारत पारंपरिक साझेदारों जैसे अमेरिका, रूस और चीन से परे साझेदारियों का विस्तार कर संतुलित बहुध्रुवीय विश्व की दिशा में प्रयासरत है।
- **अमेरिकी नीति की अनिश्चितता:** ट्रंप सरकार की यूरोपीय रक्षा प्रतिबद्धताओं पर अस्पष्ट नीति ने यूरोप को नए गठबंधनों की ओर प्रेरित किया। भारत एक विश्वसनीय लोकतांत्रिक साझेदार के रूप में उभर रहा है, जिसकी नीति में निरंतरता है।
- **आर्थिक प्रभाव:** भारत और यूरोपीय संघ मिलकर लगभग दो अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और विश्व जीडीपी का 25% से अधिक हिस्सा रखते हैं। यह आर्थिक शक्ति वैश्विक व्यापार मानकों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- **व्यापार और निवेश संबंध:** यूरोपीय संघ भारत के प्रमुख व्यापार और निवेश साझेदारों में से एक है। दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता और निवेश समझौते को अंतिम रूप दे दिया है।
  - भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) संपर्क और वाणिज्य के नए मार्ग खोलता है।
- **प्रौद्योगिकी साझेदारी:** भारत और यूरोप डिजिटल प्रौद्योगिकियों को वैश्विक सार्वजनिक संपदा के रूप में देखने के लक्ष्य को साझा करते हैं। भारत उन्नत प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और डिजिटल उत्पादन में यूरोप की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकता है।
- **रक्षा सहयोग:** यूरोप भारत को महत्त्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करता है।
  - भारत यूरोपीय देशों के साथ संयुक्त विकास, सह-उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को आगे बढ़ा रहा है।
  - यूक्रेन संघर्ष के कारण यूरोप का पुन: शस्त्रीकरण भारत के आत्मनिर्भरता लक्ष्यों के अनुरूप है।
- **इंडो-पैसिफिक पर ध्यान:** यूरोप रणनीतिक रूप से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहा है।
  - भारत फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों के साथ मिलकर मुक्त और खुला इंडो-पैसिफिक सुनिश्चित करने के लिए सहयोग कर रहा है।

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में चुनौतियाँ

- **यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख:** यूरोप अपेक्षा करता है कि भारत रूस की अधिक आलोचना करे, जबकि भारत रणनीतिक तटस्थता बनाए रखता है।
- **पाकिस्तान और आतंकवाद पर यूरोपीय संघ का रुख:** भारत अपेक्षा करता है कि यूरोपीय संघ राज्य प्रायोजित आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए।
- **व्यापार समझौतों पर धीमी प्रगति:**
  - भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ताएँ कई बार गतिरोध का सामना कर चुकी हैं।
  - यूरोपीय संघ द्वारा लागू कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र (CBAM) भारत के लिए अतिरिक्त व्यापारिक बाधाएँ उत्पन्न करता है।
- **मानवाधिकार और मानक आधारित दबाव:** यूरोपीय संघ अक्सर भारत के आंतरिक मामलों पर निर्देशात्मक रुख अपनाता है।
  - भारत इसे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखता है, जिससे कूटनीतिक तनाव उत्पन्न होता है।
- **नियामकीय और मानक संबंधी बाधाएँ:** डेटा गोपनीयता, डिजिटल कराधान, पर्यावरण मानकों और श्रम कानूनों पर यूरोपीय संघ के कड़े नियम भारतीय निर्यातकों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए चुनौती हैं।
- **मीडिया धारणाएँ और सीमित जन-जागरूकता:** भारत के संदर्भ में यूरोप में मीडिया पूर्वाग्रह और सीमित जन-जागरूकता जन-से-जन संपर्क को प्रभावित करते हैं।

भूजल प्रबंधन

हाल ही में विशेषज्ञों ने यह रेखांकित किया है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और आर्थिक विकास भारत के भूजल संसाधनों पर गंभीर दबाव डाल रहे हैं, जिससे सतत् प्रबंधन की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है।

पृष्ठभूमि: भूजल और भारतीय परिदृश्य

- भूजल वह मीठा जल है जो पृथ्वी की सतह के नीचे मिट्टी और चट्टानों की संरचनाओं में संचित रहता है, जिन्हें जलभृत (एक्वीफर) कहा जाता है। ये जल को संग्रहित और संचरित करते हैं।
  - भूजल नदियों, आर्द्रभूमियों, कृषि और पारिस्थितिक तंत्र को सहारा देता है, तथा इसे कुओं, नलकूपों और बोरवेल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
  - वैश्विक स्तर पर, भूजल पृथ्वी के तरल मीठे जल का लगभग 99 प्रतिशत हिस्सा है, जिससे यह पेयजल, खाद्य सुरक्षा और जलवायु लचीलापन के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण बनता है।
- भारत में भूजल जल सुरक्षा की रीढ़ है। यह लगभग 62 प्रतिशत सिंचाई की आवश्यकताओं, लगभग 85 प्रतिशत ग्रामीण पेयजल और लगभग 50 प्रतिशत शहरी जल माँग को पूरा करता है।
- हरित क्रांति के बाद इस पर निर्भरता बढ़ी, जब सब्सिडी युक्त बिजली, सस्ती ड्रिलिंग तकनीक और निजी नलकूपों के प्रसार से सिंचाई का तीव्र विस्तार हुआ।
- यद्यपि इससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय में वृद्धि हुई, परंतु विनियमन और वैज्ञानिक प्रबंधन अपेक्षाकृत कमजोर रहे।
- वर्तमान में भारत केंद्रीय भूजल बोर्ड के माध्यम से 43,000 से अधिक भूजल निगरानी केंद्र संचालित करता है, जो नियमित रूप से जल स्तर और गुणवत्ता की निगरानी करते हैं। इसके बावजूद, अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और असमान पुनर्भरण ने दबाव को बढ़ा दिया है।
- जलवायु परिवर्तनशीलता, अनियमित वर्षा और बढ़ती माँग ने भूजल क्षरण को राष्ट्रीय चिंता का विषय बना दिया है, जिसके लिए समेकित और दीर्घकालिक प्रबंधन की आवश्यकता है।

आवश्यकता और महत्त्व

- **भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि स्थिरता की आधारशिला:** भूजल भारतीय कृषि की रीढ़ बना हुआ है और यह लगभग 62% सिंचाई की माँग को पूरा करता है (केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2025)। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य नलकूप सिंचाई पर अत्यधिक निर्भर हैं।
  - हालाँकि, राष्ट्रीय भूजल आकलन 2025 के अनुसार लगभग 60% आकलित ब्लॉक अर्ध-संकटग्रस्त, संकटग्रस्त या अतिदोहन की श्रेणी में हैं। बढ़ते जलवायु दबाव के बीच फसल उत्पादकता और किसानों की आय की सुरक्षा हेतु सतत् भूजल प्रबंधन आवश्यक है।
- **ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के लिए पेयजल का महत्त्वपूर्ण स्रोत:** भूजल लगभग 85% ग्रामीण पेयजल आवश्यकताओं और लगभग 50% शहरी जल माँग को पूरा करता है (जल शक्ति मंत्रालय, 2025)। तीव्र शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में दोहन का दबाव बढ़ाया है।
  - प्रभावी विनियमन और पुनर्भरण के बिना, विशेषकर जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती लू और सूखे की स्थितियों में, शहरी जल सुरक्षा संकटग्रस्त हो सकती है।
- **विश्व का सबसे बड़ा भूजल दोहनकर्ता देश के रूप में भारत:**
  - भारत वैश्विक भूजल दोहन का लगभग 25% हिस्सा रखता है, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है (विश्व बैंक, 2025)।
  - उत्तर-पश्चिमी और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में जल स्तर प्रति वर्ष 0.5 मीटर से अधिक की दर से गिर रहा है। अत: भूजल प्रबंधन केवल राष्ट्रीय स्थिरता ही नहीं, बल्कि वैश्विक जल सुरक्षा और जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए भी आवश्यक है।
- **भूजल गुणवत्ता और जनस्वास्थ्य संबंधी बढ़ती चिंताएँ:**
  - भूजल प्रदूषण गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (2025) के अनुसार 200 से अधिक जिलों में आर्सेनिक, 370 से अधिक जिलों में फ्लोराइड तथा उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से बढ़ते नाइट्रेट स्तर की समस्या है।
  - दुर्बल भूजल प्रबंधन से फ्लोरोसिस, आर्सेनिकोसिस और असुरक्षित पेयजल जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जो विशेषकर ग्रामीण और निम्न-आय वर्गों को प्रभावित करती हैं।
- **जलवायु लचीलापन और सूखा नियंत्रण में भूमिका:**
  - भूजल वर्षा की अनिश्चितता और सूखे के विरुद्ध प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करता है। अंतरसरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC, 2023) के अनुसार दक्षिण एशिया में अनियमित मानसून और बार-बार शुष्क अवधि की संभावना है।
  - अतिदोहन से जलभृत की भंडारण क्षमता घटती है, जिससे सूखे से निपटने की क्षमता कमजोर होती है। अत: सतत् भूजल प्रबंधन जलवायु अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण की रणनीतियों का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
- **पारिस्थितिक तंत्र और सतही जल प्रणालियों की सुरक्षा:**
  - जलभृत शुष्क मौसम में नदियों के आधार प्रवाह, आर्द्रभूमियों और पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखते हैं। केंद्रीय जल आयोग (2024-25) के अध्ययन के अनुसार अत्यधिक भूजल दोहन के कारण यमुना और साबरमती जैसी नदियों में आधार प्रवाह कम हुआ है।
  - भूजल प्रबंधन पारिस्थितिक संतुलन, जैव विविधता और सतही जल पर निर्भर आजीविकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

चुनौतियाँ और समस्याएँ

- **असतत् अतिदोहन और गिरते भूजल स्तर:**
  - भारत में कृषि, शहरी माँग और कमजोर विनियमन के कारण भूजल का गंभीर अतिदोहन हो रहा है।

- केंद्रीय भूजल बोर्ड की राष्ट्रीय आकलन रिपोर्ट 2025 के अनुसार लगभग 60% आकलित भूजल इकाइयाँ अर्ध-संकटग्रस्त, संकटग्रस्त या अतिदोहन की श्रेणी में हैं, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में।
- गिरते जल स्तर से पंपिंग लागत, ऊर्जा उपयोग और किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ती है, जिससे भूजल उपयोग आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अस्थिर हो जाता है।

- **कमजोर विनियामक ढाँचा और विखंडित शासन व्यवस्था:**
  - भूजल को अभी भी प्रायः भूमि स्वामित्व से जुड़ा निजी संसाधन माना जाता है, जिससे प्रभावी नियंत्रण सीमित हो जाता है। यद्यपि मॉडल भूजल विधेयक को कई राज्यों ने अपनाया है, परंतु उसका क्रियान्वयन असमान है।
  - नीति आयोग (2025) के अनुसार अधिकांश राज्यों में वास्तविक समय दोहन निगरानी और लाइसेंस प्रणाली का अभाव है। कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी निकायों और जल विभागों के बीच संस्थागत विखंडन समन्वित भूजल शासन को कमजोर करता है।
- **भूजल गुणवत्ता में गिरावट और जनस्वास्थ्य जोखिम:**
  - भूजल गुणवत्ता का ह्रास एक गंभीर चिंता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (2025) के अनुसार 200 से अधिक जिलों में आर्सेनिक, 370 से अधिक जिलों में फ्लोराइड तथा कृषि क्षेत्रों में बढ़ते नाइट्रेट स्तर की समस्या है।
  - औद्योगिक अपशिष्ट, खनन, सीवेज रिसाव और उर्वरकों के दुरुपयोग से प्रदूषण बढ़ता है। खराब गुणवत्ता वाला भूजल, विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में, रोगों के जोखिम को बढ़ाता है।
- **जलवायु परिवर्तन से जलभृतों पर बढ़ता दबाव:**
  - जलवायु परिवर्तनशीलता भूजल तनाव को बढ़ा रही है। अंतरसरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC) के अनुसार दक्षिण एशिया में अनियमित मानसून और लंबी शुष्क अवधि की संभावना है।
  - कमजोर मानसून के दौरान पुनर्भरण में कमी और सूखे के समय अधिक दोहन से जलभृतों का क्षरण तेज होता है।
  - भारत मौसम विज्ञान विभाग (2025) के अनुसार अत्यधिक वर्षा घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है, जिससे जल का बहाव अधिक होता है और प्रभावी पुनर्भरण कम हो जाता है।
- **ऊर्जा-जल संबंध और विकृत प्रोत्साहन:**
  - कृषि हेतु सब्सिडी या निःशुल्क बिजली अत्यधिक भूजल दोहन को बढ़ावा देती है। नीति आयोग (2025) के अनुसार बिजली सब्सिडी जल उपयोग निर्णयों को विकृत करती है, विशेषकर उत्तर-पश्चिमी राज्यों में।
  - इससे शुष्क क्षेत्रों में अधिक जल-गहन धान जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा मिलता है। मीटरिंग और मात्रात्मक मूल्य निर्धारण के अभाव में संरक्षण के लिए प्रोत्साहन कम हो जाता है, जिससे जलभृतों पर दबाव बढ़ता है।
- **सीमित सामुदायिक भागीदारी और आँकड़ों की कमी:**
  - कई क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन तकनीकी और शीर्ष-से-नीचे (टॉप-डाउन) दृष्टिकोण पर आधारित है।
  - 43,000 से अधिक निगरानी केंद्र होने के बावजूद, पंचायत स्तर पर आँकड़ों का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाता (केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2025)।
  - जलभृत सीमाओं के प्रति सामुदायिक जागरूकता कम है, जिससे संरक्षण प्रयासों में सहभागिता घटती है और पुनर्भरण तथा माँग-प्रबंधन पहल की स्थिरता कमजोर होती है।

सरकारी और संस्थागत प्रयास

- **मॉडल भूजल विधेयक के माध्यम से विनियमन और शासन सुदृढ़ीकरण:** कमजोर विनियमन और अनियंत्रित दोहन से निपटने हेतु मॉडल भूजल (सतत् प्रबंधन) विधेयक राज्यों को भूजल उपयोग के विनियमन, जलभृत-आधारित प्रबंधन को बढ़ावा देने तथा भूजल को साझा संसाधन के रूप में मान्यता देने के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
  - 2025 तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस मॉडल ढाँचे के अनुरूप अपने कानून अपनाए या संशोधित किए हैं। हालाँकि, जिला स्तर पर क्षमता की कमी के कारण क्रियान्वयन में भिन्नता बनी हुई है (जल शक्ति मंत्रालय, 2025)।
- **NAQUIM 2.0 के अंतर्गत वैज्ञानिक जलभृत मानचित्रण:**
  - केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM 2.0) आँकड़ों की कमी और कमजोर योजना-निर्माण की समस्या को संबोधित करता है। इसके अन्तर्गत पंचायत स्तर तक उच्च-रिजॉल्यूशन जलभृत मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं।
  - 2025 तक भारत के 85% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र का मानचित्रण किया जा चुका है, जिससे अतिदोहन वाले क्षेत्रों की पहचान बेहतर हुई है। फिर भी वैज्ञानिक आँकड़ों को स्थानीय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई में बदलना अभी भी असमान है (केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2025)।
- **अटल भूजल योजना के माध्यम से माँग प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी:**
  - अटल भूजल योजना (अटल जल) सात राज्यों के जल-संकटग्रस्त ब्लॉकों में सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देकर अतिदोहन और कम सामुदायिक सहभागिता की समस्या का समाधान करती है। ₹6,000 करोड़ के प्रावधान वाली इस योजना में वित्तीय सहायता को मापनीय जल बचत से जोड़ा गया है।
  - 2024-25 तक भाग लेने वाले ब्लॉकों में जल बजट में सुधार और दोहन प्रवृत्ति में कमी देखी गई है, हालाँकि चयनित राज्यों से बाहर इसका विस्तार अभी सीमित है (विश्व बैंक; जल शक्ति मंत्रालय)।
- **जल शक्ति अभियान और अमृत सरोवर के माध्यम से पुनर्भरण और संरक्षण:** गिरते जल स्तर और जलवायु परिवर्तनशीलता से निपटने के लिए 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' वर्षा जल संचयन, पुनर्भरण संरचनाओं और जलाशयों के पुनर्जीवन पर केंद्रित है।
  - मिशन अमृत सरोवर इसके पूरक के रूप में जिलों में बड़े तालाबों का निर्माण करता है। 2025 तक 60,000 से अधिक अमृत सरोवर पूर्ण किए जा चुके हैं, जिससे स्थानीय पुनर्भरण में वृद्धि हुई है। हालाँकि, रखरखाव और दीर्घकालिक निगरानी अभी भी चुनौती बने हुए हैं (जल शक्ति मंत्रालय, 2025)।

- **समेकित जल मिशनों के माध्यम से गुणवत्ता और लचीलापन सुनिश्चित करना:**
  - भूजल गुणवत्ता और जलवायु दबाव से निपटने के लिए जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन तथा भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के अन्तर्गत प्रयासों का समेकन किया गया है।
  - इन पहलों से जल परीक्षण, सुरक्षित पेयजल उपलब्धता और लचीलापन योजना में सुधार हुआ है।
  - फिर भी सैकड़ों जिलों में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रदूषण बना हुआ है, जो प्रदूषण नियंत्रण और जलभृत संरक्षण को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता को दर्शाता है (केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2025; अंतरसरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल)।

आगे की राह

- **जलभृत-आधारित शासन की ओर निर्णायक परिवर्तन:** भारत को प्रशासनिक सीमाओं के स्थान पर जलभृत-आधारित भूजल प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और NAQUIM 2.0 के निष्कर्षों का उपयोग करना चाहिए। जलभृत मानचित्रों को जिला और पंचायत योजनाओं में सम्मिलित करने से दोहन को पुनर्भरण क्षमता के अनुरूप किया जा सकेगा।
  - ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने जलभृत जोनिंग के माध्यम से अतिदोहन को कम किया है। भारत में साझा जलभृत वाले राज्यों के बीच संस्थागत समन्वय एक प्रमुख क्रियान्वयन चुनौती बना हुआ है (केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2025)।
- **प्रवर्तन और राज्य क्षमता को सुदृढ़ करना:**
  - भूजल कानूनों को अपनाने के साथ-साथ जिला और ब्लॉक स्तर पर नियामक क्षमता विकसित करना आवश्यक है। समर्पित भूजल प्राधिकरण, प्रशिक्षित कार्मिक और डिजिटल निगरानी उपकरण अनिवार्य हैं।
  - नीति आयोग (2025) के अनुसार अनेक राज्यों में निरंतर अतिदोहन का कारण नीतियों का अभाव नहीं, बल्कि प्रवर्तन की कमी है। राजकोषीय प्रोत्साहन राज्यों को अनुपालन तंत्र मजबूत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
- **सामुदायिक नेतृत्व वाले माँग प्रबंधन का विस्तार:** अटल भूजल योजना जैसे कार्यक्रमों का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रमाण बताते हैं कि सामुदायिक जल बजटिंग से दोहन में सतत् कमी आती है।
  - 2025 तक पायलट ब्लॉकों में फसल पैटर्न और पंपिंग व्यवहार में परिवर्तन देखा गया है।
  - हालाँकि, दीर्घकालिक सफलता सतत् जागरूकता, किसानों के लिए प्रोत्साहन तथा कृषि मूल्य निर्धारण और सब्सिडी सुधार के साथ एकीकरण पर निर्भर करती है (विश्व बैंक; जल शक्ति मंत्रालय)।
- **भूजल को कृषि और ऊर्जा नीति से जोड़ना:** भूजल की स्थिरता के लिए फसल चयन, बिजली मूल्य निर्धारण और सिंचाई प्रोत्साहनों का समन्वय आवश्यक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाओं के अन्तर्गत मोटे अनाज, दलहन और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने से जल तनाव कम हो सकता है। निःशुल्क या स्थिर दर वाली बिजली में सुधार किए बिना पुनर्भरण पहलों से प्राप्त दक्षता लाभ सीमित रहेंगे (नीति आयोग, 2025)।
- **जलवायु लचीलापन और गुणवत्ता संरक्षण को सुदृढ़ करना:**
  - जलवायु परिवर्तनशीलता के मद्देनजर प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण, शहरी वर्षा जल संचयन और प्रदूषण नियंत्रण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मिशन अमृत सरोवर का विस्तार और औद्योगिक अपशिष्ट मानकों का कठोर पालन अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - 300 से अधिक जिलों में निरंतर आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रदूषण यह दर्शाता है कि केवल उपचार नहीं, बल्कि पूर्व-निवारक जलभृत संरक्षण आवश्यक है (केंद्रीय भूजल बोर्ड; अंतरसरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल)।

भूजल के स्रोत

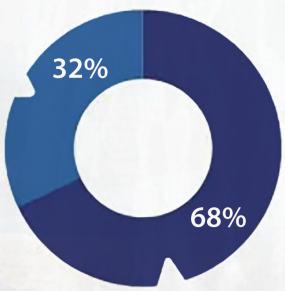

अन्य
नहरों से रिसाव, सिंचाई से वापस बहने वाला पानी, टैंकों, तालाबों और जल संरक्षण संरचनाओं से होने वाला पुनर्भरण।

वर्षा
वर्षा का पानी सीधे जमीन के अंदर प्रवेश करना।

भूजल का उपयोग

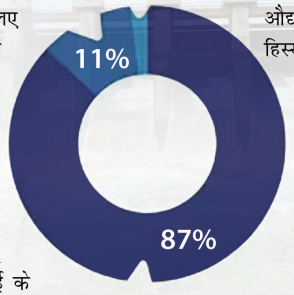

घरेलू
घर के कामों के लिए दूसरा सबसे अधिक उपयोग।

औद्योगिक
औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे कम है।

कृषि
कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए सबसे अधिक उपयोग।

रोजगार और सामाजिक रुझान रिपोर्ट 2026

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2026 की रोजगार रिपोर्ट यह दर्शाती है कि आर्थिक वृद्धि और तकनीकी प्रगति के बावजूद वैश्विक श्रम बाजार में असमानताएँ लगातार बनी हुई हैं।

पृष्ठभूमि

- प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिकों के शोषण, बेरोजगारी और सामाजिक अस्थिरता से निपटने के लिए रोजगार और श्रम बाजार की निगरानी की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके परिणामस्वरूप 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की स्थापना हुई।
- इसका उद्देश्य वैश्विक सहयोग के माध्यम से सम्मानजनक कार्य, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना था। समय के साथ औद्योगीकरण, वैश्वीकरण और बाद में डिजिटलीकरण के कारण श्रम बाजारों में परिवर्तन हुआ। इससे नए रोजगार सृजित हुए, लेकिन अनौपचारिक कार्य, रोजगार असुरक्षा और वेतन असमानता भी बढ़ी। यद्यपि आर्थिक विकास से लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले, परंतु रोजगार की गुणवत्ता सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं सुधरी।
- पूर्व की नीतियाँ मुख्यत: आर्थिक विकास पर केंद्रित थीं, यह मानते हुए कि रोजगार स्वत: उत्पन्न हो जाएगा। यह दृष्टिकोण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आंशिक रूप से सफल रहा, लेकिन अनेक विकासशील देशों में अनौपचारिकता, कम उत्पादकता और कमजोर सामाजिक सुरक्षा बनी रही।
- कौशल असंगति, लैंगिक मान्यताएँ, कमजोर औद्योगिक आधार और असमान व्यापार एकीकरण जैसी संरचनात्मक समस्याओं ने प्रगति को सीमित किया। तकनीकी परिवर्तन, विशेषकर स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ने श्रम माँग को और प्रभावित किया।
- वर्तमान में यह मुद्दा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक बेरोजगारी उच्च स्तर पर स्थिर बनी हुई है, युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है, और लगभग 300 मिलियन श्रमिक कार्यरत होने के बावजूद अत्यंत गरीब बने हुए हैं। 2026 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 400 मिलियन से अधिक लोग श्रम अल्प-उपयोग की स्थिति से प्रभावित हैं।
- उदाहरण के लिए, निम्न-आय वाले देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि उत्पादक रोजगार में परिवर्तित नहीं हो पा रही है, जिससे दीर्घकालिक असमानता और सामाजिक अस्थिरता का जोखिम बढ़ रहा है।

रिपोर्ट में बताई गई चिंताएँ

- **वैश्विक रोजगार सुधार में ठहराव को दर्शाता है:**
  - रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9 प्रतिशत पर स्थिर है, जिससे लगभग 186 मिलियन लोग प्रभावित हैं, जबकि आर्थिक सुधार जारी है।
  - यह संकेत देता है कि केवल आर्थिक वृद्धि रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत में भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है, जहाँ 7 प्रतिशत से अधिक वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के बावजूद शहरी बेरोजगारी में समानुपाती कमी नहीं आई और 2024-25 में यह लगभग 6.6 प्रतिशत रही (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण; अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन)।
- **कार्यरत गरीबी और अनौपचारिकता की निरंतरता को रेखांकित करता है:**
  - रिपोर्ट बताती है कि विश्व स्तर पर लगभग 300 मिलियन श्रमिक रोजगार में होने के बावजूद अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण अनौपचारिकता है।
  - भारत में भी 2025 तक 80 प्रतिशत से अधिक कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में है, जिससे आय सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा कवरेज सीमित रहता है।
  - यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अनौपचारिकता उत्पादकता और कर आधार को कमजोर करती है, जबकि भारत ने सामाजिक सुरक्षा संहिताओं और डिजिटल कल्याण वितरण का विस्तार किया है (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन; आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25)।
- **वैश्विक युवा रोजगार संकट की तात्कालिकता को दर्शाता है:**
  - 2025 में युवा बेरोजगारी दर 12.4 प्रतिशत तक पहुँच गई है, और 260 मिलियन युवा शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण से बाहर हैं।
  - भारत में भी 2024-25 में शहरी क्षेत्रों में युवा बेरोजगारी 15 प्रतिशत से अधिक रही, जबकि शिक्षा स्तर में वृद्धि हुई है।
  - कौशल असंगति और स्वचालन का प्रभाव विशेषकर सेवा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन; आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण)।
- **श्रम बाजार में लैंगिक समानता पर ठहराव को उजागर करता है:**
  - विश्व स्तर पर महिलाओं की भागीदारी केवल 40 प्रतिशत रोजगार तक सीमित है, जो संरचनात्मक बाधाओं को दर्शाता है।
  - भारत में 2024-25 में महिला श्रम बल भागीदारी दर लगभग 37 प्रतिशत तक बढ़ी है, परंतु अवैतनिक देखभाल कार्य, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और सीमित बाल देखभाल अवसंरचना इसे प्रभावित करती हैं।
  - महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है, जैसा कि नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने उल्लेख किया है।
- **व्यापार अनिश्चितता और जनसांख्यिकीय बदलाव को रोजगार अस्थिरता से जोड़ता है:** रिपोर्ट व्यापार व्यवधानों और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को असमान रोजगार सृजन से जोड़ती है।
  - भारत सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में व्यापार-संबद्ध रोजगार से लाभान्वित होता है, किंतु वैश्विक आपूर्ति शृंखला झटकों से निर्यात-उन्मुख नौकरियाँ प्रभावित होती हैं।
  - यद्यपि व्यापार लाखों भारतीयों की आजीविका का समर्थन करता है, असमान क्षेत्रीय औद्योगीकरण और तीव्र जनसंख्या वृद्धि रोजगार अवशोषण पर दबाव डालती है और 2026 की परिदृश्य रिपोर्ट में रेखांकित असमानताओं को सुदृढ़ करती है (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन; वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)।

सरकारी और संस्थागत प्रयास

- **आर्थिक वृद्धि के बावजूद कमजोर रोजगार सृजन की समस्या का समाधान:**
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पूँजी और प्रौद्योगिकी आधारित वृद्धि के बजाय रोजगार-सघन वृद्धि की अनुशंसा करता है।
  - भारत में सार्वजनिक पूँजीगत व्यय में वृद्धि और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना है, किंतु रोजगार लोच (Employment Elasticity of Growth) लगभग 0.3 पर बनी हुई है, जो सीमित रोजगार अवशोषण को दर्शाती है (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25; अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन)।
- **अनौपचारिकता और कार्यरत गरीबी में कमी:**
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यरत गरीबी के चक्र को तोड़ने हेतु सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पर बल देता है।
  - भारत के ई-श्रम पोर्टल पर 300 मिलियन से अधिक अनौपचारिक श्रमिक पंजीकृत हैं, जिससे उनकी पहचान और आयुष्मान भारत जैसी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच में सुधार हुआ है। तथापि, आय सुरक्षा और पेंशन कवरेज अभी भी आंशिक है (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 2025; वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक)।
- **युवा बेरोजगारी और कौशल असंगति का समाधान:**
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 'डिसेंट जॉब्स फॉर यूथ' ढाँचा भारत के स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अनुरूप है, जिससे प्रशिक्षण कवरेज का विस्तार हुआ है।
  - फिर भी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी 13 प्रतिशत से अधिक है, जो प्रशिक्षण और श्रम बाजार की माँग के बीच अंतर को दर्शाता है (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन; राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, 2025)।
- **श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतर को कम करना:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन लैंगिक-संवेदनशील श्रम नीतियों का समर्थन करता है। भारत में मिशन शक्ति, मातृत्व लाभ विस्तार और बाल देखभाल पहलें बाधाओं को कम करने का प्रयास करती हैं, फिर भी महिला श्रम बल भागीदारी लगभग 37 प्रतिशत के आसपास है, जिसका कारण अवैतनिक देखभाल कार्य और अनौपचारिक रोजगार में उच्च भागीदारी है (विश्व बैंक जेंडर अपडेट 2025; अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन)।
- **व्यापार अनिश्चितता और जनसांख्यिकीय दबाव का प्रबंधन:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व्यापार को सम्मानजनक कार्य से जोड़ने पर बल देता है। भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 और लॉजिस्टिक्स सुधार निर्यात-आधारित रोजगार का समर्थन करते हैं, किंतु स्वचालन और वैश्विक व्यापार अस्थिरता वस्त्र जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में वेतन वृद्धि को प्रभावित करती है (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 2025)।

आगे की राह

- **विकास रणनीति को रोजगार-सघन क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित करना:**
  - भारत को रोजगार लोच में सुधार हेतु श्रम-प्रधान विनिर्माण, निर्माण, देखभाल सेवाओं और हरित रोजगार क्षेत्रों की ओर विकास का संतुलन स्थापित करना चाहिए।
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO, 2026) और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा श्रम-अवशोषक क्षेत्रों के लिए लक्षित प्रोत्साहनों की अनुशंसा करते हैं, ताकि उत्पादन वृद्धि को सतत् रोजगार सृजन में परिवर्तित किया जा सके।
- **केवल पंजीकरण से आगे बढ़कर प्रभावी संरक्षण के माध्यम से औपचारिकीकरण:**
  - श्रमिक पंजीकरण के साथ-साथ लागू करने योग्य सामाजिक सुरक्षा और अनुबंध कवरेज सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
  - ई-श्रम डाटाबेस को पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन वितरण से जोड़कर अनौपचारिकता कम की जा सकती है।
  - ILO (2026) के अनुसार औपचारिकीकरण तभी सफल होता है जब लाभ, अनुपालन और प्रवर्तन साथ-साथ आगे बढ़ें, न कि केवल पहचान तक सीमित रहें।
- **कौशल विकास को भविष्य की श्रम माँग से जोड़ना:**
  - भारत को विशेष रूप से डिजिटल, हरित और देखभाल अर्थव्यवस्था में शिक्षा, कौशल विकास और श्रम बाजार की आवश्यकताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए।
  - ILO (2026) और विश्व बैंक (2025) नियोक्ता-आधारित अप्रेंटिसशिप और सतत् पुनः-कौशल प्रशिक्षण की अनुशंसा करते हैं, ताकि विशेषकर शिक्षित युवाओं में स्वचालन के कारण उत्पन्न विस्थापन से निपटा जा सके।
- **देखभाल अवसंरचना और लचीले कार्य प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देना:**
  - महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने के लिए बाल देखभाल, वृद्ध देखभाल, सुरक्षित परिवहन और लचीली कार्य व्यवस्था में सार्वजनिक निवेश आवश्यक है।
  - विश्व बैंक (2025) के अनुसार जिन देशों ने देखभाल अवसंरचना का विस्तार किया है, वहाँ महिलाओं के रोजगार में स्थायी वृद्धि देखी गई है। भारत में प्रगति इस प्रकार के समर्थन को शहरी और औपचारिक क्षेत्रों से आगे बढ़ाने पर निर्भर करेगी।
- **व्यापार लचीलापन और रोजगार सुरक्षा को सुदृढ़ करना:** व्यापार-संबद्ध रोजगार की सुरक्षा के लिए भारत को निर्यात बाजारों का विविधीकरण, छोटे निर्यातकों का समर्थन तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में श्रम मानकों को सुदृढ़ करना चाहिए।

निष्कर्ष

- रोजगार एवं सामाजिक प्रवृत्तियाँ 2026 रिपोर्ट यह दर्शाती है कि वैश्विक रोजगार संबंधी चुनौतियाँ अब अस्थायी नहीं, बल्कि संरचनात्मक स्वरूप ले चुकी हैं। लगातार बनी हुई बेरोजगारी, अनौपचारिकता, युवाओं का बहिष्करण और लैंगिक असमानताएँ इस तथ्य को उजागर करती हैं कि समावेशन के बिना विकास की सीमाएँ हैं।
- भारत जैसे देशों के लिए यह निष्कर्ष कौशल विकास, औद्योगिक नीति, सामाजिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी अपनाने के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है।
- केवल समन्वित और जन-केंद्रित सुधार ही जनसांख्यिकीय क्षमता को सम्मानजनक, उत्पादक और लचीले रोजगार में परिवर्तित कर सकते हैं, विशेषकर तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में।

यूजीसी समता विनियम, 2026

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026 अधिसूचित किए हैं।

परिवर्तन का कारण

- ये विनियम 2012 के उस ढाँचे का स्थान लेते हैं, जो परामर्शात्मक प्रकृति का था। उसमें प्रवर्तन की शक्तियों का अभाव था तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था। पूर्ववर्ती विनियमन शिकायत निवारण की स्पष्ट प्रक्रियाएँ प्रदान करने में भी असफल रहा।

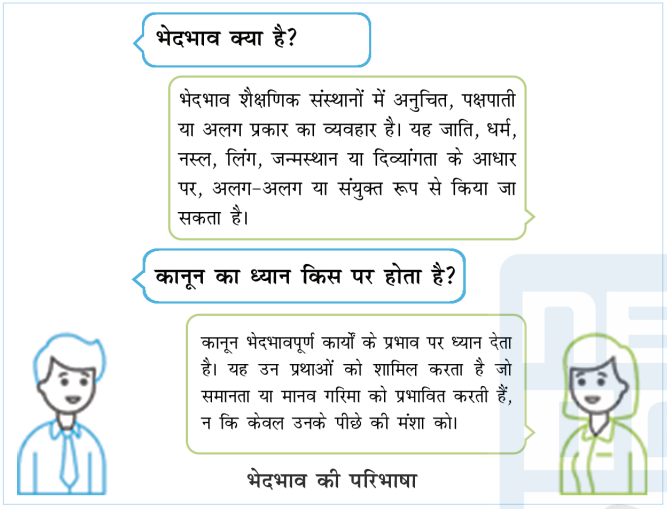

नए विनियमों की आवश्यकता

- **भेदभाव:** विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव की बार-बार प्राप्त रिपोर्टों ने वर्तमान तंत्रों की अपर्याप्तता को उजागर किया।
- **मामलों में वृद्धि:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, पाँच वर्षों में जाति-आधारित भेदभाव के दर्ज मामलों में 118.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे अधिक कठोर और प्रवर्तनीय नियमों की आवश्यकता स्पष्ट हुई।

प्रारूप से अंतिम विनियम तक का विकास

- **समस्याएँ:** फरवरी 2024 में जारी प्रारूप की आलोचना OBC को बाहर रखने, झूठी शिकायतों पर दंड का प्रस्ताव करने तथा भेदभाव की अस्पष्ट परिभाषा देने के कारण हुई।
- **सुधार:** 2026 के विनियमों में OBC को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, झूठी शिकायतों से संबंधित दंडात्मक प्रावधान हटाए गए हैं, तथा भेदभाव की परिभाषा का विस्तार किया गया है।

प्रमुख प्रावधान

आवृत्ति (कवरेज):

- **संरक्षित समूह:** ये विनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग पर लागू होते हैं।
- **नीतिगत परिवर्तन:** यह भेदभाव-रोधी ढाँचे का एक महत्त्वपूर्ण विस्तार है, जिसमें औपचारिक रूप से OBC को मान्यता दी गई है।

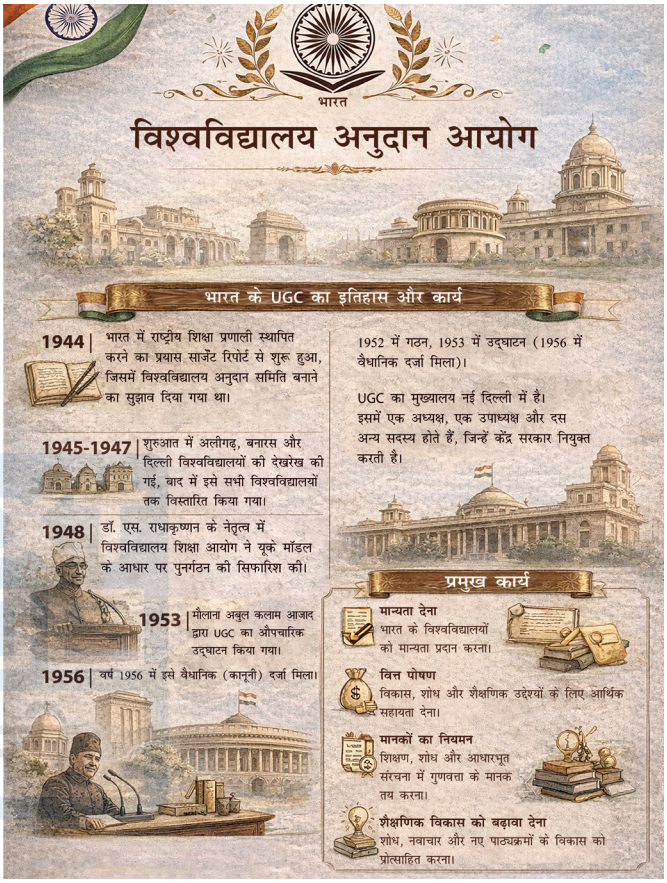

समान अवसर केंद्र

- **अनिवार्य प्रावधान:** प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान के लिए समान अवसर केंद्र की स्थापना करना अनिवार्य है।
- **कार्य:** ये केंद्र समानता को प्रोत्साहित करने, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने तथा भेदभाव से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

ईओसी के अंतर्गत इक्विटी समितियाँ:

- **संरचना:** प्रत्येक संस्थान को एक इक्विटी समिति का गठन करना होगा, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख द्वारा की जाएगी तथा जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और महिलाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- नियामक ढाँचा समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करता है। इक्विटी समिति को किसी शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर बैठक करनी होगी तथा 15 दिनों के भीतर अपने निष्कर्ष अंतिम रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
- इसके पश्चात् संस्थान प्रमुख को 7 दिनों के भीतर उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करना अनिवार्य होगा।

- सुरक्षित परिसर वातावरण बनाए रखने के लिए दिशानिर्देशों में सक्रिय उपायों को अनिवार्य किया गया है, जिनमें मोबाइल इक्विटी स्क्वॉड, 24×7 समर्पित हेल्पलाइन तथा समावेशी संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए इक्विटी एंबेसडर की नियुक्ति शामिल है।

निगरानी और प्रतिवेदन ढाँचा

- **प्रतिवेदन:** समान अवसर केंद्रों को अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा, जबकि संस्थानों को यूजीसी को वार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- **राष्ट्रीय निगरानी समिति:** यूजीसी वैधानिक निकायों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों सहित एक राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन करेगा, जो कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करेगी।

प्रवर्तन और दंड

- **अनुपालन न करने की स्थिति में:** जो संस्थान विनियमों का उल्लंघन करेंगे, उन्हें यूजीसी की योजनाओं से वंचित किया जा सकता है, उन्हें डिग्री या ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची से हटाया जा सकता है।
- **प्रवर्तनीय विनियम:** इन प्रावधानों के माध्यम से समानता संबंधी ढाँचे को परामर्शात्मक दिशानिर्देशों से बदलकर एक प्रवर्तनीय विनियमन का रूप दिया गया है।

विनियमों का महत्त्व

- **सुदृढ़ संरक्षण:** ये विनियम उच्च शिक्षा में जाति-आधारित भेदभाव के विरुद्ध विधिक तथा संस्थागत सुरक्षा उपायों को सशक्त बनाते हैं।
- **समावेशी दृष्टिकोण:** OBC को स्पष्ट रूप से शामिल करने से सामाजिक न्याय के दायरे का विस्तार सुनिश्चित हुआ है।
- **उत्तरदायित्व:** स्पष्ट दायित्वों और दंडात्मक प्रावधानों से संस्थागत जवाबदेही और अनुपालन में सुधार होता है।

यूजीसी इक्विटी विनियम, 2026 की प्रमुख आलोचनाएँ

- **दुर्भावनापूर्ण आरोपों के संबंध में जवाबदेही का अभाव:** अंतिम 2026 विनियमों में 2025 के प्रारूप में विद्यमान एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान-झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर दंड-को हटा दिया गया है।
  - आलोचकों का तर्क है कि इस निवारक प्रावधान को हटाने से "प्रक्रियात्मक असमानता" उत्पन्न हो सकती है, जिससे व्यक्तिगत या वैचारिक प्रतिशोध के लिए शिकायत तंत्र के दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है।
  - यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि संतुलन के अभाव में सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को "पूर्वानुमानित दोषी" के रूप में देखा जा सकता है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन कर सकता है।
- **त्वरित समयसीमा के कारण प्रभावित प्रक्रिया (Due Process):**
  - तत्काल कार्रवाई (जैसे 24 घंटे के भीतर समिति की बैठक और 15 दिनों के भीतर प्रतिवेदन निष्पादन) का प्रावधान निर्णय-प्रक्रिया की गुणवत्ता को लेकर चिंता उत्पन्न करता है।
  - इतनी संक्षिप्त समयसीमा साक्ष्यों के समुचित मूल्यांकन अथवा आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर देने में बाधा बन सकती है।
  - जटिल शैक्षणिक परिवेश में, जहाँ "भेदभाव" सूक्ष्म अथवा विवादित हो सकता है, वहाँ "प्रक्रियात्मक समापन" को वास्तविक न्याय पर वरीयता दिए जाने का जोखिम है।
- **संस्थागत और वित्तीय सीमाएँ:**
  - ये विनियम एक भारी प्रशासनिक दायित्व आरोपित करते हैं, जो छोटे या संसाधन-विहीन महाविद्यालयों के लिए व्यवहार्य न हो सकता है।
  - समर्पित EOC, 24×7 हेल्पलाइन और "इक्विटी स्क्वॉड" को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त शिक्षकीय समय और वित्तीय निवेश की आवश्यकता होगी।
  - जो संस्थान पहले से ही कार्मिकों की कमी से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह आशंका है कि यह प्रावधान वास्तविक संस्थागत परिवर्तन के बजाय केवल "कागजी अनुपालन" तक सीमित रह सकता है।

नए विनियमों पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थगनादेश

- भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को प्रोत्साहन) विनियम, 2026 पर अंतरिम स्थगनादेश प्रदान किया है, क्योंकि उसे आशंका है कि ये परिसर वातावरण में विभाजन उत्पन्न कर सकते हैं और एकता को प्रभावित कर सकते हैं।
- न्यायालय ने कहा कि नए नियम महत्त्वपूर्ण विधिक प्रश्न उठाते हैं, जिन्हें यदि परीक्षण के बिना छोड़ दिया जाए तो इनके "बहुत व्यापक परिणाम" हो सकते हैं और ये "समाज को विभाजित" कर सकते हैं।
  - **पुराने नियम प्रभावी रहेंगे:** चूँकि 2012 के नियम नए विनियमों के लिए निरस्त कर दिए गए थे, इसलिए न्यायालय ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए फिलहाल 2012 के नियमों को पुनः प्रभावी कर दिया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अंतिम निर्णय तक विद्यार्थियों के संरक्षण का तंत्र बना रहे।
  - **परिभाषा संबंधी समस्याएँ:** मुख्य विवाद यह है कि 2026 के नियमों का एक प्रावधान "भेदभाव" को केवल SC, ST और OBC विद्यार्थियों के विरुद्ध घटित घटना के रूप में परिभाषित करता है।
    - न्यायालय ने उल्लेख किया कि इससे सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी बाहर रह जाते हैं, जबकि विधि का अन्य भाग धर्म, नस्ल या लिंग की परवाह किए बिना सभी को संरक्षण प्रदान करता है।
  - **संरक्षण में अंतराल:** न्यायालय को चिंता है कि नए नियम अन्य प्रकार के उत्पीड़न, जैसे किसी विद्यार्थी के राज्य-आधारित भेदभाव, "रैगिंग", या ऐसे मामलों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं करते जहाँ आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति अपने ही जाति के अन्य व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करे। साथ ही, झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध दंड का स्पष्ट प्रावधान भी अनुपस्थित है।
  - **एक प्रतिगामी कदम?** न्यायाधीशों ने "नॉन-रिग्रेशन" के विधिक सिद्धांत का उल्लेख किया, जिसके अनुसार सामाजिक न्याय से संबंधित कानूनों को प्रगतिशील होना चाहिए, न कि प्रतिगामी।
    - उन्होंने प्रश्न उठाया कि 2026 के नियम 2012 के संस्करण की तुलना में कम समावेशी और कम संरक्षकात्मक क्यों प्रतीत होते हैं।

लोकलुभावन मुफ्त वितरण बनाम वंचितों के लिए कल्याण

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आवश्यक कल्याणकारी योजनाओं और लोकलुभावन "फ्रीबीज" के बीच अंतर स्पष्ट किया है, और बताया है कि चुनावी लाभ के लिए बड़े पैमाने पर राज्य की धनराशि व्यक्तियों को देना, सार्वजनिक कल्याण में निवेश से अलग है।

परिचय

- याचिकाओं के एक समूह में 'मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले अविवेकपूर्ण फ्रीबीज' को "भ्रष्ट आचरण" घोषित करने की न्यायिक घोषणा की माँग की गई है।
- **सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:** पीठ ने कहा कि मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी कल्याणकारी पहलें केवल उपहार नहीं हैं, बल्कि राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों (DPSP) के अन्तर्गत संवैधानिक दायित्व हैं।
- **आर्थिक चिंताएँ:** हालाँकि, न्यायालय ने चिंता जताई कि अनियंत्रित मुफ्त वितरण से राज्य के खजाने पर दबाव पड़ता है, सार्वजनिक ऋण बढ़ता है और दीर्घकालिक विकासात्मक अवसंरचना के लिए निर्धारित धन में कटौती होती है।
- **व्यवहारिक प्रभाव:** फ्रीबीज पर अत्यधिक निर्भरता से निर्भरता की संस्कृति विकसित हो सकती है, जो कार्यबल में भागीदारी और दीर्घकालिक आर्थिक योगदान को हतोत्साहित कर सकती है।

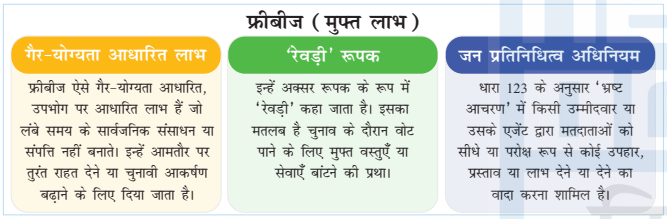

फ्रीबीज के पक्ष में तर्क

- **सामाजिक कल्याण:** ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, जिससे गरीबी और सामाजिक असमानता कम करने में मदद मिलती है।
- **सशक्तीकरण:** फ्रीबीज महिलाओं और छात्रों जैसे वंचित समूहों को सशक्त बना सकते हैं, क्योंकि वे उन्हें शिक्षा या आवागमन (जैसे मुफ्त परिवहन) जैसी पहले से महँगी अवसरों तक पहुँच प्रदान करते हैं।
- **उपभोग को प्रोत्साहन:** बिजली या अनाज जैसी आवश्यक वस्तुएँ मुफ्त देने से परिवारों की उपलब्ध आय बढ़ती है। इससे वे अन्य जरूरतों पर खर्च कर पाते हैं, जिससे आर्थिक माँग बढ़ती है।
- **शासन का मापदंड:** ये सरकार की अपने नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता का सीधा प्रतिबिंब होते हैं।

फ्रीबीज के विरुद्ध तर्क

- **वित्तीय बोझ:** इन योजनाओं की लागत अक्सर राजकोषीय घाटा बढ़ाती है, जिससे स्वास्थ्य अवसंरचना और अनुसंधान जैसे आवश्यक क्षेत्रों से पूँजी हट जाती है।
- **निर्भरता का जाल:** लगातार मुफ्त वितरण आत्मनिर्भरता की संस्कृति को कमजोर कर सकता है और टिकाऊ कौशल विकास को बढ़ावा देने के बजाय अधिकार-भावना (एंटाइटलमेंट) पैदा कर सकता है।
- **सीमित प्रभाव:**
  - ये उपाय अक्सर गरीबी के मूल कारणों के बजाय उसके लक्षणों को संबोधित करते हैं, जिससे स्थायी आर्थिक विकास के बजाय अस्थायी समाधान मिलते हैं।
- **लोकलुभावन विकृति:**
  - ऐसी प्रथाओं का उपयोग मतदाताओं की भावना को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
- **अस्थिरता:**
  - सरकारों के लिए बिना कर भार बढ़ाए या राजकोषीय संतुलन बिगाड़े इन वादों को लंबे समय तक वित्तपोषित करना कठिन हो सकता है।

महत्त्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

- **एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य (2013):**
  - न्यायालय ने घोषणापत्र में फ्रीबीज देने के राजनीतिक दलों के अधिकार को बरकरार रखा, लेकिन जिम्मेदार वितरण की सलाह दी।
  - न्यायालय ने यह भी कहा कि वर्तमान में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) के अन्तर्गत ऐसे वादों के लिए केवल व्यक्तिगत उम्मीदवार पर "भ्रष्ट आचरण" का आरोप लगाया जा सकता है, पूरे दल पर नहीं।
- **फ्रीबीज पर जनहित याचिका (2022):**
  - न्यायालय ने पूर्ण प्रतिबंध लगाने से परहेज किया, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को सिफारिशें तैयार करने का निर्देश दिया।
  - इसने राजनीतिक वादों और दीर्घकालिक शासन तथा राजकोषीय स्थिरता के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया।

आगे की राह

- **कड़ा नियमन:**
  - सरकार को ऐसे दिशा-निर्देश लागू करने चाहिए, ताकि कल्याणकारी योजनाएँ लक्षित हों और अल्पकालिक चुनावी चक्रों के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हों।
- **चुनावी सुधार:** भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और राजनीतिक दलों से यह स्पष्ट करने की माँग करनी चाहिए कि वे अपने वादों के लिए धन की व्यवस्था कैसे करेंगे।
- **राजकोषीय जिम्मेदारी:** राज्यों को वित्तीय अनुशासन का पालन करना चाहिए, ताकि कल्याणकारी योजनाओं के कारण ऋण-से-जीडीपी अनुपात अस्थिर न हो जाए।
- **जन जागरूकता:** मतदाताओं की सोच को "तत्काल उपहार" की माँग से हटाकर "संरचनात्मक विकास" जैसे रोजगार सृजन और बेहतर अवसंरचना की माँग की ओर ले जाना चाहिए।

केंद्रीय सतर्कता आयोग

भारत के राष्ट्रपति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 4(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग

- **उत्पत्ति और विकास:** केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) भारत सरकार के भीतर भ्रष्टाचार से लड़ने और ईमानदारी को संस्थागत रूप देने के लिए स्थापित सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में भ्रष्टाचार निवारण पर के. संथानम समिति (1962-64) की सिफारिशों के आधार पर एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी।
  - शुरुआत में CVC एक गैर-वैधानिक कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करता था। हालाँकि, 1997 के विनीते नारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, केंद्र सरकार ने 1998 में एक अध्यादेश के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया।
  - बाद में इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया।

संरचना, नियुक्ति और कार्यकाल

ब्ट्ब को सामूहिक बुद्धिमत्ता और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में बनाया गया है।

- **संरचना:** इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त होते हैं।
- **नियुक्ति प्रक्रिया:** 2003 के अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रपति एक उच्च-स्तरीय समिति (HPC) की सिफारिशों के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इस समिति में शामिल हैं:
  - प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
  - गृह मंत्री (सदस्य)
  - लोकसभा में विपक्ष के नेता (सदस्य)
- **कार्यकाल:** स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, सदस्य पदभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक सेवा करते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने के बाद वे केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य रोजगार के लिए पात्र नहीं होते।

स्वतंत्रता और स्वायत्तता

एक प्रभावी निगरानी संस्था के रूप में कार्य करने के लिए, CVC को कई कानूनी प्रावधानों के माध्यम से राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव से सुरक्षित रखा गया है:

- **सेवा शर्तें:** केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष के समान होती हैं। इसी प्रकार, सतर्कता आयुक्तों की सेवा शर्तें UPSC के सदस्यों के समान होती हैं। नियुक्ति के बाद इन शर्तों को उनके प्रतिकूल बदला नहीं जा सकता।
- **वित्तीय स्वायत्तता:** आयोग के सभी खर्च, जिनमें वेतन, पेंशन और कर्मचारियों के भत्ते शामिल हैं, भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होते हैं। इसका अर्थ है कि ये संसद के वार्षिक मतदान के अधीन नहीं होते, जिससे बजट में कटौती के माध्यम से इस संस्था को प्रभावित नहीं किया जा सकता।
- **हटाने की प्रक्रिया:**
  - राष्ट्रपति केवल कुछ विशेष आधारों पर ही किसी सदस्य को हटा सकते हैं, जैसे दिवालियापन, नैतिक अधमता से संबंधित अपराध में दोषसिद्धि, पद के बाहर वेतनयुक्त रोजगार करना, या शारीरिक/मानसिक अक्षमता।
  - **कदाचार संबंधी प्रावधान:** "सिद्ध कदाचार" या "अक्षमता" के आधार पर हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। राष्ट्रपति को मामले को औपचारिक जाँच के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करना होता है। हटाने की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ सकती है जब सर्वोच्च न्यायालय आरोपों को सही ठहराए और राष्ट्रपति को उसी अनुसार सलाह दे।

कार्य और अधिदेश

केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 और उसके बाद के संशोधनों ने आयोग को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अधिकार दिए हैं:

- **भ्रष्टाचार संबंधी जाँच:** यह आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों (केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा किए गए कथित अपराधों की जाँच करता है।
- **CBI पर अधीक्षण:** CVC भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की जाँच में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के कार्यों की निगरानी करता है। यह जाँच की प्रगति की समीक्षा करता है और अभियोजन की स्वीकृति में होने वाली देरी पर नजर रखता है।
- **व्हिसलब्लोअर संरक्षण:** जनहित प्रकटीकरण और सूचनादाताओं के संरक्षण (PIDPI) प्रस्ताव के अन्तर्गत, CVC भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग से संबंधित व्हिसलब्लोअरों की शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए नामित एजेंसी है।
- **सलाहकारी भूमिका:** यह केंद्र सरकार को सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में सलाह देता है।
- **PMLA के संबंध में:** CVC धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के अन्तर्गत संदिग्ध लेन-देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिसूचित प्राधिकरण है।

लोकपाल अधिनियम, 2013 के बाद विस्तारित भूमिका

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के लागू होने से CVC के कार्यक्षेत्र में महत्त्वपूर्ण विस्तार हुआ:

- लोकपाल, समूह A, B, C और D के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को प्रारंभिक जाँच के लिए CVC को भेज सकता है।

- CVC उन समितियों की अध्यक्षता करता है जो प्रवर्तन निदेशक (ED) और CBI में वरिष्ठ अधिकारियों (एसपी स्तर और उससे ऊपर, निदेशक को छोड़कर) की नियुक्ति की सिफारिश करती हैं।

क्षेत्राधिकार

CVC का अधिकार क्षेत्र व्यापक है, जिसमें शामिल हैं:

- संघ के कार्यों से संबंधित मामलों में सेवा दे रहे अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य।
- केंद्र सरकार के समूह 'A' के अधिकारी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), नाबार्ड (NABARD) और सिडबी (SIDBI) में स्केल V और उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और बीमा कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन अधिकारी।

संगठनात्मक संरचना

- आयोग एक सचिवालय के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें निर्माण और खरीद कार्यों के तकनीकी ऑडिट के लिए मुख्य तकनीकी परीक्षक (CTE) विंग शामिल है, तथा विभागीय जाँच आयुक्त (CDIs) होते हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध औपचारिक मौखिक जाँच करते हैं।

मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVOs)

- CVO संबंधित विभाग, CVC और CBI के बीच मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- वे आंतरिक सतर्कता कार्यों का संचालन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आयोग के निर्देश जमीनी स्तर पर लागू हों।

CVC का कार्य संचालन

जाँच करते समय CVC को दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यह गवाहों को तलब कर सकता है, दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है और हलफनामों पर साक्ष्य स्वीकार कर सकता है।

- **रिपोर्टिंग:** आयोग भारत के राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह है और उन्हें वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कराते हैं।
- **जवाबदेही:** यदि कोई विभाग CVC की सलाह को अस्वीकार करता है, तो उसे इसके कारण लिखित रूप में दर्ज करने होते हैं, ताकि आयोग की सिफारिशों को बिना उचित कारण के नजरअंदाज न किया जा सके।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की सीमाएँ
- **सलाहकारी भूमिका:** CVC एक सलाहकारी निकाय है। इसका मतलब है कि सरकार उसकी सिफारिशों को मान भी सकती है और अनदेखा भी कर सकती है।
- **कम स्टाफ:** आयोग के पास प्राप्त होने वाली बड़ी संख्या में शिकायतों को संभालने के लिए पर्याप्त कर्मचारी या संसाधन नहीं हैं।
- **सीमित अधिकार:** यह CBI को उच्च पदस्थ अधिकारियों (जैसे संयुक्त सचिव) के विरूद्ध सीधे जाँच करने का निर्देश नहीं दे सकता। इसके लिए पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होती है।
- **आपराधिक मामलों में सीमाएँ:** CVC आपराधिक मामले दर्ज नहीं कर सकता। यह केवल सरकारी विभागों के भीतर आंतरिक अनुशासन और भ्रष्टाचार की जाँच करता है।
- **निष्पक्ष नियुक्ति से जुड़ी समस्याएँ:** हालाँकि विपक्ष CVC के नेतृत्व के चयन में शामिल होता है, फिर भी नियुक्ति पर केंद्र सरकार का अधिक प्रभाव रहता है।

लोकपाल और लोकायुक्त

- लोकपाल और लोकायुक्त भारत में स्वतंत्र "ओम्बड्समैन" संस्थाएँ हैं, जिन्हें सार्वजनिक अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की जाँच के लिए बनाया गया है। लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है, जबकि लोकायुक्त अलग-अलग राज्यों में कार्य करते हैं।
- **मुख्य बिंदु:**
  - **उद्देश्य:** ये मंत्री और उच्च पदस्थ अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों की जाँच करते हैं। लोकपाल का अधिकार क्षेत्र विदेश में कार्यरत भारतीय लोक सेवकों तक भी विस्तृत है।
  - **नेतृत्व:** निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दोनों संस्थाओं का नेतृत्व न्यायाधीशों या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पैनल द्वारा किया जाता है।
  - **इतिहास:** इस अवधारणा की शुरुआत 1809 में स्वीडन में हुई थी। भारत में "लोकपाल" और "लोकायुक्त" नाम 1963 में डॉ. एल. एम. सिंहवी ने दिए थे।
  - **कानून बनने की लंबी यात्रा:** 1960 के दशक में पहली बार प्रस्तावित होने के बावजूद, यह विधेयक कई दशकों तक कई बार पारित नहीं हो सका।
  - **महत्त्वपूर्ण मोड़:** 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुए बड़े जन आंदोलन ("इंडिया अगेंस्ट करप्शन" आंदोलन) ने सरकार पर कार्रवाई का दबाव डाला। इसके परिणामस्वरूप 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम आधिकारिक रूप से पारित हुआ।

भारत में भ्रष्टाचार रोकथाम की व्यवस्था

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
भ्रष्टाचार रोकने का मुख्य कानून, जो बेईमान सरकारी अधिकारियों के लिए सजा तय करता है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार मामलों की जाँच करने वाली मुख्य एजेंसी।

सतर्कता आयोग (केंद्रीय सतर्कता आयोग और राज्य स्तर)
ऐसे कार्यालय जहाँ नागरिक सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
जब भ्रष्टाचार के कारण मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो यह शिकायतों को संभालता है।

आचरण नियम (1964, 1968)
सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त नियमावली, जिसमें उपहार और रिश्वत लेने पर रोक है।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण
विशेष न्यायालय जो सरकारी एजेंसियों से जुड़े कानूनी विवादों का जल्दी निपटारा करते हैं।

प्रवासी भारतीय दिवस

प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) प्रत्येक दो वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है।

प्रवासी भारतीय दिवस का 18वाँ संस्करण 2025 में आयोजित हुआ और 19वाँ संस्करण 2027 में अपेक्षित है।

ऐतिहासिक महत्त्व और विकास

- 9 जनवरी की तिथि महात्मा गाँधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की स्मृति में चुनी गई थी।
- उनकी वापसी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि प्रवासी समुदाय का एक सदस्य देश के भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।
- **प्रारंभ:** प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की परिकल्पना और स्थापना पहली बार 2003 में विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रमुख संपर्क कार्यक्रम के रूप में की गई थी।
- **द्विवार्षिक परिवर्तन:**
  - 2015 से इसका प्रारूप द्विवार्षिक कार्यक्रम में बदल गया है।
  - मुख्य सम्मेलन हर दो वर्ष में आयोजित होता है, जबकि बीच के वर्षों में विषय-आधारित सम्मेलन और छोटे संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि निरंतर जुड़ाव बना रहे।

विदेशों में भारतीयों का वितरण	
देश	**प्रवासी भारतीयों की संख्या**
अमेरिका	5,409,062
संयुक्त अरब अमीरात (UAE)	3,568,848
सऊदी अरब	2,463,509
मलेशिया	2,914,127
कनाडा	2,875,954
म्यांमार	2,002,660
यूनाइटेड किंगडम (UK)	1,864,318
दक्षिण अफ्रीका	1,700,000
कुवैत	995,528
ओमान	686,635

वैश्विक भारतीय प्रवासी समुदाय का मानचित्रण

- "डायस्पोरा" शब्द ऐसे विविध समूह को दर्शाता है, जिनमें वे लोग शामिल हैं जो अपनी वंशावली भारत से जोड़ सकते हैं (भारतीय मूल के व्यक्ति - PIOs) या वे भारतीय नागरिक जो अस्थायी या स्थायी रूप से विदेश में रह रहे हैं (अनिवासी भारतीय - NRIs)

प्रवासी समुदाय का रणनीतिक महत्त्व

प्रवासी समुदाय को अब केवल "प्रवासी जनसंख्या" के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति और घरेलू विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति माना जाता है।

- **आर्थिक योगदान और प्रेषण (Remittances):**
  - भारत विश्व में सबसे अधिक विदेशी प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है।
  - 2024 में भारत को अनुमानित 129.1 अरब डॉलर प्राप्त हुए, जो किसी भी देश द्वारा एक वर्ष में प्राप्त की गई अब तक की सबसे अधिक राशि है।
  - 2025 तक वैश्विक प्रेषण में भारत की हिस्सेदारी 14.3% तक पहुँच गई, जो सहस्राब्दी की शुरुआत के बाद किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है। ये धनराशि निम्नलिखित के लिए महत्त्वपूर्ण है:
    - विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना।
    - ग्रामीण परिवारों की आय और गरीबी उन्मूलन में सहायता करना।
    - रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स और राष्ट्रीय अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देना।
- **ज्ञान और नवाचार का हस्तांतरण:**
  - विशेष रूप से सिलिकॉन वैली और वैश्विक अकादमिक क्षेत्र में भारतीय मूल के पेशेवर ज्ञान हस्तांतरण को बढ़ावा देते हैं और भारतीय स्टार्टअप्स के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं।
  - शीर्ष वैश्विक कंपनियों में उनकी उपस्थिति भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए महत्त्वपूर्ण नवाचार संबंध स्थापित करती है।

- **वैश्विक मुद्दों का समाधान:**
  - स्थानीय पर्यावरण अभियानों और जलवायु वकालत में प्रवासी समुदाय की भागीदारी भारत को सतत् विकास के नेता के रूप में मजबूत करती है।
  - वे अपने वैश्विक प्रभाव का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करते हैं, ताकि वे भारत के विकास एजेंडे के अनुरूप हों।
- **सॉफ्ट पावर और कूटनीति:**
  - **सांस्कृतिक दूत:** प्रवासी समुदाय योग, भारतीय व्यंजन, सिनेमा (बॉलीवुड) और भाषाओं सहित भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देता है, जिससे भारत की "सॉफ्ट पावर" मजबूत होती है।
  - **नीतिगत वकालत:** अमेरिका और यूके जैसे देशों में प्रवासी समुदाय ने विदेश नीति के निर्णयों को भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप प्रभावित करने में सफलता प्राप्त की है।
  - **नागरिक कूटनीति:** नकारात्मक मीडिया कवरेज या कूटनीतिक तनाव के समय संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करके वे द्विपक्षीय तनाव को प्रबंधित करने में मदद करते हैं।

चुनौतियाँ और कमजोरियाँ

अपनी सफलता के बावजूद, प्रवासी समुदाय के विभिन्न वर्गों को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

- **कानूनी और राजनीतिक बाधाएँ:** भारत में दोहरी नागरिकता की अनुपस्थिति से भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) के राजनीतिक अधिकार सीमित हो जाते हैं और कभी-कभी मातृभूमि के साथ उनका भावनात्मक संबंध कमजोर हो सकता है।
- **भेदभाव:** नस्लवाद और विदेशियों के प्रति भय या घृणा (जेनोफोबिया) में चिंताजनक वृद्धि हुई है, और अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हमलों की रिपोर्टें सामने आई हैं।
- **श्रम शोषण:**
  - खाड़ी क्षेत्र (UAE, सऊदी अरब) में कम वेतन वाले प्रवासी श्रमिक अक्सर असुरक्षित आवास, लंबे कार्य घंटे, वेतन में देरी और शोषणकारी 'कफाला' प्रकार के अनुबंधों का सामना करते हैं।
  - **कफाला प्रणाली:** कफाला प्रणाली एक ऐसा बाध्यकारी अनुबंध है जो प्रवासी श्रमिक और उनके स्थानीय प्रायोजक के बीच होता है, जिसके अन्तर्गत वे देश में अपने निवास की अवधि के दौरान केवल उसी नियोक्ता के लिए कार्य कर सकते हैं।
  - इस प्रणाली के अन्तर्गत नियोक्ता, जो प्रवासी श्रमिकों का प्रायोजक भी होता है, कानूनी रूप से अधिक अधिकार रखता था, क्योंकि श्रमिक कफाला की अनुमति के बिना नौकरी नहीं बदल सकते थे।
- **पहचान संकट:** पश्चिमी देशों में दूसरी और तीसरी पीढ़ी के भारतीय मूल के युवा अक्सर सांस्कृतिक अलगाव और दोहरी पहचान की भावना से जूझते हैं।
- **प्रवासन-विरोधी भावना:** मेजबान देशों में आर्थिक मंदी के दौरान अक्सर प्रवासियों के विरूद्ध बयानबाजी बढ़ जाती है, जिससे वीजा व्यवस्था (जैसे अमेरिका में H-1B) और कार्य अनुमति की स्थिरता प्रभावित होती है।

समर्थन और सहभागिता के प्रयास

भारत सरकार ने प्रवासी समुदाय के समर्थन और सहयोग के लिए कई तंत्र स्थापित किए हैं:

- **ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड:** यह भारतीय मूल के व्यक्तियों को (चौथी पीढ़ी तक) आजीवन वीजा-मुक्त प्रवेश और अधिकांश आर्थिक अधिकार प्रदान करता है (मतदान और कृषि भूमि खरीद को छोड़कर)।
- **नो इंडिया प्रोग्राम (KIP):** 21-35 वर्ष के युवाओं के लिए एक परिचयात्मक कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य उन्हें अपनी भारतीय जड़ों से दोबारा जोड़ना है।
- **ई-माइग्रेट और मदद पोर्टल:** श्रमिकों को शोषण से बचाने और कांसुलर तथा कानूनी मामलों के लिए 24×7 शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करने वाले डिजिटल मंच।
- **वज्र (VAJRA) योजना:** भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को उन्नत शोध परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग हेतु आमंत्रित करने की विशेष पहल।
- **ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल:** विश्वभर में भारतीय राजनयिक मिशनों से प्रवासी समुदाय को सीधे जोड़ने वाला एक एकीकृत डिजिटल मंच।
- **प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) सम्मेलन:**
  - **PBD सम्मेलनों की शुरुआत:** 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया। यह सम्मेलन वैश्विक भारतीय समुदाय को सम्मानित करने और उनसे जुड़ने का प्रमुख मंच है।
  - **18वें PBD सम्मेलन (2025) की मुख्य झलकियाँ:** प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, जो प्रवासी सदस्यों के लिए समर्पित एक विशेष पर्यटक ट्रेन है, जिसे विदेश मंत्रालय की प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के अन्तर्गत संचालित किया जाता है।
  - एक प्रदर्शनी में गुजरात के मांडवी से ओमान के मस्कट तक गए प्रवासियों के दुर्लभ अभिलेख प्रदर्शित किए गए।
  - प्रधानमंत्री ने गिरमिटिया श्रमिकों-औपनिवेशिक भारत से फिजी, मॉरीशस, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा अन्य देशों में भेजे गए बंधुआ श्रमिकों-की भूमिका पर जोर दिया और एक विस्तृत गिरमिटिया डेटाबेस बनाने का प्रस्ताव रखा।
- **प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (PBSA):**
  - यह प्रवासी समुदाय के सदस्यों को उनकी उत्कृष्टता और भारत की छवि में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
  - प्रवासी भारतीय पहल के अन्तर्गत यह सर्वोच्च सम्मान एनआरआई, पीआईओ या उनके संगठनों/संस्थानों को प्रदान किया जाता है।
  - यह भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करने, राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और विदेशों में भारतीय समुदाय की सहायता करने में उनके प्रयासों को मान्यता देता है।

यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत के आधिकारिक दौरे पर आए।

पृष्ठभूमि

- पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच, भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को काफी मजबूत किया है।
  - यह अस्थिरता गाजा और यमन में जारी संकटों तथा ईरान में आंतरिक अस्थिरता से जुड़ी है।
- यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की नई दिल्ली की उच्च-स्तरीय राजनयिक यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने एक मजबूत और दीर्घकालिक रणनीतिक रक्षा साझेदारी स्थापित करने के उद्देश्य से एक आशय पत्र (LoI) को औपचारिक रूप दिया।

मुख्य परिणाम

- **रक्षा:** भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर।
- **ऊर्जा:**
  - भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) खरीदने के लिए 3 अरब डॉलर का समझौता किया, जिससे भारत यूएई का प्रमुख ग्राहक बन गया।
  - ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत की HPCL और यूएई की ADNOC गैस ने 10 वर्ष का समझौता किया।
  - इस समझौते के अन्तर्गत HPCL, ADNOC से हर वर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन LNG खरीदेगी।
  - आपूर्ति 2028 से प्रारंभ होकर एक दशक तक जारी रहेगी।
- **द्विपक्षीय व्यापार:** दोनों पक्षों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक करने पर सहमति जताई।
- **परमाणु सहयोग:**
  - भारत और यूएई परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का विस्तार कर रहे हैं। वे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) तथा परमाणु सुरक्षा और संचालन में सुधार पर साथ काम करने की संभावनाएँ तलाश रहे हैं।
  - यह सहयोग भारत के शांति अधिनियम (SHANTI Act – Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) द्वारा समर्थित है, जिसका उद्देश्य भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता का आधुनिकीकरण और विस्तार करना है।
- **निवेश:** गुजरात, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ढोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र के विकास के लिए निवेश सहयोग पर आशय पत्र।
- **सुपरकंप्यूटिंग हब:** भारत के C-DAC और यूएई की G-42 ने भारत में एक सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर बनाने पर सहमति जताई। इससे उन्नत अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास और डेटा प्रसंस्करण के लिए विशाल कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध होगी।
- **डिजिटल और वित्तीय साझेदारी:**
  - **डेटा संरक्षण:** दोनों देश "डिजिटल या डेटा एम्बेसी" की अवधारणा पर विचार कर रहे हैं। ये एक देश में सुरक्षित भौतिक स्थान होते हैं, जहाँ दूसरा देश अपने संवेदनशील "सार्वभौमिक डेटा" को अपने कानूनी संरक्षण के अन्तर्गत संग्रहीत कर सकता है।
  - **आसान भुगतान:** राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों (जैसे भारत की UPI) को जोड़ने की योजना है, ताकि सीमा पार धन भेजना तेज और सस्ता हो सके।
  - **व्यापार सहयोग:** भारत मार्ट (दुबई में भारतीय उत्पादों के लिए व्यापार केंद्र), वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और भारत-अफ्रीका सेतु जैसी परियोजनाओं को दोनों देश समर्थन देंगे, ताकि भारत, यूएई और अफ्रीका के बीच व्यापार बढ़ सके।
- **सुरक्षा और आतंकवाद विरोध:**
  - **शून्य सहनशीलता:** दोनों देशों ने आतंकवाद के प्रति "शून्य सहनशीलता" नीति की पुनः पुष्टि की, विशेष रूप से सीमा-पार आतंकवाद को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया।
  - **वित्तीय सुरक्षा:** उन्होंने FATF (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) के माध्यम से आतंकवादियों को धन के प्रवाह को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई।
  - **अंतरिक्ष:** भारत के भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) और संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच अंतरिक्ष उद्योग विकास और वाणिज्यिक सहयोग को सक्षम बनाने के लिए संयुक्त पहल पर आशय पत्र।

यात्रा का महत्त्व

- **रणनीतिक और भू-राजनीतिक महत्त्व:** यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब यमन को लेकर यूएई और सऊदी अरब के बीच तनाव में तेज वृद्धि हुई है। यह भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका के प्रति यूएई के समर्थन का संकेत देती है।
- **आर्थिक और व्यापार सहयोग:** राष्ट्रपति की यह यात्रा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को आगे बढ़ाने में गति प्रदान करती है। यूएई भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों और बड़े निवेशकों में से एक है।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा पुनर्संरेखण:** सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ तुर्की को शामिल करते हुए एक नए इस्लामिक नाटो की अटकलें भी यूएई के लिए चिंता का विषय हैं। इससे यूएई भारत को एक स्वतंत्र सुरक्षा साझेदार के रूप में देखने लगा है।
- **ईरान से संबंधित चिंताएँ:** यूएई की रुचि इस बात में है कि ईरान से जुड़ा कोई भी सैन्य टकराव न बढ़े, क्योंकि इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता आ सकती है। क्षेत्रीय हितधारकों के साथ भारत की संतुलित कूटनीति और सद्भावना को क्षेत्र में तनाव कम करने वाला कारक माना जाता है।

- **बोर्ड ऑफ पीस में आमंत्रण:**
  - अमेरिका ने भारत को 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने का निमंत्रण दिया है, जो गाजा में शांति और पुनर्निर्माण की निगरानी के लिए अमेरिका द्वारा गठित और संचालित निकाय है।
  - यूएई इस बोर्ड का हिस्सा है, लेकिन भारत ने अभी तक निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। कुछ विशेषज्ञ इस यात्रा को भारत को इसमें शामिल होने के लिए राजी करने के प्रयास के रूप में देखते हैं।
- **जन-केंद्रित संबंध:** यूएई में 35 लाख भारतीय प्रवासियों के साथ, श्रम गतिशीलता, कौशल आदान-प्रदान और सांस्कृतिक संबंधों पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है।

भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंध

- **राजनीतिक:**
  - भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए।
  - 2017 में संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) के स्तर तक उन्नत किया गया।
- **आर्थिक और वाणिज्यिक:**
  - CEPA पर 2022 में हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के बाद द्विपक्षीय वस्तु व्यापार वित्त वर्ष 2020-21 में 43.3 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 83.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो लगभग दोगुना है।
  - वर्ष 2022-23 में लगभग 31.61 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ यूएई, अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
  - द्विपक्षीय व्यापार के 97 अरब डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है, और गैर-तेल व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य है।
- **रक्षा सहयोग:**
  - यह मंत्रालय स्तर पर संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) के माध्यम से संचालित होता है। 2003 में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो 2004 में प्रभावी हुआ।
  - अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए प्रत्यर्पण और पारस्परिक कानूनी सहायता संधियाँ भी हैं।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और यूएई अंतरिक्ष एजेंसी ने 2016 में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- **भारतीय समुदाय:** लगभग 35 लाख की भारतीय प्रवासी समुदाय यूएई में सबसे बड़ा जातीय समूह है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 35% है।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** भारत और यूएई वर्तमान में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC), I2U2 (भारत-इजराइल-यूएई-अमेरिका) और यूएफआई (यूएई-फ्रांस-भारत) त्रिपक्षीय मंच जैसे कई बहुपक्षीय मंचों का हिस्सा हैं।

चुनौतियाँ

- **व्यापार असंतुलन:** भारत का यूएई के साथ व्यापार घाटा है, मुख्यत: यूएई से उच्च मात्रा में तेल आयात के कारण। इससे गैर-तेल व्यापार बढ़ने के बावजूद आर्थिक संबंध असंतुलित बने रहते हैं।
- **क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव:** मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती है, विशेष रूप से क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों के संदर्भ में।
- **श्रम और प्रवासन मुद्दे:** यूएई में प्रवासी श्रमिकों के सबसे बड़े स्रोतों में भारत शामिल है। भारतीय श्रमिकों के कल्याण और अधिकारों से जुड़े मुद्दे चिंता का विषय रहे हैं।
- **यूएई की विदेश नीति:** ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ भारत के संबंध कभी-कभी यूएई के साथ उसके संबंधों को जटिल बना देते हैं, क्योंकि यूएई की क्षेत्र में अलग रणनीतिक प्राथमिकताएँ हैं।
- **संतुलन बनाए रखने की चुनौती:**
  - भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी एक देश के साथ उसके घनिष्ठ संबंध दूसरे देश के विरूद्ध "गठबंधन" के रूप में न देखे जाएँ।
  - सलाह दी जाती है कि CEPA (व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता) जैसे आर्थिक समझौतों के माध्यम से यूएई और खाड़ी क्षेत्र की पूँजी को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं में लाया जाए।
  - भारत के सामने यह कठिन चुनौती है कि वह इजराइल और ईरान, या सऊदी अरब और यूएई जैसे अक्सर प्रतिद्वंद्वी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता से निपटना:**
  - मध्य पूर्व अक्सर युद्धों और समुद्री मार्गों पर खतरों (समुद्री असुरक्षा) के कारण अस्थिर रहता है।
  - भारत लगातार कूटनीतिक संवाद के माध्यम से शांति और तनाव कम करने को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि स्थिर पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वहाँ काम कर रहे लाखों भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

- रणनीतिक रक्षा साझेदारी यह दर्शाती है कि भारत और यूएई के बीच संबंध परिपक्व हो चुके हैं। यह संबंध केवल "खरीद-फरोख्त" (लेन-देन) तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और दीर्घकालिक रणनीति को शामिल करने वाली बहुआयामी साझेदारी बन चुका है।
- पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों और अस्थिरता के बावजूद, भारत ने तटस्थ रुख बनाए रखा है।
- उसने शांति, क्षेत्रीय स्थिरता और रणनीतिक स्वायत्तता (स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता) के अपने मूल सिद्धांतों पर कायम रहते हुए यूएई के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है।
- ये घटनाक्रम खाड़ी क्षेत्र में एक विश्वसनीय और प्रभावशाली भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करते हैं, जबकि वह गुटनिरपेक्ष रुख बनाए रखता है।

एमएसएमई क्षेत्र में दक्षता हासिल करना

नीति आयोग ने 2025 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें दोहराव कम करने, शासन की दक्षता बढ़ाने और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए MSME योजनाओं के एकीकरण की सिफारिश की गई।

पृष्ठभूमि

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), अर्थात सीमित निवेश और टर्नओवर वाले व्यवसाय, लंबे समय से भारत में रोजगार, उद्यमिता और समावेशी विकास के प्रमुख साधन माने जाते रहे हैं।
- स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने वित्त, प्रौद्योगिकी, कौशल, विपणन और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में MSMEs को समर्थन देने के लिए कई योजनाएँ प्रारंभ कीं। समय के साथ यह समर्थन तेजी से बढ़ा, विशेष रूप से आर्थिक उदारीकरण के बाद और 2020 में MSME वर्गीकरण में संशोधन के पश्चात्, ताकि विस्तार और औपचारिककरण को प्रोत्साहित किया जा सके।
- हालाँकि, योजनाओं का विस्तार अलग-अलग स्तरों पर हुआ। 2025 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय लगभग अठारह योजनाओं का संचालन कर रहा था, जिनके उद्देश्य आपस में मिलते-जुलते थे, अलग-अलग पोर्टल थे और अलग पात्रता नियम थे।
- ये योजनाएँ अलग-अलग रूप में कार्य करती रहीं, लेकिन सामूहिक रूप से उन्होंने प्रशासनिक जटिलता, प्रयासों की पुनरावृत्ति और असमान पहुँच पैदा की, विशेषकर छोटे, ग्रामीण और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए।
- यह समस्या आज भी बनी हुई है क्योंकि MSMEs बढ़ते अनुपालन बोझ, वित्त, कौशल और बाजार तक खंडित पहुँच तथा केंद्र और राज्य कार्यक्रमों के बीच कमजोर समन्वय का सामना कर रहे हैं।
- नीति आयोग के अनुसार, MSMEs भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30 प्रतिशत योगदान देते हैं और 32 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, फिर भी खराब एकीकरण के कारण कई उद्यम सरकारी सहायता का पूरा लाभ नहीं उठा पाते।
- डिजिटल शासन की परिपक्वता, राजकोषीय सीमाएँ और 2030 के दशक के मध्य तक भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र बनाने की महत्त्वाकांक्षा के कारण अब योजनाओं के एकीकरण पर बहस अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है।

MSMEs का महत्त्व

- **रोजगार और समावेशी विकास की रीढ़ के रूप में MSMEs:**
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के केंद्र में हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (2025) के अनुसार, ये 32 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत योगदान करते हैं।
  - हालाँकि, खंडित योजनाएँ रोजगार सृजन पर इनके प्रभाव को कमजोर करती हैं। योजनाओं का एकीकरण सुनिश्चित करता है कि ऋण, कौशल और बाजार तक पहुँच एक ही उद्यमों को साथ-साथ मिले, जिससे MSMEs समावेशी और सतत् रोजगार के इंजन बन सकें।
- **विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धा में भूमिका:** MSMEs विनिर्माण उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत और निर्यात का लगभग 40 प्रतिशत योगदान करते हैं, जिससे वे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं (वाणिज्य मंत्रालय, 2025) फिर भी, बिखरी हुई प्रौद्योगिकी और क्लस्टर योजनाओं के कारण उत्पादकता कम बनी रहती है।
  - क्लस्टर विकास, नवाचार समर्थन और निर्यात प्रोत्साहन जैसी योजनाओं का एकीकरण पैमाने, गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी अपनाने में सुधार करता है, जो वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत के गहरे एकीकरण के लिए आवश्यक है।
- **सार्वजनिक व्यय की दक्षता में सुधार:**
  - भारत में 18 से अधिक केंद्रीय MSME योजनाएँ संचालित हो रही हैं, जिनके उद्देश्य कई बार एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं, जिससे पुनरावृत्ति और प्रशासनिक अक्षमता उत्पन्न होती है। नीति आयोग (2025) का अनुमान है कि योजनाओं का विखंडन परिणामों की दक्षता को 20 प्रतिशत से अधिक कम कर देता है।
  - एकीकरण इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि राजकोषीय संसाधन सीमित हैं और MSME समर्थन को समानांतर परिणामों के बजाय मापनीय उत्पादकता, रोजगार और ऋण परिणाम देने चाहिए।
- **सूक्ष्म और अनौपचारिक उद्यमों की पहुँच मजबूत करना:**
  - विश्व बैंक (2025) के अनुसार, भारत के लगभग 95 प्रतिशत MSMEs सूक्ष्म उद्यम हैं, जो अक्सर अनौपचारिक और संसाधन-विहीन होते हैं। अलग-अलग पोर्टल और अनुपालन वाली कई योजनाएँ इन इकाइयों को बाहर कर देती हैं।
  - योजनाओं का एकीकरण साझा प्लेटफॉर्म और प्रक्रियाओं के माध्यम से पहुँच को सरल बनाता है, जिससे प्रथम बार उद्यमी, महिला-नेतृत्व वाले उद्यम और ग्रामीण कारीगर सरकारी सहायता से वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकें।
- **संतुलित क्षेत्रीय और सामाजिक विकास को सक्षम बनाना:**
  - MSMEs राज्यों में असमान रूप से वितरित हैं, विशेषकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, आकांक्षी जिलों और आदिवासी क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति कमजोर है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (2025) के आँकड़े इन क्षेत्रों में ऋण और अवसंरचना की निरंतर कमी दर्शाते हैं।
  - एकीकरण से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब और क्षेत्रीय कार्यक्रमों जैसी लक्षित योजनाएँ एक एकीकृत ढाँचे में काम कर सकती हैं, जिससे समावेशिता को बनाए रखते हुए बेहतर समन्वय संभव हो सके।

MSME क्षेत्र की चुनौतियाँ

- **योजनाओं का विखंडन और कमजोर परिणाम:**
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय 18 केंद्रीय योजनाएँ संचालित करता है, जिनमें से कई ऋण, कौशल और प्रौद्योगिकी समर्थन में एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं, जिससे दोहराव और प्रभाव में कमी होती है।

- नीति आयोग (2025) के अनुसार, खंडित कार्यान्वयन प्रशासनिक लागत बढ़ाता है और परिणामों की दक्षता घटाता है, क्योंकि उद्यमों को समेकित समर्थन के बजाय आंशिक लाभ मिलते हैं, जिससे भारी सार्वजनिक व्यय के बावजूद उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि नहीं होती।

- **सूक्ष्म उद्यमों के लिए सीमित पहुँच और जागरूकता:**
  - विश्व बैंक (2025) के अनुसार, भारत के 95 प्रतिशत से अधिक MSMEs सूक्ष्म उद्यम हैं, जिनमें से कई अनौपचारिक रूप से कार्य करते हैं और डिजिटल साक्षरता कम रखते हैं। अनेक पोर्टल, पात्रता मानदंड और अनुपालन आवश्यकताएँ भागीदारी को हतोत्साहित करती हैं।
  - परिणामस्वरूप, योजनाओं का लाभ बड़े और शहरी MSMEs को अधिक मिलता है, जबकि ग्रामीण, महिला-नेतृत्व वाले और प्रथम पीढ़ी के उद्यम सरकारी समर्थन से वंचित रह जाते हैं।
- **केंद्र और राज्य योजनाओं के बीच कमजोर समन्वय:**
  - MSME समर्थन में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, वित्तीय संस्थान और क्षेत्रीय एजेंसियाँ शामिल हैं, लेकिन समन्वय कमजोर बना हुआ है। नीति आयोग (2026) के अनुसार, डेटा साझा करने की कमी और समय-सीमा में असमानता से दोहराव और देरी होती है।
  - राज्य अक्सर समानांतर योजनाएँ चलाते हैं, जिससे एकीकरण नहीं हो पाता, पैमाने का लाभ कम होता है और विशेषकर पिछड़े और आकांक्षी जिलों में क्लस्टर-आधारित विकास कमजोर पड़ता है।
- **कार्यान्वयन संस्थानों में कौशल और क्षमता की कमी:**
  - प्रभावी एकीकरण के लिए कुशल प्रशासक, डेटा विश्लेषण और परिणाम निगरानी की आवश्यकता होती है, जो जिलों में समान रूप से उपलब्ध नहीं है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (2025) के अनुसार, जिला उद्योग केंद्रों में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है, जिससे कार्यान्वयन की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
  - इससे अनुमोदन में देरी, सीमित मार्गदर्शन और कमजोर निगरानी होती है, भले ही योजनाएँ राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी तरह तैयार की गई हों।
- **ऋण वितरण और प्रौद्योगिकी अपनाने में बाधाएँ:**
  - कई ऋण-आधारित योजनाओं के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (2025) के अनुसार MSMEs को ₹25 लाख करोड़ से अधिक के वित्तीय अंतर का सामना करना पड़ता है। खंडित योजनाएँ ऋण को कौशल, प्रौद्योगिकी और बाजार से जोड़ने में विफल रहती हैं।
  - परिणामस्वरूप, अनेक MSMEs कम उत्पादकता के चक्र में फँसे रहते हैं और विशेषकर विनिर्माण तथा निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन या विस्तार नहीं कर पाते।

सरकार और संस्थागत प्रयास

- **उद्यम आधारित एकीकरण के माध्यम से विखंडन और दोहराव को कम करना:** खंडित योजनाओं और अनेक प्रवेश बिंदुओं की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण, पात्रता और लाभों का एकीकरण किया है।
  - 2025 तक 7.4 करोड़ से अधिक MSMEs उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत थे (MSME मंत्रालय), जिससे ऋण, सब्सिडी और कौशल योजनाओं से स्वचालित जुड़ाव संभव हुआ।
  - इससे कागजी कार्यवाही और दोहराव कम हुआ है, हालाँकि ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों के सूक्ष्म उद्यमों में जागरूकता और उपयोग अभी भी कम है।
- **एकीकृत वित्तीय योजनाओं के माध्यम से ऋण पहुँच की समस्या का समाधान:** सीमित और विलंबित ऋण, जो MSMEs की प्रमुख चुनौती है, को माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को बैंकिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर हल किया जा रहा है।
  - 2025 तक आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अन्तर्गत ₹4.5 लाख करोड़ वितरित किए गए (वित्त मंत्रालय), जिससे महामारी के बाद MSMEs को स्थिरता मिली, हालाँकि छोटे उद्यम अभी भी अधिक जमानत और सूचना बाधाओं का सामना करते हैं।
- **क्लस्टर एकीकरण के माध्यम से पैमाने और उत्पादकता की समस्या का समाधान:** छोटे पैमाने और कम उत्पादकता की समस्या को हल करने के लिए सरकार माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज - क्लस्टर विकास कार्यक्रम को पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए निधि योजना (SFURTI) के साथ एकीकृत कर रही है, जैसा कि नीति आयोग (2025) ने सुझाया है।
  - देशभर में 1,300 से अधिक MSME क्लस्टर संचालित हैं (MSME मंत्रालय), जो साझा अवसंरचना, प्रौद्योगिकी केंद्र और बाजार तक पहुँच प्रदान करते हैं, हालाँकि क्षेत्र और क्षेत्रीय आधार पर इनका लाभ असमान बना हुआ है।
- **तर्कसंगत कौशल और उद्यमिता कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल अंतर को कम करना:** कौशल की कमी और कम प्रौद्योगिकी अपनाने की समस्या को MSME प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्किल इंडिया मिशन, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों और प्रौद्योगिकी केंद्रों के साथ एकीकृत कर संबोधित किया जा रहा है।
  - 2025 में 60 लाख से अधिक MSME श्रमिकों और उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया गया (कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय), जिससे उत्पादकता और रोजगार क्षमता में सुधार हुआ, हालाँकि जिला स्तर पर प्रशिक्षण क्षमता और डिजिटल कौशल का प्रसार अभी भी सीमित है।
- **एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजार पहुँच और नवाचार को मजबूत करना:** बाजार तक पहुँच की चुनौतियों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, MSME संपर्क और MSME इनोवेटिव के एकीकरण के माध्यम से संबोधित किया जा रहा है, जिसमें ASPIRE (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना) का समावेश है।
  - 2026 तक गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की खरीद मूल्य में MSMEs की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक हो गई (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), जिससे माँग की स्थिरता को समर्थन मिला, हालाँकि निर्यात में भागीदारी अभी भी मुख्यत: मध्यम आकार के उद्यमों तक सीमित है।

आगे की राह

- **एक पूर्ण रूप से एकीकृत राष्ट्रीय MSME डिजिटल ढाँचा तैयार करें:**
  - भारत को एक ऐसा एकल, परस्पर-संचालित MSME डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू करना चाहिए, जो पंजीकरण, ऋण, कौशल, बाजार और अनुपालन को जोड़ सके। नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम पोर्टल लेन-देन लागत और दोहराव को कम कर सकता है।

- विश्व बैंक (2025) के अनुसार, डिजिटल रूप से एकीकृत लघु-व्यवसाय तंत्र योजनाओं के उपयोग में 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करता है, हालाँकि इसकी सफलता राज्य-स्तरीय अपनाने और डेटा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।

- **MSME योजनाओं के लिए परिणाम-आधारित बजट और निगरानी अपनाएँ:**
  - व्यय पर नजर रखने के बजाय, एकीकरण को रोजगार सृजन, उत्पादकता वृद्धि और निर्यात बढ़ोतरी जैसे परिणामों पर केंद्रित होना चाहिए। वित्त मंत्रालय के परिणाम बजट ढाँचे को MSME कार्यक्रमों तक विस्तारित किया जा सकता है।
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार, परिणाम-आधारित योजनाएँ अधिक दक्षता दिखाती हैं, लेकिन इसके लिए मजबूत डेटा विश्लेषण और स्वतंत्र मूल्यांकन क्षमता आवश्यक है।
- **क्लस्टर-आधारित और क्षेत्र-विशिष्ट एकीकरण मॉडल को मजबूत करें:** पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए निधि योजना (SFURTI) और माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइजेज - क्लस्टर विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं के विलय में क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (2025) के अध्ययन के अनुसार, क्लस्टर-आधारित समर्थन से MSME उत्पादकता में 15-20 प्रतिशत की वृद्धि होती है, हालाँकि जहाँ स्थानीय संस्थान कमजोर हैं, वहाँ लाभ सीमित रहता है।
- **सूक्ष्म उद्यमों के लिए कौशल, ऋण और बाजार का गहन एकीकरण:**
  - कौशल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी ऋण योजनाएँ और विपणन समर्थन को विशेष रूप से महिलाओं और अनौपचारिक उद्यमों के लिए एक साथ प्रदान किया जाना चाहिए।
  - नीति आयोग (2026) के अनुसार, खंडित वितरण से सूक्ष्म इकाइयाँ सबसे अधिक बाहर रह जाती हैं। एकीकृत वितरण से उद्यमों की स्थिरता बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए मंत्रालयों और राज्यों के बीच समन्वय आवश्यक है।
- **स्पष्ट जवाबदेही तंत्र के साथ संस्थागत समन्वय सुनिश्चित करें:**
  - राज्य भागीदारी के साथ एक स्थायी अंतर-मंत्रालयी एकीकरण परिषद का गठन किया जाना चाहिए, जो कार्यान्वयन की निगरानी करे, दोहराव को सुलझाए और निरंतरता सुनिश्चित करे।
  - आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (2025) के अनुभव से पता चलता है कि मजबूत समन्वय लघु-उद्यम नीतियों में सामंजस्य बढ़ाता है, हालाँकि राजनीतिक स्वामित्व और प्रशासनिक क्षमता अभी भी महत्त्वपूर्ण बाधाएँ हैं।

निष्कर्ष

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र में योजनाओं का एकीकरण अब केवल प्रशासनिक विकल्प नहीं, बल्कि आर्थिक आवश्यकता बन चुका है। नीति आयोग का ढाँचा योजनाओं की बढ़ोतरी के बजाय डेटा, प्रक्रियाओं, कौशल, वित्त और बाजार के एकीकरण के माध्यम से परिणाम दक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है।
- हालाँकि हाल के प्रयासों से लाखों उद्यमों के लिए पहुँच, ऋण प्रवाह और उत्पादकता में सुधार हुआ है, फिर भी असमान कार्यान्वयन और क्षमता की कमी बनी हुई है। भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की समावेशी विकास, रोजगार और लचीलापन के इंजन के रूप में पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए सतत् डिजिटल एकीकरण, संस्थागत समन्वय और सूक्ष्म तथा अनौपचारिक उद्यमों के लिए लक्षित समर्थन आवश्यक है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण

भारतीय उद्योग परिसंघ ने केंद्रीय बजट 2026-27 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए तेज और माँग-आधारित निजीकरण रणनीति की सिफारिश की।

पृष्ठभूमि

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSEs) वे सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियाँ हैं, जिनमें सरकार की बहुसंख्यक हिस्सेदारी होती है। इन्हें स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था, जब निजी पूँजी कमजोर थी।
- इस्पात, बिजली, परिवहन, दूरसंचार और भारी इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में इन उपक्रमों का वर्चस्व था, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू ने "आधुनिक भारत के मंदिर" कहा था। समय के साथ कई उपक्रमों का विस्तार हुआ, लेकिन उनमें संरचनात्मक समस्याएँ भी विकसित हुईं, जैसे अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर जवाबदेही और कम उत्पादकता।
- 1980 के दशक तक बढ़ते राजकोषीय घाटे और बढ़ते घाटों ने सुधारों को अनिवार्य बना दिया। 1991 की नई औद्योगिक नीति ने औपचारिक रूप से विनिवेश की शुरुआत की, ताकि दक्षता बढ़ाई जा सके, संसाधन जुटाए जा सकें और बाजार अनुशासन लागू किया जा सके। हालाँकि आंशिक विनिवेश और शेयर बाजार में सूचीबद्धता से कुछ उपक्रमों में पारदर्शिता बढ़ी, लेकिन कई अभी भी अक्षम रहे और बजटीय समर्थन पर निर्भर रहे।
- यह मुद्दा आज भी बना हुआ है क्योंकि बड़ी सार्वजनिक पूँजी गैर-रणनीतिक उपक्रमों में फँसी हुई है, जबकि भारत को विशाल अवसंरचना और सामाजिक व्यय की आवश्यकता है। सरकारी अनुमानों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में फँसी कुल पूँजी 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
  - नए सिरे से ध्यान इसलिए केंद्रित हुआ है क्योंकि राजकोषीय दबाव, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के अनुमान के अनुसार, चरणबद्ध हिस्सेदारी में कमी से ही लगभग 10 लाख करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं, बिना रणनीतिक नियंत्रण खोए।

निजीकरण का महत्त्व

- **राजकोषीय समेकन और दुर्लभ सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग:** निजीकरण महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह करों को बढ़ाए बिना या सार्वजनिक ऋण में वृद्धि किए बिना गैर-कर राजस्व को संगठित करता है, जिससे राजकोषीय दबाव कम होता है।
  - बुनियादी ढाँचे, रक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बढ़ती व्यय आवश्यकताओं के बीच वाणिज्यिक उपक्रमों में बड़े पूँजी निवेश को बनाए रखना राजकोषीय लचीलापन को सीमित करता है।
  - वित्त मंत्रालय के अनुसार, विनिवेश प्राप्तियाँ क्रमशः पूँजीगत व्यय के वित्तपोषण में प्रयुक्त हो रही हैं, यद्यपि दीर्घकालिक लाभ राजस्व व्यय के बजाय उत्पादक पुनर्निवेश पर निर्भर करते हैं।
- **संचालन दक्षता और उत्पादकता में सुधार:**
  - निजी स्वामित्व पेशेवर प्रबंधन, प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन तथा त्वरित निर्णय-निर्माण को प्रोत्साहित करता है, जिनका अभाव नौकरशाही नियंत्रणों के कारण अनेक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पाया जाता है।
  - 2021 में एयर इंडिया के निजीकरण ने निजी प्रबंधन के अंतर्गत सेवा गुणवत्ता, बेड़े के विस्तार और वित्तीय अनुशासन में सुधार को प्रदर्शित किया।
  - हालाँकि, दक्षता में लाभ विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होते हैं, विशेषकर जहाँ प्राकृतिक एकाधिकार और भारी विनियमन के कारण अभी भी सुदृढ़ पर्यवेक्षण की आवश्यकता बनी रहती है।
- **पूँजी बाजारों का विकास और व्यापक सार्वजनिक स्वामित्व:** शेयर बाजारों के माध्यम से विनिवेश तरलता, बाजार पूँजीकरण और निवेशकों की भागीदारी बढ़ाकर पूँजी बाजारों को सुदृढ़ करता है।
  - सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे साधनों ने छोटे निवेशकों को राज्य-स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों में विविधीकृत निवेश अवसर प्रदान किए।
  - हालाँकि, जब तक व्यापक निवेशक जागरूकता पहलों द्वारा समर्थन न किया जाए, तब तक इसके लाभ शहरी और वित्तीय रूप से साक्षर समूहों तक ही सीमित रहते हैं।
- **सरकार का प्रमुख सार्वजनिक कार्यों पर रणनीतिक पुनःकेंद्रण:** निजीकरण सरकार को गैर-रणनीतिक क्षेत्रों से बाहर निकलकर विनियमन, कल्याण वितरण और सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। सीमित प्रशासनिक और राजकोषीय क्षमताओं वाली एक विकासशील अर्थव्यवस्था में यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - 2021 की रणनीतिक विनिवेश नीति ने राज्य की उपस्थिति के लिए प्रमुख क्षेत्रों को स्पष्ट किया, यद्यपि राजनीतिक प्रतिरोध और प्रक्रियात्मक विलंब के कारण क्रियान्वयन अभी भी असमान बना हुआ है।
- **वैश्विक पूँजी, प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं का आकर्षण:** निजीकरण नीतिगत विश्वसनीयता और आर्थिक उदारीकरण का संकेत देता है, जिससे ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश और आधुनिक प्रौद्योगिकी का आकर्षण बढ़ता है।
  - एयर इंडिया की बिक्री तथा बंदरगाहों और हवाई अड्डों में निवेशकों की रुचि इस संभाव्यता को रेखांकित करती है। हालाँकि, दीर्घकालिक निवेश प्रवाह पारदर्शी मूल्यांकन, विनियामकीय स्थिरता और विश्वसनीय श्रमिक संक्रमण रूपरेखाओं पर निर्भर करते हैं।

निजीकरण से संबंधित चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **मूल्यांकन संबंधी चुनौतियाँ और परिसंपत्तियों के अवमूल्यन का जोखिम:** सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का सटीक मूल्यांकन अभी भी जटिल बना हुआ है, क्योंकि विरासत ऋण, पेंशन दायित्व, भूमि स्वामित्व विवाद तथा बाजार अस्थिरता जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं।
  - भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (2025) ने कई विनिवेश मामलों में असंगत मूल्यांकन पद्धतियों को रेखांकित किया, जिससे मूल्य ह्रास की आशंकाएँ उत्पन्न हुईं। 2024-25 की बाजार अनिश्चितता ने बोलियों और माँग मूल्य के बीच अंतर को और बढ़ा दिया, जिससे रणनीतिक बिक्री में विलंब हुआ (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25)।

- **रोजगार असुरक्षा और श्रमिक प्रतिरोध:**
  - निजीकरण से रोजगार हानि और सेवा शर्तों में कमी की आशंकाओं के कारण तीव्र श्रमिक विरोध उत्पन्न होता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय (2025) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अब भी 14.5 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से अनेक विरासत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं।
  - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं और पुन:प्रशिक्षण प्रावधानों के बावजूद इस्पात और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों में यूनियनों के प्रतिरोध ने लेन-देन में विलंब उत्पन्न किया।
- **राजनीतिक और संघीय प्रतिरोध:**
  - निजीकरण को प्राय: राज्य सरकारों और राजनीतिक हितधारकों के विरोध का सामना करना पड़ता है, विशेषकर जहाँ उपक्रमों का क्षेत्रीय आर्थिक महत्त्व है। नीति आयोग (2025) के अनुसार, भूमि, श्रम और उपयोगिताओं से संबंधित राज्य-स्तरीय अनुमोदन रणनीतिक बिक्री में एक प्रमुख अवरोध बने हुए हैं।
  - संघ और राज्यों के बीच भिन्न राजनीतिक प्राथमिकताएँ, केंद्रीय नीतिगत समर्थन के बावजूद, क्रियान्वयन को धीमा करती रहती हैं।
- **विनियामक और प्रतिस्पर्धात्मक जोखिम:**
  - कमजोर विनियमन वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को निजी स्वामित्व में स्थानांतरित करने से सार्वजनिक एकाधिकार के स्थान पर निजी प्रभुत्व स्थापित होने का जोखिम रहता है।
  - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (2025) ने लॉजिस्टिक्स, विमानन तथा ऊर्जा वितरण क्षेत्रों में बढ़ती बाजार एकाग्रता को उजागर किया।
  - पर्याप्त विनियामक क्षमता के अभाव में, निजीकरण के पश्चात् उपभोक्ताओं को मूल्य हेरफेर और सेवा गुणवत्ता में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है।
- **क्रियान्वयन में विलंब और प्रक्रियात्मक जटिलता:**
  - रणनीतिक विनिवेश में अनेक अनुमोदन, विधिक स्वीकृतियाँ और वाद-विवाद संबंधी जोखिम शामिल होते हैं, जिससे समय-सीमाएँ उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती हैं।
  - निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (2025) के अनुसार, स्वीकृत कई लेन-देन निर्धारित समय-सीमा से अठारह माह से अधिक पीछे रह गए। लंबी प्रक्रियाएँ निवेशक विश्वास को कमजोर करती हैं और विनिवेश प्राप्तियों से राजकोषीय पूर्वानुमेयता को घटाती हैं।

सरकारी एवं संस्थागत प्रयास

- **मूल्यांकन और पारदर्शिता तंत्र को सुदृढ़ करना:**
  - निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने अवमूल्यन संबंधी चिंताओं के समाधान हेतु वित्तीय, परिसंपत्ति-आधारित तथा बाजार मानकों पर आधारित बहु-स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया है। अब स्वतंत्र लेन-देन सलाहकार, विधिक सलाहकार और परिसंपत्ति मूल्यांककों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है।
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, इससे मूल्य खोज प्रक्रिया में सुधार हुआ है, यद्यपि विरासत भूमि और वाद-विवाद संबंधी समस्याएँ कई उपक्रमों में पूर्ण मूल्य प्राप्ति को अभी भी सीमित करती हैं।
- **सुरक्षात्मक उपायों और पुन:कौशल विकास के माध्यम से रोजगार संबंधी चिंताओं का प्रबंधन:**
  - श्रमिक प्रतिरोध को कम करने के लिए सरकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना मानकों, स्किल इंडिया मिशन तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के कार्यक्रमों पर निर्भर करती है, ताकि कार्यबल के संक्रमण को सुगम बनाया जा सके। इन उपायों का उद्देश्य पुनर्संरचना की सामाजिक लागत को कम करना है।
  - हालाँकि, श्रम और रोजगार मंत्रालय (2025) ने पुन:कौशल विकास में असमान भागीदारी को रेखांकित किया है, जो विनिवेश समय-सीमा और श्रमिक पुनर्वास के बीच अधिक सुदृढ़ समन्वय की आवश्यकता को दर्शाता है।
- **राजनीतिक सहमति के लिए स्पष्ट रणनीतिक रूपरेखा प्रदान करना:**
  - रणनीतिक विनिवेश नीति 2021 ने रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों का स्पष्ट वर्गीकरण किया है, जिससे नीतिगत अस्पष्टता में कमी आई है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के साथ मिलकर यह दीर्घकालिक नीति-उद्देश्य के प्रति निवेशकों को आश्वस्त करती है।
  - यह रूपरेखा इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह बहस को वैचारिक स्तर से हटाकर परिसंपत्ति दक्षता की ओर स्थानांतरित करती है, यद्यपि अंतर-मंत्रालयी तथा केंद्र-राज्य समन्वय की चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं (नीति आयोग, 2025)।
- **निजीकरण के पश्चात् विनियामक पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना:**
  - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग तथा क्षेत्रीय विनियामकों जैसे संस्थानों को निजीकरण के पश्चात् एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों को रोकने का दायित्व सौंपा गया है। 2025 में बंदरगाह और विमानन क्षेत्रों से संबंधित हालिया बाजार अध्ययनों में सक्रिय निगरानी को रेखांकित किया गया है।
  - यह पर्यवेक्षण उपभोक्ता कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर जहाँ निजी स्वामित्व सार्वजनिक एकाधिकार का स्थान लेता है, यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में विनियामक क्षमता भिन्न-भिन्न है।
- **विशिष्ट संस्थागत क्षमता के माध्यम से क्रियान्वयन में सुधार:**
  - निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अंतर्गत समर्पित विनिवेश टीमों की स्थापना से अनुमोदन, हितधारक परामर्श और बोली प्रक्रियाएँ अधिक सुव्यवस्थित हुई हैं।
  - केंद्रीय बजट दस्तावेज 2025-26 के अनुसार, कुछ चयनित लेन-देन में क्रियान्वयन समय-सीमा में कमी आई है, यद्यपि जटिल वाद-विवाद और अनुमोदन प्रक्रियाएँ रणनीतिक बिक्री में अभी भी विलंब उत्पन्न करती हैं।

आगे की राह

- **विक्रय से पूर्व विरासत एवं विधिक मुद्दों का समयबद्ध समाधान:**
  - सरकार को निजीकरण की घोषणा से पहले भूमि स्वामित्व स्पष्टता, पर्यावरणीय अनुमोदन तथा वाद-विवाद निपटान पूर्ण कर लेना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने मूल्यांकन सुनिश्चितता बढ़ाने हेतु पूर्व-विनिवेश "परिसंपत्ति शुद्धिकरण" की अनुशंसा की है।
  - यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने रेलवे निजीकरण के दौरान इस दृष्टिकोण का पालन किया, जिससे क्रियान्वयन में विलंब कम हुआ।

- तेज विधिक समाधान निवेशक विश्वास को सुदृढ़ करेगा तथा बजटीय विनिवेश लक्ष्यों की अधिक विश्वसनीय पूर्ति में सहायक होगा।

- **संस्थागत केंद्र-राज्य समन्वय तंत्र:** राज्य भूमि पर संचालित या राज्य विनियमन के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए एक औपचारिक केंद्र-राज्य समन्वय मंच की स्थापना की जानी चाहिए।
  - नीति आयोग (2025) ने बड़े परिसंपत्ति मुद्रीकरण परियोजनाओं हेतु संयुक्त संचालन समितियों का सुझाव दिया है।
  - इससे विद्युत वितरण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में विनियामक अवरोध कम होंगे, जहाँ राज्य सहयोग परिणामों को निर्धारित करता है, और सुगम क्रियान्वयन तथा बेहतर मूल्य खोज सुनिश्चित होगी।
- **श्रमिकों के लिए सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा और पुन:कौशल विकास रूपरेखा:** निजीकरण के साथ अनिवार्य पुन:कौशल विकास, पुनर्नियोजन और सामाजिक सुरक्षा पैकेजों का प्रावधान होना चाहिए।
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (2025) के अनुसार, सक्रिय श्रमिक संक्रमण नीतियों वाले देशों में निजीकरण के प्रति प्रतिरोध अपेक्षाकृत कम होता है।
  - प्रभावित श्रमिकों के वर्तमान 55 प्रतिशत कवरेज से आगे बढ़कर पुन:कौशल विकास के दायरे का विस्तार करने से राजनीतिक विरोध कम होगा और दीर्घकालिक श्रम उत्पादकता में सुधार होगा।
- **घरेलू और खुदरा निवेशक भागीदारी का गहनकरण:**
  - सरकार को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे खुदरा-उन्मुख साधनों तथा छोटे निवेश विकल्पों का विस्तार करना चाहिए।
  - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (2025) ने विनिवेश परिणामों को स्थिर करने हेतु व्यापक खुदरा भागीदारी की अनुशंसा की है।
  - अधिक घरेलू स्वामित्व से अस्थिर विदेशी पूँजी पर निर्भरता कम होगी और निजीकरण सुधारों की सार्वजनिक स्वीकार्यता बढ़ेगी।
- **सुदृढ़ निजीकरण-उपरांत निगरानी और उत्तरदायित्व ढाँचा:**
  - सेवा गुणवत्ता, रोजगार प्रतिबद्धताओं और प्रतिस्पर्धा परिणामों के लिए अनिवार्य पश्च-विनिवेश प्रदर्शन लेखा-परीक्षा प्रणाली प्रारंभ की जानी चाहिए।
  - नीति आयोग (2025) ने इस बात पर बल दिया है कि निजीकरण की सफलता का मूल्यांकन केवल प्रारंभिक प्राप्तियों से परे किया जाना चाहिए।
  - सतत् निगरानी से यह सुनिश्चित होगा कि दक्षता लाभ सार्वजनिक कल्याण में परिवर्तित हों और एकाधिकार दुरुपयोग को रोका जा सके।

निष्कर्ष

- सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निजीकरण अब केवल एक राजकोषीय साधन नहीं रहा, बल्कि भारत की दीर्घकालिक आर्थिक दक्षता और शासन क्षमता के लिए एक आवश्यक संरचनात्मक सुधार बन चुका है।
- हालिया विनिवेश अनुभवों से प्राप्त साक्ष्य दर्शाते हैं कि परिणाम केवल तीव्रता पर नहीं, बल्कि तैयारी, पारदर्शिता, श्रमिक संरक्षण और विक्रय-पश्चात् उत्तरदायित्व पर निर्भर करते हैं।
- एक संतुलित, माँग-आधारित और संस्थागत रूप से सशक्त निजीकरण ढाँचा पूँजी को मुक्त कर सकता है, उत्पादकता में सुधार ला सकता है तथा राज्य को लोककल्याण पर पुन:केंद्रित कर सकता है, जिससे आर्थिक सुधार समावेशी विकास और राजकोषीय स्थिरता के साथ संरेखित हों।

अतिरिक्त जानकारी

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग:

- निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
  - पूर्व में इसे विनिवेश विभाग के नाम से जाना जाता था, किंतु 2016 में इसके विस्तारित दायरे को परिलक्षित करने हेतु इसका नाम परिवर्तित किया गया।
- **मुख्य भूमिका:** DIPAM केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भारत सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी के प्रबंधन तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

प्रमुख कार्य:

- सरकार की विनिवेश नीति का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का रणनीतिक विनिवेश और निजीकरण।
- मंत्रालयों को पूँजी पुनर्संरचना, विलय तथा परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर परामर्श देना।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) तथा ऑफर फॉर सेल (OFS) से संबंधित मामलों का प्रबंधन।
- सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्तियों के मूल्यांकन से जुड़े मुद्दों का निपटान।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन

- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) भारत सरकार की एक पहल है, जिसे 2021 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों का निश्चित अवधि के लिए मुद्रीकरण कर उनके मूल्य को अनलॉक करना है। इसका लक्ष्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों की स्थायी बिक्री किए बिना नई अवसंरचना के निर्माण हेतु संसाधन उत्पन्न करना है।

उद्देश्य:

- अल्प-उपयोगित सार्वजनिक परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर संसाधन जुटाना तथा प्राप्त राशि को अवसंरचना विकास में पुनर्निवेश करना, जिससे आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिल सके।

प्रमुख विशेषताएँ:

- चार वर्षीय अवधि (2021-2025) में लगभग 6 लाख करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियाँ शामिल। केवल संचालित (ब्राउनफील्ड) परिसंपत्तियों पर केंद्रित, न कि ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर।
- परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास ही बना रहता है।
- मुद्रीकरण पट्टा, रियायत (कंसेशन) तथा टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

चौथी औद्योगिक क्रांति

विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के पाँच नए केंद्रों की घोषणा की, जिनमें आंध्र प्रदेश में स्थापित ऊर्जा एवं साइबर प्रत्यास्थता केंद्र भी शामिल है।

पृष्ठभूमि

- चौथी औद्योगिक क्रांति उस प्रौद्योगिकीय परिवर्तन चरण को संदर्भित करती है, जिसमें भौतिक, डिजिटल और जैविक जगत तीव्र गति से एक-दूसरे के साथ अभिसरित हो रहे हैं।
- पूर्ववर्ती औद्योगिक क्रांतियों के विपरीत, जो भाप शक्ति, विद्युत या कंप्यूटर जैसी एकल प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित थीं, यह चरण अनेक प्रौद्योगिकियों के समानांतर विकास और संलयन से आकार ग्रहण करता है। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, उन्नत डेटा विश्लेषण, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव-प्रौद्योगिकी तथा साइबर-भौतिक प्रणालियाँ शामिल हैं।
- इस अवधारणा को औपचारिक रूप से 2016 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, जो डिजिटल क्रांति के पश्चात् नवाचार की तीव्र गति के प्रति एक प्रत्युत्तर था। पूर्व की प्रौद्योगिकीय तरंगों ने उत्पादकता में सुधार किया, किंतु वे मुख्यत: क्षेत्र-विशिष्ट थीं। इसके विपरीत, चौथी औद्योगिक क्रांति की प्रौद्योगिकियाँ विभिन्न क्षेत्रों में समानांतर रूप से प्रभाव डालती हैं, जिससे शासन, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा प्रणालियाँ तथा सुरक्षा का व्यापक रूपांतरण होता है।
- प्रारंभ में सरकारों को इन प्रौद्योगिकियों के विनियमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पारंपरिक नीतिगत ढाँचे धीमे, विखंडित तथा प्रतिक्रियात्मक थे। इससे रोजगार विस्थापन, साइबर असुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित नैतिक चिंताएँ तथा नवाचार के लाभों तक असमान पहुँच जैसे जोखिम उत्पन्न हुए। इन कमियों को दूर करने के लिए विश्व आर्थिक मंच ने 2017 में चौथी औद्योगिक क्रांति नेटवर्क की स्थापना की, जिसके अंतर्गत जिम्मेदार नवाचार, अनुकूलनशील विनियमन और बहु-हितधारक सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु वैश्विक केंद्र स्थापित किए गए।
- भारत का इसमें सम्मिलित होना उसकी बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, विस्तारित नवाचार पारितंत्र तथा अग्रणी प्रौद्योगिकियों को समावेशी और सतत् विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

महत्त्व

- **धीमी होती वैश्विक अर्थव्यवस्था में उत्पादकता वृद्धि को सुदृढ़ करना:**
  - वैश्विक माँग में मंदी के परिप्रेक्ष्य में उत्पादकता वृद्धि की आवश्यकता की पूर्ति हेतु चौथी औद्योगिक क्रांति भारत के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - विश्व आर्थिक मंच (2025) के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 500-550 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि कर सकते हैं, यद्यपि यह लाभ उद्यम-स्तरीय अंगीकरण और कार्यबल की तैयारी पर निर्भर करेगा।
- **विशाल युवा आबादी के लिए रोजगार संक्रमण का प्रबंधन:**
  - भारत की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, अत: चौथी औद्योगिक क्रांति की प्रौद्योगिकियाँ पूर्ण रोजगार हानि के स्थान पर रोजगार संक्रमण को आकार देती हैं।
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रोजगार परिदृश्य रिपोर्ट 2026 के अनुसार, 2030 तक भारत को लगभग 5 करोड़ श्रमिकों का पुन:कौशल विकास करना होगा, क्योंकि स्वचालन नियमित कार्यों को प्रभावित कर रहा है, जबकि डिजिटल, हरित और देखभाल क्षेत्रों में नई माँग उत्पन्न हो रही है।
- **मेक इन इंडिया के अंतर्गत विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करना:** रोबोटिक्स, डेटा विश्लेषण और डिजिटल ट्विन्स के माध्यम से स्मार्ट विनिर्माण दक्षता तथा निर्यात विश्वसनीयता में सुधार लाता है।
  - विश्व बैंक (2025) के अनुसार, इंडस्ट्री 4.0 का अंगीकरण विनिर्माण लागत में 10-15 प्रतिशत तक कमी ला सकता है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के भारत के लक्ष्य को समर्थन मिलता है, यद्यपि लघु उद्यमों में अंगीकरण अपेक्षाकृत धीमा है।
- **डिजिटल शासन और सेवा वितरण का सुदृढ़ीकरण:** भारत आधार-संबद्ध प्लेटफॉर्मों और रीयल-टाइम विश्लेषण जैसे डिजिटल लोक अवसंरचना माध्यमों से चौथी औद्योगिक क्रांति के उपकरणों का उपयोग कर रहा है।
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2025) ने भारत को एक वैश्विक उदाहरण के रूप में रेखांकित किया है, जहाँ डिजिटल शासन ने कल्याण वितरण में रिसाव को कम किया तथा 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक वित्तीय समावेशन का विस्तार किया, यद्यपि डेटा गोपनीयता सुरक्षा उपाय अभी भी विकसित हो रहे हैं।
- **ऊर्जा संक्रमण और जलवायु प्रतिबद्धताओं को समर्थन:**
  - चौथी औद्योगिक क्रांति की प्रौद्योगिकियाँ स्मार्ट ग्रिड, पूर्वानुमानित अनुरक्षण तथा उत्सर्जन निगरानी को सक्षम बनाती हैं, जो भारत के ऊर्जा संक्रमण के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (2026) के अनुसार, डिजिटल ऊर्जा प्रणालियाँ संचरण हानियों में 20 प्रतिशत तक की कमी ला सकती हैं, जिससे बढ़ती विद्युत माँग के साथ भारत की 2070 तक शुद्ध-शून्य जलवायु प्रतिबद्धता के संतुलन में सहायता मिलती है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **व्यापक कौशल असंगति और कार्यबल व्यवधान:** स्वचालन की प्रगति पुन:कौशल प्रणालियों की तुलना में अधिक तीव्र होने के कारण भारत में कौशल असंगति बढ़ रही है। विश्व आर्थिक मंच की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार, 2030 तक 44 प्रतिशत भारतीय श्रमिकों को नए कौशलों की आवश्यकता होगी, जबकि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (2026) ने अनौपचारिक क्षेत्रों में उन्नत डिजिटल प्रशिक्षण के सीमित दायरे को रेखांकित किया है।
- **उद्यमों, क्षेत्रों और सेक्टरों के मध्य असमान अंगीकरण:** चौथी औद्योगिक क्रांति की प्रौद्योगिकियाँ अभी भी बड़े उद्यमों और शहरी समूहों तक केंद्रित हैं।

- नीति आयोग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (2025) के अनुसार, 70 प्रतिशत से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स या डेटा विश्लेषण को अपनाने की क्षमता से वंचित हैं, जिससे संगठित और अनौपचारिक उद्यमों के बीच उत्पादकता अंतर बढ़ रहा है।

- **डेटा शासन, गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जोखिमों में वृद्धि:** तीव्र डिजिटलीकरण ने साइबर संवेदनशीलताओं को बढ़ाया है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल की वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार साइबर घटनाओं में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सीमापार डेटा प्रवाह और एल्गोरिथ्मिक उत्तरदायित्व से संबंधित विनियामक ढाँचे अभी विकासशील अवस्था में हैं, जिससे विश्वास, आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोखिम बढ़ता है।
- **रोजगार की गुणवत्ता और अनौपचारिकीकरण का दबाव:** यद्यपि डिजिटल मंच रोजगार सृजित करते हैं, किंतु अनेक कार्य असुरक्षित हैं और सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य 2026 रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और सामूहिक सौदेबाजी कवरेज सुनिश्चित करने हेतु अनुकूलित नहीं किए गए, तो प्रौद्योगिकी-प्रेरित रोजगार वृद्धि निम्न-वेतन, अनौपचारिक गिग कार्य का विस्तार कर सकती है।
- **ऊर्जा तीव्रता और डिजिटल अवसंरचना संबंधी बाधाएँ:**
  - चौथी औद्योगिक क्रांति की प्रौद्योगिकियाँ डेटा केंद्रों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संगणना और कनेक्टिविटी अवसंरचना के कारण विद्युत माँग में उल्लेखनीय वृद्धि करती हैं।
  - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की विद्युत रिपोर्ट 2026 के अनुसार, 2030 तक भारत में डेटा केंद्रों की विद्युत माँग तीन गुना हो सकती है, जो नवीकरणीय ऊर्जा और दक्षता निवेश में तेजी के बिना ग्रिड स्थिरता और जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए चुनौती उत्पन्न करेगी।

सरकारी एवं संस्थागत प्रयास

- **राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन और चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र:**
  - भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन (2024 में अनुमोदित) तथा आंध्र प्रदेश में विश्व आर्थिक मंच के चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र (2025) के साथ सहयोग नवाचार और शासन संबंधी अंतरालों को संबोधित करते हैं।
  - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (2026) के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान केंद्रों का विस्तार हुआ है, यद्यपि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा राज्य सरकारों के बीच अंगीकरण अब भी असमान है।
- **स्किल इंडिया डिजिटल और फ्यूचर स्किल्स प्राइम:**
  - कार्यबल व्यवधान से निपटने हेतु सरकार ने फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रारंभ किया और स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार किया, जिसका लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और डेटा विश्लेषण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।
  - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (2025) के अनुसार 1 करोड़ से अधिक शिक्षार्थियों ने नामांकन किया है, किंतु अनौपचारिक श्रमिकों और उन्नत उद्योग-विशिष्ट कौशलों का कवरेज अभी भी सीमित है।
- **डिजिटल लोक अवसंरचना और डेटा शासन सुधार:** आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस तथा अकाउंट एग्रीगेटर सहित भारत की डिजिटल लोक अवसंरचना व्यापक डिजिटल अंगीकरण का समर्थन करती है। 2023 का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, जिसे 2025 में नियमों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया, डेटा शासन को सुदृढ़ करता है।
  - हालाँकि, नीति आयोग (2026) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता-विशिष्ट विनियमन और सीमापार डेटा ढाँचों में अंतरालों को रेखांकित किया है।
- **उद्यमों और स्टार्टअप्स द्वारा प्रौद्योगिकी अंगीकरण हेतु समर्थन:** उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल एमएसएमई जैसी योजनाएँ स्वचालन और स्मार्ट विनिर्माण के अंगीकरण को प्रोत्साहित करती हैं।
  - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (2025) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि हुई है, किंतु छोटे उद्यम वित्तपोषण और क्षमता संबंधी बाधाओं के कारण बड़े औद्योगिक समूहों के बाहर व्यापक प्रसार से वंचित हैं।
- **ऊर्जा संक्रमण और साइबर प्रत्यास्थता पहल:** डिजिटल ऊर्जा माँग और साइबर जोखिमों के प्रबंधन हेतु भारत ने राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तथा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति के क्रियान्वयन उपायों का विस्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (2026) ने भारत के नवीकरणीय विस्तार की सराहना की है, किंतु चेतावनी दी है कि तीव्र डेटा केंद्र वृद्धि भंडारण और दक्षता उन्नयन में तेजी के बिना ग्रिड पर दबाव डाल सकती है।

आगे की राह

- **अनुकूलनशील प्रौद्योगिकी शासन:** भारत को विखंडित विनियमन से हटकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकियों और जैव-प्रौद्योगिकी के लिए एक एकीकृत ढाँचा अपनाना चाहिए। विश्व आर्थिक मंच (2025) ने नियामक सैंडबॉक्स की अनुशंसा की है, जबकि नीति आयोग (2026) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता जोखिम वर्गीकरण, एल्गोरिथ्मिक उत्तरदायित्व और सीमापार डेटा मानकों पर बल दिया है, ताकि नवाचार के साथ विश्वास सुनिश्चित हो सके।
- **उद्योग-संरेखित कौशल विकास:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (2026) के अनुसार स्वचालन के कारण 40 प्रतिशत भारतीय श्रमिकों को पुनःकौशल की आवश्यकता है। नामांकन-आधारित कौशल मॉडल के स्थान पर प्रशिक्षुता और उद्योग-प्रमाणित कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में प्रौद्योगिकी प्रसार:** जबकि 25 प्रतिशत से भी कम उद्यम उन्नत डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, 2025), साझा अवसंरचना और रियायती ऋण अनिवार्य हैं।
- **सतत् डिजिटल विस्तार:** यदि 2030 तक डिजिटल विद्युत माँग दोगुनी हो सकती है (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, 2026), तो नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड और भंडारण का एकीकरण अत्यंत आवश्यक है।
- **रणनीतिक वैश्विक सहयोग:** विश्व आर्थिक मंच के प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी कूटनीति (विदेश मंत्रालय, 2025) का उपयोग कर निवेश आकर्षित किया जा सकता है, साथ ही रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है।

भारत में किसान आत्महत्याएँ

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार, 1995 से 2023 के बीच भारत में 3.9 लाख से अधिक किसानों और कृषक मजदूरों ने आत्महत्या की।

पृष्ठभूमि

- भारत में किसान आत्महत्याएँ कोई अचानक उत्पन्न हुई घटना नहीं हैं, बल्कि कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक संरचनात्मक तनाव का परिणाम हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के व्यवस्थित आँकड़े दर्शाते हैं कि 1990 के दशक के मध्य के बाद आत्महत्याओं में तीव्र वृद्धि हुई, जो बाजार उदारीकरण, इनपुट लागत में वृद्धि तथा सिंचाई एवं प्रसार सेवाओं में सार्वजनिक निवेश में कमी के साथ मेल खाती है।
- प्रारंभिक चरण में संकट मुख्यत: कृषकों तक सीमित था, किंतु समय के साथ अनौपचारिक रोजगार, मौसमी प्रवासन और वेतन असुरक्षा के कारण कृषि मजदूर भी समान रूप से संवेदनशील हो गए।
- 2004 से 2014 के बीच कई राज्यों में आत्महत्याओं में कमी आई, क्योंकि रोजगार योजनाओं, ऋण माफी तथा फसल बीमा के विस्तार ने आंशिक राहत प्रदान की। तथापि यह सुधार स्थायी सिद्ध नहीं हुआ। जलवायु अस्थिरता, लगातार सूखा, मूल्य अस्थिरता और ठहरती हुई कृषि आय ने 2015 के बाद पुन: गिरावट ला दी। कोविड-19 के आघात, खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि तथा ग्रामीण वेतन की असमान पुनर्बहाली के बाद स्थिति और गंभीर हो गई।
- 2023 तक आत्महत्याओं में पुन: वृद्धि दर्ज की गई, और पहली बार कृषि मजदूरों की मृत्यु संख्या कृषकों से अधिक रही, जो ग्रामीण असुरक्षा की गहराई को दर्शाता है।
- यह मुद्दा पुन: अत्यंत गंभीर हो गया है, क्योंकि भारत का कृषि संकट अब केवल भूमिधारक किसानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सम्पूर्ण ग्रामीण कार्यबल को प्रभावित कर रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और समावेशी विकास के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है।

किसान आत्महत्याओं से जुड़ी चिंताएँ

- **गंभीर कृषि एवं ग्रामीण संकट का संकेतक:**
  - किसान आत्महत्याएँ व्यक्तिगत विफलताओं के बजाय संरचनात्मक ग्रामीण संकट का महत्त्वपूर्ण संकेतक हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अस्थायी अद्यतन तथा कृषि मंत्रालय के आकलन के अनुसार, 2023 में दर्ज 10,786 मृत्यु के बाद 2024-25 में भी आत्महत्याएँ ऊँचे स्तर पर बनी रहीं।
  - इनपुट लागत में वृद्धि, ठहरती कृषि आय तथा जलवायु आघात यह दर्शाते हैं कि वर्तमान सुरक्षा जाल अपर्याप्त हैं (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो; कृषि मंत्रालय, 2025)।
- **खाद्य सुरक्षा और कृषि स्थिरता पर प्रभाव:**
  - लगातार आत्महत्याएँ कृषि निरंतरता को कमजोर करती हैं और दीर्घकालिक निवेश को कम करती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, घटती कृषि लाभप्रदता युवा किसानों को हतोत्साहित कर रही है, जिससे भविष्य की खाद्य उत्पादन क्षमता प्रभावित हो सकती है।
  - जबकि 85 प्रतिशत कृषक छोटे और सीमान्त हैं, संकट-प्रेरित निर्गमन उत्पादकता ठहराव और आयात निर्भरता का जोखिम बढ़ाता है, जो भारत के खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों को कमजोर कर सकता है (आर्थिक सर्वेक्षण 2025; खाद्य एवं कृषि संगठन)।
- **कृषकों से मजदूरों तक असुरक्षा का विस्तार:**
  - 2023-24 में कृषि मजदूरों द्वारा आत्महत्या की संख्या कृषकों से अधिक रही, जो ग्रामीण असुरक्षा के विस्तार को दर्शाती है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, ग्रामीण वास्तविक वेतन ठहरे रहे, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति 7 प्रतिशत से ऊपर बनी रही।
  - भूमि स्वामित्व या बीमा कवरेज के अभाव में कृषि मजदूर अधिक आय असुरक्षा का सामना करते हैं, जिससे स्पष्ट है कि कृषि संकट व्यापक आजीविका संकट का रूप ले चुका है (सांख्यिकी मंत्रालय; भारतीय रिजर्व बैंक)।
- **क्षेत्रीय एकाग्रता और असमानता:**
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रवृत्ति विश्लेषण (2024-25 तक विस्तारित) के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मिलकर 70 प्रतिशत से अधिक आत्महत्याओं के लिए उत्तरदायी हैं।
  - ये क्षेत्र मुख्यत: वर्षा-निर्भर कपास और सोयाबीन पट्टियों से संबंधित हैं, जो बार-बार जलवायु तनाव का सामना कर रहे हैं। यह एकाग्रता राज्यों के बीच सिंचाई उपलब्धता, फसल जोखिम और नीतिगत प्रभावशीलता में असमानता को उजागर करती है (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद; राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो)।
- **सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थ:**
  - किसान आत्महत्याएँ ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य आपातस्थिति का संकेत देती हैं। राष्ट्रीय आत्महत्या निवारण रणनीति की प्रगति समीक्षा (2025) के अनुसार, कृषि ऋण, सामाजिक कलंक और मुआवजा में विलंब किसानों में अवसाद और चिंता को बढ़ाते हैं।
  - टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग सेवाओं के विस्तार के बावजूद ग्रामीण पहुँच असमान बनी हुई है, जो दर्शाता है कि आर्थिक संकट और मानसिक स्वास्थ्य असुरक्षा गहराई से परस्पर संबद्ध हैं (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; विश्व स्वास्थ्य संगठन)।

किसान आत्महत्याओं के मूल कारण

- **दीर्घकालिक ऋणग्रस्तता और सुलभ संस्थागत ऋण की विफलता:**
  - ऋणग्रस्तता किसान आत्महत्याओं का सबसे स्थायी कारक बनी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2023-2025 के आँकड़ों के अनुसार, आधे से अधिक किसान आत्महत्या मामलों में कर्ज को कारण के रूप में दर्ज किया गया।

- भारतीय रिजर्व बैंक की "ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया" रिपोर्ट (2024-25) बताती है कि लघु और सीमांत किसान अब भी 24-60 प्रतिशत ब्याज लेने वाले अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भर हैं, क्योंकि पट्टेदार किसान और बटाईदार किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार के बावजूद औपचारिक ऋण से वंचित हैं।

- **जलवायु-प्रेरित फसल विफलता और आय अस्थिरता:**
  - जलवायु अस्थिरता ने कृषि जोखिम को तीव्र रूप से बढ़ाया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पुष्टि की कि 2023-2025 मानसून के सबसे अनिश्चित वर्षों में रहे, जिनमें लंबे सूखे अंतराल और अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ शामिल थीं।
  - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (2025) ने महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में कपास, सोयाबीन और दालों में बार-बार उपज हानि दर्ज की, जिससे जलवायु दबाव को अस्थिर कृषि आय और बढ़ते संकट से सीधे जोड़ा गया।
- **बढ़ती इनपुट लागतें और अपर्याप्त मूल्य समर्थन:**
  - कृषि इनपुट महँगाई आय वृद्धि से आगे निकल गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2022 से 2025 के बीच उर्वरक, डीजल, बीज और श्रम लागत में तेज वृद्धि हुई, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि वास्तविक लागत वृद्धि के अनुरूप नहीं थी।
  - कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (2025) ने उल्लेख किया कि अनेक किसान उत्पादन लागत भी वसूल नहीं कर पाते, जिससे ऋणग्रस्तता और संकट बिक्री बढ़ती है।
- **कमजोर बाजार पहुँच और मूल्य अस्थिरता:**
  - सीमित खरीद कवरेज किसानों को अस्थिर बाजारों के सामने उजागर करती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (2025) के अनुसार 25 प्रतिशत से कम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित खरीद का लाभ मिलता है।
  - नाशवंत फसल उगाने वाले लघुधारक अधिकता की स्थिति में बार-बार मूल्य गिरावट झेलते हैं, जैसा कि कृषि विपणन सूचना नेटवर्क के आँकड़ों में परिलक्षित है, जिससे विशेषकर बागवानी क्षेत्रों में आय अनिश्चितता और कटाई-पश्चात् हानि बढ़ती है।
- **संस्थागत विलंब और अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य पहुँच:**
  - मुआवजे में देरी संकट को गहरा करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर प्रदर्शन लेखा-परीक्षा ने अनेक राज्यों में दावा निपटान में निरंतर देरी को रेखांकित किया।
  - साथ ही, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (2025) के मूल्यांकन के अनुसार टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग सेवाएँ के विस्तार के बावजूद ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में कमी बनी हुई है, जिससे संकटग्रस्त किसानों के लिए प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सीमित रहता है।

सरकारी और संस्थागत प्रयास

- **संस्थागत ऋण विस्तार के माध्यम से ऋण दबाव में कमी:**
  - किसान क्रेडिट कार्ड योजना अनुदानित ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण प्रदान कर दीर्घकालिक ऋणग्रस्तता को लक्षित करती है।
  - वित्त मंत्रालय (2025) के अनुसार 7.5 करोड़ से अधिक सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड अब फसल, संबद्ध गतिविधियों और उपभोग आवश्यकताओं को कवर करते हैं। इससे सिंचित क्षेत्रों में अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता घटी है, हालाँकि पट्टेदार किसान और भूमिहीन कृषि मजदूर अभी भी औपचारिक बैंकिंग से वंचित हैं।
- **प्रत्यक्ष आय समर्थन द्वारा आय स्थिरीकरण:**
  - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लघु और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 प्रदान करती है।
  - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (2025) के अनुसार 11 करोड़ से अधिक किसानों को नियमित रूप से भुगतान प्राप्त हुआ, जिससे इनपुट लागत महँगाई का आंशिक संतुलन हुआ। फिर भी यह राशि विशेषकर वर्षा-आधारित और सूखा-प्रवण जिलों में बड़ी फसल हानि की भरपाई हेतु अपर्याप्त है।
- **फसल बीमा द्वारा जोखिम न्यूनीकरण:**
  - प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य जलवायु-जनित फसल विफलता से सुरक्षा देकर आत्महत्या जोखिम को कम करना है। सरकारी आँकड़ों (2025) के अनुसार लगभग 5.5 करोड़ किसानों को वार्षिक कवरेज प्राप्त हुआ।
  - जहाँ दावा निपटान समय पर हुआ, वहाँ संकट में स्पष्ट कमी देखी गई; परंतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (2024-25) ने देरी, गलत उपज आकलन और असमान क्रियान्वयन की ओर संकेत किया।
- **संकटकाल में रोजगार समर्थन:**
  - महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम फसल विफलता और गैर-मौसमी अवधि में वेतन सुरक्षा प्रदान करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (2025) के अनुसार सूखा वर्षों में विशेषकर महाराष्ट्र और तेलंगाना में ग्रामीण रोजगार की माँग बढ़ी।
  - ऐतिहासिक रूप से यह गैर-कृषि आय समर्थन आत्महत्या दरों में कमी से जुड़ा रहा है, यद्यपि वेतन भुगतान में देरी इसकी स्थिरीकरण क्षमता को सीमित करती है।
- **मानसिक स्वास्थ्य के लिए संस्थागत पहुँच:**
  - भारत की राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022) और टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग सेवाएँ का विस्तार सामाजिक-मनोवैज्ञानिक संकट को संबोधित करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राल (2025) के अनुसार देशभर में दो करोड़ से अधिक कॉल संभाली गईं।
  - फिर भी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (2025) के अनुसार ग्रामीण सेवा अभाव और कलंक प्रारंभिक हस्तक्षेप को सीमित करते हैं।

आगे की राह

- **संस्थागत ऋण तक पहुँच गहन करना और अनौपचारिक ऋण विनियमन:**
  - सहकारी बैंकों, डिजिटल क्रेडिट स्कोरिंग और पट्टेदार किसान समावेशन के माध्यम से अंतिम चरण तक बैंकिंग विस्तार ऋण चक्र तोड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (2025) के अनुसार संस्थागत ऋण अब भी 55 प्रतिशत से कम लघुधारकों तक पहुँचता है।

- केरल में अनौपचारिक साहूकार विनियमन के पायलट मॉडल से, जब प्रवर्तन और ऋण पहुँच साथ संचालित हुए, संकट में कमी देखी गई।

- **उत्पाद मूल्य के लिए कानूनी और मूल्य निश्चितता:** न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिशों के अनुरूप कानूनी रूप से समर्थित मूल्य आश्वासन तंत्र आय अस्थिरता कम कर सकता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (2025) के अनुसार खरीद मुख्यतः गेहूँ और चावल तक सीमित है, जबकि आत्महत्या-प्रवण क्षेत्रों की अधिकांश फसलें बाहर हैं।
  - खरीद का विविधीकरण और बाजार सुधारों से जुड़ाव किसानों की अपेक्षाएँ स्थिर कर सकता है।
- **जलवायु-सहिष्णु कृषि और जोखिम विविधीकरण का विस्तार:**
  - फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई और जलवायु-सहिष्णु बीजों का प्रसार बार-बार फसल विफलता जोखिम कम करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (2025) के अनुसार विविधीकृत खेत सूखे के दौरान कम आय झटके झेलते हैं।
  - हालाँकि जागरूकता और प्रारंभिक लागत के कारण अपनाने की दर सीमित है, जिससे लक्षित विस्तार सेवाएँ और वित्तीय प्रोत्साहन आवश्यक हैं।
- **ग्रामीण रोजगार और आय विविधीकरण सुदृढ़ करना:**
  - महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यदिवस बढ़ाना और उन्हें टिकाऊ परिसंपत्ति सृजन से जोड़ना स्थिर वैकल्पिक आय प्रदान कर सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (2025) के अनुसार संकटग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार माँग अधिक रही।
  - कौशल प्रशिक्षण और कृषि-प्रसंस्करण से कृषि पर अत्यधिक निर्भरता घटाई जा सकती है।
- **ग्रामीण विकास नीति में मानसिक स्वास्थ्य का मुख्यधारा में समावेशन:**
  - प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और कृषि विस्तार प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने से संकट की प्रारंभिक पहचान संभव होगी। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (2025) के अनुसार प्रारंभिक परामर्श आत्महत्या जोखिम को उल्लेखनीय रूप से घटाता है।
  - समुदाय आधारित जागरूकता और जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों की सुदृढ़ नियुक्ति प्रभाव के लिए अत्यावश्यक है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)

NCRB	विवरण
NCRB की स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों से संबंधित जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी।	
उत्पत्ति	यह टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय (1985) की टास्कफोर्स की सिफारिशों के आधार पर जाँचकर्ताओं को अपराधों को अपराधियों से जोड़ने में सहायता करता है।
मंत्रालय	यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
विभाग	**NCRB के चार विभाग हैं:** अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS), अपराध सांख्यिकी, फिंगरप्रिंट और प्रशिक्षण।
प्रकाशन	NCRB 'क्राइम्स इन इंडिया', 'दुर्घटनात्मक मौतें और आत्महत्याएँ', 'कारागार सांख्यिकी' तथा 'भारत में लापता महिलाएँ और बच्चे' जैसी रिपोर्टें प्रकाशित करता है।
NCRB के कार्य	अपराध संबंधी डेटा का संकलन और रिकॉर्ड रखना। फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के "राष्ट्रीय भंडार" के रूप में कार्य करना और अंतरराज्यीय अपराधियों का पता लगाने में सहायता करना। CCTNS परियोजना की निगरानी, समन्वय और कार्यान्वयन करना, जो लगभग 15,000 पुलिस स्टेशनों और 6,000 उच्च कार्यालयों को जोड़ती है। राष्ट्रीय यौन अपराधी डेटाबेस (NDSO) का रखरखाव और इसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करना। ऑनलाइन साइबर क्राइम सूचना पोर्टल की तकनीकी और परिचालन प्रक्रिया की निगरानी करना। जाली मुद्रा सूचना और प्रबंधन प्रणाली (FICN) तथा आतंकवाद पर एकीकृत निगरानी एप्लिकेशन का संचालन करना।
डेटा संकलन प्रक्रिया	डेटा 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों से प्राप्त किया जाता है। स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा प्रस्तुत डेटा को जिला और राज्य स्तर पर सत्यापित किया जाता है, उसके बाद NCRB द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
NCRB डेटा से जुड़ी समस्याएँ	मुख्य अपराध नियम (Principal Offence Rule) का पालन करने से अपराधों की संख्या कम दर्ज हो सकती है, जैसे बलात्कार के साथ हत्या के मामले को "बलात्कार" के बजाय "हत्या" के रूप में गिना जाना। स्थानीय स्तर पर डेटा संबंधी अक्षमताएँ सटीकता को प्रभावित करती हैं, क्योंकि यह स्थानीय डेटा का संकलन है। स्थानीय स्तर पर पुलिस कर्मियों की कमी या रिक्त पद डेटा संग्रह को और अधिक कठिन बना देते हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 जनवरी 2026 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
इसके जरिए केंद्रीय बजट 2026-27 से पूर्व भारत की आर्थिक स्थिति का आकलन प्रस्तुत किया गया।

पृष्ठभूमि

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, जिसे आर्थिक मामलों संबंधी विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, भारत के व्यापक आर्थिक प्रदर्शन, संरचनात्मक सुधारों और विकास संबंधी चुनौतियों का समग्र आकलन प्रस्तुत करता है। इसे प्रतिवर्ष केंद्रीय बजट से पूर्व जारी किया जाता है ताकि राजकोषीय नीति को सूचित किया जा सके और मध्यम अवधि की आर्थिक रणनीति का मार्गदर्शन किया जा सके।
- वर्तमान सर्वेक्षण एक जटिल वैश्विक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया है, जो भू-राजनीतिक विखंडन, उच्च वैश्विक ब्याज दरों, जलवायु आघात, आपूर्ति-शृंखला व्यवधान और तीव्र प्रौद्योगिकी परिवर्तन से चिह्नित है। इन चुनौतियों के बावजूद, भारत सार्वजनिक पूँजी व्यय, वित्तीय क्षेत्र की सफाई, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और संरचनात्मक सुधारों के समर्थन से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है।
- सर्वेक्षण ने दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाते हुए नीति विमर्श को अल्पकालिक वृद्धि प्रबंधन से हटाकर दीर्घकालिक उत्पादकता, रोजगार की गुणवत्ता, जलवायु सहनशीलता और प्रौद्योगिकीय तैयारी की ओर स्थानांतरित किया है। इसमें कृषि, उद्योग, सेवाएँ, अवसंरचना, मानव पूँजी, पर्यावरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है, साथ ही उपलब्धियों और शेष संरचनात्मक बाधाओं दोनों को रेखांकित किया गया है।
- समग्र रूप से, यह भारत की विकास यात्रा को लचीली वृद्धि, समावेशी विकास और सुधारों की निरंतरता के संदर्भ में रूपांकित करता है।

अध्याय 1: अर्थव्यवस्था की स्थिति

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 वैश्विक अनिश्चितताओं-जैसे भू-राजनीतिक तनाव, उच्च ब्याज दरें तथा व्यापार विखंडन-के बीच भारत के व्यापक आर्थिक प्रदर्शन का आकलन करता है। यह भारत के संभावित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) (अधिकतम गैर-मुद्रास्फीतिकारी विकास दर) को लगभग 7 प्रतिशत तक ऊपर संशोधित करता है, जो सुधार-प्रेरित संरचनात्मक बदलाव का संकेत देता है, न कि केवल महामारी पश्चात् चक्रीय पुनरुत्थान का।
- प्रभावी सार्वजनिक पूँजीगत व्यय (उत्पादक अवसंरचना पर सरकारी व्यय) वित्तीय वर्ष 2026 में GDP के लगभग 4 प्रतिशत तक पहुँच गया, जो 2019 से पूर्व लगभग 2.2 प्रतिशत था। इससे लॉजिस्टिक्स, संपर्कता तथा निजी निवेश की भावना सुदृढ़ हुई है।
- वित्तीय क्षेत्र की सुदृढ़ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs) (तनावग्रस्त बैंक ऋण) सितंबर 2025 तक घटकर लगभग 2.2 प्रतिशत रह गईं, जो 2018 में 11 प्रतिशत से अधिक थीं। इससे विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को ऋण प्रवाह मजबूत हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) (चालान-आधारित MSME वित्तपोषण) तथा यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) (डिजिटल ऋण वितरण मंच) जैसे डिजिटल तंत्रों ने औपचारिक ऋण तक पहुँच का विस्तार किया है।
- हालाँकि, वैश्विक झटकों तथा सुधार-थकान से जोखिम बने हुए हैं। सर्वेक्षण उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं, अवसंरचना प्रोत्साहन तथा कर सुधारों को रेखांकित करता है, साथ ही उच्च-गुणवत्ता वाली वृद्धि को बनाए रखने के लिए अधिक गहन केंद्र-राज्य समन्वय, कुल कारक उत्पादकता (TFP) (इनपुट दक्षता) पर ध्यान तथा निर्यात विविधीकरण की सिफारिश करता है।

अध्याय 2: राजकोषीय विकास

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 सतत् आर्थिक विस्तार के साथ विश्वसनीय राजकोषीय समेकन (विकास को क्षति पहुँचाए बिना राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण में क्रमिक कमी) की भारत की रणनीति पर बल देता है।
- केंद्रीय सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ वित्तीय वर्ष 2021 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) (देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य) के 8.5 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 में लगभग 9.1 प्रतिशत हो गईं, जो कर लोचशीलता (GDP की तुलना में कर संग्रह की अधिक तेज वृद्धि) में सुधार तथा अनुपालन सुदृढ़ होने को दर्शाती हैं।
- इसका एक प्रमुख प्रेरक कारक वस्तु एवं सेवा कर (GST) (कई राज्य और केंद्रीय करों को प्रतिस्थापित करने वाला एकीकृत अप्रत्यक्ष कर) रहा है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान बार-बार रिकॉर्ड संग्रह दर्ज किया गया। मासिक GST राजस्व औसतन ₹1.8 लाख करोड़ से अधिक रहा, जो औपचारीकरण (अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन) तथा उपभोग की सुदृढ़ता को दर्शाता है। साथ ही, पूँजीगत व्यय (CapEx) (सड़क, रेलमार्ग और डिजिटल परिसंपत्तियों जैसी अवसंरचना पर सरकारी व्यय) उच्च स्तर पर बना रहा, जिससे दीर्घकालिक उत्पादकता को समर्थन मिला, जबकि राजकोषीय घाटा (सरकारी व्यय और राजस्व के बीच अंतर) एक संतुलित निम्नगामी पथ का अनुसरण करता रहा।
- हालाँकि, जोखिम बने हुए हैं। सर्वेक्षण कई राज्यों में बढ़ते राजस्व घाटे (दैनिक उपभोग हेतु उधारी का उपयोग) तथा बढ़ते बिना शर्त नकद अंतरणों की ओर संकेत करता है, जो पूँजीगत व्यय को विस्थापित कर सकते हैं और भविष्य के ऋण भार को बढ़ा सकते हैं। राज्य-स्तरीय राजकोषीय अनुशासन में असमानता संप्रभु उधारी लागत को बढ़ा सकती है।

- संस्थागत प्रतिक्रियाओं में GST 2.0 सुधार, डिजिटल कर अनुपालन प्रणालियाँ तथा सोलहवाँ वित्त आयोग (केंद्र-राज्य वित्तीय अंतरणों का निर्धारण करने वाला संवैधानिक निकाय) शामिल हैं। सर्वेक्षण स्थायी राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु परिणाम-आधारित अंतरणों, स्थानीय निकायों के वित्त को सुदृढ़ करने तथा सब्सिडियों को उत्पादकता-वर्धक व्यय की ओर पुनर्संरेखित करने की सिफारिश करता है।

अध्याय 3: मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय मध्यस्थता

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत में मौद्रिक संचरण (नीतिगत दरों में परिवर्तन का उधार एवं जमा दरों पर प्रभाव) तथा संपूर्ण वित्तीय तंत्र की सुदृढ़ता में महत्त्वपूर्ण सुधार को रेखांकित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक (भारत का केंद्रीय बैंक) द्वारा क्रमबद्ध रेपो दर समायोजनों के पश्चात् ऋण दरों में प्रभावी समायोजन हुआ, जिससे परिवारों और उद्यमों के लिए ऋण उपलब्धता में सुधार हुआ। सितंबर 2025 तक सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPAs) (कुल अग्रिमों में खराब ऋणों का अनुपात) घटकर लगभग 2.2 प्रतिशत के बहु-दशकीय निम्न स्तर पर आ गईं, जो बैलेंस-शीट शुद्धिकरण तथा विवेकपूर्ण विनियमन का द्योतक है।
- सर्वेक्षण घरेलू बचत संरचना में एक संरचनात्मक बदलाव को भी रेखांकित करता है। वित्तीय परिसंपत्तियों (इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बीमा) का हिस्सा बढ़ा है, जबकि सोने जैसी भौतिक परिसंपत्तियों पर निर्भरता में कमी आई है। 2025 में मासिक सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) प्रवाह ₹20,000 करोड़ से अधिक हो गया, जो गहन वित्तीयकरण (औपचारिक वित्तीय साधनों के बढ़ते उपयोग) तथा जोखिम विविधीकरण को दर्शाता है।
- फिर भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भारत को अपेक्षाकृत उच्च संरचनात्मक पूँजी लागत (दीर्घकालिक उधारी लागत) का सामना करना पड़ता है, जिसका एक कारण लगातार चालू खाता घाटा (CAD) (निर्यात से अधिक आयात) है, जो GDP के लगभग 1.5-2 प्रतिशत के आसपास आंका गया है।
- इसके अतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित वित्त (एल्गोरिदम-आधारित ऋण एवं व्यापार) के तीव्र विस्तार से विनियामक और नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- सरकारी पहल में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का विस्तार शामिल है, जैसे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), जो 2025 में प्रति माह 12 अरब से अधिक लेनदेन संभाल रहा है; गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) का विकास; तथा व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज। सर्वेक्षण स्थायी मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक बॉन्ड बाजारों को गहरा करने, वित्त क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विनियमन को सुदृढ़ करने तथा निर्यात-अधिशेष अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने की सिफारिश करता है।

अध्याय 4: बाह्य क्षेत्र

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत के बाह्य क्षेत्र (व्यापार, पूँजी प्रवाह तथा विदेशी मुद्रा के माध्यम से विश्व के साथ आर्थिक अंत:क्रिया) का विश्लेषण करता है। यह उल्लेख करता है कि 2020 से कुल निर्यात ने 9.4 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) (एक अवधि में औसत वार्षिक वृद्धि) दर्ज की है, जबकि माल निर्यात (भौतिक वस्तुएँ) की वृद्धि दर केवल 6.4 प्रतिशत रही। इसके विपरीत, सेवा निर्यात (सूचना प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक एवं वित्तीय सेवाएँ) भारत के व्यापार अधिशेष पर प्रमुखता से हावी हैं।
- यह प्रवृत्ति महत्त्वपूर्ण है क्योंकि सेवा निर्यात आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होते हैं। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2005 में 2 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 4.3 प्रतिशत हो गई, जिससे विदेशी मुद्रा आय (विदेशी मुद्रा प्रवाह) तथा बाह्य स्थिरता सुदृढ़ हुई है। ये प्रवाह चालू खाता घाटे (CAD) (विदेशी आय और भुगतान के बीच अंतर) को नियंत्रित करने में सहायक रहे हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) (कुल आर्थिक उत्पादन) के लगभग 1.5-2 प्रतिशत के आसपास बना हुआ है।
- हालाँकि, सर्वेक्षण कुछ जोखिमों की ओर संकेत करता है। सेवाओं पर अत्यधिक निर्भरता व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन को सीमित करती है तथा विनिर्माण निर्यात को अविकसित छोड़ती है। कमजोर माल निर्यात आधार वैश्विक झटकों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है और पूँजी लागत (उधारी लागत) को बढ़ा सकता है। इस स्थिति के समाधान हेतु सरकार ने उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं (उत्पादन-आधारित विनिर्माण प्रोत्साहन) का विस्तार किया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) (विदेशी निवेश) को उदार बनाया है तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) (अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्क में सहभागिता) में एकीकरण को प्रोत्साहित किया है।
- सर्वेक्षण प्रतिस्पर्धी विनिर्माण निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को GVCs में एकीकृत करने तथा दीर्घकालिक बाह्य क्षेत्रीय सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा लागत को कम करने की सिफारिश करता है।

अध्याय 5: मुद्रास्फीति

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में रेखांकित किया गया है कि वैश्विक झटकों के बावजूद भारत में मुद्रास्फीति (सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि) व्यापक रूप से नियंत्रित एवं पूर्वानुमेय दायरे में रही है। वर्ष 2024-25 में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति औसतन लगभग 5.4 प्रतिशत रही, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2-6 प्रतिशत के सहिष्णुता बैंड के भीतर रही। यह प्रभावी मौद्रिक नीति संचरण (नीतिगत दरों में परिवर्तन का बाजार दरों पर प्रभाव) तथा समयोचित आपूर्ति-पक्षीय हस्तक्षेपों को दर्शाता है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में रेखांकित किया गया है कि वैश्विक झटकों के बावजूद भारत में मुद्रास्फीति (सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि) व्यापक रूप से नियंत्रित एवं पूर्वानुमेय दायरे में रही है। वर्ष 2024-25 में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति औसतन लगभग 5.4 प्रतिशत रही, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2-6 प्रतिशत के सहिष्णुता बैंड के भीतर रही। यह प्रभावी मौद्रिक नीति संचरण (नीतिगत दरों में परिवर्तन का बाजार दरों पर प्रभाव) तथा समयोचित आपूर्ति-पक्षीय हस्तक्षेपों को दर्शाता है।

- एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि कोर मुद्रास्फीति (खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर) वर्ष 2025 के अंत तक 4 प्रतिशत से नीचे आ गई, जिससे माँग-पक्षीय दबावों में कमी का संकेत मिलता है। सर्वेक्षण में यह भी उल्लेख है कि विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अपस्फीतिकारक (Deflator) में उलट प्रवृत्ति देखी गई, जो उद्योगों के लिए इनपुट लागत दबाव (कच्चे माल एवं ऊर्जा लागत) में कमी को इंगित करता है। इससे निवेश भावना एवं लाभ स्थिरता को समर्थन मिलता है।
- तथापि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सर्वेक्षण क्षेत्रीय मुद्रास्फीति विभेद की ओर संकेत करता है, जहाँ कुछ राज्यों में खाद्य मुद्रास्फीति लॉजिस्टिक बाधाओं एवं असमान बाजार एकीकरण के कारण उच्च बनी हुई है। जलवायु-सम्बद्ध खाद्य मूल्य अस्थिरता (मौसमीय झटकों के कारण मूल्य उतार-चढ़ाव) एक निहित जोखिम के रूप में विद्यमान है, क्योंकि अत्यधिक हीटवेव एवं अनियमित मानसून फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं।
- मुद्रास्फीति प्रबंधन हेतु RBI ने संतुलित (calibrated) ब्याज दर नीति अपनाई, जबकि सरकार ने बफर स्टॉक परिचालन को सुदृढ़ किया, खाद्यान्न की खुली बाजार बिक्री (Open Market Sales) की, तथा आवश्यक वस्तुओं पर आयात शुल्क में समायोजन किया। आगे के लिए सर्वेक्षण ने कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, जलवायु-सहनशील खाद्य तंत्र विकसित करने तथा राज्य-स्तरीय मूल्य निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की अनुशंसा की है, ताकि विकास से समझौता किए बिना मूल्य स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

अध्याय 6: कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में उल्लेख किया गया है कि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों (कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन एवं वानिकी) ने वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2025 के दौरान 4.4 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की, जो दीर्घकालिक प्रवृत्ति से अधिक है। विशेष रूप से पशुपालन क्षेत्र में 7.1 प्रतिशत तथा मत्स्य क्षेत्र में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो भारतीय कृषि में संरचनात्मक विविधीकरण (केवल फसल-आधारित निर्भरता से हटकर अन्य गतिविधियों की ओर संक्रमण) को दर्शाती है।
- यह विविधीकरण महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कृषि आज भी भारत के लगभग 42 प्रतिशत कार्यबल को आजीविका प्रदान करती है। संबद्ध क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि से आय की स्थिरता में सुधार होता है (मानसून पर निर्भरता कम होती है) तथा जलवायु झटकों को सहन करने की क्षमता (जलवायु सहनशीलता) में वृद्धि होती है। सर्वेक्षण इस परिवर्तन को बढ़ती ग्रामीण माँग और बेहतर पोषण परिणामों से भी जोड़ता है।
- फिर भी, प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। फसल उत्पादकता में ठहराव है, सिंचाई कवरेज असमान है तथा जलवायु अस्थिरता (अनियमित वर्षा, हीट स्ट्रेस) से उत्पादन जोखिम बढ़ा है। क्षेत्रीय विषमताएँ भी स्पष्ट हैं-जहाँ बेहतर शासन एवं बाजार पहुँच वाले राज्यों में कृषि वृद्धि केंद्रित है, वहीं वर्षा-आधारित (रेनफेड) क्षेत्र पीछे रह गए हैं।
- इन चुनौतियों के समाधान हेतु सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (₹6,000 प्रतिवर्ष की आय सहायता) का विस्तार किया, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (डिजिटल कृषि विपणन मंच) को सुदृढ़ किया, तथा किसान उत्पादक संगठन (किसानों के सामूहिक उद्यम) को बढ़ावा दिया, ताकि मूल्य खोज (Price Discovery) और सौदेबाजी की शक्ति में सुधार हो सके।
- सर्वेक्षण की अनुशंसा है कि जलवायु-सहनशील बीजों का विस्तार, सूक्ष्म-सिंचाई के माध्यम से सिंचाई दक्षता में वृद्धि, तथा कृषि प्रसंस्करण एवं भंडारण अवसंरचना का तीव्र विकास किया जाए, ताकि उत्पादन वृद्धि को टिकाऊ कृषि आय और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा में परिवर्तित किया जा सके।

अध्याय 7: सेवा क्षेत्र

- सेवा क्षेत्र (सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा) भारत की वृद्धि का प्रमुख प्रेरक बना हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, सेवाएँ सकल मूल्य संवर्धन (GVA) का 50 प्रतिशत से अधिक तथा कुल उत्पादन का लगभग 55 प्रतिशत योगदान करती हैं, और 2022-25 के दौरान 7-8 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ी हैं।
- यह स्थिरता वैश्विक आर्थिक मंदी और व्यापारिक अस्थिरता के विरुद्ध भारत के लिए एक संरक्षक कारक सिद्ध हुई है।
- भारत की बाह्य सुदृढ़ता भी बढ़ते रूप से सेवा-आधारित हो रही है। सेवा निर्यात कुल निर्यात का लगभग 48 प्रतिशत हैं, जो निरंतर व्यापार अधिशेष उत्पन्न करते हैं। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2005 के 2 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 4.3 प्रतिशत हो गई है, जिसका प्रमुख प्रेरक सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल माध्यम से प्रदत्त सेवाएँ हैं, जो अब कुल सेवा निर्यात का 65 प्रतिशत से अधिक हैं। ये क्षेत्र उच्च-कौशल रोजगार तथा विदेशी मुद्रा आय को समर्थन देते हैं।
- फिर भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सर्वेक्षण के अनुसार सेवा रोजगार का लगभग 70 प्रतिशत अब भी अनौपचारिक है, विशेषकर पर्यटन और खुदरा क्षेत्र में। कौशल-असंगति, डिजिटल पहुँच में असमानता तथा सीमापार डेटा विनियमन की कठोरता प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकती है।
- सरकारी उपायों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विस्तार (आधार के अंतर्गत 1.3 अरब से अधिक लोगों का कवरेज; 2025 में प्रति माह 12 अरब से अधिक लेनदेन संसाधित करने वाला यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), क्षेत्र-विशिष्ट कौशल विकास तथा पर्यटन संवर्धन शामिल हैं।
- सर्वेक्षण सेवा-प्रधान वृद्धि को बनाए रखने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संबंधी कौशलों का विस्तार, विनियामक सामंजस्य तथा त्वरित औपचारीकरण की सिफारिश करता है।

अध्याय 8: उद्योग एवं विनिर्माण

- उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र (श्रम, पूँजी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन) भारत की वृद्धि और रोजगार रणनीति का केंद्रीय आधार है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, उद्योग सकल मूल्य संवर्धन (GVA) का लगभग 27 प्रतिशत योगदान देता है, जबकि विनिर्माण का हिस्सा लगभग 17 प्रतिशत है। श्रम अवशोषण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए इस हिस्सेदारी को बढ़ाना आवश्यक है।
- एक प्रमुख उपलब्धि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में देखी गई है, जहाँ वित्तीय वर्ष 2015 से उत्पादन में लगभग 30 गुना विस्तार हुआ है। 2024-25 में मोबाइल फोन निर्यात ₹1.2 लाख करोड़ से अधिक रहा, जिससे आयात निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आई है।
- यह वृद्धि उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं (अतिरिक्त उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन) द्वारा संचालित है, जो 14 विनिर्माण क्षेत्रों को आच्छादित करती हैं।
- फिर भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। विनिर्माण अपेक्षाकृत पूँजी-प्रधान बना हुआ है, जिससे रोजगार सृजन सीमित होता है, जबकि मध्यम-प्रौद्योगिकी क्षेत्र (जैसे मशीनरी और परिवहन उपकरण) अपेक्षाकृत पीछे हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) (सीमित पूँजी वाले छोटे उद्यम) का मूल्य शृंखलाओं में एकीकरण अभी भी कमजोर है। सरकारी पहलों में PLI योजनाएँ, औद्योगिक कॉरिडोर तथा पीएम गतिशक्ति (एकीकृत अवसंरचना योजना मंच) के अंतर्गत लॉजिस्टिक्स सुधार शामिल हैं।
- सर्वेक्षण रोजगार-प्रधान औद्योगिक वृद्धि के लिए घरेलू मूल्य शृंखलाओं को गहराने, MSME सहभागिता को सुदृढ़ करने तथा उदीयमान उद्योगों को प्रोत्साहित करने की सिफारिश करता है।

अध्याय 9: निवेश एवं अवसंरचना

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 निवेश और अवसंरचना (सड़क, रेलमार्ग, बंदरगाह, विद्युत तथा डिजिटल नेटवर्क जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का सृजन) को भारत की सतत् उच्च वृद्धि की रीढ़ के रूप में चिन्हित करता है। सार्वजनिक पूँजीगत व्यय (Capex) (परिसंपत्ति सृजन पर सरकारी व्यय) वित्तीय वर्ष 2015 में GDP के लगभग 2.3% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025 में लगभग 4% तक पहुँच गया, जो एक दशक में 70% से अधिक वृद्धि को दर्शाता है। इस निरंतर पूँजीगत व्यय प्रोत्साहन ने निजी निवेश को महत्त्वपूर्ण रूप से आकर्षित किया है और महामारी-पश्चात् निवेश सुस्ती को पलटने में सहायता की है।
- एक प्रमुख विशेषता सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) (सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित एवं संचालित परियोजनाएँ) का पुनरुद्धार है। सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2026 में PPP अनुमोदनों में तीव्र वृद्धि का उल्लेख करता है, जो अवसंरचना क्षेत्रों में निवेशकों के पुनःस्थापित विश्वास को दर्शाता है।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) (समन्वित अवसंरचना निवेश हेतु दीर्घकालिक रूपरेखा) के अंतर्गत ₹100 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है, जिसमें लगभग 40% परिवहन क्षेत्र, 24% ऊर्जा क्षेत्र तथा बढ़ता हुआ हिस्सा डिजिटल अवसंरचना के लिए निर्धारित है।
- फिर भी, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भूमि अधिग्रहण में विलंब, वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ तथा राज्यों के बीच संस्थागत क्षमता में असमानता परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी का कारण बनती हैं। लागत वृद्धि तथा विवाद निस्तारण की जटिलताएँ भी दक्षता को प्रभावित करती हैं।
- सरकारी उपायों में PPP मूल्यांकन समिति को सुदृढ़ करना, NIP का विस्तार करना तथा ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (भविष्य में उपयोग हेतु विद्युत का भंडारण करने वाली प्रौद्योगिकियाँ) को अवसंरचना के रूप में वर्गीकृत करना शामिल है, जिससे दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध हो सके।
- सर्वेक्षण इस बात पर बल देता है कि अवसंरचना-आधारित वृद्धि के लिए व्यय स्तर जितना महत्त्वपूर्ण है, उतना ही सुशासन की गुणवत्ता, समयबद्ध स्वीकृतियाँ तथा संस्थागत दक्षता भी आवश्यक हैं।

अध्याय 10: पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पर्यावरणीय सततता (ऐसी वृद्धि जो पारिस्थितिक तंत्र को अपूरणीय क्षति न पहुँचाए) को एक प्रमुख आर्थिक सक्षमकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। भारत उन कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जहाँ उत्सर्जन-वृद्धि पृथक्करण (आर्थिक वृद्धि के साथ उत्सर्जन में समानुपाती वृद्धि न होना) देखा गया है। 2025 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों का स्थापित विद्युत क्षमता में योगदान 43% से अधिक हो गया, जबकि नवीकरणीय क्षमता 2014 के लगभग 75 गीगावाट से बढ़कर 180 गीगावाट से अधिक हो गई, जो संरचनात्मक ऊर्जा संक्रमण को दर्शाती है।
- जलवायु दबाव अब अधिक परिमाणात्मक रूप से स्पष्ट है। सर्वेक्षण के अनुसार जलवायु-संबंधी चरम घटनाएँ (लू, बाढ़, चक्रवात) प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 2-3% तक आर्थिक हानि पहुँचाती हैं, जबकि 2020 से आपदा-संबंधित सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि हुई है। लगभग 42% कार्यबल को समर्थन देने वाला कृषि क्षेत्र अत्यधिक जलवायु-संवेदनशील बना हुआ है, जिससे वर्षा-आघात के दौरान आय और खाद्य सुरक्षा जोखिम बढ़ जाते हैं।
- नीतिगत प्रतिक्रिया के अंतर्गत भारत राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) (आठ-क्षेत्रीय जलवायु मिशन रूपरेखा) को क्रियान्वित कर रहा है तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का विस्तार कर रहा है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी तथा जीवाश्म ईंधन आयात में कमी की संभावना है। नवीकरणीय ऊर्जा कॉरिडोर एवं ग्रिड आधुनिकीकरण से भी प्रणालीगत सहनशीलता में वृद्धि होती है।
- सर्वेक्षण केवल शमन-केन्द्रित रणनीतियों (उत्सर्जन में कमी) से आगे बढ़कर अनुकूलन योजना (जलवायु प्रभावों से होने वाली क्षति में कमी) को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल देता है। यह जलवायु वित्त के विस्तार, अवसंरचना निवेश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एकीकरण तथा बढ़ती जलवायु अस्थिरता के बीच सतत् वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु राज्य-स्तरीय जलवायु शासन को सुदृढ़ करने की अनुशंसा करता है।

अध्याय 11: शिक्षा एवं स्वास्थ्य

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव पूँजी (उत्पादकता बढ़ाने वाले कौशल, ज्ञान और स्वास्थ्य) के प्रमुख स्तंभों के रूप में चिन्हित करता है, जो भारत की दीर्घकालिक वृद्धि को संचालित करते हैं।
- **शिक्षा के संदर्भ में पहुँच संबंधी संकेतक सुदृढ़ हैं:**
  - माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (GER) (पात्र जनसंख्या के अनुपात में नामांकित छात्र) 2025 में 77% से अधिक हो गया, जबकि प्राथमिक स्तर पर नामांकन 98% से अधिक के साथ लगभग सार्वभौमिक है।
  - शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 3.5% बना हुआ है, जो स्थिर किन्तु उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपर्याप्त निवेश को दर्शाता है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में भी समानांतर प्रगति देखी गई है। संस्थागत प्रसव (चिकित्सकीय संस्थानों में जन्म) राष्ट्रीय स्तर पर 95% से अधिक हो गए हैं, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के जोखिम में कमी आई है।
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) (द्वितीयक एवं तृतीयक उपचार हेतु सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा) के अंतर्गत अब 50 करोड़ से अधिक लोगों को कवरेज प्राप्त है, जिससे यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में से एक बन गई है।
  - निवारक स्वास्थ्य संकेतकों में भी सुधार हुआ है, जहाँ 2025 में प्रतिरक्षण कवरेज 93% से अधिक रहा।
- फिर भी, गुणवत्ता संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अधिगम परिणाम असमान हैं, और राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार 30% से अधिक छात्र कक्षा-उपयुक्त मौलिक कौशल से वंचित हैं।
  - स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई राज्यों में चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात तथा विशेषज्ञों की उपलब्धता विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से कम है, जो क्षेत्रीय असमानताओं को दर्शाता है।
- सरकारी पहलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (परिणाम एवं दक्षता-आधारित शिक्षा सुधार) का क्रियान्वयन तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (डिजिटल स्वास्थ्य पहचान एवं अभिलेख) का विस्तार, जिसके अंतर्गत 60 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं।
  - सर्वेक्षण पहुँच-आधारित विस्तार से आगे बढ़कर परिणाम-आधारित शासन की ओर निर्णायक रूप से अग्रसर होने, शिक्षक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल क्षमता बढ़ाने तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी को विकसित करने की सिफारिश करता है, ताकि कवरेज को स्थायी मानव पूँजी लाभ में परिवर्तित किया जा सके।

अध्याय 12: रोजगार एवं कौशल विकास

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 समावेशी विकास के लिए रोजगार की गुणवत्ता तथा कौशल-संरेखण को केंद्रीय महत्त्व का विषय मानता है। भारत की श्रम बल सहभागिता दर (LFPR) (कार्य-आयु जनसंख्या का वह अनुपात जो कार्यरत है या कार्य की तलाश में है) दिसंबर 2025 तक बढ़कर 55.8% हो गई, जबकि बेरोजगारी दर घटकर लगभग 4.2% रह गई, जो श्रम बाजार के स्थिरीकरण को दर्शाती है (आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26; आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण)।
  - महिला LFPR 37% से अधिक हो गई, जो क्रमिक लैंगिक समावेशन को इंगित करती है। औपचारिक रोजगार में भी सुदृढ़ता आई, जहाँ 2025 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में औसतन प्रतिमाह 16 लाख से अधिक शुद्ध नए सदस्य जुड़े।
- 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं (वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित) में समेकित करने का उद्देश्य अनुपालन में सुधार करना तथा सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है।
  - फिर भी चुनौतियाँ गंभीर बनी हुई हैं। सर्वेक्षण रेखांकित करता है कि भारत की 80% से अधिक कार्यबल अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में है, विशेषकर गैर-कृषि रोजगार में।
  - कौशल-असंगति भी बनी हुई है-लगभग 40% नियोक्ता बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण नामांकन के बावजूद कार्य-तत्पर श्रमिकों की उपलब्धता में कठिनाई की रिपोर्ट करते हैं। तीव्र स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग से पुन:कौशल की आवश्यकता और बढ़ गई है।
- सरकारी पहलों में स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) (परिणाम-आधारित अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण), प्रशिक्षुता का विस्तार तथा श्रम संहिताओं के अंतर्गत गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज शामिल है।
- सर्वेक्षण नामांकन-आधारित कौशल प्रशिक्षण से आगे बढ़कर रोजगार-संबद्ध परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने, उद्योग की सशक्त सहभागिता तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप क्षेत्रीय कौशल पारितंत्र विकसित करने की सिफारिश करता है, ताकि भारत की जनसांख्यिकीय क्षमता को स्थायी रोजगार उपलब्धियों में परिवर्तित किया जा सके।

अध्याय 13: ग्रामीण विकास एवं सामाजिक प्रगति

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करता है। संशोधित विश्व बैंक गरीबी मानकों के अनुसार, अत्यधिक गरीबी घटकर 5.3% रह गई, जबकि निम्न-मध्यम आय गरीबी 2024-25 तक घटकर 23.9% हो गई, जो लक्षित कल्याण वितरण के प्रभाव को दर्शाती है (आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26)।
  - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली (लाभों का सीधे बैंक खातों में हस्तांतरण) के माध्यम से संचयी रूप से ₹38 लाख करोड़ से अधिक राशि हस्तांतरित की गई है, जिससे रिसाव में उल्लेखनीय कमी आई और दक्षता में सुधार हुआ।
- ग्रामीण विकास का दृष्टिकोण कल्याण-निर्भरता से उत्पादक सहभागिता की ओर परिवर्तित हो रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) (स्व-रोजगार एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों में संगठित की गई हैं, जिससे वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म उद्यम सृजन को बल मिला है।
  - महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) (मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी) के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 250 करोड़ मानव-दिवस सृजित किए गए, जिसने आर्थिक और जलवायु झटकों के दौरान प्रति-चक्रीय आय स्थिरीकरण का कार्य किया।
- इन उपलब्धियों के बावजूद चुनौतियाँ बनी हुई हैं। गरीबी उन्मूलन में क्षेत्रीय असमानताएँ अभी भी व्यापक हैं, और गैर-कृषि ग्रामीण रोजगार वृद्धि असमान है, जिससे आय विविधीकरण और सामाजिक गतिशीलता सीमित होती है। सार्वजनिक कार्यों पर निरंतर निर्भरता ग्रामीण उद्यम पारितंत्र की कमजोरी को इंगित करती है।
- सरकारी प्रयास DBT, NRLM, MGNREGA तथा विभिन्न योजनाओं के समेकन पर केंद्रित हैं। सर्वेक्षण ग्रामीण उद्यम विकास को गहराने, कृषि में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने तथा कल्याण को आजीविका एवं अवसंरचना के साथ एकीकृत करने की सिफारिश करता है, ताकि सुदृढ़ और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण किया जा सके।

अध्याय 14: भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारितंत्र का विकास

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) (सीखने, पूर्वानुमान तथा निर्णय-निर्माण जैसी मानव बुद्धि का अनुकरण करने वाली प्रणालियाँ) को एक सामान्य-उद्देश्यीय प्रौद्योगिकी (GPT) (अर्थव्यवस्था-व्यापी उत्पादकता प्रसार वाली प्रौद्योगिकी) के रूप में मान्यता देता है।
  - भारत वैश्विक AI कार्यबल का लगभग 16 प्रतिशत योगदान देता है और विश्व में तृतीय स्थान पर है, फिर भी वैश्विक AI पेटेंट में इसकी हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से कम है, जो प्रतिभा उपलब्धता और नवाचार उत्पादन के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर को दर्शाती है (आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26)।
- AI का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र गति से बढ़ रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार डिजिटल शासन, कृषि परामर्श, स्वास्थ्य निदान, फिनटेक ऋण मूल्यांकन तथा विनिर्माण स्वचालन में AI का प्रयोग उत्पादकता और सेवा दक्षता को बढ़ा रहा है। भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) (वृहद स्तर पर सेवा वितरण को सक्षम करने वाली आधारभूत डिजिटल प्रणालियाँ)-
  - जिसमें 1.3 अरब से अधिक लोगों को आच्छादित करने वाला आधार तथा 2025 में प्रति माह 12 अरब से अधिक लेनदेन संसाधित करने वाला यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) शामिल है-AI-संचालित सार्वजनिक सेवाओं के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करती है।
- फिर भी, सीमाएँ बनी हुई हैं। भारत की उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्षमता (बड़े AI मॉडलों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उन्नत संगणना) संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की तुलना में बहुत कम है, जिससे आधारभूत मॉडलों (बड़े, सामान्य-उद्देश्यीय AI तंत्र) के विकास में बाधा आती है। विदेशी मॉडलों पर अधिक निर्भरता डेटा संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़े जोखिम उत्पन्न करती है।
- इन अंतरालों को दूर करने हेतु सरकार ने इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन तथा राष्ट्रीय डेटा शासन रूपरेखा नीति (नवाचार हेतु सुरक्षित और गुमनाम डेटा साझाकरण) प्रारंभ की है।
  - सर्वेक्षण संप्रभु संगणना अवसंरचना में निवेश, नैतिक AI ढाँचे के विकास तथा AI-संबद्ध कौशल-विकास को प्रोत्साहित करने की सिफारिश करता है, और चेतावनी देता है कि समन्वित प्रयासों के अभाव में भारत एक वैश्विक AI नियम-निर्धारक के बजाय केवल AI उपयोगकर्ता बनकर रह सकता है।

अध्याय 15: शहरीकरण

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 शहरीकरण (जनसंख्या एवं आर्थिक गतिविधियों का शहरी क्षेत्रों में संकेंद्रण) को उत्पादकता और वृद्धि का प्रमुख प्रेरक मानता है। यद्यपि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की केवल 31% जनसंख्या शहरी श्रेणी में थी, फिर भी शहर राष्ट्रीय GDP का 60% से अधिक उत्पन्न करते हैं, जो शहरी-आर्थिक असंगति को दर्शाता है (सर्वेक्षण 2025-26)।
- डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन (DEGURBA - जनसंख्या घनत्व आधारित स्थानिक पद्धति) तथा ग्लोबल ह्यूमन सेटलमेंट्स लेयर (निर्मित क्षेत्रों का उपग्रह-आधारित मानचित्रण) के उपयोग से सर्वेक्षण 2015 तक भारत का वास्तविक शहरीकरण लगभग 63% अनुमानित करता है, जो जनगणना आँकड़ों से काफी अधिक है।

- उपग्रह-आधारित नाइट-टाइम लाइट्स (NTL - अंतरिक्ष से कृत्रिम प्रकाश की माप) आंकड़े परि-शहरी क्षेत्रों में घनी आर्थिक गतिविधि दर्शाते हैं, जिससे तीव्र उपनगरीकरण (नगर सीमाओं से बाहर शहरी विस्तार) की पुष्टि होती है।
- हालाँकि, शहर गंभीर दबाव का सामना कर रहे हैं: आवास की कमी 1 करोड़ से अधिक इकाइयों की है, यातायात जाम बढ़ रहा है, तथा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग सीमित है, जहाँ शहरी यात्राओं का 70% से अधिक निजी वाहनों द्वारा किया जाता है (सर्वेक्षण अनुमान)।
  - शहरी स्थानीय निकायों की स्वयं की आय GDP के 1% से कम है, जो सीमित राजकोषीय क्षमता को दर्शाती है।
- सरकारी पहलों जैसे अटल मिशन फॉर रीजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY&Urban), स्मार्ट सिटीज मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन-शहरी ने जल आपूर्ति, आवास, स्वच्छता एवं डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया है।
- सर्वेक्षण अवसंरचना निर्माण से आगे बढ़कर सुशासन सुधार, महानगरीय स्तर की योजना, भूमि-उपयोग का तार्किकीकरण तथा सतत् गतिशीलता पर बल देने की सिफारिश करता है।
  - इसका तर्क है कि कुशल शहरीकरण भारत की दीर्घकालिक वृद्धि और जीवन गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है।

अध्याय 16: आयात प्रतिस्थापन से रणनीतिक सहनशीलता एवं रणनीतिक अनिवार्यता की ओर

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 आयात प्रतिस्थापन (घरेलू उत्पादन के माध्यम से आयातों का प्रतिस्थापन) से रणनीतिक सहनशीलता (वैश्विक आपूर्ति झटकों का सामना करने की क्षमता) तथा रणनीतिक अनिवार्यता (वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के लिए अपरिहार्य बनना) की ओर भारत के संक्रमण की व्याख्या करता है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में, भारत के माल आयातों का लगभग 15% चीन से आया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक अवयवों, सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, लिथियम-आयन बैटरियों तथा सक्रिय औषधीय अवयवों (API) में 70% से अधिक आयात निर्भरता बनी रही, जो भू-राजनीतिक व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता को रेखांकित करती है।
- इस जोखिम को कम करने हेतु भारत ने 14 रणनीतिक क्षेत्रों में उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं (उत्पादन-आधारित विनिर्माण प्रोत्साहन) का विस्तार किया, जिन पर 2026 तक ₹2 लाख करोड़ से अधिक का संचयी व्यय निर्धारित किया गया।
- इसके परिणामस्वरूप, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 150 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 120 अरब अमेरिकी डॉलर से आगे बढ़ गया, जो आयात तीव्रता में कमी का संकेत देता है।
- औषधि क्षेत्र में, भारत ने वैश्विक टीका माँग का लगभग 60% आपूर्ति किया, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदाता के रूप में उसकी भूमिका सुदृढ़ हुई।
- सर्वेक्षण चेतावनी देता है कि सहनशीलता संरक्षणवाद पर आधारित नहीं हो सकती। इसके स्थान पर यह निर्यात-प्रधान विनिर्माण, व्यापार विविधीकरण, महत्त्वपूर्ण खनिज सुरक्षा तथा मानक-निर्धारण में नेतृत्व की वकालत करता है।
- निष्कर्षतः, रणनीतिक सामर्थ्य घरेलू क्षमता द्वारा समर्थित वैश्विक एकीकरण में निहित है, जिससे भारत सहनशील और वैश्विक रूप से अनिवार्य बना रह सके।

निष्कर्ष

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत की महामारी-पश्चात् पुनर्प्राप्ति से संरचनात्मक, सहनशीलता-आधारित वृद्धि की ओर संक्रमण का एक सुसंगत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
- विभिन्न अध्यायों में यह सुदृढ़ व्यापक आर्थिक आधारों, राजकोषीय विश्वसनीयता, वित्तीय स्थिरता तथा कृषि, विनिर्माण, सेवाओं, अवसंरचना, मानव पूँजी और उभरती प्रौद्योगिकियों में क्षेत्रीय रूपांतरण को रेखांकित करता है।
- सर्वेक्षण इस बात पर बल देता है कि सार्वजनिक पूँजीगत व्यय, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा संस्थागत सुधार प्रमुख वृद्धि-सक्षम कारक हैं, जबकि जलवायु सहनशीलता, रोजगार की गुणवत्ता तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तत्परता भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मकता को परिभाषित करेंगी।
- हालाँकि, क्षेत्रीय असमानताएँ, कौशल असंतुलन, जलवायु जोखिम तथा प्रौद्योगिकी अंतर जैसी स्थायी चुनौतियाँ सुधारों की निरंतरता, प्रशासनिक क्षमता और निजी क्षेत्र की सहभागिता की अपेक्षा करती हैं।
- समग्र रूप से, सर्वेक्षण का तर्क है कि उच्च वृद्धि को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक प्रोत्साहनों के बजाय उत्पादकता-आधारित विस्तार, समावेशी विकास तथा रणनीतिक नीतिगत समन्वय की आवश्यकता है।

यूएन उच्च समुद्र संधि

संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित "राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से परे जैव-विविधता" संधि लागू हो गई है, जिसके माध्यम से उच्च समुद्र जैव-विविधता के संरक्षण हेतु पहला बाध्यकारी वैश्विक ढाँचा स्थापित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- उच्च समुद्री क्षेत्र, जो वैश्विक महासागर का लगभग दो-तिहाई भाग आच्छादित करता है, राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से परे स्थित है और पारंपरिक रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून अभिसमय (UNCLOS), 1982 के अंतर्गत व्यापक सिद्धांतों द्वारा संचालित रहा है। यद्यपि UNCLOS ने नौवहन, मत्स्य-शिकार और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता की गारंटी दी, तथापि इसने राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से परे क्षेत्रों (ABNJ) के लिए विशिष्ट जैव-विविधता संरक्षण तंत्र स्थापित नहीं किए।
- इस विनियामक अंतराल के कारण अतिदोहन (overfishing), अनियंत्रित जैव-अन्वेषण (bioprospecting) तथा प्रदूषण न्यूनतम पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों के साथ बढ़ते रहे।
- समय के साथ वैज्ञानिक प्रमाणों ने उच्च समुद्री क्षेत्रों में तीव्र होती जैव-विविध ता क्षरण को उजागर किया, जिसमें प्रवासी मत्स्य भंडारों में गिरावट, गहरे समुद्री पारितंत्रों को क्षति तथा समुद्री आनुवंशिक संसाधनों तक असमान पहुँच सम्मिलित हैं। शासन-व्यवस्था खंडित बनी रही, क्योंकि क्षेत्र-विशिष्ट निकाय, जैसे क्षेत्रीय मत्स्य संगठन, मुद्दों को पृथक रूप से संबोधित करते रहे और संचयी पर्यावरणीय प्रभावों के समग्र प्रबंधन में विफल रहे।
- इन संरचनात्मक कमियों को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में एक अंतर-सरकारी सम्मेलन के माध्यम से व्यापक विधिक ढाँचा स्थापित करने हेतु औपचारिक वार्ताएँ प्रारंभ कीं। संरक्षण लक्ष्यों, आर्थिक हितों तथा विकसित और विकासशील देशों के मध्य समानता संबंधी चिंताओं के संतुलन हेतु दीर्घ वार्ताओं के पश्चात् "राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से परे जैव-विविधता (BBNJ) समझौता" 2023 में अंगीकृत किया गया।
- UNCLOS के अंतर्गत तृतीय क्रियान्वयन समझौते के रूप में, BBNJ संधि वैश्विक महासागर शासन को स्वतंत्रता-आधारित दोहन से पारितंत्र-आधारित, सहकारी संरक्षण की दिशा में स्थानांतरित करती है, जो जलवायु परिवर्तन, समुद्री क्षरण तथा वैश्विक साझा संसाधनों की सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता को परिलक्षित करती है।

BBNJ संधि का महत्त्व

- **वैश्विक साझा संसाधनों हेतु पहला बाध्यकारी शासन-ढाँचा:**
  - BBNJ संधि राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से परे क्षेत्रों के लिए पहला विधिक रूप से बाध्यकारी जैव-विविधता शासन-प्रणाली स्थापित करती है, जो वैश्विक महासागर के लगभग 64 प्रतिशत भाग को आवृत करती है (संयुक्त राष्ट्र, 2025)।
  - भारत के संदर्भ में, जिसकी मत्स्य-व्यवस्था ट्रूना जैसी प्रवासी प्रजातियों पर निर्भर है, पूर्व में उच्च समुद्री शासन की कमजोरी ने तटीय आजीविकाओं को प्रभावित किया। खाद्य एवं कृषि संगठन (2025) के अनुसार, उच्च समुद्री मत्स्य भंडारों का 37 प्रतिशत अतिदोहन की स्थिति में है, जिसका सीधा प्रभाव हिंद महासागर में मत्स्य-स्थिरता पर पड़ता है।
- **वैश्विक तथा भारत की समुद्री संरक्षण प्रतिबद्धताओं की प्राप्ति में सहायक:**
  - यह संधि उच्च समुद्री क्षेत्रों में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना को सक्षम बनाती है, जिससे कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता ढाँचे के अंतर्गत स्वीकृत 30×30 लक्ष्य के कार्यान्वयन को बल मिलता है। भारत की ब्लू इकोनॉमी नीति तथा राष्ट्रीय जैव-विविधता कार्ययोजना (2025 अद्यतन) यह स्वीकार करती है कि केवल तटीय संरक्षण पर्याप्त नहीं है।
  - संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (2026) के अनुसार, उच्च समुद्री पारितंत्र मानसूनी प्रणालियों तथा कार्बन चक्र को विनियमित करते हैं, जो भारत की जलवायु स्थिरता के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
- **प्रतिक्रियात्मक से निवारक विनियमन की ओर परिवर्तन:**
  - उच्च समुद्री गतिविधियों के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) प्रावधान क्षति-नियंत्रण की बजाय एहतियाती दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हैं। भारत के लिए यह हिंद महासागर में अनियंत्रित समुद्र-तल अवसंरचना और जैव-अन्वेषण से पारितंत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  - जैव-विविधता एवं पारितंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच (2025) ने चेतावनी दी है कि गहरे समुद्री क्षेत्रों में गतिविधियाँ शासन-व्यवस्था की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे विशेषत: जैव-विविधता समृद्ध विकासशील क्षेत्रों, जैसे हिंद महासागर, के लिए जोखिम बढ़ रहा है।
- **समुद्री आनुवंशिक संसाधनों के लाभ-साझेदारी द्वारा समानता को प्रोत्साहन:**
  - समुद्री आनुवंशिक संसाधन औषधि और जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की आधारशिला हैं, किंतु इनके लाभ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रित हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (2025) के अनुसार, समुद्री आनुवंशिक पेटेंट का 70 प्रतिशत से अधिक भाग उच्च-आय देशों से उत्पन्न होता है।
  - भारत के लिए, जो डीप ओशन मिशन और जैव-अर्थव्यवस्था रणनीति के अंतर्गत समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी में प्रगति कर रहा है, न्यायसंगत लाभ-साझेदारी तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
- **बहुपक्षवाद और भारत की समुद्री कूटनीति को सुदृढ़ करना:**
  - BBNJ संधि नियम-आधारित बहुपक्षीय समुद्री शासन को सुदृढ़ करती है, ऐसे समय में जब वैश्विक सहयोग खंडित होता जा रहा है। वैश्विक साझा संसाधनों में विकासशील देशों की समानता की वकालत करने वाले भारत के लिए, यह संधि दक्षिण-दक्षिण सहयोग में नेतृत्व को सशक्त करती है।
  - विदेश मंत्रालय (2025) के अनुसार, भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन जैसे मंचों के माध्यम से भारत की समुद्री कूटनीति की भूमिका बढ़ रही है, जहाँ सामूहिक उच्च समुद्री शासन क्षेत्रीय स्थिरता, सतत् मत्स्य-प्रबंधन तथा दीर्घकालिक समुद्री सुरक्षा को समर्थन प्रदान करता है।

चिंताएँ और सीमाएँ

- **संधि ढाँचे से गहरे समुद्री खनन का बहिष्करण:** BBNJ संधि गहरे समुद्री खनन को विनियमित नहीं करती, जो अभी भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र-तल प्राधिकरण के अधीन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (2025) के अनुसार, अन्वेषण खनन लाइसेंस वर्तमान में समुद्र-तल के 15 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। भारत, जिसके पास मध्य हिंद महासागर बेसिन में अन्वेषण अनुबंध हैं, के लिए संरक्षण प्रतिबद्धताओं के बावजूद जैव-विविधता संबंधी जोखिम बने हुए हैं।
- **विस्तृत उच्च समुद्री क्षेत्रों में कमजोर प्रवर्तन क्षमता:** उच्च समुद्री क्षेत्रों में अनुपालन की निगरानी तकनीकी रूप से जटिल और महँगी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (2026) के अनुसार, उच्च समुद्री क्षेत्र का 30 प्रतिशत से कम भाग वास्तविक समय में प्रभावी रूप से निगरानी में है।
  - भारत जैसे विकासशील देशों को उपग्रह निगरानी, गश्ती क्षमता तथा वैज्ञानिक जनशक्ति में सीमाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे विधिक प्रावधानों के बावजूद प्रभावी प्रवर्तन में बाधाएँ आती हैं।
- **विकासशील देशों पर कार्यान्वयन का बोझ:**
  - अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) के लिए उन्नत वैज्ञानिक विशेषज्ञता और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (2025) के अनुसार, अनेक विकासशील देशों के पास समुद्री जैव-विविधता का आधारभूत आँकड़ा उपलब्ध नहीं है।
  - भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने गहरे महासागर के पारिस्थितिक मानचित्रण में अंतराल स्वीकार किए हैं, जो BBNJ निर्णय-प्रक्रिया एवं अनुपालन में सार्थक भागीदारी को सीमित कर सकते हैं।
- **सार्वभौमिक अनुमोदन का अभाव:** संयुक्त राज्य अमेरिका सहित प्रमुख समुद्री शक्तियों ने 2026 तक संधि का अनुमोदन नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की महासागर रिपोर्ट (2025) के अनुसार, अपूर्ण सहभागिता प्रवर्तन की विश्वसनीयता को कमजोर करती है।
  - भारत के लिए असमान वैश्विक अनुपालन का अर्थ यह है कि नियमों का पालन करने वाले देशों को प्रतिस्पर्धात्मक हानि हो सकती है, जबकि गैर-भागीदार देश अनियमित दोहन जारी रख सकते हैं।
- **उल्लंघनों के विरुद्ध सीमित दंडात्मक तंत्र:** संधि मुख्यतः सहयोग, पारदर्शिता और प्रतिवेदन पर आधारित है, दंडात्मक प्रावधानों पर नहीं। खाद्य और कृषि संगठन (2026) के अनुसार, अवैध, अप्रतिवेदित और अनियमित (IUU) मत्स्य-शिकार से प्रतिवर्ष 20 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की वैश्विक हानि होती है। नए मानकों के बावजूद हिंद महासागर मत्स्य-क्षेत्र संवेदनशील बने हुए हैं, क्योंकि निवारक तंत्र संस्थागत रूप से अभी भी कमजोर हैं।

संस्थागत तंत्र और BBNJ संधि द्वारा इन चुनौतियों का समाधान

- **समन्वित वैश्विक शासन हेतु पक्षकार सम्मेलन (COP):** BBNJ संधि सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय के रूप में COP की स्थापना करती है, ताकि खंडित समुद्री शासन की समस्या का समाधान किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र (2025) के अनुसार, COP समुद्री संरक्षित क्षेत्रों, EIA सीमाओं और अनुपालन प्रतिवेदन पर बाध्यकारी निर्णय ले सकता है।
  - भारत के लिए COP में सहभागिता सामूहिक नियम-निर्धारण को सक्षम बनाती है, जिससे शक्तिशाली राज्यों द्वारा एकतरफा दोहन की संभावना घटती है।
- **आँकड़ा और क्षमता अंतराल को पाटने हेतु क्लियरिंग-हाउस तंत्र:**
  - संधि समुद्री वैज्ञानिक आँकड़ों, श्रेष्ठ प्रथाओं और अनुसंधान निष्कर्षों के आदान-प्रदान हेतु क्लियरिंग-हाउस तंत्र स्थापित करती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (2026) के अनुसार, खुली पहुँच वाले महासागरीय डेटा प्लेटफॉर्म विकासशील देशों की सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि करते हैं।
  - यह भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा डीप ओशन मिशन जैसे कार्यक्रमों को घरेलू आँकड़ा-अंतराल की पूर्ति में सहायक होगा।
- **विकासशील देशों हेतु समर्पित वित्तीय तंत्र:** संधि के अंतर्गत वैश्विक वित्तपोषण तंत्र क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा सहभागिता लागत को समर्थन देता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (2025) के अनुसार, पूर्वानुमेय बहुपक्षीय वित्तपोषण निम्न-क्षमता वाले देशों में EIA की गुणवत्ता में सुधार लाता है। भारत के लिए यह राष्ट्रीय तटीय मिशन और ब्लू इकोनॉमी नीति जैसी पहलों को वित्तीय व तकनीकी समर्थन प्रदान करेगा।
- **मानकीकृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन ढाँचा:**
  - BBNJ के अंतर्गत मानकीकृत EIA प्रक्रियाएँ उच्च समुद्री क्षेत्रों में नियामक प्रतिस्पर्धा (regulatory arbitrage) को कम करती हैं। जैव-विविधता एवं पारितंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच (2025) के अनुसार, एहतियाती आकलन दीर्घकालिक पारितंत्रीय क्षति को कम करते हैं।
  - भारत को अपने अन्वेषण क्षेत्रों के समीप अनियंत्रित गहरे समुद्री गतिविधियों से हिंद महासागर पारितंत्र की सुरक्षा में लाभ होगा।
- **क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम:** संधि विकासशील देशों के लिए प्रशिक्षण, वैज्ञानिक सहयोग और प्रौद्योगिकी पहुँच को संस्थागत रूप देती है। खाद्य एवं कृषि संगठन (2026) के अनुसार, ऐसा सहयोग IUU मत्स्य-शिकार को कम करने से जुड़ा है। भारत के लिए यह सागरमाला, राष्ट्रीय मत्स्य नीति और उपग्रह-आधारित महासागर निगरानी पहलों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रवर्तन क्षमता को सुदृढ़ करेगा।

आगे की राह

- **सार्वभौमिक अनुमोदन और नियम-आधारित अनुपालन को गति देना:**
  - प्रमुख समुद्री शक्तियों के बीच अनुमोदन का विस्तार प्राथमिकता होना चाहिए, ताकि उच्च समुद्री क्षेत्रों में नियामक प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (2025) के अनुसार, लगभग सार्वभौमिक सहभागिता वाली संधियों में अनुपालन दर अधिक होती है।
  - भारत के लिए प्रारंभिक अनुमोदन वैश्विक दक्षिण में नेतृत्व को सुदृढ़ करेगा।
- **निगरानी, पर्यवेक्षण और प्रवर्तन क्षमता को मजबूत करना:**
  - प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उन्नत उपग्रह ट्रैकिंग, पोत निगरानी प्रणाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित निगरानी आवश्यक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (2026) के अनुसार, उपग्रह और स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) डेटा का एकीकरण अवैध मत्स्य-शिकार में 30 प्रतिशत से अधिक कमी ला सकता है।

- भारत इसरो उपग्रहों, सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र तथा इंडो-पैसिफिक महासागर पहल का उपयोग कर अनुपालन को सुदृढ़ कर सकता है।

- **विकासशील देशों की वैज्ञानिक और संस्थागत क्षमता का निर्माण:**
  - लक्षित वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विकासशील देशों की सार्थक भागीदारी के लिए अनिवार्य हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (2025) के अनुसार, 40 से कम विकासशील देशों के पास गहरे महासागर का आधारभूत पारिस्थितिक आँकड़ा उपलब्ध है।
  - भारत के लिए राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र तथा डीप ओशन मिशन के वैज्ञानिक उत्पादन का विस्तार EIA क्षमता को सुदृढ़ करेगा।
- **BBNJ उद्देश्यों का जलवायु और जैव-विविधता ढाँचों से एकीकरण:**
  - उच्च समुद्री संरक्षण को जलवायु शमन और अनुकूलन रणनीतियों के साथ समन्वित करना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (2026) के अनुसार, स्वस्थ खुले महासागरीय पारितंत्र लगभग 25 प्रतिशत मानव-निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं।
  - भारत BBNJ कार्यान्वयन को राष्ट्रीय जैव-विविधता कार्ययोजना, दीर्घकालिक निम्न-उत्सर्जन विकास रणनीति तथा ब्लू इकोनॉमी नीति के साथ समेकित कर जलवायु और पारिस्थितिक सह-लाभ अधिकतम कर सकता है।
- **समुद्री आनुवंशिक संसाधनों की न्यायसंगत लाभ-साझेदारी का संचालन:**
  - असमान दोहन से बचने हेतु स्पष्ट मूल्यांकन, प्रकटीकरण और लाभ-साझेदारी तंत्र विकसित किए जाने चाहिए।
  - संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (2025) समुद्री आनुवंशिक संसाधनों के लिए अनिवार्य पेटेंट प्रकटीकरण की अनुशंसा करता है।
  - भारत के लिए BBNJ लाभ-साझेदारी को जैव-विविधता अधिनियम के साथ संरेखित करना तथा जैव-अर्थव्यवस्था और डीप ओशन मिशन के अंतर्गत समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का समर्थन करना समानता और नवाचार दोनों को प्रोत्साहित करेगा।

राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता (BBNJ)

- यह उन समुद्री जीवों और संसाधनों को दर्शाता है जो किसी देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) से बाहर पाए जाते हैं।
- इसमें मुख्य रूप से उच्च समुद्र (हाई सीज) और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल (क्षेत्र) शामिल हैं।
- यह वैश्विक महासागर के लगभग 64% हिस्से और पृथ्वी की सतह के लगभग आधे भाग को कवर करता है।
- यह समुद्री पर्वत, गहरे समुद्र के मूंगे, हाइड्रोथर्मल वेंट, प्लवक (प्लैंकटन) और प्रवासी प्रजातियों जैसे समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों का घर है।
- यह जलवायु संतुलन, कार्बन भंडारण और वैश्विक मत्स्य पालन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह विज्ञान और चिकित्सा के लिए मूल्यवान समुद्री आनुवंशिक संसाधन प्रदान करता है।
- इसे अत्यधिक मछली पकड़ने, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और गहरे समुद्र में खनन से खतरा है।
- सतत उपयोग के लिए इसे UNCLOS के अंतर्गत 2023 के BBNJ समझौते द्वारा संचालित किया जाता है।

आधुनिक युद्ध और भारत की उभरती सुरक्षा चुनौतियाँ

सेना प्रमुख ने UAE National Defence College में अपने संबोधन के दौरान आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति पर प्रकाश डाला, जो पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों के अभिसरण से चिह्नित है।

युद्धक्षेत्र को आकार देने वाली प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ

- प्रौद्योगिकी एक सहायक उपकरण से आगे बढ़कर "बल गुणक" बन चुकी है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा प्रभुत्व:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता वास्तविक समय में खुफिया जानकारी के प्रसंस्करण और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण को सक्षम बनाती है। जो निर्णय पहले घंटों में लिए जाते थे, वे अब सेकंडों में लिए जाते हैं।
  - जो सेनाएँ 'डेटा प्रभुत्व' प्राप्त कर लेती हैं, अर्थात् शत्रु से अधिक तीव्र गति से विशाल डेटा का संग्रह, प्रसंस्करण और उपयोग करने की क्षमता रखती हैं, वे अत्यंत बड़ी स्थितिजन्य बढ़त हासिल करती हैं।

आधुनिक युद्ध (Modern Warfare)

- **असममित युद्ध (Asymmetric Warfare):** छोटी सैन्य शक्तियाँ या गैर-राज्यीय तत्व तकनीक (जैसे सस्ते ड्रोन) का उपयोग करके शक्तिशाली पारंपरिक सेनाओं को चुनौती देते हैं।
- **मल्टी-डोमेन ऑपरेशन्स:** अब अंतरिक्ष और साइबरस्पेस में की जाने वाली कार्रवाइयाँ भी जमीन पर होने वाली कार्रवाइयों जितनी ही महत्त्वपूर्ण हो गई हैं।
- **हाइब्रिड और ग्रे-जोन रणनीतियाँ:** ये आक्रामक कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे साइबर-हमले या गलत सूचना फैलाना, जो खुले और घोषित युद्ध की सीमा से नीचे रहकर की जाती हैं।

मानवरहित और स्वायत्त प्रणालियाँ:

- ड्रोन (यूएवी), लोटरिंग म्यूनिशन (आत्मघाती ड्रोन) तथा मानव रहित नौसैनिक प्लेटफॉर्म ने निगरानी और आक्रमण क्षमताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। ये प्रणालियाँ मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं और युद्धक्षेत्र पर निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करती हैं।
- **साइबर और सूचना युद्ध:**
  - साइबर-हमले किसी राष्ट्र की 'तंत्रिका-प्रणाली' अर्थात उसकी विद्युत ग्रिड, वित्तीय प्रणालियों और सैन्य कमान नेटवर्क को लक्ष्य बनाते हैं।
  - सूचना युद्ध दुष्प्रचार और मनोवैज्ञानिक अभियानों का उपयोग कर जनमत को प्रभावित करता है तथा किसी राष्ट्र को भीतर से कमजोर करता है।
- **अंतरिक्ष और हाइपरसोनिक हथियार:**
  - अंतरिक्ष अब एक परिचालन क्षेत्र बन चुका है, जो जीपीएस नेविगेशन, मिसाइल मार्गदर्शन और सुरक्षित संचार के लिए आवश्यक है।
  - साथ ही, हाइपरसोनिक हथियार (ध्वनि की गति से पाँच गुना अधिक गति से उड़ने वाले) अपनी अत्यधिक गति और संचालन क्षमता के कारण पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों को चुनौती देते हैं।

भारत के लिए उभरती सुरक्षा चुनौतियाँ

- **हाइब्रिड और ग्रे-जोन खतरे:** 2017 में डोकलाम और 2020 में लद्दाख में भारत के गतिरोध ग्रे-जोन दबाव के प्रमुख उदाहरण हैं। ये संघर्ष पूर्ण पैमाने के युद्ध में परिवर्तित हुए बिना क्षेत्रीय दबाव को सम्मिलित करते हैं।
- **साइबर संवेदनशीलताएँ:** CERT-In के आकलनों के अनुसार, भारत साइबर-हमलों के लिए सर्वाधिक लक्षित पाँच देशों में शामिल है।
- **समुद्री और अंतरिक्ष जोखिम:**
  - भारत के कुल व्यापार का 90% से अधिक मात्रा के आधार पर समुद्री मार्गों से संचालित होता है, इसलिए समुद्री क्षेत्रीय जागरूकता आर्थिक अस्तित्व का प्रश्न है।
  - इसके अतिरिक्त, उपग्रह नेटवर्क में किसी भी प्रकार का व्यवधान नागरिक जीवन (बैंकिंग, जीपीएस) और सैन्य अभियानों दोनों को पंगु बना सकता है।

भारत की संस्थागत और रणनीतिक प्रतिक्रिया

- **सैन्य आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण:** 2025-26 के रक्षा बजट में लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये की पूँजीगत व्यय का प्रावधान किया गया, जिसमें 75% से अधिक घरेलू खरीद के लिए निर्धारित है। तेजस लड़ाकू विमान, आकाश मिसाइल प्रणाली और पिनाका रॉकेट जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म "आत्मनिर्भर" अभियान के केंद्र में हैं।
- **संरचनात्मक सुधार:** थलसेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संयुक्त योजना सुनिश्चित करने हेतु चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पद सृजित किया गया तथा एकीकृत थिएटर कमान की परिकल्पना की गई।
- **समर्पित एजेंसियाँ:** रक्षा साइबर एजेंसी (DCA) और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA) की स्थापना से इन क्षेत्रों को प्राथमिक युद्धक्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई।
- **अंतरिक्ष रक्षा:** 2024 में सरकार ने स्पेस-बेस्ड सर्विलांस प्रोग्राम के चरण-3 को स्वीकृति दी, जिसके अंतर्गत 52 निगरानी उपग्रहों का प्रक्षेपण प्रस्तावित है, जिसमें इसरो और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी शामिल है।

अंतराल और नैतिक जोखिम

- **कानूनी अंतराल:** 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतरिक्ष में व्यापक विनाश के हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन एएसएटी परीक्षणों, लेजर या साइबर उपकरणों पर स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाती।
- भारत के पास वर्तमान में निजी और सैन्य अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियमित करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का अभाव है।
- **एआई नैतिकता:** एआई-आधारित युद्ध "एल्गोरिथ्मिक पक्षपात" और अनजाने में तनाव वृद्धि के जोखिम को जन्म देता है, यदि मशीनें मानवीय पर्यवेक्षण के बिना जीवन-मृत्यु के निर्णय लेने लगें।

रिमोट-सेंसिंग प्रौद्योगिकी

2025 के एक राष्ट्रीय भू-स्थानिक आकलन में शासन, आपदा प्रबंधन, कृषि, शहरी नियोजन, पर्यावरण निगरानी और सुरक्षा क्षेत्रों में रिमोट-सेंसिंग प्रौद्योगिकियों के तीव्र विस्तार को रेखांकित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- रिमोट सेंसिंग का अर्थ है पृथ्वी की सतह के बारे में बिना प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क के उपग्रहों, विमानों या ड्रोन का उपयोग करके जानकारी एकत्र करना।
- यह शीत युद्ध के दौरान मौसम पूर्वानुमान, सैन्य निगरानी और दुर्गम भूभाग के मानचित्रण के लिए भू-आधारित अवलोकन की सीमाओं को पार करने के लिए विकसित हुआ। भारत ने 1970 के दशक में भारतीय रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम के माध्यम से रिमोट सेंसिंग को अपनाया, ताकि खाद्य असुरक्षा, जल संसाधन प्रबंधन और मूलभूत मानचित्रण की कमियों को संबोधित किया जा सके।
- दशकों के दौरान, सेंसर रेजोल्यूशन, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग और बार-बार उपग्रह प्रक्षेपण में सुधार ने कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन में अनुप्रयोगों का विस्तार किया। इन प्रगतियों ने राष्ट्रीय स्तर की निगरानी और योजना को सुदृढ़ किया, लेकिन कौशल की कमी, उच्च-रेजोल्यूशन डेटा तक सीमित पहुँच और भू-आधारित सर्वेक्षणों के साथ कमजोर एकीकरण के कारण स्थानीय उपयोग असमान रहा।
- तेज शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति ने इन कमियों को और अधिक स्पष्ट किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार, 2018 और 2025 के बीच पृथ्वी-अवलोकन डेटा की माँग दोगुने से अधिक हो गई।
- उदाहरण के लिए, असम में उपग्रह-आधारित बाढ़ मानचित्रण ने प्रभावित गाँवों की शीघ्र पहचान में सुधार किया, लेकिन राहत के परिणाम अभी भी जिला क्षमता, प्रशिक्षित जनशक्ति और प्रशासनिक समन्वय पर निर्भर थे।

महत्त्व

- **साक्ष्य-आधारित शासन और योजना:** रिमोट सेंसिंग भूमि, जल और अवसंरचना योजना के लिए समय पर बड़े क्षेत्र का डेटा प्रदान करके साक्ष्य-आधारित शासन को सुदृढ़ करता है।
  - 2025 में दो सौ परियोजनाओं ने उपग्रह डेटा का उपयोग किया, जिससे राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों की तुलना में अधिक लाभ हुआ क्योंकि कौशल अंतर बने रहे।
- **आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया में सुधार:** रिमोट सेंसिंग चेतावनी, क्षति आकलन और प्रतिक्रिया समन्वय के माध्यम से आपदा तैयारी को बेहतर बनाता है, विशेषकर चक्रवात और बाढ़-प्रवण राज्यों में हानि को कम करता है, हालाँकि निकासी अभी भी स्थानीय क्षमता पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार 2024-25 की आपदाओं के दौरान उपग्रह मानचित्रण की सटीकता में सुधार हुआ।
- **कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा:** रिमोट सेंसिंग फसल उपज अनुमान, मृदा आर्द्रता निगरानी और परामर्श सेवाओं को सक्षम बनाकर कृषि उत्पादकता का समर्थन करता है, जिससे बड़े किसानों को छोटे कृषकों की तुलना में अधिक लाभ मिलता है क्योंकि पहुँच में अंतर है।
  - 2025 तक उपग्रह परामर्श पंद्रह राज्यों को कवर कर रहे थे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा योजना और नीति निर्माण में सुधार हुआ।
- **पर्यावरणीय निगरानी और जलवायु कार्रवाई:** रिमोट सेंसिंग वनों, आर्द्रभूमियों, तटरेखाओं और प्रदूषण का अनुसरण करके पर्यावरणीय निगरानी को सुदृढ़ करता है, हालाँकि स्थानीय स्तर पर प्रवर्तन कमजोर बना रहता है। 2023 से वन आवरण आकलन उपग्रह डेटा पर निर्भर हैं, जबकि बादल आवरण और भूभाग सटीकता को प्रभावित करते हैं, जैसा कि Forest Survey India ने उल्लेख किया है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा और निगरानी सुदृढ़ीकरण:** रिमोट सेंसिंग सीमा और तटीय निगरानी तथा रणनीतिक जागरूकता में सुधार करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है, बिना तैनाती के जोखिम के, जिससे रक्षा एजेंसियों को नागरिकों की तुलना में अधिक लाभ मिलता है। 2025 तक संवेदनशील क्षेत्रों में उच्च-रेजोल्यूशन इमेजरी का विस्तार हुआ, जबकि नागरिक नवाचार को पहुँच प्रतिबंधों और नीतिगत चिंताओं का सामना करना पड़ा।

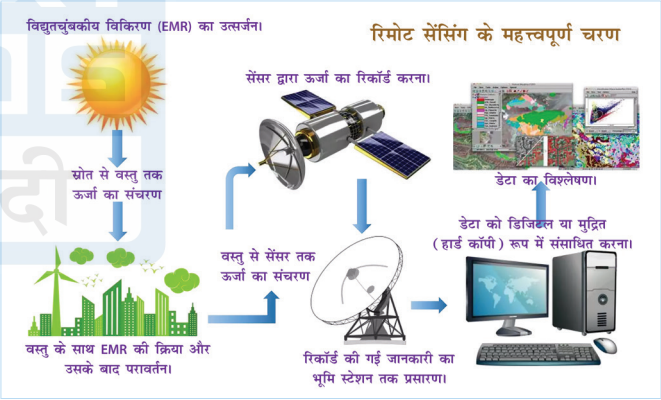

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **डेटा पहुँच और रेजोल्यूशन अंतर:** हालाँकि उपग्रह कवरेज का विस्तार हुआ है, उच्च-रेजोल्यूशन रिमोट-सेंसिंग डेटा अभी भी प्रतिबंधित या महँगा है, जिससे नगरपालिकाओं, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स द्वारा उपयोग सीमित रहता है।
  - 2025 में अधिकांश जिलों ने मध्यम-रेजोल्यूशन इमेजरी पर निर्भरता रखी, जिससे शहरी मानचित्रण, भूजल पहचान और सूक्ष्म-स्तरीय योजना की सटीकता कम हुई।
- **स्थानीय स्तर पर कुशल मानव संसाधन की कमी:**
  - उन्नत भू-स्थानिक विश्लेषण के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता होती है, लेकिन जिला प्रशासन में क्षमता की कमी है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण पहलों के बावजूद, 2024-25 के दौरान परियोजनाओं में देरी बनी रही क्योंकि उपग्रह डेटा की व्याख्या कौशल केंद्रीय एजेंसियों, विश्वविद्यालयों और निजी कंपनियों में केंद्रित रहे।

- **उपग्रह-स्थल डेटा का कमजोर एकीकरण:** रिमोट सेंसिंग सामाजिक, भू-अधिकार और अनौपचारिक बस्ती डेटा के लिए क्षेत्रीय सत्यापन का स्थान नहीं ले सकता।
  - भू-आधारित सर्वेक्षणों के साथ कमजोर एकीकरण योजना की सटीकता को कम करता है, विशेषकर झुग्गियों और खंडित कृषि भूमि में। 2025 में कई राज्य परियोजनाओं में उपग्रह मानचित्रों और जमीनी वास्तविकताओं के बीच असंगति देखी गई।
- **विदेशी उपग्रहों पर रणनीतिक निर्भरता:** भारत अभी भी अति-उच्च-रेजोल्यूशन इमेजरी के लिए विदेशी प्रदाताओं पर निर्भर है, जिससे लागत और रणनीतिक संवेदनशीलता बढ़ती है। यद्यपि 2025 तक घरेलू उपग्रह क्षमता में सुधार हुआ, रक्षा, अवसंरचना और शहरी योजना एजेंसियाँ विशेषीकृत डेटा आयात करती रहीं।
- **खुलेपन और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन:** खुला भू-स्थानिक डेटा नवाचार का समर्थन करता है, लेकिन अनियंत्रित पहुँच सुरक्षा जोखिम उत्पन्न कर सकती है। परिणामस्वरूप, कड़े नियंत्रण नागरिक अनुप्रयोगों को सीमित करते हैं। 2025 में सरकारी एजेंसियों द्वारा आंतरिक उपग्रह उपयोग और निगरानी क्षमताओं का विस्तार होने के बावजूद, मंजूरी में देरी के कारण स्टार्टअप्स को धीमी नवाचार प्रक्रिया का सामना करना पड़ा।

चुनौतियों से निपटने हेतु सरकारी प्रयास

- **राष्ट्रीय उपग्रह कार्यक्रमों द्वारा आत्मनिर्भरता सुदृढ़ करना:** भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह कार्यक्रम और कार्टोसेट मिशन विदेशी इमेजरी पर निर्भरता कम करने में महत्त्वपूर्ण हैं। इनका महत्त्व 2025 तक कृषि, आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा के लिए विश्वसनीय डेटा सुनिश्चित करने में निहित है, यद्यपि लागत और प्राथमिकता के कारण अति-उच्च-रेजोल्यूशन नागरिक पहुँच अब भी प्रतिबंधित है।
- **भू-स्थानिक मानव संसाधन क्षमता निर्माण हेतु कौशल भारत मिशन:** कौशल भारत मिशन और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम उपग्रह डेटा की व्याख्या में विश्लेषकों को प्रशिक्षित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
  - ये शासन और योजना की आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं, फिर भी 2025 तक जिला प्रशासन में स्वीकृत तकनीकी पदों, सतत् प्रशिक्षण और स्पष्ट कैरियर पथों की कमी तथा राज्यों के बीच असमानता के कारण मानव संसाधन की कमी बनी हुई है।
- **डेटा एकीकरण में सुधार हेतु प्लेटफॉर्म:** राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र और भुवन भू-प्लेटफॉर्म उपग्रह इमेजरी को जमीनी सर्वेक्षणों से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण हैं। 2025 तक इन्होंने आपदा मानचित्रण और शहरी नियोजन की सटीकता में सुधार किया, किंतु राज्य विभागों, नगर निकायों और स्थानीय सर्वेक्षण संस्थानों के बीच समन्वय चुनौतियों के कारण विस्तार की गति धीमी रही।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी सक्षम करना:** भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र उपग्रह सेवाओं में निजी नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
  - 2025 तक कृषि और शहरी अनुप्रयोगों में विस्तार हुआ, किंतु उच्च निवेश लागत और नियामकीय स्वीकृतियों के कारण छोटे स्टार्टअप्स की भागीदारी सीमित रही।
- **खुलेपन और सुरक्षा के बीच संतुलन हेतु राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति:** राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हुए उपग्रह डेटा तक नियंत्रित पहुँच प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण है।
  - 2025 तक सरकारी शोध पहुँच में सुधार हुआ, किंतु संवेदनशील क्षेत्रों में निजी नवाचार सीमित रहा, जिससे नागरिक और वाणिज्यिक भू-स्थानिक सेवाओं की बढ़ती माँग के बावजूद अनुप्रयोग विकास धीमा पड़ा।

आगे की राह

- **जिला स्तर की भू-स्थानिक क्षमता को सुदृढ़ करना:** सरकार को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तथा सिविल सेवा क्षमता-विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत जिला अधिकारियों के लिए संरचित प्रशिक्षण का विस्तार करना चाहिए, ताकि उपग्रह डेटा की व्याख्या संबंधी कौशल सुनिश्चित हो सके। इससे राष्ट्रीय रिमोट-सेंसिंग निवेशों को प्रभावी स्थानीय शासन उपकरणों में परिवर्तित किया जा सकेगा।
- **उपग्रह और जमीनी डेटा के अभिसरण को संस्थागत रूप देना:** अनिवार्य एकीकरण ढाँचे के माध्यम से राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र के डेटा को शहरी और कृषि योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से जोड़ना चाहिए। इससे भूमि अभिलेख, फसल आकलन और अवसंरचना योजना की सटीकता में सुधार होगा।
- **ग्रामीण-केंद्रित कौशल विकास को गहरा करना:** कौशल भारत मिशन तथा राज्य विश्वविद्यालयों के अंतर्गत भू-स्थानिक मॉड्यूल का विस्तार ग्रामीण पदस्थापन पर विशेष ध्यान के साथ किया जाना चाहिए। इससे विशेषज्ञता का शहरी केंद्रीकरण कम होगा और जिला, ब्लॉक तथा पंचायत स्तर पर समान उपयोग संभव होगा।
- **निजी क्षेत्र की पहुँच और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना:** भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अंतर्गत स्पष्ट समय-सीमा और एकल-खिड़की स्वीकृति व्यवस्था से स्टार्टअप्स के लिए विलंब कम किए जा सकते हैं। संतुलित सुरक्षा प्रोटोकॉल नवाचार को अनुमति देते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे।
- **स्थानीय भू-स्थानिक अवसंरचना के लिए सतत् वित्तपोषण सुनिश्चित करना:**
  - बजटीय समर्थन में उपग्रह प्रक्षेपण के साथ-साथ क्लाउड प्लेटफॉर्म, रखरखाव और नगर डेटा केंद्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  - डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और स्मार्ट शासन कार्यक्रमों के अंतर्गत दीर्घकालिक वित्तपोषण पायलट परियोजनाओं से आगे निरंतर और विश्वसनीय उपयोग सुनिश्चित करेगा।

निष्कर्ष

- रिमोट-सेंसिंग प्रौद्योगिकी शासन, आपदा प्रबंधन, कृषि और सुरक्षा के लिए अनिवार्य बन चुकी है। यद्यपि उपग्रह क्षमता का विस्तार हुआ है, फिर भी कौशल, पहुँच और एकीकरण में अंतर बने हुए हैं।
- इन चुनौतियों का समाधान सतत् निवेश, संस्थागत सुधार और समावेशी क्षमता निर्माण के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे इसके दीर्घकालिक विकासात्मक और रणनीतिक महत्त्व का निर्धारण होगा।

भारत में जैव प्रौद्योगिकी

हाल की नीतिगत प्राथमिकताओं – जैसे BioE3 नीति, गहन समुद्र मिशन के विस्तार तथा इसरो द्वारा संचालित जीवन-विज्ञान प्रयोग – ने जैव प्रौद्योगिकी को भारत के लिए एक रणनीतिक अग्रिम क्षेत्र के रूप में उभारा है।

पृष्ठभूमि

- भारत में जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ जैविक प्रणालियों, जीवों और प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग से है, जिनके माध्यम से स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यावरण तथा समुद्री और अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में उत्पाद विकसित किए जाते हैं।
  - भारत ने वर्ष 1986 में आयातित टीकों, बीजों और जैव-फार्मास्यूटिकल्स पर निर्भरता कम करने तथा विज्ञान का समावेशी विकास के लिए उपयोग करने हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना के साथ जैव प्रौद्योगिकी को औपचारिक रूप से संस्थागत बनाया।
- समय के साथ भारत ने टीकों, डायग्नोस्टिक्स, जेनेरिक जैव-फार्मास्यूटिकल्स और कृषि जैव प्रौद्योगिकी में मजबूत क्षमताएँ विकसित कीं। तथापि समुद्री जैव अन्वेषण, औद्योगिक एंजाइम, सिंथेटिक बायोलॉजी तथा अंतरिक्ष-आधारित जैव अनुसंधान जैसे उन्नत क्षेत्रों में प्रगति उच्च लागत, लंबी निवेश अवधि, विखंडित अनुसंधान और कमजोर निजी भागीदारी के कारण सीमित रही। गहरे समुद्र अन्वेषण और दीर्घावधि अंतरिक्ष अभियानों में वैश्विक प्रगति ने इन अंतरालों को उजागर किया।
- यह विषय आज अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि जलवायु परिवर्तन, संसाधन सीमाएँ, आपूर्ति-शृंखला व्यवधान और भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान महत्त्वाकांक्षाएँ नई जैविक समाधानों की माँग करती हैं।
- वर्ष 2025 में विभाग के अनुसार भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 150 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गई, फिर भी उच्च-मूल्य जैव-निर्माण अविकसित बना हुआ है।
  - उदाहरण के लिए, 11,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा के बावजूद भारत अभी भी अधिकांश समुद्री जैव-इनपुट का आयात करता है, जो रणनीतिक विस्तार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

जैव प्रौद्योगिकी का महत्त्व

- स्वास्थ्य सुरक्षा और सुलभ पहुँच को सुदृढ़ करना
- जैव प्रौद्योगिकी भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा के केंद्र में है क्योंकि यह टीकों, डायग्नोस्टिक्स और जैव-फार्मास्यूटिकल्स के घरेलू उत्पादन को सक्षम बनाती है। वर्ष 2025 तक भारत वैश्विक टीका मात्रा का लगभग 60 प्रतिशत आपूर्ति करता है, जिससे विकासशील देशों में सस्ती प्रतिरक्षण व्यवस्था को समर्थन मिलता है।
- विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार भारत का जैव-फार्मास्यूटिकल बाजार 27 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया, यद्यपि उन्नत जैविक औषधियों के आयात पर निर्भरता नवाचार अंतराल को दर्शाती है।

खाद्य सुरक्षा और जलवायु-लचीली कृषि को समर्थन देना

- कृषि जैव प्रौद्योगिकी जलवायु दबाव के बीच फसल लचीलापन, मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (2025) ने जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक उपयोग में दो अंकीय वृद्धि की सूचना दी है, जिससे रासायनिक निर्भरता में कमी आई है।
- ये प्रौद्योगिकियाँ स्थिरता में सुधार करती हैं, किंतु जागरूकता और लागत अवरोधों के कारण छोटे किसानों के बीच इनका अपनाना असमान बना हुआ है, जिससे बढ़ते जलवायु जोखिमों के बावजूद राष्ट्रव्यापी उत्पादकता लाभ सीमित रहते हैं।

सतत् औद्योगिक एवं पर्यावरणीय परिवर्तन को सक्षम बनाना

- औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी एंजाइम, जैव ईंधन और जैव-अपघट्य पदार्थों के माध्यम से कम-उत्सर्जन विनिर्माण का समर्थन करती है। नीति आयोग (2025) का अनुमान है कि जैव-आधारित प्रक्रियाएँ वस्त्र और रसायन जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक उत्सर्जन को 30-50 प्रतिशत तक कम कर सकती हैं।
- यद्यपि भारत के एंजाइम और जैव ऊर्जा बाजार विस्तार कर रहे हैं, बड़े पैमाने की जैव-निर्माण अवसंरचना की सीमाएँ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में संक्रमण को धीमा करती हैं।

समुद्री जैव संसाधनों और ब्लू इकोनॉमी को उन्मुक्त करना

- भारत की 11,000 किलोमीटर तटरेखा और 20 लाख वर्ग किलोमीटर विशेष आर्थिक क्षेत्र विशाल समुद्री जैव विविधता प्रदान करते हैं। तथापि घरेलू समुद्री शैवाल उत्पादन लगभग 70,000 टन वार्षिक के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण एगर और एल्जिनेट के लिए आयात पर निर्भरता रहती है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (2025) समुद्री जैव प्रौद्योगिकी को खाद्य, जैव पदार्थों और जलवायु लचीलापन के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानता है, यद्यपि मूल्य शृंखला एकीकरण अभी भी कमजोर है।
- अंतरिक्ष और अग्रणी अनुसंधान में रणनीतिक आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाना
- अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी दीर्घावधि मानव अंतरिक्ष उड़ान महत्त्वाकांक्षाओं का आधार है क्योंकि यह खाद्य उत्पादन, स्वास्थ्य निगरानी और जीवन-समर्थन पुनर्जनन को सक्षम बनाती है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (2025) ने भविष्य के अभियानों हेतु सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में सूक्ष्मजीवों और शैवाल पर चल रहे प्रयोगों की पुष्टि की है। यद्यपि ये स्वदेशी क्षमताओं को सुदृढ़ करते हैं, प्रयोगशाला अनुसंधान को मिशन-तैयार प्रणालियों में रूपांतरित करने के लिए सतत् वित्तपोषण और संस्थागत समन्वय की आवश्यकता है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **विखंडित अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र और कमजोर व्यावसायीकरण:**
  - भारत उच्च-गुणवत्ता जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान उत्पन्न करता है, किंतु उत्पादों में रूपांतरण सीमित है। विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 दर्शाती है कि सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित जैव प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में से 18 प्रतिशत से कम पायलट या व्यावसायिक चरण तक पहुँचती हैं।

- कमजोर उद्योग-अकादमिक संबंध, सीमित प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यालय और साझा जैव-निर्माण सुविधाओं का अभाव, विशेषकर समुद्री और अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी में, प्रयोगशाला नवाचार को विस्तार योग्य उत्पादों में बदलने की गति को धीमा करते हैं।

- **दीर्घकालिक निजी निवेश की अपर्याप्तता:** जैव प्रौद्योगिकी को धैर्यशील पूँजी की आवश्यकता होती है, किंतु भारत का निवेश प्रोफाइल अभी भी अल्प-अवधि डिजिटल क्षेत्रों की ओर झुका हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जैव प्रौद्योगिकी को कुल वेंचर कैपिटल प्रवाह का 4 प्रतिशत से कम प्राप्त हुआ, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी और प्लेटफॉर्म आधारित सेवाओं को 35 प्रतिशत से अधिक मिला।
  - यह वित्तीय अंतर समुद्री जैव-प्रसंस्करण और अंतरिक्ष जीवन-विज्ञान अनुसंधान जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के विस्तार को सीमित करता है, जहाँ प्रतिफल धीमी गति से प्राप्त होते हैं।
- **महत्त्वपूर्ण जैव-इनपुट पर निरंतर आयात निर्भरता:** आत्मनिर्भरता पर नीतिगत बल के बावजूद भारत उन्नत एंजाइम, समुद्री हाइड्रोकॉलॉयड, जैविक औषधियों और विशिष्ट अभिकर्मकों के लिए आयात पर निर्भर बना हुआ है।
  - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के व्यापार आँकड़े 2025 एगर, एल्जिनेट और फार्मास्यूटिकल जैव-घटक के निरंतर आयात को दर्शाते हैं। इससे घरेलू उद्योग वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनते हैं और स्वास्थ्य, खाद्य तथा औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी में रणनीतिक आत्मनिर्भरता कमजोर होती है।
- **जटिल और समय लेने वाली नियामक प्रक्रियाएँ:** जैव प्रौद्योगिकी अनुमोदनों में स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि और विज्ञान मंत्रालयों की अनेक प्राधिकरण शामिल होती हैं। नीति आयोग की नियामक सुधार समीक्षा 2025 आनुवंशिक रूप से अभियांत्रित उत्पादों, नैदानिक परीक्षणों और जैव-निर्माण संयंत्रों के लिए नियामक विलंब को प्रमुख बाधा के रूप में चिन्हित करती है।
  - सुरक्षा पर्यवेक्षण आवश्यक है, परंतु लंबी अनुमोदन अवधि भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को पूर्वी एशिया और यूरोप के तीव्र नवाचार तंत्रों की तुलना में कम करती है।
- **कौशल की कमी और असमान क्षेत्रीय क्षमता:** उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जैव-प्रसंस्करण अभियांत्रिकी, नियामक विज्ञान और डेटा विश्लेषण में विशेषज्ञता आवश्यक है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 इन क्षेत्रों में निरंतर कमी को रेखांकित करती है, विशेषकर प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बाहर। यद्यपि प्रमुख संस्थान उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, कई राज्यों में प्रशिक्षित मानव संसाधन और विशेष अवसंरचना की कमी भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के संतुलित क्षेत्रीय विकास को सीमित करती है।

राष्ट्रीय बालिका दिवस

राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत में बालिकाओं के अधिकारों के संरक्षण, सशक्तीकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय बालिका दिवस वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जा रहा है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय समाज में गहरे जड़ जमाए लैंगिक असमानता से निपटने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था।
- यह आयोजन बाल लिंगानुपात में गिरावट, लैंगिक भेदभाव तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और कार्यबल में लड़कियों की कम भागीदारी को लेकर लगातार बनी चिंताओं के परिणामस्वरूप प्रारंभ हुआ।
- ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक मानदंडों, दहेज प्रथा और पुत्र वरीयता के कारण कन्या भ्रूण हत्या, लिंग-चयनात्मक गर्भपात तथा बालिकाओं के पोषण और शिक्षा की उपेक्षा जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुईं।
- समय के साथ भारत ने प्री-कंसेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी लक्षित योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं के अस्तित्त्व, संरक्षण और सशक्तीकरण को सुदृढ़ करने हेतु अपने कानूनी और नीतिगत ढाँचे को मजबूत किया।
- इन प्रयासों से आंशिक सफलता मिली, जो स्कूल नामांकन में वृद्धि और जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार के रूप में दिखाई देती है; तथापि सामाजिक दृष्टिकोण और क्षेत्रीय असमानताएँ बनी रहीं।
- यह मुद्दा आज भी अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि श्रम भागीदारी, सुरक्षा और बाल विवाह जैसे क्षेत्रों में लैंगिक अंतर बने हुए हैं। नीति आयोग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आंकड़ों (2025) के अनुसार राज्यों के बीच प्रगति असमान है, जिससे राष्ट्रीय बालिका दिवस समावेशी, अधिकार-आधारित और परिणामोन्मुख लैंगिक प्रशासन के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ करने का एक महत्त्वपूर्ण मंच बन जाता है।

लैंगिक भेदभाव के कारण

- **पितृसत्तात्मक मानदंड और पुत्र वरीयता की निरंतरता:**
  - लैंगिक भेदभाव गहरे पितृसत्तात्मक मानदंडों से उत्पन्न होता है, जो उत्तराधिकार, वंश परंपरा और वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए पुत्रों को प्राथमिकता देते हैं।
  - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चरण-6 (2025) के प्रारंभिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में पुत्र वरीयता अब भी विद्यमान है, जो कानूनी सुरक्षा के बावजूद बालिकाओं के पोषण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में निवेश को प्रभावित करती है।
- **आर्थिक निर्भरता और महिलाओं की कम श्रम भागीदारी:**
  - महिलाओं की आर्थिक निर्भरता घर और समाज दोनों में लैंगिक भेदभाव को सुदृढ़ करती है।
  - सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी लगभग 37 प्रतिशत है, जिसमें अधिकांश महिलाएँ अनौपचारिक और कम वेतन वाले कार्यों में संलग्न हैं।
  - सीमित संपत्ति स्वामित्व और आय महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता को कम करता है, जिससे शिक्षा, विवाह और प्रजनन संबंधी निर्णयों में असमानता बनी रहती है।
- **देखभाल दायित्व और सुरक्षा चिंताओं के कारण शिक्षा में निरंतरता का अभाव:**
  - नामांकन में सुधार के बावजूद, माध्यमिक शिक्षा के बाद लड़कियों में ड्रॉपआउट अधिक है, जिसका कारण अवैतनिक देखभाल कार्य, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और बाल विवाह है।
  - शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई प्लस 2025-26 के अनुसार माध्यमिकोत्तर स्तर पर लड़कियों की भागीदारी में गिरावट दर्ज की गई है।
  - ये बाधाएँ कौशल विकास और दीर्घकालिक रोजगार अवसरों को सीमित करती हैं, जिससे विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में पीढ़ीगत लैंगिक असमानता बनी रहती है।
- **लैंगिक आधारित हिंसा और कमजोर दंडात्मक तंत्र:**
  - महिलाओं के विरुद्ध उच्च स्तर की हिंसा उनकी आवाजाही, शिक्षा और श्रम भागीदारी को सीमित करती है।
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2025 के अनुसार प्रति वर्ष 4.4 लाख से अधिक अपराध महिलाओं के विरूद्ध दर्ज होते हैं, जिनमें घरेलू हिंसा और यौन अपराध शामिल हैं।
  - निम्न दोषसिद्धि दर और लंबी न्यायिक प्रक्रिया दंडात्मक प्रभाव को कमजोर करती है, जिससे भय-आधारित सामाजिक अनुपालन मजबूत होता है और महिलाएँ अपने अधिकारों की माँग करने से हिचकिचाती हैं।
- **दहेज प्रथा और बाल विवाह:**
  - दहेज संबंधी अपेक्षाएँ बेटियों को आर्थिक दायित्व के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे शीघ्र विवाह और शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है।
  - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (2025-26) द्वारा उद्धृत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रवृत्ति आकलन के अनुसार गिरावट के बावजूद कई राज्यों में बाल विवाह जारी है।
  - बाल विवाह बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और श्रम भागीदारी को प्रभावित करता है और दीर्घकालिक असमानता को स्थायी बनाता है।

सरकारी पहलें

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना:**
  - यह योजना प्रतिकूल लिंगानुपात और सामाजिक पूर्वाग्रह को सुधारने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।

- सरकारी आँकड़ों के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हुआ है (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2025), यद्यपि क्षेत्रीय असमानताएँ अब भी मौजूद हैं।

- **मिशन शक्ति:**
  - यह केंद्र प्रायोजित व्यापक योजना महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तीकरण और आजीविका सहायता को समेकित करती है।
  - 2025 तक 800 से अधिक वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं, जो कानूनी और मनोसामाजिक सहायता प्रदान करते हैं; हालाँकि शहरी क्षेत्रों में उपयोग अधिक है।
- **शिक्षा-केन्द्रित हस्तक्षेप:**
  - समग्र शिक्षा, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय और पीएम-पोषण योजनाएँ लड़कियों की निरंतरता और सीखने के परिणामों को सुधारने पर केंद्रित हैं।
  - यूडीआईएसई प्लस 2025-26 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 80.2 प्रतिशत तक पहुँचा है।
- **आर्थिक सशक्तीकरण योजनाएँ:**
  - सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करते हैं।
  - 2024 तक 4.2 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए।
- **कानूनी और संस्थागत ढाँचा:**
  - घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
  - जनवरी 2026 तक 60,000 से अधिक बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

आगे की दिशा

- सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन, माध्यमिक शिक्षा में निरंतरता, कौशल-आधारित आर्थिक अवसर, कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन और लैंगिक-विभेदित आंकड़ों का सुदृढ़ संग्रह आवश्यक है।
- नीति आयोग (2025) के अनुसार सामुदायिक सहभागिता और निगरानी को एक साथ अपनाने वाले जिलों में लिंगानुपात में तेज सुधार देखा गया है।
- परिणाम-आधारित, डेटा-संचालित और सामुदायिक-नेतृत्व वाली रणनीति ही बालिकाओं के अधिकारों को वास्तविक और आजीवन सशक्तीकरण में परिवर्तित कर सकती है।

निष्कर्ष

- राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत की लैंगिक समानता की दिशा में क्रमिक किंतु असमान प्रगति को रेखांकित करता है। कानूनी सुरक्षा, शैक्षिक सुधार और लक्षित योजनाओं के बावजूद गहरे सामाजिक पूर्वाग्रह, आर्थिक निर्भरता और सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ परिणामों को सीमित करती हैं।
- माध्यमिक शिक्षा पूर्णता, श्रम भागीदारी और हिंसा से मुक्ति में बने अंतर यह दर्शाते हैं कि केवल नीतिगत घोषणा पर्याप्त नहीं है।
- स्थायी सामाजिक परिवर्तन, स्थानीय प्रवर्तन की सुदृढ़ता और कौशल-आधारित आर्थिक अवसरों का विस्तार ही प्रत्येक बालिका के वास्तविक सशक्तीकरण की दिशा में निर्णायक सिद्ध होगा।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) भारत सरकार की एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक पहल है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करना, घटते बाल लिंगानुपात में सुधार करना तथा बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।
  - इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में की गई थी।
- यह अभियान मुख्य रूप से तीन मंत्रालयों-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय-के संयुक्त प्रयास से संचालित किया जाता है।
  - प्रारम्भ में इसे देश के 100 लिंगानुपात-कमजोर जिलों में लागू किया गया था, बाद में इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इसे पूरे देश में विस्तार दिया गया।
- इस योजना का प्रमुख लक्ष्य बाल लिंगानुपात (Child Sex Ratio) में सुधार करना और भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं को रोकना है। साथ ही, बालिकाओं के जन्म का पंजीकरण, उनके स्वास्थ्य की देखभाल, विद्यालयों में नामांकन तथा शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करना भी इसके महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हैं।
- इस अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम, सामुदायिक भागीदारी, विद्यालयी नामांकन अभियान और विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ चलाई जाती हैं। सरकार के अनुसार कई राज्यों और जिलों में बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के विद्यालयी नामांकन में सुधार देखा गया है।
- अत: "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने और महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

सुभाष चन्द्र बोस

हाल ही में 23 जनवरी 2026 को पराक्रम दिवस मनाया गया,
जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

- सुभाष चन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ। वे एक सम्पन्न परिवार में जन्मे थे; उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे।
- **शैक्षणिक उत्कृष्टता:** बोस मेधावी छात्र थे। उन्होंने रैवेन्सॉ कॉलेजिएट स्कूल में अध्ययन किया और बाद में प्रेसीडेंसी कॉलेज, कोलकाता में प्रवेश लिया। उनका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रारंभ से ही स्पष्ट था। वर्ष 1916 में एक ब्रिटिश शिक्षक की नस्लवादी टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन करने के कारण उन्हें प्रेसीडेंसी कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया।
- **भारतीय सिविल सेवा (ICS):** अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए बोस इंग्लैंड गए और वर्ष 1920 में अत्यंत प्रतिस्पर्धी इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया।
- **महत्त्वपूर्ण मोड़:** जलियांवाला बाग नरसंहार से गहराई से आहत होकर बोस ने 1921 में प्रतिष्ठित सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि कोई भी भारतीय उस सरकार के अधीन सेवा नहीं कर सकता, जो अपने नागरिकों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार करती हो।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में भूमिका

भारत लौटने के बाद सुभाष चन्द्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया और अपने मार्गदर्शक चित्तरंजन दास के साथ निकटता से कार्य किया।

- **नेतृत्व:** वर्ष 1923 तक वे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। उस समय जब कई नेता केवल डोमिनियन स्टेटस की माँग कर रहे थे, बोस ने स्पष्ट रूप से पूर्ण स्वराज का समर्थन किया।
- **अध्यक्षता और वैचारिक मतभेद:** बोस दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए–
  - **हरिपुरा अधिवेशन (1938):** उन्होंने आर्थिक नियोजन पर विशेष बल दिया और नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की।
  - **त्रिपुरी अधिवेशन (1939):** उन्होंने पट्टाभि सीतारमैया को पराजित कर पुन: अध्यक्ष पद जीता। सीतारमैया को महात्मा गाँधी का समर्थन प्राप्त था। किंतु कांग्रेस नेतृत्व के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण बोस ने शीघ्र ही इस्तीफा दे दिया।
- **फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना:** मई 1939 में बोस ने कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिसका उद्देश्य उग्र राष्ट्रवादी तत्त्वों को एकजुट कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करना था।

भारतीय राष्ट्रीय सेना (आजाद हिन्द फौज)

- बोस का सबसे प्रसिद्ध योगदान भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA/आजाद हिन्द फौज) का पुनर्गठन था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शत्रुओं के साथ सहयोग को भारत की स्वतंत्रता के अवसर के रूप में देखा।
- **साहसिक पलायन:** 1941 में जब वे नजरबंद थे, तब वे वेश बदलकर भाग निकले। वे अफगानिस्तान और सोवियत संघ के मार्ग से जर्मनी पहुँचे। 1943 में वे सिंगापुर पहुँचे और मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ की गई INA का नेतृत्व संभाला।
- **INA की संरचना:**
  - बोस ने सेना का आधुनिकीकरण किया।
  - इसकी संख्या लगभग 45,000 सैनिकों तक पहुँची।
  - इसमें विविधता पर विशेष ध्यान दिया गया, और इसकी ब्रिगेडों के नाम गाँधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, और आजाद ब्रिगेड जैसे थे।
- **रानी झांसी रेजिमेंट:** लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए बोस ने विश्व की प्रारंभिक पूर्णत: महिला सैन्य इकाइयों में से एक रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया।

महात्मा गाँधी और सुभाष चन्द्र बोस के बीच संबंध

पहलू	महात्मा गाँधी	सुभाष चन्द्र बोस
दर्शन	अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास	सशस्त्र संघर्ष और उग्र प्रतिरोध के समर्थक
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	आत्मनिर्भरता पर बल; विदेशी शक्तियों से सहायता लेने से परहेज	ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जर्मनी और जापान (Axis Powers) से सहयोग
आर्थिक दृष्टिकोण	ग्रामीण आधारित, विकेन्द्रित कुटीर उद्योगों का समर्थन	व्यापक औद्योगिकीकरण और राज्य नियोजन के पक्षधर
पारस्परिक सम्मान	बोस को "देशभक्तों के राजकुमार" कहा	गाँधी को "राष्ट्रपिता" कहने वाले प्रथम नेता

विरासत और प्रभाव

सुभाष चन्द्र बोस का अगस्त 1945 में विमान दुर्घटना के बाद रहस्यमय ढँग से लापता हो जाना आज भी विवाद का विषय है, किंतु एक राष्ट्रनायक के रूप में उनकी विरासत निर्विवाद है।

- **पराक्रम दिवस:** उनकी जयंती, 23 जनवरी, प्रतिवर्ष "पराक्रम दिवस" के रूप में मनाई जाती है, ताकि उनके साहस और राष्ट्रभक्ति को सम्मानित किया जा सके।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव:** भारतीय राष्ट्रीय सेना (आजाद हिन्द फौज) के नेतृत्व और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में आजाद हिन्द सरकार की स्थापना ने ब्रिटिश शासन को वैश्विक स्तर पर चुनौती दी। इन द्वीपों का नामकरण क्रमश: "शहीद द्वीप" और "स्वराज द्वीप" किया गया।
- **प्रेरणा और प्रभाव:** 1945-46 में लाल किला, दिल्ली में INA के सैनिकों पर चले मुकदमों ने राष्ट्रवाद की एक प्रबल लहर उत्पन्न की। इससे ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट संकेत मिला कि वे भारत पर शासन बनाए रखने के लिए भारतीय सैनिकों की निष्ठा पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर सकते।

1 राजव्यवस्था एवं शासन

पीएम द्वारा प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता

प्रधानमंत्री ने PRAGATI की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की।

परिचय

- प्रगति (PRAGATI - Pro-Active Governance and Timely Implementation) एक प्रौद्योगिकी आधारित शासन और निगरानी मंच है, जिसे वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया था।
- **उद्देश्य:** लोक प्रशासन में सुधार करना तथा सरकारी कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तेज करना।
- प्रगति (PRAGATI) एक त्रिस्तरीय मंच के रूप में कार्य करता है, जिसमें तीन प्रशासनिक स्तर शामिल हैं-
  - सर्वोच्च स्तर पर प्रधानमंत्री
  - मध्य स्तर पर केंद्र सरकार के सचिव
  - संचालन स्तर पर राज्यों के मुख्य सचिव
- **PRAGATI की प्रमुख विशेषताएँ**
  - भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करता है।
  - राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करता है और उनकी चिंताओं को सुनिश्चित करता है।
  - परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है।
  - निर्णयों के फॉलो-अप और निरंतर समीक्षा के लिए अंतर्निहित प्रणाली उपलब्ध कराता है।
  - विभिन्न हितधारकों के बीच रियल-टाइम सहयोग और संवाद को सक्षम बनाता है।
  - प्रधानमंत्री कार्यालय को कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का समाधान करने और परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने में सहायता करता है।
  - विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच समन्वय की कमी से उत्पन्न बाधाओं को दूर करता है।
  - यह पीएमओ, केंद्र सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को शामिल करते हुए तीन-स्तरीय आईटी आधारित प्रणाली पर कार्य करता है।
- **PRAGATI के मुख्य उद्देश्य**
  - **परियोजना निगरानी:** उच्च मूल्य और महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना तथा देरी या बाधाओं को दूर करना।
  - **कार्यक्रम कार्यान्वयन:** सरकारी योजनाओं और मिशनों का समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
  - **शिकायत निवारण:** नागरिक शिकायतों के समाधान हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) जैसे तंत्रों के साथ समन्वय स्थापित करना।

प्रमुख उपलब्धियाँ

- PRAGATI के अंतर्गत अब तक 377 परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है।
- इन परियोजनाओं में चिन्हित 3,162 समस्याओं में से 2,958 समस्याएँ (लगभग 94%) का समाधान किया जा चुका है।

निरसन और संशोधन अधिनियम, 2025

निरसन एवं संशोधन अधिनियम, 2025 को हाल ही में सम्पन्न संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया।

अर्थ

- निरसन (Repeal) का अर्थ है किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा किसी कानून को समाप्त या हटाना।
- संशोधन (Amendment) का अर्थ है किसी वर्तमान कानून में परिवर्तन करना या उसमें कुछ जोड़ना, हटाना या प्रतिस्थापित करना।

रिपीलिंग एवं संशोधन अधिनियम, 2025

- ✓ अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया गया है।
- ✓ अनावश्यक संशोधन अधिनियमों को हटाया गया है।
- ✓ **मुख्य कानूनों में संशोधन किया गया है:**
  - सामान्य उपबंध अधिनियम, 1897
  - दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908
  - भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
  - आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
- ✓ न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया गया है।
- ✓ भेदभावपूर्ण / औपनिवेशिक विरासत के तत्त्वों को हटाया गया है।
- ✓ व्यावृत्ति खंड में संशोधन किया गया है।
- ✓ कानूनी प्रक्रियाओं में एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित की गई है।

अधिनियम के बारे में

- यह अधिनियम भारत की विधिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाता है, जिसके अंतर्गत 1886 से 2023 तक के 71 पुराने या अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया गया है तथा महत्त्वपूर्ण कानूनों में लक्षित संशोधन किए गए हैं।
- यह अधिनियम दोहरी रणनीति अपनाता है -
  - पुराने और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करना।
  - ऐसे संशोधन अधिनियमों को हटाना जो पहले ही मुख्य कानूनों में सम्मिलित हो चुके हैं या अब आवश्यक नहीं हैं।
- यह सामान्य उपबंध अधिनियम (1897), सिविल प्रक्रिया संहिता (1908), भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (1925) तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005) जैसे आधारभूत कानूनों को अद्यतन करता है ताकि प्रारूपण संबंधी त्रुटियों को सुधारा जा सके और भाषा को आधुनिक बनाया जा सके।

- इसमें एक सुरक्षा प्रावधान (Savings Clause) भी शामिल है, जो कानूनों के निरसन के बावजूद मौजूदा अधिकारों, विधिक प्रक्रियाओं और प्रथाओं को सुरक्षित रखता है।

मुख्य विधायी उद्देश्य

वैधानिक सफाई	कानूनी स्पष्टता और एकरूपता	कानूनी ढाँचे का आधुनिकीकरण
ऐसे अप्रचलित कानूनों को निरस्त करना जो अपना उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, ताकि भारत की कानून पुस्तिका को सरल बनाया जा सके।	अनावश्यक प्रावधानों को हटाना, शब्दावली में सामंजस्य लाना और प्रक्रियात्मक संदर्भों को अद्यतन करना, ताकि कानूनों में समानता और समझने में आसानी सुनिश्चित हो सके।	तकनीकी और प्रारूपण संबंधी त्रुटियों को सुधारना तथा कानूनों को वर्तमान प्रशासनिक प्रथाओं, न्यायिक प्रक्रियाओं और शासन की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना।

सम्पन्न

सम्पन्न (SAMPANN - System for Accounting and Management of Pension) दूरसंचार विभाग के पेंशनधारकों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पेंशन प्रबंधन प्रणाली है।

संपन्न (SAMPANN) की विशेषताएँ

एकल मंच
संपन्न पेंशन की प्रक्रिया, स्वीकृति और वितरण के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। इससे पेंशनधारकों के बैंक खातों में सीधा और प्रभावी हस्तांतरण सुनिश्चित होता है।

ऑनलाइन सेवाएँ
यह प्रणाली ऑनलाइन शिकायत निवारण, डिजिटल प्रोफाइल प्रबंधन और लेन-देन के रिकॉर्ड की सुविधा देती है। इससे दूरसंचार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है।

डिजिलॉकर की सुविधा
पेंशन से संबंधित दस्तावेज, जैसे ग्रेच्युटी भुगतान आदेश और पेंशन प्रमाण पत्र, अब डिजिलॉकर के माध्यम से उपलब्ध हैं। इससे महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों तक सुरक्षित और सुविधाजनक पहुँच मिलती है।

भारतीय मानक ब्यूरो

79वें स्थापना दिवस पर भारतीय मानक ब्यूरो की सरकार द्वारा सराहना की गई, क्योंकि इसने भारत में गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने और प्रमुख क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने में योगदान दिया है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

राष्ट्रीय मानक संस्था
BIS भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था है, जिसकी स्थापना BIS अधिनियम, 2016 के अंतर्गत हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

मुख्य कार्य
यह मानकीकरण, मार्किंग और वस्तुओं के गुणवत्ता प्रमाणन की देखरेख करता है, ताकि सुरक्षा, विश्वसनीयता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जोखिम में कमी, निर्यात को बढ़ावा और अनावश्यक उत्पाद विविधता पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

नीतिगत समर्थन की भूमिका
BIS के मानक और प्रमाणन उपभोक्ता संरक्षण, उत्पाद सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और निर्माण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक नीतियों का समर्थन करते हैं।

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में योगदान
BIS ने अपने कार्यों को स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी प्रमुख सरकारी पहलों के साथ मानकीकरण और प्रमाणन गतिविधियों के माध्यम से जोड़ा है।

हाल की पहलें और उपलब्धियाँ
सरकार ने BIS स्टैंडर्ड पोर्टल, स्टैंडर्ड्स हेल्पडेस्क, सक्षम (SAKSHAM) और गुणवत्ता अनुपालन तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक उत्कृष्टता मान्यता योजना जैसे प्लेटफॉर्म और जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किए हैं।

पंखुड़ी पोर्टल

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पंखुड़ी पोर्टल प्रारम्भ किया गया।

पंखुड़ी पोर्टल रूपरेखा

हितधारकों का एकीकरण
पंखुड़ी पोर्टल व्यक्तियों, एनआरआई, एनजीओ, सीएसआर योगदानकर्ताओं, कॉर्पोरेट संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों को एक साथ जोड़ता है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म
पंखुड़ी समन्वय और पारदर्शिता के लिए एक सिंगल-विंडो डिजिटल मंच के रूप में कार्य करता है।

विषयगत क्षेत्र
यह पोर्टल पोषण, स्वास्थ्य, ईसीसीई (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा), बाल कल्याण, संरक्षण, पुनर्वास तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों को कवर करता है।

स्वदेश दर्शन स्कीम

पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 75 प्रोजेक्ट पूर्ण किए।

परिचय

- पर्यटन मंत्रालय ने 2015 में विषय आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए स्वदेश दर्शन योजना प्रारंभ की।
- यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है।
  - इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का संचालन एवं रखरखाव संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की जिम्मेदारी होती है।

- यह योजना पर्यटन विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें आधारभूत संरचना विकास, पर्यटन स्थलों का प्रबंधन और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना शामिल है।
  - इस योजना के अंतर्गत कुल 5290.33 करोड़ रुपये की लागत से 76 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।
  - अब इस योजना को पुनर्गठित करके स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य सतत् और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का विकास करना है।

पॉक्सो अधिनियम में "रोमियो-जूलियट" प्रावधान

भारत के भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति से बने किशोर प्रेम संबंधों से जुड़े मामलों में POCSO अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है तथा केंद्र सरकार से "रोमियो-जूलियट प्रावधान" लागू करने की संभावना पर विचार करने का आग्रह किया है।

परिचय

- यह एक कानूनी अपवाद है, जिसे अमेरिका और यूरोप के कुछ भागों में विकसित किया गया है।
- इसका नाम शेक्सपियर के किशोर प्रेमी पात्रों "रोमियो और जूलियट" से लिया गया है।
- यह सहमति की आयु को कम नहीं करता, बल्कि समान या निकट आयु के किशोरों को आपसी सहमति से बने संबंधों के लिए आपराधिक दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा के मजबूत ढाँचे को बनाए रखते हुए किशोरावस्था की वास्तविकताओं को स्वीकार करना है।

न्यायालय द्वारा उजागर मुख्य मुद्दे

- **सहमति वाले किशोर संबंधों का अपराधीकरण:** वर्तमान कानून के अनुसार यदि दो व्यक्तियों के बीच सहमति से संबंध हो, लेकिन उनमें से एक की आयु 18 वर्ष से कम है (चाहे केवल एक दिन ही कम क्यों न हो), तो POCSO के कड़े प्रावधान लागू हो जाते हैं।
- **आपराधिक प्रक्रिया का हानिकारक प्रभाव:** किशोर पुलिस जाँच, गिरफ्तारी, मुकदमे और जेल जैसी प्रक्रियाओं में फँस जाते हैं। इससे उनके मानसिक और सामाजिक जीवन पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **POCSO का दुरुपयोग:** न्यायालय ने कहा कि कई मामलों में इस कानून का उपयोग युवा प्रेमी जोड़ों के विरूद्ध हथियार की तरह किया जा रहा है।
  - अक्सर आयु को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है ताकि POCSO लागू किया जा सके।
  - परिवार भी अंतरजातीय, अंतरधार्मिक या अपनी पसंद के विरुद्ध संबंधों को रोकने के लिए इस कानून का उपयोग करते हैं।

रोमियो-जूलियट प्रावधान की सीमाएँ

- आयु आधारित छूट देने से केवल सीमा रेखा बदलती है, मूल समस्या का समाधान नहीं होता।
- **यह कई जटिल प्रश्न भी खड़े करता है, जैसे** –
  - क्या 16 से 18 वर्ष के किशोरों को छूट दी जाए?
  - 16 वर्ष से कम आयु वालों के लिए वही व्यवहार अपराध क्यों माना जाए?

28वाँ CSPOC सम्मेलन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान सदन में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (CSPOC) का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत ने अपनी विविधता को लोकतांत्रिक शक्ति में परिवर्तित किया है।

परिचय

- CSPOC, राष्ट्रमंडल राष्ट्र संगठन का एक उच्च स्तरीय संसदीय मंच है।
- इसमें राष्ट्रीय एवं अर्ध-स्वायत्त विधानसभाओं के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी शामिल होते हैं।
- यह सम्मेलन हर दो वर्ष में आयोजित होता है।
- सम्मेलनों के बीच भविष्य की योजना बनाने के लिए एक स्थायी समिति की बैठक होती है।
- **स्थापना:**
  - CSPOC की स्थापना 1969 में लुसियन लामोरू ने की थी, जो उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स (कनाडा) के अध्यक्ष थे।
  - इसका उद्देश्य संसदीय प्रक्रिया और नेतृत्व पर चर्चा के लिए एक निष्पक्ष मंच तैयार करना था।
- **भारत द्वारा मेजबानी:** भारत ने CSPOC सम्मेलन चार बार आयोजित किया है – 1970-71, 1986, 2010, 2026, अगला (29वाँ) सम्मेलन 2028 में लंदन में आयोजित किया जाएगा।
- **प्रमुख नियम:**
  - केवल राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी ही सदस्य होते हैं।
  - पद छोड़ चुके पीठासीन अधिकारी तब तक बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी चुना न जाए।
  - उपाध्यक्ष स्थानापन्न बन सकते हैं, लेकिन स्थायी समिति का हिस्सा नहीं बन सकते।
  - सम्मेलन में एजेंडा, मतदान, कोरम और पदों से जुड़े नियम निर्धारित होते हैं।
  - नियमों की समीक्षा सम्मेलनों के बीच की जाती है।
- **उद्देश्य और भूमिका:**
  - विधानसभाओं में निष्पक्षता और न्यायसंगत कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना।
  - संसदीय कार्य प्रणाली की श्रेष्ठ पद्धतियों का आदान-प्रदान।
  - नैतिकता, प्रक्रिया, तकनीक और संस्थागत स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर चर्चा।
  - सम्मेलन के निर्णय बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन प्रभावशाली होते हैं।
- **संरचना और प्रशासन:**
  - सम्मेलनों के बीच स्थायी समिति द्वारा संचालन किया जाता है।
  - यह समिति सम्मेलन स्थल, एजेंडा और नियमों की समीक्षा तय करती है।
  - समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा कोरम 5 सदस्यों का होता है।
  - प्रारम्भ से ही सचिवालय सहायता कनाडा द्वारा प्रदान की जाती रही है।

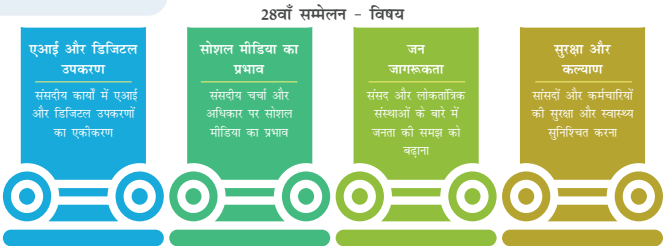

एनपीएस वात्सल्य स्कीम, 2025

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS वात्सल्य स्कीम, 2025 के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) फ्रेमवर्क को बढ़ाया गया है ताकि नाबालिगों के लिए कम उम्र में पेंशन शामिल हो सके।

परिचय

- एनपीएस वात्सल्य, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत नाबालिगों के लिए एक पेंशन सेविंग्स स्कीम है।
- यह माता-पिता या कानूनी गार्जियन को बच्चे की ओर से NPS अकाउंट खोलने और चलाने की अनुमति देता है।

एनपीएस खाता विशेषताएँ

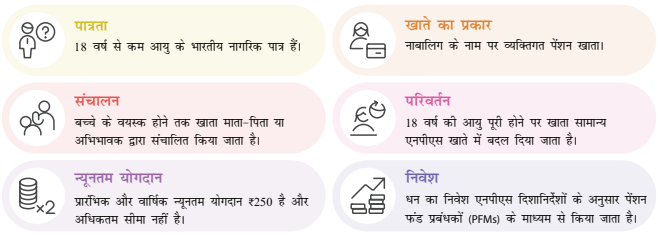

छात्र आत्महत्या पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

भारत के उच्चतम न्यायालय ने छात्र आत्महत्याओं और उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के कार्यप्रणाली को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को अनुच्छेद 142 के अंतर्गत निर्देश जारी किए हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142

- यह सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेष और असाधारण शक्ति प्रदान करता है, जिससे वह उन मामलों में "पूर्ण न्याय" सुनिश्चित कर सके जहाँ मौजूदा कानून या विधि पर्याप्त समाधान उपलब्ध नहीं कर पाती।
- अनुच्छेद 142(1) के अनुसार, न्यायालय किसी भी लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश या डिक्री जारी कर सकता है। ऐसे आदेश पूरे भारत में लागू होते हैं - या तो संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार या जब तक ऐसा कोई कानून न बने, तब तक राष्ट्रपति के निर्देशानुसार।
- इसका मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय को अवैधता या अन्याय की स्थितियों को दूर कर प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार निष्पक्ष और न्यायसंगत निर्णय देने में सक्षम बनाना है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उजागर प्रमुख समस्याएँ

- **उच्च शिक्षा का तीव्र विस्तार और निजीकरण:** भारत अब छात्र नामांकन के मामले में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। इससे छात्रों में मानसिक तनाव, मृत्यु के मामले, शिक्षकों के रिक्त पदों की समस्या तथा शोषण जैसी चुनौतियाँ बढ़ी हैं।
- **छात्र मानसिक स्वास्थ्य:** सर्वोच्च न्यायालय ने छात्र आत्महत्याओं को महामारी जैसी स्थिति बताया। इसके प्रमुख कारण हैं- कठोर उपस्थिति नीति, अत्यधिक पाठ्यक्रम भार, परीक्षा का दबाव, शिक्षकों की कमी, अतिथि शिक्षकों पर निर्भरता, प्लेसमेंट प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी। विशेष रूप से मेडिकल और इंजीनियरिंग छात्रों को अत्यधिक कार्यभार और शोषणकारी शैक्षणिक संस्कृति का सामना करना पड़ता है।
- **अपर्याप्त शिक्षक संख्या:** सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में गंभीर स्टाफ की कमी है, जहाँ शिक्षकों की संख्या स्वीकृत पदों के केवल लगभग 50% तक ही है।
- **वित्तीय दबाव:** छात्रवृत्तियों के वितरण में देरी छात्रों के लिए आर्थिक तनाव का एक बड़ा कारण बन रही है।
- **प्रशासनिक और राजनीतिक समस्याएँ:** शोध और शिक्षण की गुणवत्ता में गिरावट, राज्यपाल की शक्तियों को लेकर अस्पष्टता के कारण कुलपति नियुक्तियों में देरी, रिक्त पदों को भरने के लिए यूजीसी की प्रक्रियाओं, योग्य शिक्षकों और बजट सहायता की आवश्यकता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक नियुक्तियों से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है आदि।

उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक (RNI)

भारत ने हाल ही में उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक प्रस्तुत किया है।

रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स

फोकस में बदलाव	मुख्य आयाम	विकास साझेदार	रैंकिंग
यह आर्थिक शक्ति से ध्यान हटाकर नैतिक शासन, स्थिरता और वैश्विक जिम्मेदारी पर केंद्रित करता है।	यह देशों का मूल्यांकन चार मुख्य आयामों पर करता है: नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक जिम्मेदारी।	इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन (WIF) ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई (IIM मुंबई) के सहयोग से विकसित किया है।	सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर हैं तथा भारत वैश्विक स्तर पर 16वें स्थान पर है।

अनुच्छेद 15(5)

विपक्ष ने प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 के अंतर्गत एकल उच्च शिक्षा नियामक बनाते समय संविधान के अनुच्छेद 15(5) को लागू करने की माँग की है।

परिचय

- अनुच्छेद 15(5) राज्य को अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है।
- यह राज्य को निजी शैक्षणिक संस्थानों (सहायता प्राप्त या बिना सहायता प्राप्त) में भी प्रवेश हेतु आरक्षण लागू करने की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान इससे बाहर रखे गए हैं। यह प्रावधान 93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा जोड़ा गया था।

अनुच्छेद 15(5) का महत्त्व

- इससे IIT, IIM, NIT और केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे केंद्र वित्तपोषित उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC के लिए 27% आरक्षण लागू हुआ।
- इससे सामाजिक गतिशीलता, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा में प्रतिनिधित्व बढ़ा। यह औपचारिक समानता से आगे बढ़कर वास्तविक समानता की संवैधानिक अवधारणा को दर्शाता है।

न्यायिक मान्यता

- सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2014) मामले में अनुच्छेद 15(5) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

- न्यायालय ने माना कि राज्य गैर-अल्पसंख्यक निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लागू कर सकता है।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025

- यह विधेयक पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को विनियमित करने, मान्यता देने और मानक निर्धारित करने के लिए एक एकीकृत वैधानिक निकाय बनाने का प्रस्ताव करता है।
- **मुख्य प्रावधान:**
  - **एकल राष्ट्रीय नियामक:** देशभर में उच्च शिक्षा की निगरानी हेतु केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना।
  - **वर्तमान संस्थाओं का विलय:** यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एडुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एडुकेशन इन सभी को एक संयुक्त ढाँचे में लाया जाएगा।
  - **तीन स्तरीय संरचना:** विनियमन, मान्यता, शैक्षणिक मानक निर्धारण
  - **स्वायत्तता और निगरानी:** संस्थानों को अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी, साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण भी सुनिश्चित किया जाएगा।
  - **कुछ क्षेत्रों को बाहर रखा गया:** चिकित्सा और विधि शिक्षा इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगी।
  - **बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा:** विश्वविद्यालयों को बहुविषयक शिक्षण एवं शोध संस्थान के रूप में विकसित करने पर जोर।
  - **गुणवत्ता सुधार:** बेहतर शिक्षण पद्धति, शोध उत्पादन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का लक्ष्य।
  - **नीति निर्माण में भूमिका:** नया निकाय उच्च शिक्षा में दीर्घकालिक सुधारों का मार्गदर्शन करेगा।

राज्यपालों द्वारा वॉकआउट और संवैधानिक बहस

हाल ही में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपालों के वॉकआउट से संवैधानिक बहस उत्पन्न हुई।

घटनाओं के कारण

- **सदन को संबोधन को लेकर विवाद:** राज्यपालों ने सरकार द्वारा तैयार किए गए संबोधन के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई, विशेष रूप से उन अंशों पर जो केंद्र सरकार या केंद्रीय कानूनों की आलोचना करते थे।
- **संवैधानिक भूमिका का दावा:** कुछ राज्यपालों ने संविधान की रक्षा करने के अपने कर्त्तव्य का हवाला देते हुए उन बयानों को पढ़ने या समर्थन करने से इनकार कर दिया, जिनसे वे असहमत थे।
- **राजनीतिक और संघीय तनाव:** राज्य सरकारों और केंद्र के बीच चल रहे मतभेदों के कारण विधानसभाओं के अंदर टकराव बढ़ गया।
- **प्रोटोकॉल और प्रक्रियात्मक मतभेद:** विधायी प्रक्रिया, सदस्यों के आचरण या कार्यवाही के तरीके को लेकर असहमति के कारण राज्यपालों ने सदन से बाहर निकलने का निर्णय लिया।
- **नीतिगत रुख का विरोध:** जब राज्य की नीतियाँ या प्रस्ताव राज्यपालों की संवैधानिक व्याख्या से टकराए, तो उन्होंने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट किया।

राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति

- **अनुच्छेद 176(1)** के अनुसार, राज्यपाल को प्रत्येक वर्ष विधानमंडल के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधान सभा (या जहाँ विधान परिषद हो, वहाँ दोनों सदनों) को संबोधित करना अनिवार्य है।
- यह संबोधन विधानमंडल को उसके आह्वान (सत्र बुलाने) के कारणों की जानकारी देता है और निर्वाचित सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
- यह संबोधन राज्यपाल का व्यक्तिगत मत नहीं होता, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह और सहयोग पर आधारित होता है। इसलिए यह एक औपचारिक कार्यकारी कार्य है, न कि राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार।

चिंताएँ

- **संवैधानिक दायित्व का क्षरण:** अनुच्छेद 176(1) के अंतर्गत संबोधन को चुनिंदा रूप से पढ़ना या उससे वॉकआउट करना इस प्रावधान की अनिवार्यता का उल्लंघन माना जाता है।
  - इससे निर्वाचित सरकार और विधानमंडल के बीच औपचारिक संवाद की संवैधानिक व्यवस्था कमजोर होती है।
- **संसदीय सर्वोच्चता के लिए खतरा:** यदि राज्यपाल नियमित कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक विवेकाधिकार का प्रयोग करने लगें, तो उनके समानांतर सत्ता बनने का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
  - इस विषय पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार चेतावनी दी है कि ऐसा होना संसदीय लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है।

राज्यपाल की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय

- **शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974):** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होते हैं और उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए, न कि स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में। न्यायालय ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल की स्थापित नीति की सार्वजनिक आलोचना करना संसदीय प्रणाली के विरुद्ध असंवैधानिक आचरण है।
- **नबाम रेबिया और बामांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष (2016)** न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल औपचारिक प्रमुख हैं और उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा। उनका विवेकाधिकार केवल सीमित संवैधानिक परिस्थितियों तक ही सीमित है।
- **तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (2025)** न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल का विवेकाधिकार निर्वाचित और उत्तरदायी सरकार के कार्यों को निरस्त या बाधित नहीं कर सकता।

2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

वाइमर त्रिकोण

भारत ने पहली बार वाइमर त्रिकोण प्रारूप में भाग लिया, जो एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक विकास है।

परिचय

- यह फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक त्रिपक्षीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक समूह है, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसका नाम जर्मनी के वाइमर शहर के नाम पर रखा गया, जहाँ इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी।
- इसका उद्देश्य एक एकीकृत, सुरक्षित और सुदृढ़ यूरोप का निर्माण करना तथा पश्चिमी और मध्य यूरोपीय शक्तियों के बीच राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है।

भारत की भागीदारी का महत्त्व

- यह भारत-यूरोप के बीच रणनीतिक अभिसरण को दर्शाता है, जो केवल द्विपक्षीय संबंधों से आगे बढ़ चुका है।
- यह भारत के प्रति यूरोप के समर्थन को इंगित करता है, विशेषकर:ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताओं के संदर्भ में,स्वतंत्र विदेश नीति के निर्णयों के संदर्भ में।
- यह औपचारिक यूरोपीय संघ संरचनाओं के बाहर भी प्रमुख यूरोपीय सुरक्षा मंचों के साथ भारत की सहभागिता का विस्तार करता है।

भारत और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त जल मापन

भारत और बांग्लादेश ने गंगा और पद्मा नदियों पर संयुक्त जल मापन पहल प्रारंभ की है, क्योंकि गंगा जल बंटवारा संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने से पहले अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रही है।

गंगा जल बंटवारा संधि, 1996

- 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित यह संधि पश्चिम बंगाल में स्थित फरक्का बैराज पर गंगा के जल के बंटवारे को नियंत्रित करती है।
- यह बैराज बांग्लादेश सीमा से लगभग 18 किमी ऊपर स्थित है। यह संधि एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता थी, जिसने 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से गंगा जल बंटवारे को लेकर चले आ रहे दशकों पुराने तनाव को समाप्त किया।

गंगा जल विवाद की उत्पत्ति

- **फरक्का बैराज का निर्माण (1975):** भारत ने 1975 में फरक्का बैराज का निर्माण पूरा किया ताकि हुगली नदी में जल प्रवाहित किया जा सके। इसका उद्देश्य गाद (सिल्ट) को हटाना और कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता में सुधार करना था।

बांग्लादेश की चिंताएँ:

- **एक निम्न प्रवाह (डाउनस्ट्रीम) तटीय देश होने के कारण बांग्लादेश का तर्क था कि जल प्रवाह में कमी से:**
  - कृषि और मत्स्य पालन को नुकसान पहुँचा, नदी नौवहन बाधित हुआ, तटीय क्षेत्रों में लवणता (नमकीनपन) बढ़ी, सुंदरबन पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा उत्पन्न हुआ।
  - यह मतभेद दक्षिण एशिया के सबसे दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों में से एक बन गया।

गंगा नदी

- **उत्पत्ति** गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2,525 किमी है।
- **अपवाह क्षेत्र:**
  - भारत में इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 8,61,452 वर्ग किमी है।
  - यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 27% भाग कवर करता है। यह 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है।
- **जनसंख्या पर निर्भरता:** गंगा नदी लगभग 45% से अधिक भारतीय जनसंख्या का जीवन-निर्वाह करती है।
- **जल तनाव की स्थिति:** कुल वर्षा जल का लगभग 35.5% प्राप्त होने के बावजूद, गंगा नदी बेसिन भारत का दूसरा सबसे अधिक जल-संकटग्रस्त बेसिन है। यह स्थिति साबरमती नदी बेसिन के बाद आती है।
- **प्रमुख राज्य:** उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों के कुछ भाग
- **प्रमुख सहायक नदियाँ:** यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी।
- **बांग्लादेश में प्रवेश:**
  - गंगा नदी फरक्का बैराज के नीचे बांग्लादेश में पद्मा नदी के रूप में प्रवेश करती है।
  - आगे चलकर यह ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी से मिलती है। अंततः यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- **डेल्टा:** गंगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है - सुंदरबन डेल्टा। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है।

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन, राष्ट्रीय संप्रभुता के हनन और अमेरिकी साम्राज्यवाद की धारणा को मजबूत करने संबंधी चिंताओं को प्रमुखता से सामने ला दिया है।

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के संभावित कारण

- **तेल भंडार:** वेनेजुएला के पास विश्व के लगभग 18% तेल भंडार हैं, जो सऊदी अरब (लगभग 16%), रूस (लगभग 5-6%) या संयुक्त राज्य अमेरिका (लगभग 4%) से अधिक हैं।
  - केवल वेनेजुएला के पास अमेरिका और रूस के संयुक्त भंडार से भी अधिक कच्चे तेल के भंडार हैं।
  - वेनेजुएला ओपेक के कुल तेल निर्यात का लगभग 3.5% और वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 1% हिस्सा रखता है।
- **लैटिन अमेरिका में चीन के विस्तार का मुकाबला:** चीन, जो विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है, वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। वेनेजुएला चीन की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव में एक रणनीतिक केंद्र है, जिससे यह अमेरिका के लिए भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन जाता है।
- **अमेरिकी समझौते:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे साझेदारों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, जिनमें उनसे अमेरिकी पेट्रोलियम उत्पादों और एलएनजी खरीदने की प्रतिबद्धता ली गई है, जबकि अमेरिका के पास पर्याप्त कच्चा तेल या परिष्करण क्षमता नहीं है।
- **मुनरो सिद्धांत का पुनरुत्थान:** अमेरिका ने इस अभियान को अपनी विदेश नीति के उस सिद्धांत के अनुरूप बताया है, जिसे मुनरो सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
- **अन्य घोषित और अघोषित उद्देश्य:**
  - राज्य प्रायोजित मादक पदार्थ तस्करी के आरोप
  - समाजवादी राजनीतिक विचारधारा को सीमित करना
  - अमेरिका की ओर बड़े पैमाने पर हो रहे प्रवासन प्रवाह को संबोधित करना।

मुनरो सिद्धांत

- **पृष्ठभूमि:** यह 1823 में अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो द्वारा कांग्रेस को दिए गए वार्षिक संबोधन के दौरान घोषित किया गया था। यह उस समय आया जब कई लैटिन अमेरिकी देशों ने यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी।
- **मुख्य सिद्धांत:**
  - **गैर-औपनिवेशीकरण:** अमेरिकी महाद्वीप अब भविष्य में किसी भी यूरोपीय उपनिवेशीकरण के लिए खुले नहीं रहेंगे।
  - **गैर-हस्तक्षेप:** यूरोपीय शक्तियाँ अमेरिका के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी।
  - **प्रभाव के पृथक क्षेत्र:** पश्चिमी गोलार्ध और यूरोप अलग-अलग राजनीतिक क्षेत्र बने रहेंगे।
  - **अमेरिकी आश्वासन:** संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अमेरिका में मौजूद यूरोपीय उपनिवेशों का सम्मान करेगा।
- **रूजवेल्ट परिशिष्ट:**
  - 1904 में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने 'रूजवेल्ट परिशिष्ट' प्रस्तुत किया, जिसमें यह दावा किया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को कुछ परिस्थितियों में अमेरिका महाद्वीप में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।
  - इस अतिरिक्त प्रावधान में यह कहा गया कि यूरोपीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए अमेरिका को लैटिन अमेरिकी देशों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।
  - इस सिद्धांत का उपयोग क्यूबा, निकारागुआ, हैती और डोमिनिकन गणराज्य में अमेरिकी हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए किया गया।

अमेरिकी साम्राज्यवाद के संभावित परिणाम

अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्षरण

एकतरफा कार्रवाइयाँ संयुक्त राष्ट्र की अधिकारिता को कमजोर करती हैं और राज्य की संप्रभुता तथा गैर-हस्तक्षेप जैसे मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कमजोर करना

यूएनएससी को दरकिनार करने से सामूहिक सुरक्षा में विश्वास कम होता है और शक्ति-आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा मिलता है।

हस्तक्षेपवाद के लिए वैश्विक मिसाल

शासन परिवर्तन और बाहरी हस्तक्षेप को सामान्य बनाता है, जिससे अन्य प्रमुख शक्तियों को भी ऐसे कदम उठाने का औचित्य मिलता है।

क्षेत्रीय अस्थिरता और फैलाव प्रभाव

पड़ोसी क्षेत्रों में गृह संघर्ष, शरणार्थियों की बढ़ती संख्या, संगठित अपराध और मानवीय संकट के जोखिम बढ़ते हैं।

अमेरिका-विरोधी गुटों का मजबूत होना

लक्षित देशों को चीन और रूस जैसी प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के और करीब धकेलता है, जिससे वैश्विक शक्ति ध्रुवीकरण तेज होता है।

उदार विश्व व्यवस्था का संकट

लोकतंत्र के बारे में कही गई बातों और वास्तविक कार्यों के बीच अंतर को उजागर करता है, जिससे अमेरिका-नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विश्वसनीयता कमजोर होती है।

इन परिणामों से सामूहिक रूप से वैश्विक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांतों को खतरा पैदा होता है।

66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका की वापसी

अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर हो चुका है, जिनमें 31 संयुक्त राष्ट्र (UN) से संबंधित संस्थाएँ और 35 गैर-UN निकाय शामिल हैं।

परिचय

- इन संस्थाओं में जलवायु/ऊर्जा/विज्ञान मंच जैसे- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC), अंतरसरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC), अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) शामिल हैं।
- इसमें विकास/शासन और अधिकारों से संबंधित संस्थाएँ जैसे- यूएन वीमेन, UNFPA (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष), अंकटाड (UNCTAD), और यूएन-हैबिटेट भी शामिल हैं, साथ ही शांति निर्माण और संघर्ष में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कई UN कार्यालय भी।

अमेरिका की वापसी के पीछे कारण

- **संप्रभुता संबंधी चिंताएँ:** ऐसे बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का विरोध, जिन्हें घरेलू नीति की स्वायत्तता को सीमित करने वाला माना गया।
- **संस्थागत पक्षपात की धारणा:** राजनीतिकरण, अक्षमता और अमेरिका या उसके सहयोगियों के हितों के विरुद्ध पक्षपात के आरोप।
- **घरेलू राजनीतिक दबाव:** बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं को महँगा और सीमित प्रत्यक्ष चुनावी लाभ वाला माना गया।
- **भार-साझेदारी तर्क:** यह दावा कि अमेरिका वैश्विक संस्थाओं में असंगत रूप से अधिक योगदान देता है।
- **रणनीतिक पुनर्संरेखण:** सार्वभौमिक संस्थाओं की बजाय द्विपक्षीय या लघु-बहुपक्षीय व्यवस्थाओं को प्राथमिकता।
- **रणनीतिक प्रतिस्पर्धा:** ऐसे मंचों को सीमित करने की इच्छा जहाँ प्रतिद्वंद्वी शक्तियाँ प्रभाव बढ़ा सकें।

संभावित प्रभाव

- **जलवायु परिवर्तन पर झटका:** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं और अन्य देशों को जलवायु प्रतिबद्धताओं व वित्तीय वादों में देरी का बहाना मिल सकता है।
- **बहुपक्षवाद का विखंडन:** अंतर्राष्ट्रीय शासन और कमजोर होगा, शक्ति प्रतिद्वंद्विता तेज होगी और संरक्षणवाद तथा छोटे क्षेत्रीय समूहों की ओर झुकाव बढ़ेगा।
- **विकास एवं मानवीय सहायता में मंदी:** अमेरिकी फंडिंग में कटौती से पहले से घट रही अंतर्राष्ट्रीय विकास और मानवीय सहायता और प्रभावित होगी, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और SDG प्रगति पर असर पड़ेगा।
- **वैश्विक शांति एवं सुरक्षा जोखिम:** UN शांति निर्माण आयोग जैसे निकायों को कम समर्थन से संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों (विशेषकर अफ्रीका और कैरेबियन) में शांति निर्माण और संघर्षोत्तर पुनर्निर्माण प्रभावित होगा।
- **वैश्विक मानदंडों की कमजोरी:** अन्य राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के चयनात्मक पालन को बढ़ावा मिल सकता है।
- **नेतृत्व का रिक्त स्थान:** अन्य प्रमुख शक्तियों को वैश्विक नियमों और संस्थाओं को आकार देने का अवसर मिल सकता है।

पैक्स सिलिका

अमेरिकी राजदूत ने घोषणा की कि भारत को अगले महीने Pax Silica में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाएगा।

भारत के लिए महत्त्व

- पैक्स सिलिका में शामिल होने से भारत को चीन पर निर्भरता कम कर ऑस्ट्रेलिया जैसे अधिक सुरक्षित आपूर्तिकर्ताओं की ओर विविधीकरण करने में मदद मिल सकती है, विशेषकर महत्त्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में।
- यह जापान और नीदरलैंड के साथ साझेदारी के माध्यम से निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा दे सकता है।
- यह भारत की विशाल मोनाजाइट और थोरियम संसाधनों से दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के उन्नत निष्कर्षण और प्रसंस्करण की क्षमताओं को मजबूत कर सकता है।

निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड

वरिष्ठ भारतीय राजनयिक डी.बी. वेंकटेश वर्मा को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा 2026-27 कार्यकाल के लिए निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया है। यह पहली बार है जब कोई भारतीय इस पद पर होगा।

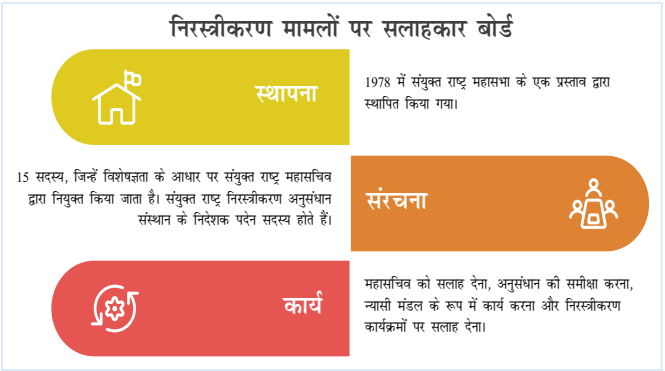

ग्राहम-ब्लूमेंथल प्रतिबंध विधेयक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्राहम-ब्लूमेंथल प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी दी है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर 500% तक शुल्क लगाने की अनुमति देगा जो जानबूझकर रूसी तेल या यूरेनियम खरीदते हैं।

परिचय

- यह विधेयक चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका को अत्यधिक प्रभाव प्रदान करेगा, ताकि वे सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद करें। 2018 में, पूर्व ट्रम्प प्रशासन के दबाव में भारत ने ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात शून्य कर दिया था।
- **भारत पर शुल्क:** संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% तक उच्च शुल्क लगाया है। इसका एक हिस्सा भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद से जुड़ा है।
- **भारत का रुख:** भारत का कहना है कि रूस से तेल खरीदने का निर्णय राष्ट्रीय हित पर आधारित है। वह ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपने नागरिकों के लिए ईंधन की कीमतें सुलभ रखना चाहता है।

अमेरिका-ईरान तनाव के मध्य चाबहार बंदरगाह

भारत ने पुनः पुष्टि की है कि वह रणनीतिक चाबहार बंदरगाह पर संचालन जारी रखने के लिए अमेरिका और ईरान दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण बाहर निकलने की खबरों का खंडन किया है।

परिचय

- **अर्थ:** चाबहार शब्द फारसी के 'चहार' (चार) और 'बहार' (वसंत) से मिलकर बना है। यह शहर ईरान का एकमात्र गहरे समुद्र का बंदरगाह है जिसे सीधे महासागर तक पहुँच है।
- **स्थान:** यह ओमान की खाड़ी के पास, ईरान के दक्षिण-पूर्वी प्रांत सिस्तान-बलूचिस्तान में स्थित है और महासागर तक सीधी पहुँच वाला एकमात्र ईरानी बंदरगाह है। यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से लगभग 170 किमी पश्चिम में है।
- **संरचना:** चाबहार बंदरगाह दो अलग-अलग बंदरगाहों यथा; शाहिद कलांतरी और शाहिद बेहेश्ती से मिलकर बना है।

भारत के लिए महत्त्व

- **मध्य एशिया तक प्रवेशद्वार:** यह बंदरगाह ऊर्जा-समृद्ध फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट और मध्य एशिया तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे भारत पाकिस्तान को बायपास कर सकता है।
  - यह आंशिक रूप से INSTC द्वारा संभव हुआ है।
  - यह बंदरगाह स्वेज नहर पर निर्भरता कम करेगा और परिवहन समय घटाएगा।
- **अफगानिस्तान के साथ व्यापार:**
  - INSTC के माध्यम से भारत ईरान के जरिए बाहरी विश्व से व्यापार कर सका, परंतु अफगानिस्तान (जो INSTC का सदस्य नहीं है) के साथ ऐसा संभव नहीं था।
  - मई 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच चाबहार बंदरगाह के उपयोग हेतु त्रिपक्षीय समझौता हुआ।
  - यह अफगानिस्तान के विकास में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करेगा।
- **रणनीतिक महत्त्व:** चाबहार बंदरगाह चीन द्वारा विकसित पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के निकट है। यह CPEC का संतुलन करता है और समुद्री शक्ति को मजबूत करता है।

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के 80 वर्ष

संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने अपने कार्य के 80 वर्ष पूरे किए।

यूरोपीय संघ का एंटी-कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट

ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की शुल्क धमकियों के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूरोपीय संघ के एंटी-कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट को सक्रिय करने का उल्लेख किया।

बुल्गारिया का यूरोजोन में प्रवेश

हाल ही में बुल्गारिया यूरो अपनाने वाला 21वाँ देश बन गया। लगभग 20 वर्ष 2007 मे बुल्गारिया यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था।

बुल्गारिया

- यह एक देश है जो दक्षिण-पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है।
- इसके उत्तर में रोमानिया है, जिसकी अधिकांश सीमा निचली डेन्यूब नदी द्वारा निर्धारित होती है।
- इसके पूर्व में काला सागर, दक्षिण में तुर्की और ग्रीस, दक्षिण-पश्चिम में उत्तर मैसेडोनिया तथा पश्चिम में सर्बिया स्थित हैं। इसकी राजधानी सोफिया पश्चिम में एक पर्वतीय बेसिन में स्थित है।

यूरोपीय संघ की पृष्ठभूमि

- वर्ष 1992 की मास्ट्रिख्ट संधि ने यूरोपीय संघ की स्थापना की। इसने साझा आर्थिक और मौद्रिक संघ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।
- इससे एक सामान्य मुद्रा- यूरो को एकमात्र वैध मुद्रा के रूप में अपनाने की अनुमति मिली। यूरो पहली बार 1 जनवरी 2002 को 12 देशों में लागू हुआ।
- वर्ष 2023 में क्रोएशिया नवीनतम सदस्य बना। इसमें एकीकृत केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली (यूरोपीय केंद्रीय बैंक) और साझा आर्थिक क्षेत्र भी है।

यूरोजोन

- यूरोजोन वह भौगोलिक और आर्थिक क्षेत्र है जिसमें वे EU सदस्य शामिल हैं जिन्होंने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में पूर्ण रूप से अपनाया है।
- बुल्गारिया के शामिल होने से 27 EU सदस्यों में से 21 देश यूरोजोन का हिस्सा बन गए हैं। शेष छह देश अपनी मुद्राएँ उपयोग करते हैं। एंडोरा, मोनाको, वेटिकन सिटी और सैन मैरीनो समझौतों के माध्यम से यूरो का उपयोग करते हैं; जबकि कोसोवो और मोंटेनेग्रो बिना औपचारिक समझौते के यूरो का उपयोग करते हैं। फिर भी इन्हें यूरोजोन सदस्य नहीं माना जाता।
- **पात्रता:** यूरोजोन सदस्यता के लिए (डेनमार्क को छोड़कर) EU देश को "सन्निकटन मानदंड" पूरे करने होते हैं, जिससे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरेखण सुनिश्चित हो।

यूरोजोन में शामिल होने के लाभ

- यूरोजोन अपने सदस्य देशों को कई लाभ प्रदान करता है, जिनमें मूल्य स्थिरता, कम ब्याज दरें और साझा मुद्रा के माध्यम से आसान बाजार पहुँच शामिल हैं।
- यूरो उपभोक्ताओं को सदस्य देशों के बीच कीमतों की तुलना करने की सुविधा देता है, मुद्रा विनिमय लागत को कम करता है और व्यापार, श्रम तथा पूँजी की गतिशीलता को सुगम बनाता है।
- बुल्गारिया जैसे सदस्य देशों को यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) की गवर्निंग काउंसिल में स्थान मिलता है, जिससे यूरोजोन की आर्थिक क्षमता के कारण उन्हें बाहरी झटकों से सुरक्षा मिलती है।
- इसके अतिरिक्त, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा के रूप में यूरो यूरोपीय एकीकरण को मजबूत करता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करता है।

इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) में स्पेन

भारत ने स्पेन के IPOI में शामिल होने का स्वागत किया है।

इंडो-पैसेफिक ओसन इनिशिएटिव

- यह पहल नवंबर 2019 में बैंकॉक में ASEAN-नेतृत्व वाले पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा प्रारंभ की गई थी।

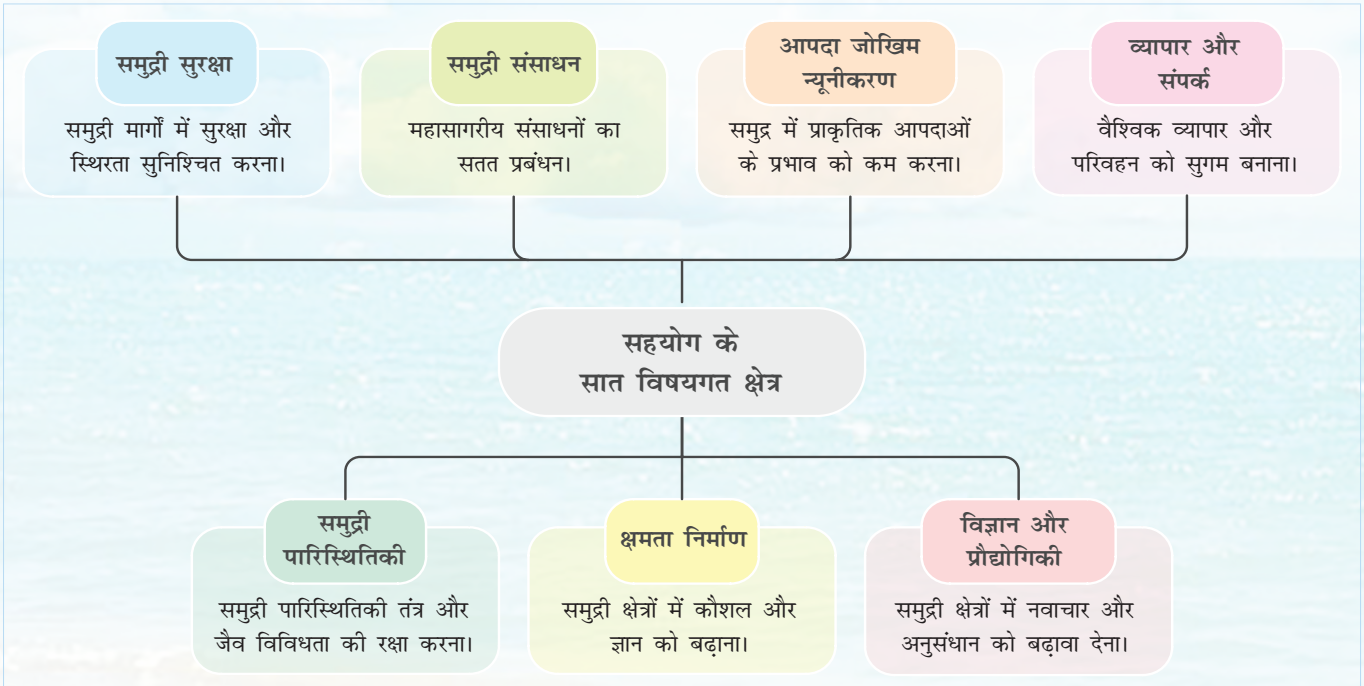

- **उद्देश्य:** एक स्वतंत्र और खुला इंडो-पैसिफिक तथा नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना, जिससे समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और विकास सुदृढ़ हो सके।

गाजा के लिए शांति बोर्ड

सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रस्तावित गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने के निमंत्रण पर अपने उत्तर पर विचार कर रही है।

परिचय

- यह एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता डोनाल्ड ट्रम्प करेंगे, जिसका उद्देश्य अक्टूबर 2025 के इजराइल-हमास युद्धविराम की निगरानी और गाजा के युद्धोत्तर संक्रमण का प्रबंधन करना है। इसे अक्टूबर 2025 में प्रस्तावित किया गया और अगले महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।
- **गाजा प्रशासन हेतु राष्ट्रीय समिति (NCAG):** यह निकाय गाजा के नागरिक प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं का स्थानीय संचालन करता है। शांति बोर्ड, NCAG के कार्यों की निगरानी करता है।
- **सदस्य:**
  - लगभग 50 आमंत्रित देशों में से 35 वैश्विक नेताओं ने इसमें भाग लिया है।
  - मध्य पूर्वी साझेदारों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन, कतर और मिस्र शामिल हैं। NATO सदस्य देशों में तुर्की और हंगरी शामिल हैं।
  - अन्य प्रतिभागियों में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, वियतनाम, मोरक्को, आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल हैं। इसकी सदस्यता तीन वर्ष की होती है और नवीकरणीय है।
  - वहीं विस्तारित सदस्यता के लिए देशों को 1 अरब डॉलर का योगदान देना पड़ सकता है; अल्पकालिक सदस्यों को भुगतान नहीं करना होगा।

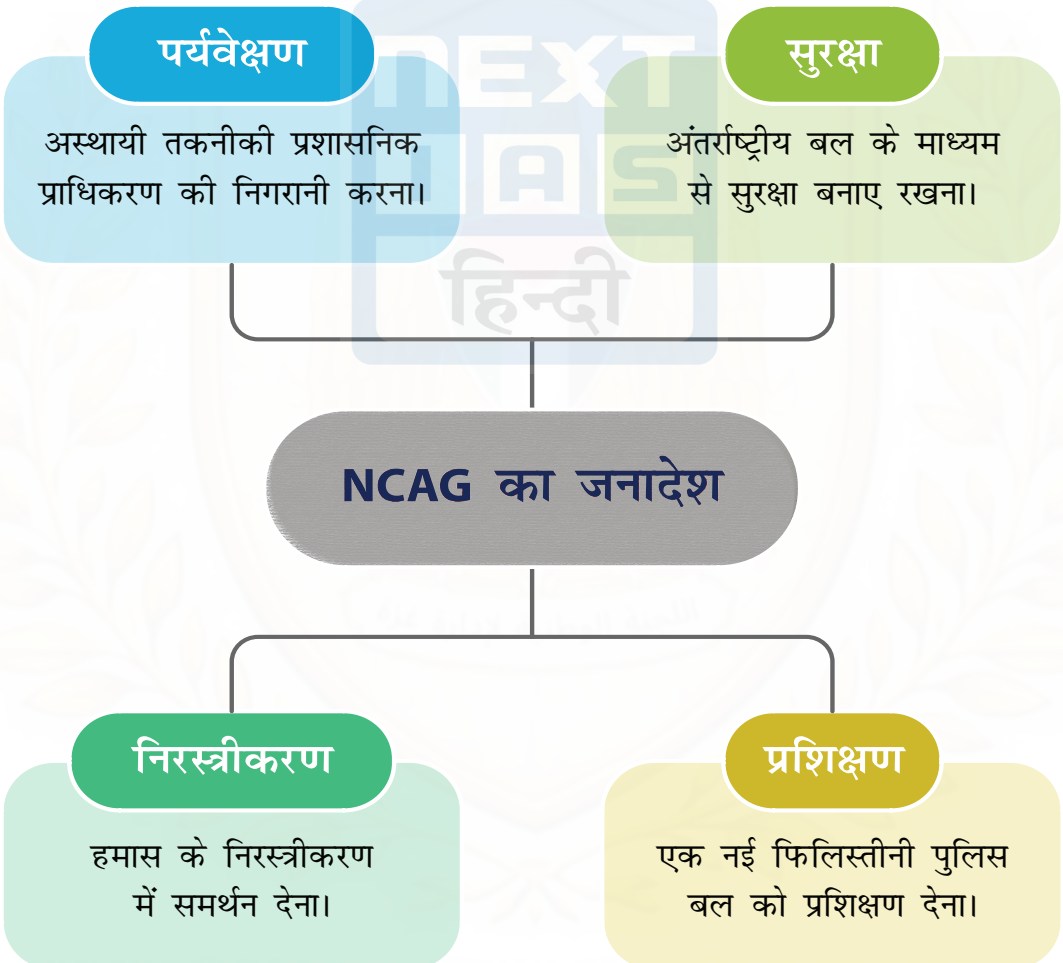

3 अर्थव्यवस्था

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2025 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) जारी की, जिसका उद्देश्य प्रणालीगत जोखिमों का आकलन करना और बैंकिंग प्रणाली की मजबूती का मूल्यांकन करना है।

FSR क्या है?

- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट RBI द्वारा वर्ष में दो बार जारी की जाने वाली आकलन रिपोर्ट है, जो भारत की वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करती है।
- इसमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs), वित्तीय बाजार तथा अन्य संस्थान शामिल होते हैं, ताकि स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और वित्तीय संकटों को रोका जा सके।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **मजबूत आर्थिक वृद्धि:**
  - वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी रही।
  - सकल घरेलू उत्पाद (GDP) (उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य) पहली तिमाही (Q1) में 7.8% तथा दूसरी तिमाही (Q2) में 8.2% की दर से बढ़ा।
  - यह वृद्धि निजी उपभोग (घरेलू खर्च) और सार्वजनिक निवेश (सरकारी आधारभूत संरचना व्यय) से समर्थित रही।
- **बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार:**
  - बैंकों के ऋणों की गुणवत्ता और बेहतर हुई।
  - सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA) (वे ऋण जिनका 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं हुआ) सितंबर 2025 में घटकर 2.1% रह गई।
  - यह बेहतर ऋण अनुशासन, वसूली में सुधार और बैंकिंग प्रणाली में कम दबाव को दर्शाता है।
  - कम NPA का अर्थ है कि बैंकों में उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देने की अधिक क्षमता और विश्वास है।
- **मजबूत पूँजी पर्याप्तता:**
  - बैंकों ने पर्याप्त पूँजी भंडार बनाए रखा।
  - जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के अनुपात में पूँजी (CRAR) (बैंक की हानि सहन करने की क्षमता का माप)
  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 16%
  - निजी बैंकों के लिए 18.1%
  - यह नियामकीय न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है।
  - उच्च CRAR यह सुनिश्चित करता है कि बैंक आर्थिक झटकों का सामना बिना विफल हुए कर सकें।
- **उभरते जोखिम:**
  - असुरक्षित ऋण (बिना जमानत के ऋण) खुदरा डिफॉल्ट का 53.1% हिस्सा हैं।
  - फिनटेक ऋणदाता ऐसे ऋणों पर अधिक निर्भर हैं, जिससे उधारकर्ताओं पर दबाव बढ़ सकता है।
  - स्टेबलकॉइन (संपत्ति-समर्थित डिजिटल मुद्राएँ) मौद्रिक संप्रभुता (मुद्रा पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण) को कमजोर कर सकती हैं।

निष्कर्ष

- भारत की वित्तीय प्रणाली मजबूत और स्थिर है, लेकिन बढ़ते असुरक्षित ऋण और नए डिजिटल जोखिमों पर सतत् निगरानी और समय पर नियमन आवश्यक है, ताकि दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखी जा सके।

लैब-ग्रोन डायमंड

वैश्विक माँग में वृद्धि तथा बढ़ते निवेश और फंडिंग के कारण भारत का लैब-ग्रोन डायमंड बाजार उच्च विकास चरण में प्रवेश कर रहा है।

परिचय:

- लैब-ग्रोन डायमंड (जिन्हें सिंथेटिक या कल्चर्ड डायमंड भी कहा जाता है) वास्तविक हीरे होते हैं, जिन्हें प्रयोगशालाओं में उन्नत तकनीक का उपयोग करके पृथ्वी के भीतर होने वाली प्राकृतिक हीरा-निर्माण प्रक्रिया की नकल करते हुए तैयार किया जाता है।
- ये शुद्ध कार्बन से बने होते हैं और इनकी घन (क्यूबिक) क्रिस्टल संरचना (कार्बन परमाणुओं की परमाण्विक व्यवस्था) खनन से प्राप्त हीरों के समान होती है। इनके भौतिक, रासायनिक तथा प्रकाशीय गुण भी प्राकृतिक हीरों के समान होते हैं।

उत्पादन तकनीकें

- **हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर (HPHT) (पृथ्वी के मैंटल का कृत्रिम अनुकरण):** कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और तापमान के संपर्क में रखा जाता है, जिससे वह क्रिस्टलीकृत होकर हीरे में परिवर्तित हो जाता है।
- **केमिकल वेपर डिपोजिशन (CVD) (परत-दर-परत वृद्धि विधि):** मीथेन जैसी कार्बन-समृद्ध गैस को वैक्यूम चौम्बर में तोड़ा जाता है, जिससे कार्बन परमाणु एक डायमंड सीड पर जमा होते जाते हैं।

प्राकृतिक हीरों से अंतर

- प्राकृतिक हीरों में सूक्ष्म मात्रा में नाइट्रोजन अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जबकि लैब-ग्रोन हीरे सामान्यत: नाइट्रोजन-मुक्त होते हैं। ये पर्यावरण-अनुकूल और संघर्ष-मुक्त होते हैं, क्योंकि इनमें खनन से जुड़ी भूमि क्षति, अत्यधिक जल उपयोग तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन शामिल नहीं होता।

बाजार परिदृश्य

- भारत विश्व के लगभग 90% हीरों की प्रोसेसिंग करता है और वैश्विक मूल्य कारोबार में लगभग 75% का योगदान देता है। वैश्विक स्तर पर लैब-ग्रोन हीरों की हिस्सेदारी 2024 में 12% से बढ़कर 2029 तक 16% होने का अनुमान है।

निष्कर्ष

- लैब-ग्रोन डायमंड भारत के हीरा उद्योग को सशक्त बना रहे हैं तथा सतत् विकास, नैतिक उत्पादन और उन्नत विनिर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं।

लैंड स्टैक

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) (भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु केंद्रीय योजना) के अंतर्गत सरकार ने चंडीगढ़ और तमिलनाडु में लैंड स्टैक पायलट परियोजनाएँ प्रारंभ कीं।

परिचय

- DILRMP का उद्देश्य भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण (कागजी अभिलेखों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करना), स्वामित्व विवरण, पंजीकरण डेटा तथा कैडस्ट्रल मानचित्र (आधिकारिक भूमि सीमा मानचित्र) का एकीकरण करना तथा भूमि विवादों (भूमि स्वामित्व से संबंधित कानूनी विवाद) को कम करना है।
- इसका लक्ष्य सटीक, पारदर्शी और आसानी से सुलभ भूमि डेटा सुनिश्चित करना है, जिससे नागरिक सेवाओं और प्रशासनिक दक्षता में सुधार हो।

लैंड स्टैक क्या है?

- लैंड स्टैक एक एकीकृत GIS-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म (भौगोलिक सूचना प्रणाली जो मानचित्र और स्थान संबंधी डेटा का उपयोग करती है) है, जो पाठ्य भूमि अभिलेख (स्वामित्व अधिकार और शीर्षक) को स्थानिक डेटा (भूमि का सटीक स्थान और सीमाएँ) के साथ एक ही पोर्टल पर संयोजित करता है।
- यह सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड जैसे देशों के वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों (सफल अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों) का अनुसरण करता है।

लैंड स्टैक के लाभ

- सूचित निर्णय-निर्माण को सक्षम बनाता है (सत्यापित जानकारी पर आधारित निर्णय)।
- पारदर्शिता (स्पष्टता और खुलापन) तथा जनविश्वास को बढ़ाता है।
- अनधिकृत या नियमों के अनुरूप न होने वाली संपत्तियों की खरीद के जोखिम को कम करता है। विभागों के बीच समन्वय (सरकारी कार्यालयों के बीच डेटा साझा करना) में सुधार करता है।
- डेटा-आधारित शासन (साक्ष्य-आधारित नीतिनिर्माण) का समर्थन करता है।

निष्कर्ष

- DILRMP को लैंड स्टैक के साथ जोड़कर भारत एक आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित भूमि प्रशासन प्रणाली की ओर अग्रसर है, जिससे विवादों में कमी आएगी और डिजिटल शासन सुदृढ़ होगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए भारत का नोडल मंत्रालय) ने 22,919 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) (इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण को बढ़ावा देने हेतु सरकारी प्रोत्साहन योजना) के अंतर्गत 22 परियोजनाओं को स्वीकृति दी।

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की संरचनात्मक कमजोरी

- भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग मुख्यतः असेम्बली-आधारित (अंतिम उत्पादों को देश में जोड़ना) है, लेकिन घटक-निर्भर (महत्त्वपूर्ण पुर्जों का आयात) है।
- इससे आयात निर्भरता (विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता), व्यापार घाटा (निर्यात से अधिक आयात) तथा आपूर्ति शृंखला की संवेदनशीलता (भूराजनैतिक तनाव जैसे वैश्विक व्यवधानों के प्रति जोखिम) उत्पन्न होती है।

ECMS क्या है?

- ECMS एक लक्षित औद्योगिक नीति (सरकार द्वारा केंद्रित समर्थन) है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों (इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के भीतर के मुख्य पुर्जों) के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता का निर्माण करना है।
- यह वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन करने तथा भारत को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVCs) (अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्क जहाँ उत्पादन विभिन्न देशों में विभाजित होता है) में एकीकृत करने का प्रयास करती है।

कवरेज और प्रोत्साहन संरचना

- यह योजना संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्यशृंखला को कवर करती है-
- उप-असेम्बली (संयोजित पुर्जे)
- बेसिक घटक (मूल इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे)
- रणनीतिक घटक (उच्च-मूल्य एवं महत्त्वपूर्ण वस्तुएँ)
- पूँजीगत उपकरण (निर्माण मशीनरी)
- दूरसंचार उप-असेम्बली (संचार हार्डवेयर)
- यह टर्नओवर-आधारित प्रोत्साहन (उत्पादन और बिक्री पर आधारित पुरस्कार), पूँजीगत व्यय प्रोत्साहन (कारखाना एवं मशीनरी निवेश के लिए समर्थन) तथा हाइब्रिड प्रोत्साहन (दोनों का मिश्रण) प्रदान करती है, जिससे दीर्घकालिक नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित होती है।

निष्कर्ष

- घटक विनिर्माण को सशक्त बनाकर ECMS आयात निर्भरता को कम करती है, आपूर्ति शृंखला की मजबूती बढ़ाती है, कुशल रोजगार सृजित करती है और भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनाने के लक्ष्य का समर्थन करती है।

पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) की पहली बैठक आयोजित की गई, जिससे भारत के भुगतान शासन ढाँचे (भुगतान तंत्र को विनियमित करने वाली प्रणाली) के क्रियान्वयन (वास्तविक संचालन की शुरुआत) को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया।

पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की आवश्यकता क्यों?

- भारत में डिजिटल और नकदरहित भुगतान (जैसे UPI, कार्ड, मोबाइल वॉलेट) में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे सुविधा और वित्तीय समावेशन (औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच) में सुधार हुआ है।
- हालाँकि, इस विस्तार से साइबर सुरक्षा (ऑनलाइन धोखाधड़ी और हैकिंग से सुरक्षा), प्रणालीगत स्थिरता (पूरे भुगतान तंत्र की सुरक्षा) और उपभोक्ता संरक्षण (उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा) से जुड़े जोखिम भी बढ़े हैं। इसलिए एक विशेष नियामक संस्था की आवश्यकता महसूस की गई।

पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) क्या है?

- PRB एक वैधानिक निकाय (कानून द्वारा स्थापित संस्था) है, जिसके माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) (भारत का केंद्रीय बैंक) भुगतान और निपटान प्रणालियों (धन के हस्तांतरण और अंतिम निपटान को सक्षम करने वाली प्रणालियाँ) पर नियामक एवं पर्यवेक्षी नियंत्रण (नियम बनाना, निगरानी करना और अनुपालन सुनिश्चित करना) करता है।

विधिक ढाँचा और संस्थागत परिवर्तन

- PRB की स्थापना भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007 की धारा 3 के अंतर्गत की गई।
- इसने भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS) का स्थान लिया, जो पहले RBI के अंतर्गत भुगतान प्रणालियों की निगरानी करता था। इससे संस्थागत स्पष्टता और जवाबदेही को और सुदृढ़ किया गया है।

PRB के उद्देश्य

- सुरक्षा सुनिश्चित करना (सुरक्षित प्रणाली)
- दक्षता बढ़ाना (तेज और कम लागत वाले लेनदेन)
- स्थिरता बनाए रखना (निर्बाध संचालन)
- उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना (धोखाधड़ी और दुरुपयोग से सुरक्षा)

निष्कर्ष

- PRB के क्रियान्वयन से भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास और सुदृढ़ हुआ है तथा यह सुरक्षित, स्थिर और उपभोक्ता-केंद्रित कम-नकदी अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करता है।

कैग का राज्यों पर बढ़ते राजकोषीय दबाव की ओर संकेत

कैग ने उल्लेख किया है कि वित्त वर्ष 2023-24 (FY24) में मजबूत राजस्व प्राप्तियों के बावजूद भारतीय राज्य वर्ष के अंत तक बढ़ते राजकोषीय दबाव (सरकारी वित्त पर दबाव) का सामना कर रहे थे।

राज्यों की राजस्व प्रोफाइल

- कुल राजस्व प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर आय) ₹37.93 लाख करोड़ रहीं।
- स्वयं का कर राजस्व (राज्यों द्वारा लगाए गए कर): ~50%
- कर हस्तांतरण (केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा): ~30%
- अनुदान-सहायता (केंद्रीय सहायता): ~12%
- गैर-कर राजस्व (शुल्क, ब्याज, लाभांश): ~8%
- यह राज्यों की राजस्व स्वायत्तता में क्रमिक मजबूती को दर्शाता है, हालाँकि क्षेत्रों के बीच असमानता बनी हुई है।

असमान राजकोषीय क्षमता

- आर्थिक रूप से सशक्त राज्य जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा ने अपने कुल राजस्व का 60% से अधिक हिस्सा स्वयं के करों से प्राप्त किया।
- वहीं, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य केंद्रीय हस्तांतरण पर अत्यधिक निर्भर रहे, जिससे अंतर-राज्यीय राजकोषीय असमानताएँ (राजस्व जुटाने की असमान क्षमता) उजागर होती हैं।

व्यय की कठोरता

- राजस्व का बड़ा भाग प्रतिबद्ध व्यय (वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान) में खर्च हो गया, जिससे राजकोषीय लचीलापन (व्यय को पुनः प्राथमिकता देने की क्षमता) सीमित हो गया और विकास कार्यों के लिए संसाधन कम पड़ गए।

GST और ऋण संबंधी चिंताएँ

- राज्य GST (राज्य स्तरीय अप्रत्यक्ष कर) स्वयं के कर राजस्व का लगभग 43% रहा, जिससे राज्यों की वित्तीय स्थिति उपभोग में मंदी के प्रति संवेदनशील हो गई।
- राज्यों का सार्वजनिक ऋण ₹67.87 लाख करोड़ तक पहुँच गया (जो GSDP-राज्यों के कुल आर्थिक उत्पादन-का 23.42% है), जिसमें राज्यों के बीच व्यापक अंतर पाया गया।

तरलता दबाव

- CAG ने वित्त वर्ष 2027-28 (FY28) से केंद्र और राज्यों के बीच "ऑब्जेक्ट हेड्स" (बजटीय व्यय श्रेणियों का मानकीकरण) को सामंजस्यपूर्ण बनाने की सलाह दी है, ताकि पारदर्शिता, तुलनात्मकता और सार्वजनिक वित्तीय आँकड़ों की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

CAG की सिफारिश

- CAG ने FY28 से संघ और राज्यों के बीच ऑब्जेक्ट हेड्स (बजट व्यय की श्रेणियों) को एकरूप बनाने की सलाह दी है, ताकि सार्वजनिक वित्त डेटा की पारदर्शिता, तुलनात्मकता और गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

CAG के बारे में

- CAG एक संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की गई है।

- यह केंद्र और राज्यों के खातों का लेखा-परीक्षण करता है तथा अपनी रिपोर्ट विधायिकाओं को प्रस्तुत करता है, जिससे वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

निष्कर्ष

- रिपोर्ट दर्शाती है कि केवल उच्च राजस्व पर्याप्त नहीं है; स्थायी राज्य वित्त के लिए स्थिर व्यय पर नियंत्रण, ऋण प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन में सुधार अत्यंत आवश्यक हैं।

ग्लोबल मिनिमम टैक्स

OECD (आर्थिक सहयोग और नीतिगत समन्वय को बढ़ावा देने वाली वैश्विक संस्था) ने 15% ग्लोबल न्यूनतम कर से अमेरिका-आधारित बहुराष्ट्रीय कंपनियों को छूट देने संबंधी एक समझौते को अंतिम रूप दिया है।

OECD का परिचय

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसके 38 सदस्य देश हैं, जिनमें अधिकांश विकसित देश शामिल हैं।
- भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित OECD की चर्चाओं में भाग लेता है।

ग्लोबल न्यूनतम कर क्या है?

- ग्लोबल न्यूनतम कर एक अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार है, जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNEs) (एक से अधिक देशों में संचालित कंपनियाँ) के लिए 15% की न्यूनतम प्रभावी कॉर्पोरेट कर दर निर्धारित करता है।
- इसका उद्देश्य लाभ स्थानांतरण (मुनाफे को कम-कर वाले देशों में स्थानांतरित करना) और टैक्स हेवन (अत्यंत कम या शून्य कर वाले क्षेत्राधिकार) के उपयोग को रोकना है।

प्रमुख प्रावधान

- €750 मिलियन से अधिक वैश्विक टर्नओवर वाली कंपनियों पर लागू
- 15% न्यूनतम प्रभावी कर दर (लाभ पर वास्तविक भुगतान किया गया कर) निर्धारित
- यदि किसी देश में लाभ पर कम कर लगाया गया हो, तो "टॉप-अप टैक्स" (अतिरिक्त कर) लगाने की अनुमति।

अमेरिकी कंपनियों के लिए छूट

- इस समझौते के अंतर्गत अन्य देशों को अमेरिका-आधारित बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विदेशी सहायक कंपनियों पर टॉप-अप टैक्स लगाने से रोका गया है, भले ही उन लाभों पर 15% से कम कर लगाया गया हो।

महत्त्व

- यद्यपि यह नीति वैश्विक कर समन्वय को सुदृढ़ करती है, लेकिन ऐसी छूटें निष्पक्षता, विकासशील देशों के लिए संभावित राजस्व हानि और नियमों के असमान अनुप्रयोग को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करती हैं।

निष्कर्ष

- ग्लोबल न्यूनतम कर का उद्देश्य कॉर्पोरेट कर अपवंचन को नियंत्रित करना है, लेकिन शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं को दी गई छूटें एक पूर्णतः न्यायसंगत वैश्विक कर प्रणाली स्थापित करने की सीमाओं को दर्शाती हैं।

ओपिनियन ट्रेडिंग

हाल ही में एक राजनीतिक घटना की भविष्यवाणी कर लाभ कमाने के मामले ने ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर चिंताओं को पुनर्जीवित कर दिया है।

ओपिनियन ट्रेडिंग क्या है?

- ओपिनियन ट्रेडिंग उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को संदर्भित करती है, जहाँ उपयोगकर्ता द्विआधारी घटनाओं (ऐसी घटनाएँ जिनके केवल दो संभावित परिणाम हों, जैसे हाँ/नहीं) के परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं और उन पर धन लगाते हैं।
- परिणाम के आधार पर उपयोगकर्ताओं को लाभ या हानि होती है, जिससे यह निवेश (उत्पादक परिसंपत्तियों में धन लगाना) की अपेक्षा जुआ (अनिश्चितता पर धन का जोखिम उठाना) के अधिक निकट हो जाता है।
- ये प्लेटफॉर्म "ट्रेडिंग" (स्थिति खरीदना-बेचना), "रिटर्न" (अर्जित लाभ) और "स्टॉप-लॉस" (हानि कम करने की पूर्व-निर्धारित सीमा) जैसे वित्तीय शब्दों का उपयोग करते हैं, जिससे उपयोगकर्ता भ्रमित हो सकते हैं कि यह औपचारिक निवेश है।

यह कैसे कार्य करता है?

- उपयोगकर्ता राजनीति, खेल, मौसम या क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित परिणामों पर धन लगाते हैं।
- चूँकि परिणाम वास्तविक विश्व की अनिश्चित घटनाओं पर निर्भर होते हैं, इसलिए ओपिनियन ट्रेडिंग में कोई वास्तविक अंतर्निहित परिसंपत्ति या मूल्य सृजन नहीं होता।

वैश्विक विनियमन

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** Commodity Futures Trading Commission (CFTC - फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स का नियामक) द्वारा विनियमित।
- **यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया:** वित्तीय या गेमिंग कानूनों (सट्टेबाजी और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कानून) के अंतर्गत विनियमित।

भारत में स्थिति

- वर्ष 2025 में SEBI ने चेतावनी दी कि ये प्लेटफॉर्म अनियमित हैं। बाद में "ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025" के अंतर्गत इन पर पूर्ण प्रतिबंध (ब्लैंकेट बैन) लगा दिया गया।

निष्कर्ष

- ओपिनियन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के रूप में प्रस्तुत सट्टेबाजी है, और भारत ने उपयोगकर्ताओं को वित्तीय हानि तथा लत से बचाने के उद्देश्य से इसे प्रतिबंधित कर दिया है।

तांबा

वैश्विक तांबा माँग वर्ष 2040 तक लगभग 50% बढ़ने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और बढ़ता रक्षा व्यय है।

परिचय

- तांबा (Cu) एक लाल-नारंगी रंग की धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 29 है। यह अत्यधिक आकारनीय (आसानी से आकार दिया जा सकता है) है तथा इसमें उत्कृष्ट विद्युतऔर ऊष्मा चालकता (विद्युत और गर्मी को कुशलतापूर्वक संचरित करने की क्षमता) होती है।

प्रमुख गुण एवं उपयोग

- **इन गुणों के कारण तांबा निम्नलिखित के लिए आवश्यक है-** विद्युततार (विद्युतधारा का संचरण), पावर ग्रिड और ट्रांसफॉर्मर (विद्युत वितरण प्रणाली), प्लम्बिंग (जंग-प्रतिरोधी जल पाइप) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स (सर्किट, मोटर, सेमीकंडक्टर)।
- इससे तांबा एक रणनीतिक औद्योगिक धातु बन जाता है (अवसंरचना और प्रौद्योगिकी के लिए महत्त्वपूर्ण)।

तांबा मिश्रधातुएँ

- **पीतल (तांबा + जस्ता):** फिटिंग्स, उपकरण
- **कांसा (तांबा + टिन):** औजार, सिक्के, मूर्तियाँ
- मिश्रधातुएँ अधिक मजबूती और जंग-प्रतिरोध (जंग और क्षति का प्रतिरोध करने की क्षमता) प्रदान करती हैं।

उभरती प्रौद्योगिकियों में भूमिका

- तांबा नवीकरणीय ऊर्जा (सौर पैनल, पवन टरबाइन), इलेक्ट्रिक वाहन (मोटर, वायरिंग), AI डेटा सेंटर (उच्च-शक्ति कंप्यूटिंग) तथा रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

भारत में तांबा संसाधन

- मुख्य भंडार खेतड़ी बेल्ट (राजस्थान), मलांजखंड (मध्य प्रदेश) और सिंहभूम बेल्ट (झारखंड) में पाए जाते हैं।

निष्कर्ष

- तांबा विद्युत और स्वच्छ प्रौद्योगिकी की रीढ़ है, जिससे यह भविष्य की आर्थिक और रणनीतिक वृद्धि के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण बन जाता है।

विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ (WESP) 2026

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वैश्विक व्यापार तनाव और अमेरिकी टैरिफ के कारण वर्ष 2026 में भारत की वृद्धि दर धीमी हो सकती है।

WESP 2026 की प्रमुख विशेषताएँ

- **वैश्विक विकास परिदृश्य:** 2026 में विश्व उत्पादन 2.7% रहने का अनुमान है, जो 2027 में थोड़ा बढ़कर 2.9% हो सकता है, जिससे कमजोर और असमान सुधार का संकेत मिलता है।
- **भारत की वृद्धि:**
  - भारत की GDP (वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य) वृद्धि 2026 में 6.6% रहने का अनुमान है, जो 2025 के 7.4% से कम है।
  - इसका मुख्य कारण अमेरिकी टैरिफ (आयात पर कर) का निर्यात पर प्रभाव है।
- **व्यापार प्रवृत्तियाँ:** बढ़ता व्यापार संरक्षणवाद (टैरिफ और बाधाओं का उपयोग) वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर रहा है और व्यापार वृद्धि को धीमा कर रहा है।
- **मुद्रास्फीति एवं जीवनयापन लागत:** शीर्षक मुद्रास्फीति (कुल मूल्य वृद्धि) कम हो रही है, लेकिन ऊँची कीमतें वास्तविक आय (वास्तविक क्रय शक्ति) को कम कर रही हैं।
- **वित्तीय जोखिम:** उच्च सार्वजनिक ऋण (सरकारी उधारी) और महँगा ऋण कई विकासशील देशों में वृद्धि को सीमित कर रहे हैं।

WESP के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) की वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है, जो वैश्विक आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करती है।
- यह वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक प्रदर्शन का आकलन करती है तथा जोखिम, नीतिगत चुनौतियों और विकास प्राथमिकताओं को रेखांकित करती है।

प्रमुख सिफारिशें

- WESP बेहतर मौद्रिक नीति (ब्याज दरें), राजकोषीय नीति (सरकारी व्यय), मजबूत बहुपक्षीय सहयोग (देशों का मिलकर कार्य करना) और नियम-आधारित व्यापार प्रणाली की आवश्यकता पर बल देता है।

निष्कर्ष

- WESP 2026 वैश्विक विकास की धीमी गति को दर्शाता है और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सहयोग तथा सुदृढ़ नीतियों पर जोर देता है।

क्विक कॉमर्स

भारतीय क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म Swiggy और Zepto ने गिग वर्करों की सुरक्षा सुधारने हेतु सरकार के निर्देशों के बाद "10-मिनट डिलीवरी" ब्रांडिंग हटा दी।

क्विक कॉमर्स (Q-Commerce) क्या है?

- क्विक कॉमर्स (Q-commerce) से आशय अत्यंत तेज डिलीवरी सेवाओं (10-20 मिनट के भीतर डिलीवरी) से है, जिनके माध्यम से किराना और दैनिक आवश्यक वस्तुएँ पहुँचाई जाती हैं।
- यह डार्क स्टोर्स (छोटे स्थानीय गोदाम जो केवल भंडारण और डिस्पैच के लिए होते हैं) के माध्यम से संचालित होता है और डिलीवरी राइडरों पर निर्भर करता है।
- हालाँकि Q-commerce उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ाता है, लेकिन यह श्रमिकों पर समय का अधिक दबाव डालता है।

"10-मिनट" मॉडल क्यों रोका गया

- "10-मिनट" ब्रांडिंग असुरक्षित ड्राइविंग, अधिक कार्य समय और गिग वर्करों (प्लेटफॉर्म आधारित, गैर-स्थायी श्रमिक) के लिए दुर्घटना जोखिम बढ़ाने को प्रोत्साहित कर रही थी।
- सरकारी हस्तक्षेप का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुधारना, कार्य तनाव कम करना और मानवीय कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना है, जो गति-आधारित विकास से श्रमिक-केंद्रित विनियमन की ओर बदलाव का संकेत देता है।
- गिग वर्कर वे व्यक्ति होते हैं जो गैर-मानक रोजगार (नियमित वेतनभोगी नौकरी नहीं) में स्वतंत्र ठेकेदार या फ्रीलांसर के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अल्पकालिक, कार्य-आधारित कार्य करते हैं।

भारत की गिग अर्थव्यवस्था

- भारत की गिग कार्यबल 1 करोड़ (2024-25) से बढ़कर 2.35 करोड़ (2029-30) होने का अनुमान है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (कल्याण कवरेज प्रदान करने वाला कानून) गिग वर्करों को कानूनी मान्यता देता है।
- ई-श्रम पोर्टल (असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस) पर 30.98 करोड़ से अधिक श्रमिक, जिनमें प्लेटफॉर्म वर्कर भी शामिल हैं, पंजीकृत हैं।

निष्कर्ष

- "10-मिनट डिलीवरी" ब्रांडिंग हटाने से गिग वर्करों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और क्विक कॉमर्स को अधिक सुरक्षित, न्यायसंगत और टिकाऊ तरीके से बढ़ने का अवसर मिलता है।

ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट 2026

World Economic Forum (WEF) ने ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट 2026 जारी की, जिसमें भू-आर्थिक टकराव (देशों के बीच आर्थिक संघर्ष) को सबसे गंभीर वैश्विक जोखिम बताया गया है।

रिपोर्ट के बारे में

- ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं और उद्योग नेताओं के सर्वेक्षण पर आधारित वार्षिक आकलन है।
- यह अल्पकाल (2 वर्ष) और दीर्घकाल (10 वर्ष) में वैश्विक जोखिमों (सीमापार प्रभाव वाले खतरों) का मूल्यांकन आर्थिक, भू-राजनीतिक, पर्यावरणीय, तकनीकी और सामाजिक क्षेत्रों में करती है।

वर्ष 2026 के प्रमुख वैश्विक जोखिम

- **भू-आर्थिक टकराव (सबसे बड़ा जोखिम):**
  - व्यापार, वित्त और तकनीक का हथियार के रूप में उपयोग (टैरिफ, प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण) को दर्शाता है। उदाहरण- अमेरिकी टैरिफ (आयात पर कर) और चीन द्वारा महत्त्वपूर्ण खनिजों पर प्रतिबंध।
  - ये वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित करते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ाते हैं और आर्थिक वृद्धि धीमी करते हैं।
- **राज्य-आधारित सशस्त्र संघर्ष:** देशों के बीच संघर्ष रक्षा व्यय बढ़ाते हैं और ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा (ईंधन और भोजन की स्थिर उपलब्धता) को प्रभावित करते हैं।
- **चरम मौसम घटनाएँ:** बाढ़, सूखा और हीटवेव अवसंरचना (सड़क, विद्युत जैसी भौतिक प्रणालियाँ) और कृषि को नुकसान पहुँचाते हैं तथा दीर्घकालिक सबसे बड़ा जोखिम बने रहते हैं।
- **सामाजिक जोखिम:** ध्रुवीकरण (गहरे सामाजिक विभाजन), दुष्प्रचार (गलत या भ्रामक जानकारी) और AI-निर्मित डीपफेक (वास्तविक जैसे नकली डिजिटल कंटेंट) सामाजिक स्थिरता को खतरे में डालते हैं।
- **भारत के लिए जोखिम:** मुख्य चिंताओं में साइबर सुरक्षा (डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा), आय असमानता, बाहरी आर्थिक झटके और जल सुरक्षा (विश्वसनीय जल उपलब्धता) शामिल हैं।

निष्कर्ष

- यह रिपोर्ट बढ़ते आर्थिक संघर्षों और जलवायु जोखिमों को रेखांकित करती है तथा मजबूत वैश्विक सहयोग और लचीलापन विकसित करने की आवश्यकता पर बल देती है।

नारायण रामचंद्रन समिति

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के निवेश नियमों की समीक्षा हेतु स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता श्री नारायण रामचंद्रन (पूर्व टाटा समूह अध्यक्ष) कर रहे हैं।

PFRDA के बारे में

- PFRDA (वैधानिक पेंशन नियामक) की स्थापना PFRDA अधिनियम, 2013 (भारत में पेंशन व्यवस्था को नियंत्रित करने वाला कानून) के अंतर्गत हुई थी।
- यह निम्न योजनाओं को विनियमित करता है-
  - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) - अंशदायी सेवानिवृत्ति बचत योजना
  - अटल पेंशन योजना (APY) - असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना
  - साथ ही यह सदस्यों की सुरक्षा (पेंशन बचत की सुरक्षा) और दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति सुरक्षा (रिटायरमेंट के बाद आय) सुनिश्चित करता है।

समिति के बारे में

- रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम शासन (SAARG) समिति पेंशन निवेश से संबंधित विशेषज्ञ समूह है, जो NPS दिशानिर्देशों की समीक्षा करता है- **सरकारी सदस्य** (केंद्र एवं राज्य कर्मचारी) तथा **गैर-सरकारी सदस्य** (निजी क्षेत्र एवं स्व-रोजगार व्यक्ति)।

प्रमुख फोकस क्षेत्र

- स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन (दीर्घकालिक इक्विटी-ऋण संतुलन)
- विविधीकरण (जोखिम कम करने हेतु निवेश फैलाव), जिसमें REITs/InvITs (रियल एस्टेट एवं अवसंरचना निवेश ट्रस्ट) शामिल
- जोखिम शासन (निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली)
- एसेट-लायबिलिटी मैनेजमेंट - निवेश को भविष्य के पेंशन भुगतान से मिलाना
- जोखिम-समायोजित प्रदर्शन (लिए गए जोखिम के अनुसार प्रतिफल का मूल्यांकन)

निष्कर्ष

- यह समिति NPS निवेश को आधुनिक बनाने, जिम्मेदारीपूर्वक बेहतर प्रतिफल सुनिश्चित करने और भारत की पेंशन प्रणाली को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने का प्रयास करती है।

यस बैंक मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग पर SEBI की टिप्पणी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने वर्ष 2022 में ल्मे ठंदा के शेयर विक्रय मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित उल्लंघनों को चिन्हित किया। इस मामले में PwC (PricewaterhouseCoopers) और EY (Ernst - Young) के अधिकारियों की भूमिका सामने आई।

सेबी का परिचय

- सेबी एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना SEBI अधिनियम, 1992 (प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाला कानून) के अंतर्गत हुई।

यस बैंक मामला क्या है?

- यह मामला एक बड़े शेयर विक्रय के दौरान अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील सूचना (UPSI) के उपयोग से जुड़े कथित व्यापार से संबंधित है।
- SEBI के अनुसार, इससे अंदरूनी व्यक्तियों को अनुचित लाभ मिला और न्यासीय दायित्व (ईमानदारी एवं विश्वास से कार्य करने का कानूनी कर्त्तव्य) का उल्लंघन हुआ।

इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है?

- इनसाइडर ट्रेडिंग का अर्थ है महत्त्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी के आधार पर प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करना।
- यह SEBI (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 के अंतर्गत प्रतिबंधित है, जो निष्पक्ष और पारदर्शी बाजार सुनिश्चित करते हैं।

यह हानिकारक क्यों है?

- मूल्य खोज प्रक्रिया (उचित कीमत निर्धारण) को विकृत करता है
- सूचना असमानता (जानकारी तक असमान पहुँच) पैदा करता है
- निवेशकों के विश्वास को कमजोर करता है।

निष्कर्ष

- यस बैंक मामला बाजार की निष्पक्षता, पारदर्शिता और निवेशकों के भरोसे की रक्षा में SEBI की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

एक जिला एक उत्पाद

एक जिला एक उत्पाद (ODOP) पहल के आठ वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में इसने देशव्यापी स्तर पर पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने तथा स्थानीय उद्यमिता को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ODOP

- ODOP का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक नीति के लिए नोडल विभाग-उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले की विशिष्ट आर्थिक क्षमता का दोहन करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास (सभी क्षेत्रों में समान वृद्धि) को बढ़ावा देना तथा कारीगरों और उत्पादकों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों तक पहुँच प्रदान करना है।
- इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में मुरादाबाद के पीतल शिल्प (उत्तर प्रदेश के धातु हस्तशिल्प) से हुई थी और अब यह पूरे देश में लागू है।

उत्पाद चयन

- राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र (कौशल, कच्चे माल और क्लस्टरों की उपलब्धता) के आधार पर उत्पादों का चयन करते हैं। अंतिम स्वीकृति DPIIT द्वारा दी जाती है, जिससे विकेंद्रीकृत योजना (स्थानीय स्तर पर निर्णय-निर्माण) सुनिश्चित होता है।
- वर्तमान में कृषि, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प क्षेत्रों के 775 जिलों से 1,243 उत्पादों की पहचान की गई है।

सरकारी समर्थन

- GeM-ODOP बाजार (सरकारी ई-मार्केटप्लेस का ऑनलाइन मंच) बाजार तक पहुँच में सुधार करता है।
- पीएम एकता मॉल (यूनिटी मॉल) (समर्पित खुदरा और प्रदर्शनी केंद्र) ODOP और जीआई-टैग उत्पादों (भौगोलिक संकेतक प्रमाणित, क्षेत्रीय पहचान वाले उत्पाद) को बढ़ावा देते हैं।

वैश्विक पहुँच

- ODOP उत्पादों को 80 से अधिक भारतीय मिशनों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, G20 कूटनीतिक उपहारों में प्रदर्शित किया जाता है, तथा विदेशी स्टोर्स के माध्यम से बेचा जाता है।
- डिस्ट्रिक्ट ऐज एक्सपोर्ट हब (DEH) (जिला-स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन ढाँचा) निर्यात को समर्थन प्रदान करता है।

निष्कर्ष

- ODOP स्थानीय कौशल को सतत् आर्थिक विकास में परिवर्तित करते हुए विरासत के संरक्षण और कारीगरों की आजीविका में सुधार सुनिश्चित करता है।

SIDBI में ₹5,000 करोड़ का इक्विटी निवेश

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को ऋण सुदृढ़ करने के लिए SIDBI में ₹5,000 करोड़ के इक्विटी निवेश (सरकार द्वारा पूँजी निवेश) को स्वीकृति प्रदान की।

इक्विटी निवेश

- यह निवेश वित्तीय सेवा विभाग (DFS) (बैंकों और वित्तीय संस्थानों की देखरेख करने वाला वित्त मंत्रालय का विभाग) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 के दौरान तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा।
- इससे SIDBI की बैलेंस शीट (समग्र वित्तीय स्थिति) सुदृढ़ होगी और सस्ती, दीर्घकालिक ऋण सुविधा का विस्तार होगा। समर्थित MSMEs की संख्या वित्तीय वर्ष 2027-28 तक 76.26 लाख से बढ़कर लगभग 102 लाख होने की अपेक्षा है।

पूँजी निवेश की आवश्यकता क्यों

- जैसे-जैसे ऋण वितरण बढ़ता है, जोखिम-भारित परिसंपत्तियाँ (ऋण जिन्हें क्रेडिट जोखिम के अनुसार समायोजित किया जाता है) भी बढ़ती हैं।
- यह निवेश SIDBI को पूँजी से जोखिम-भारित परिसंपत्तियों का अनुपात (CRAR) (बैंक की हानि सहने की क्षमता का प्रमुख मापक) सुदृढ़ बनाए रखने में सहायता करेगा, जिससे वित्तीय स्थिरता और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित होगा।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)

- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) (MSME वित्तपोषण की प्रमुख संस्था) की स्थापना वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत MSME क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, वित्तपोषित करने और विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी।

MSMEs के बारे में

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) (MSME विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निवेश और कारोबार के आधार पर वर्गीकृत व्यवसाय) सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30%, निर्यात का 40% योगदान करते हैं तथा 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, किंतु इन्हें ऋण संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष

- यह इक्विटी निवेश MSME क्षेत्र को ऋण उपलब्धता बढ़ाने, SIDBI की स्थिरता सुदृढ़ करने तथा समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने में सहायक होगा।

सीमेंट, एल्युमिनियम और MSME क्षेत्रों में हरित संक्रमण पर नीति आयोग की रिपोर्टें

नीति आयोग (भारत का सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक) ने सीमेंट, एल्युमिनियम तथा MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्रों के लिए डीकार्बोनाइजेशन रोडमैप (दीर्घकालिक उत्सर्जन न्यूनीकरण योजनाएँ) को रेखांकित करते हुए तीन रिपोर्टें जारी की हैं।

सीमेंट क्षेत्र

- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है, जिसका वैश्विक उत्पादन में लगभग 13% योगदान है। किंतु यह क्षेत्र भारत के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHGs: CO_2 जैसी ऊष्मा को अवशोषित करने वाली गैसें) का लगभग 7% उत्सर्जित करता है।
- **लक्ष्य:** कार्बन तीव्रता (प्रति टन सीमेंट उत्सर्जन) को 0.63 tCO_2e (कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य टन) से घटाकर 2070 तक 0.09-0.13 tCO_2e करना।
- **प्रमुख रणनीतियाँ:**
  - **रिफ्यूज-डेराइव्ड फ्यूल** (RDF: गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट से निर्मित ईंधन)
  - **क्लिंकर प्रतिस्थापन** (सीमेंट के सबसे अधिक कार्बन-गहन घटक क्लिंकर की मात्रा कम करना)
  - **कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण** (CCUS: CO_2 को कैप्चर करना और उसका भंडारण/पुनः उपयोग)
  - **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम** (CCTS: उत्सर्जन-घटाने वाले क्रेडिट के व्यापार का बाजार)

एल्युमिनियम क्षेत्र

- एल्युमिनियम उत्पादन 2023 में 4 मिलियन टन से बढ़कर 2070 तक 37 मिलियन टन हो सकता है। यह क्षेत्र विद्युत-गहन (अधिक विद्युत खपत वाला) है, इसलिए डीकार्बोनाइजेशन को चरणों में लागू किया जाएगा - नवीकरणीय ऊर्जा-राउंड द क्लॉक (RE-RTC: भंडारण सहित नवीकरणीय ऊर्जा), परमाणु ऊर्जा (कम-कार्बन बेसलोड विद्युत), तथा CCUSA

डैडम क्षेत्र

- MSME सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% और निर्यात का 46% योगदान देते हैं। प्रमुख उपायों में ऊर्जा-कुशल उपकरण, वैकल्पिक ईंधन (स्वच्छ ईंधन विकल्प) तथा हरित विद्युत (नवीकरणीय ऊर्जा) शामिल हैं, जिन्हें PAT (परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड: ऊर्जा-दक्षता व्यापार योजना) और ZED (जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट) जैसी योजनाओं द्वारा समर्थन प्राप्त है।

निष्कर्ष

- ये रिपोर्टें औद्योगिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखते हुए उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक व्यावहारिक मार्ग प्रस्तुत करती हैं।

भारत की पहली खुले समुद्र में समुद्री मत्स्य पालन परियोजना

भारत ने उत्तरी खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अपनी पहली खुले समुद्र में समुद्री मत्स्य पालन परियोजना प्रारंभ की है, जो अपतटीय जलीय कृषि की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

खुले समुद्र में समुद्री मत्स्य पालन क्या है?

- खुले समुद्र में समुद्री मत्स्य पालन का अर्थ है समुद्र के खुले जल क्षेत्र में बड़े तैरते पिंजरों (जल में स्थिर किए गए मजबूत जाल-आवरण) का उपयोग कर मछलियों का पालन-पोषण करना, जिन्हें समुद्रतल से लंगर के माध्यम से बांधा जाता है।
- तटीय जलीय कृषि (समुद्र तट के निकट मत्स्य पालन) के विपरीत, यह गहरे एवं उच्च-ऊर्जा वाले जल क्षेत्रों (जहाँ लहरें और धाराएँ तेज होती हैं) में संचालित होती है।
- समुद्री जल का निरंतर प्राकृतिक आदान-प्रदान (समुद्री जल का मुक्त प्रवाह) अपशिष्ट को पतला करता है, रोग प्रकोप को कम करता है तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र (जैसे मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियाँ) को होने वाले नुकसान को सीमित करता है।

परियोजना के उद्देश्य

- व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य मॉडल (आर्थिक रूप से टिकाऊ प्रणाली) का निर्माण करना, अत्यधिक दोहन किए गए तटीय जल पर दबाव कम

करना, मत्स्यपालकों को सतत् आजीविका (दीर्घकालिक आय) प्रदान करना तथा भारत की ब्लू इकोनॉमी (महासागरीय संसाधनों का सतत् उपयोग) को सुदृढ़ करना।

लक्षित प्रजातियाँ

- कोबिया (तेजी से बढ़ने वाली, निर्यात-उन्मुख मछली)
- सीबास (उच्च घरेलू एवं वैश्विक माँग वाली मछली)
- गहरे जल की समुद्री शैवाल (खाद्य, औषधि और जैव-उत्पादों में उपयोग)

क्रियान्वयन एजेंसियाँ

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) – नीति एवं वित्तपोषण
- राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) – प्रौद्योगिकी एवं पिंजरा डिजाइन
- अंडमान एवं निकोबार प्रशासन – स्थानीय क्रियान्वयन

उत्तरी खाड़ी (North Bay) एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के बारे में

- उत्तरी खाड़ी, पोर्ट ब्लेयर के निकट स्थित है और स्वच्छ जल तथा प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो अपतटीय पायलट परियोजनाओं के लिए इसे उपयुक्त बनाता है।
- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अंडमान सागर (हिंद महासागर के उत्तर-पूर्वी भाग) में स्थित है, जो समुद्री जैव-विविधता से समृद्ध तथा सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।

महत्त्व

- यह पहल सतत् जलीय कृषि को प्रोत्साहित करती है, मत्स्यपालकों की आय बढ़ाती है, समुद्री खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करती है तथा महासागर संरक्षण का समर्थन करती है।

सामाजिक वाणिज्य

भारत में सामाजिक वाणिज्य कुल ई-कॉमर्स राजस्व का केवल 1-2% योगदान देता है, जबकि चीन में यह 30-40% और इंडोनेशिया में 20-25% तक है, जबकि डिजिटल अपनयन का स्तर उच्च है।

सामाजिक वाणिज्य क्या है?

- सामाजिक वाणिज्य का अर्थ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (डिजिटल मंच जो सामाजिक अंत:क्रिया को सक्षम बनाते हैं) जैसे Instagram, Facebook, WhatsApp तथा क्षेत्रीय नेटवर्क के माध्यम से वस्तुओं की सीधी खरीद-फरोख्त।
- पारंपरिक ई-कॉमर्स (समर्पित वेबसाइट/ऐप के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी) के विपरीत, उपभोक्ता सोशल सामग्री देखते समय उत्पादों की खोज करते हैं और उसी प्लेटफॉर्म पर खरीद पूरी करते हैं।
- यह सामाजिक अंत:क्रिया (सहकर्मी प्रभाव और सिफारिशें) को ऑनलाइन खरीदारी के साथ जोड़ता है, जिससे खरीदारी अधिक विश्वास-आधारित (विश्वसनीयता पर आधारित) और अनुभव-आधारित बनती है।

सामाजिक वाणिज्य के प्रमुख मॉडल

- **इन्फ्लुएंसर-आधारित बिक्री:** इन्फ्लुएंसर (विश्वसनीय अनुयायी आधार वाले कंटेंट निर्माता) द्वारा उत्पादों का प्रचार।
- **लाइव-स्ट्रीम खरीदारी:** लाइव वीडियो (इंटरएक्टिव ऑनलाइन प्रसारण) के माध्यम से वास्तविक समय में उत्पाद प्रदर्शन।
- **सामुदायिक-आधारित बिक्री:** व्हाट्सऐप समूहों या ऑनलाइन समुदायों के माध्यम से बिक्री, जो सामाजिक संबंधों का लाभ उठाती है।

ई-कॉमर्स से अंतर

- ई-कॉमर्स खोज-आधारित (उपयोगकर्ता सक्रिय रूप से उत्पाद खोजते हैं) होता है और नियोजित खरीद को समर्थन देता है।
- सामाजिक वाणिज्य खोज-प्रेरित (ब्राउजिंग के दौरान उत्पाद दिखाई देते हैं) होता है और आकस्मिक खरीद को प्रोत्साहित करता है।

भारत में प्रमुख चुनौतियाँ

- इन्फ्लुएंसर की प्रामाणिकता की कमजोर जाँच, कैश-ऑन-डिलीवरी पर उच्च निर्भरता, कमजोर लॉजिस्टिक्स ढाँचा तथा कम औसत आदेश मूल्य लाभप्रदता को कम करते हैं।

निष्कर्ष

- भारत में सामाजिक वाणिज्य की संभावनाएँ प्रबल हैं, किंतु व्यापक स्तर पर वृद्धि के लिए विश्वास, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल भुगतान प्रणालियों में सुधार आवश्यक है।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पर आरबीआई द्वारा निगरानी सुदृढ़

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) (भारत का केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण, जो मुद्रा और बैंकों का विनियमन करता है) ने पारदर्शिता, पर्यवेक्षण तथा प्रभावी ऋण प्रवाह में सुधार हेतु प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) निर्देश, 2025 में संशोधन किया है।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) क्या है?

- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण एक अनिवार्य आरबीआई नीति है, जिसके अंतर्गत बैंकों को अपने कुल ऋण का एक निश्चित हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्रों (आर्थिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण किंतु अपेक्षाकृत उपेक्षित क्षेत्रों) को देना होता है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (विनियामक समायोजनों के बाद की गणना की गई बैंक ऋण राशि) का 40% प्राथमिकता क्षेत्रों को प्रदान करना अनिवार्य है।
- प्राथमिकता क्षेत्रों में कृषि, एमएसएमई (निवेश और टर्नओवर के आधार पर परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), शिक्षा, किफायती आवास, नवीकरणीय ऊर्जा, सामाजिक अवसंरचना तथा कमजोर वर्ग (छोटे किसान और निम्न-आय वाले परिवार) शामिल हैं।

PSL क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- PSL बाजार विफलता (जब बाजार उच्च-प्रभाव वाले क्षेत्रों की उपेक्षा करते हैं) को सुधारता है, वित्तीय समावेशन (औपचारिक बैंकिंग तक पहुँच) को

बढ़ावा देता है, ग्रामीण आजीविका का समर्थन करता है तथा बड़े कॉरपोरेट संस्थानों को अत्यधिक ऋण देने की प्रवृत्ति को संतुलित करता है।

PSL निर्देश, 2025 के प्रमुख सुधार

- **सुदृढ़ अनुपालन:** गलत वर्गीकरण और दोहरी गणना (एक ही ऋण को कई बार दर्शाना) रोकने के लिए अनिवार्य बाह्य लेखा-परीक्षण सत्यापन।
- **NCDC का समावेशन:** राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (सहकारी संस्थाओं का समर्थन करने वाला सांविधिक निकाय) को दिए गए ऋण PSL के अंतर्गत मान्य होंगे।
- **SFB लक्ष्य का युक्तिकरण:** लघु वित्त बैंकों (वित्तीय समावेशन केंद्रित बैंक) के लिए PSL लक्ष्य को स्थिरता हेतु ANBC के 60% तक निर्धारित किया गया है।
- **सह-ऋण सुविधा:** संयुक्त ऋण व्यवस्था से जोखिम साझेदारी और अंतिम छोर तक ऋण पहुँच में सुधार।
- **निर्यात ऋण का समावेशन:** कृषि और एमएसएमई को दिए गए निर्यात ऋण अब PSL में गिने जाएंगे।

निष्कर्ष

- वर्ष 2025 के ये सुधार PSL को संतुलित विकास के प्रभावी उपकरण के रूप में सुदृढ़ करते हैं-समावेशी ऋण विस्तार सुनिश्चित करते हुए बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता की रक्षा करते हैं।

चिप्स टू स्टार्ट-अप (C2S) कार्यक्रम

चिप डिजाइन प्रशिक्षण के अंतर्गत चिप्स टू स्टार्ट-अप (C2S) कार्यक्रम में एक लाख से अधिक व्यक्तियों ने नामांकन किया है, जिनमें से लगभग 67,000 को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह भारत के सेमीकंडक्टर कौशल विकास पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है।

परिचय

- चिप्स टू स्टार्ट-अप (C2S) कार्यक्रम एक राष्ट्रीय क्षमता-निर्माण पहल (कुशल मानव संसाधन विकसित करने का कार्यक्रम) है, जिसे वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी नीति हेतु केंद्रीय मंत्रालय) द्वारा प्रारंभ किया गया।
- इसका पाँच वर्षों के लिए ₹250 करोड़ का वित्तीय प्रावधान (कुल सरकारी व्यय) है तथा इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर (आधुनिक उपकरणों को नियंत्रित करने वाली सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक चिप) डिजाइन क्षमता को सुदृढ़ करना और स्टार्ट-अप को समर्थन देना है।

मानव संसाधन लक्ष्य

कार्यक्रम का लक्ष्य 85,000 उद्योग-तैयार पेशेवर (जो तत्काल औद्योगिक कार्य के लिए सक्षम हों) तैयार करना है, जिनमें शामिल हैं:

- 200 पीएचडी शोधार्थी (डॉक्टरेट शोधकर्ता)
- 7,000 एम.टेक स्नातक वीएलएसआई (Very Large-Scale Integration-एक चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर का संयोजन) या एम्बेडेड सिस्टम (मशीनों में अंतर्निहित कंप्यूटर प्रणाली) में
- 8,800 एम.टेक स्नातक विशेष वीएलएसआई प्रशिक्षण के साथ
- 69,000 बी.टेक छात्र (स्नातक अभियंता)

आवश्यकता और महत्त्व

- उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) (मानव बुद्धिमत्ता का अनुकरण करने वाली मशीनें) की बढ़ती माँग के साथ, वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग के 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है, जबकि कुशल प्रतिभा की बड़ी कमी भी सामने है।
- C2S चिप डिजाइन उपकरणों तक पहुँच का लोकतंत्रीकरण करता है, स्वदेशी नवाचार (घरेलू प्रौद्योगिकी विकास) को बढ़ावा देता है तथा तकनीकी आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करता है।

निष्कर्ष

- C2S कार्यक्रम एक कुशल और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में रणनीतिक कदम है, जो भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2026

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) (भारत का केंद्रीय बैंक, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों का विनियमन करता है) ने ग्राहक शिकायत निवारण (शिकायतों के समाधान) को सुदृढ़ करने हेतु RB-IOS, 2026 के अंतर्गत संशोधनों को अधिसूचित किया है।

RB-IOS, 2026 के बारे में

- रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS) एक एकीकृत शिकायत निवारण ढाँचा (शिकायतों के समाधान हेतु एकल प्रणाली) है, जो आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं (RBI की निगरानी में आने वाले संस्थान) जैसे बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs) (ऐसी वित्तीय संस्थाएँ जो ऋण देती हैं परंतु बैंक नहीं होतीं) तथा भुगतान प्रणाली संचालक (UPI, कार्ड और वॉलेट जैसी डिजिटल भुगतान सेवाओं का प्रबंधन करने वाली संस्थाएँ) के ग्राहकों के लिए लागू है।
- यह योजना वित्तीय प्रणाली में विश्वास बढ़ाने हेतु सरल, त्वरित और निःशुल्क (बिना किसी शुल्क) शिकायत समाधान की सुविधा प्रदान करती है।

लोकपाल कौन होता है?

- लोकपाल एक स्वतंत्र प्राधिकारी (तटस्थ अधिकारी) होता है, जिसे वित्तीय संस्थानों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच एवं समाधान के लिए नियुक्त किया जाता है।
- RB-IOS के अंतर्गत, आरबीआई लोकपाल अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी (सीमित न्यायालय-सदृश शक्तियों वाला) के रूप में कार्य करता है। सामान्य कार्यकाल तीन वर्ष (निश्चित अवधि) का होता है।

मुख्य विशेषताएँ

- **एकीकृत संरचना:** पूर्व की अनेक लोकपाल योजनाओं को एक प्रणाली में समाहित किया गया।

- **विस्तृत दायरा:** बैंकिंग, NBFCs और डिजिटल भुगतान पर समान उपभोक्ता संरक्षण।
- **कोई मौद्रिक सीमा नहीं:** किसी भी राशि की शिकायत स्वीकार्य है।
- **अपील व्यवस्था:** अपील (पुनर्विचार हेतु अनुरोध) 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (RBI द्वारा नामित उच्च प्राधिकारी) के समक्ष दायर की जा सकती है।
- **प्रधान नोडल अधिकारी:** प्रत्येक संस्था को शिकायत समन्वय के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है।

संकर गोवंश नस्लें

भारत ने दो नई संकर गोवंश नस्लों-करण फ्राइज और वृंदावनी-का पंजीकरण किया है, जिन्हें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) (भारत का प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान) द्वारा विकसित किया गया है।

संकर गोवंश नस्लें क्या हैं?

- संकर गोवंश नस्लें नियोजित संकरण (नियंत्रित परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रजनन) के माध्यम से विकसित की जाती हैं, जिसमें देशी गोवंश (Bos indicus) (गर्मी और रोगों के प्रति अनुकूलित भारतीय नस्लें) तथा विदेशी गोवंश (Bos taurus) (उच्च दुग्ध उत्पादन वाली विदेशी नस्लें) का संकरण किया जाता है।
- बार-बार चयनात्मक प्रजनन (वांछित गुणों वाले पशुओं का चयन) के पश्चात् नस्ल आनुवंशिक रूप से स्थिर (गुणों की निरंतरता) हो जाती है और 'ट्रू ब्रीड' करती है (गुणों को संतानों में विश्वसनीय रूप से स्थानांतरित करती है), जिससे उसे औपचारिक मान्यता प्राप्त होती है।

करण फ्राइज

- करण फ्राइज का विकास होल्स्टीन फ्राइजियन (वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल) और थारपारकर (गर्मी सहनशीलता और रोग प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध देशी जेबू नस्ल) के संकरण से किया गया है।
- यह उच्च उत्पादकता और सहनशीलता का समन्वय करती है।
- **अधिकतम दैनिक दुग्ध उत्पादन:** 46.5 किलोग्राम तक
- **तुलना:** अधिकांश देशी नस्लों में प्रति दुग्धावधि (एक दुग्ध उत्पादन चक्र) 1,000-2,000 किलोग्राम

वृंदावनी

- वृंदावनी एक उच्च दुग्ध उत्पादन वाली संकर नस्ल है, जिसे कई देशी और विदेशी नस्लों के संयोजन से विकसित किया गया है, ताकि दुग्ध उत्पादन, अनुकूलन क्षमता और प्रजनन दक्षता (प्रभावी रूप से प्रजनन करने की क्षमता) में सुधार किया जा सके।

महत्त्व

- उच्च उत्पादकता, बेहतर जलवायु अनुकूलन क्षमता, किसानों की आय में वृद्धि, कम मृत्यु दर तथा सतत् डेयरी विकास।

निष्कर्ष

- करण फ्राइज और वृंदावनी जैसी संकर नस्लें देशी सहनशीलता और वैश्विक आनुवंशिकी का समन्वय कर भारत के डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ करती हैं तथा सतत् विकास को बढ़ावा देती हैं।

निर्यात तत्परता सूचकांक (EPI) 2024

नीति आयोग (भारत का सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक) ने निर्यात तत्परता सूचकांक (EPI) 2024 जारी किया है, जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) (केंद्र द्वारा प्रशासित प्रशासनिक इकाइयाँ) की निर्यात तत्परता (निर्यात को प्रोत्साहित एवं सतत् बनाए रखने की क्षमता) का आकलन किया गया है।

परिचय

- निर्यात तत्परता सूचकांक (EPI) एक डेटा-आधारित आकलन ढाँचा (मापनीय संकेतकों पर आधारित मूल्यांकन) है, जो यह परखता है कि सरकारें निर्यात (वस्तुओं एवं सेवाओं की विदेशों में बिक्री) को किस प्रकार समर्थन देती हैं।
- इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी तथा EPI 2024 इसका चौथा संस्करण है।
- यह राज्यों के निर्यात पारितंत्र (निर्यात को सक्षम बनाने वाली नीतियाँ, अवसंरचना, संस्थान और व्यवसाय) का तीन स्तंभों के आधार पर मूल्यांकन करता है:
  - **सामर्थ्य (Strength):** निर्यात उत्पन्न करने की क्षमता
  - **लचीलापन (Resilience):** वैश्विक झटकों (जैसे व्यापार व्यवधान) को सहन करने की क्षमता
  - **समावेशन (Inclusiveness):** विभिन्न क्षेत्रों, सेक्टरों और MSMEs की व्यापक भागीदारी

उद्देश्य

- EPI प्रतिस्पर्धी संघवाद (राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा) को बढ़ावा देता है, नीतिगत अंतराल और श्रेष्ठ प्रथाओं की पहचान करता है, विकेंद्रीकृत निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहित करता है तथा निर्यात को रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास से जोड़ता है।

शीर्ष प्रदर्शनकर्ता - EPI 2024

- **बड़े राज्य:** महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश - मजबूत औद्योगिक आधार (उत्पादन क्षमता), निर्यात अवसंरचना (बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स) और सक्षम नीतियों के कारण।
- **छोटे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश एवं उत्तर-पूर्व:** उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, और गोवा - विशिष्ट (niche) निर्यात और संस्थागत समर्थन में प्रगति के कारण।

निष्कर्ष

- EPI 2024 राज्य-स्तरीय निर्यात रणनीतियों को मार्गदर्शन देने तथा भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुदृढ़ करने का एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत उपकरण है।

4 पर्यावरण

पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 और भारत

COP29 (संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का 29वाँ सत्र) में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत कार्बन बाजार (उत्सर्जन में कमी के व्यापार की प्रणालियाँ) को पूर्ण रूप से क्रियाशील बना दिया गया। इससे पूर्व, भारत इस ढाँचे में भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (JCM) (द्विपक्षीय कार्बन सहयोग तंत्र) के माध्यम से शामिल हुआ था।

पेरिस समझौता

- Paris Agreement (2015) एक विधिक रूप से बाध्यकारी वैश्विक जलवायु संधि है, जो United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) के अंतर्गत अंगीकृत की गई। इसका उद्देश्य वैश्विक तापवृद्धि को औद्योगिकीकरण-पूर्व स्तरों की तुलना में 2°C से काफी नीचे रखना तथा 1-5°C तक सीमित करने के प्रयास करना है।
- देश अपनी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions - NDCs) अर्थात राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को प्रस्तुत करते हैं।

अनुच्छेद 6 क्या है?

- **अनुच्छेद 6**, NDC लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु देशों के बीच स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रावधान करता है (अर्थात देश अपनी इच्छा से सहयोग करें)।
- **अनुच्छेद 6.2:** यह द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार (दो या अधिक देशों के बीच) की अनुमति देता है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय रूप से हस्तांतरित शमन परिणाम (Internationally Transferred Mitigation Outcomes – ITMOs) का व्यापार किया जाता है।
  - ये सत्यापित उत्सर्जन कटौतियाँ होती हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन-देन किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 6.4:** यह पेरिस समझौता क्रेडिटिंग तंत्र (Paris Agreement Crediting Mechanism – PACM) की स्थापना करता है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यवेक्षित कार्बन क्रेडिट प्रणाली है। यह क्योटो प्रोटोकॉल-युग के स्वच्छ विकास तंत्र (Clean Development Mechanism – CDM) से विकसित हुआ है।
- **लेखा-पद्धति और पारदर्शिता:** मजबूत लेखांकन नियम दोहरी गणना (Double Counting) को रोकते हैं (अर्थात एक ही उत्सर्जन कटौती का दो बार दावा न हो) तथा पर्यावरणीय अखंडता (Environmental Integrity) सुनिश्चित करते हैं (यानी वास्तविक जलवायु लाभ प्राप्त हों)।

भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (JCM)

- भारत और जापान के बीच संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (Joint Crediting Mechanism – JCM) के अंतर्गत जापान, भारत में निम्न-कार्बन (स्वच्छ एवं ऊर्जा-कुशल) प्रौद्योगिकियों को वित्तपोषित करता है। इससे प्राप्त उत्सर्जन कटौतियों को दोनों देश साझा करते हैं।
- **यह तंत्र-** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देता है, जलवायु वित्त उपलब्ध कराता है, तथा औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन-उत्सर्जन में कमी) को प्रोत्साहित करता है।
- **भारत ने 13 पात्र क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें-** भंडारण सहित नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन (नवीकरणीय स्रोत आधारित हाइड्रोजन), सतत् विमानन ईंधन, तथा CCUS (कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण) शामिल हैं।

निष्कर्ष

- अनुच्छेद 6 और भारत-जापान JCM के माध्यम से भारत, जलवायु कार्रवाई को आर्थिक विकास के साथ संतुलित कर सकता है तथा वैश्विक कार्बन बाजार में अपनी भूमिका को सुदृढ़ कर सकता है।

2025: रिकॉर्ड किया गया सबसे गर्म ला नीना वर्ष

हालिया जलवायु रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 अब तक का तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा तथा यह रिकॉर्ड किया गया सबसे गर्म ला नीना वर्ष भी दर्ज किया गया। यह तथ्य वैश्विक ऊष्मीकरण (पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि) के प्रभावी वर्चस्व को रेखांकित करता है।

ला नीना (La Niña) क्या है?

- ला नीना, El Niño Southern Oscillation (ENSO) का शीत चरण (सामान्य से कम समुद्री सतही तापमान) है।
- यह निम्नलिखित विशेषताओं से चिह्नित होता है-
  - प्रशांत महासागर के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली व्यापारिक पवनों का सशक्त होना।
  - गर्म जल का पश्चिम की ओर (इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की दिशा में) सरक जाना।
  - मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान में कमी।
- इसके परिणामस्वरूप दक्षिण-पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सामान्य से अधिक वर्षा, तथा अमेरिका के कुछ भागों में सामान्य से कम वर्षा (सूखा) की स्थिति उत्पन्न होती है।

ENSO क्या है?

- ENSO एक प्राकृतिक जलवायु चक्र (महासागर-वायुमंडलीय अंत:क्रिया की आवर्ती प्रक्रिया) है, जिसके तीन चरण होते हैं-
  - तटस्थ (Neutral) - सामान्य परिस्थितियाँ।
  - एल नीनो (El Niño) - पूर्वी प्रशांत महासागर में तापमान वृद्धि।
  - ला नीना (La Niña) - पूर्वी प्रशांत महासागर में तापमान कमी।
- ENSO चक्र सामान्यत: प्रत्येक 2 से 7 वर्षों में घटित होता है और वैश्विक मौसम प्रणालियों को प्रभावित करता है।

भारत पर प्रभाव

- **एल नीनो:** सामान्यत: कमजोर मानसून और उच्च तापमान से जुड़ा होता है।
- **ला नीना:** सामान्यत: सशक्त मानसून और अपेक्षाकृत ठंडे मौसम से संबद्ध।
- हालाँकि, मानव-जनित जलवायु परिवर्तन (ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से प्रेरित तापवृद्धि) ला नीना के शीतलन प्रभाव को आंशिक रूप से निष्प्रभावी कर रहा है।

निष्कर्ष

- ला नीना की उपस्थिति के बावजूद 2025 का असामान्य ताप यह दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक जलवायु चक्रों पर हावी हो रहा है। यह शमन (mitigation) एवं अनुकूलन (adaptation) उपायों की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करता है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एलिवेटेड (ELEVATED) वन्यजीव कॉरिडोर

प्रधानमंत्री असम के काजीरंगा में 34.5 किमी लंबे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर (ऊँचाई पर निर्मित सड़क/वायाडक्ट) का उद्घाटन करेंगे, ताकि बाढ़ के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और संपर्क में सुधार हो सके।

एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर क्या है?

- एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर (भूमि-स्तर से ऊपर निर्मित सड़क) पशुओं को इसके नीचे सुरक्षित आवागमन (बाधारहित वन्यजीव मार्ग) की सुविधा प्रदान करता है।
- काजीरंगा जैसे बाढ़-मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र (निम्न-स्थित नदी-तटीय क्षेत्र जो बाढ़ के प्रति संवेदनशील होते हैं) में, ऐसे कॉरिडोर:
  - वाहन-टक्करों से होने वाली वन्यजीव मृत्यु को कम करते हैं
  - पारिस्थितिक संपर्क (आवासों के बीच प्राकृतिक संबंध) बनाए रखते हैं
  - जलवायु-सहिष्णु अवसंरचना (बाढ़ और चरम मौसम के अनुरूप अवसंरचना) को समर्थन देते हैं

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

- ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़-मैदानों (नदी द्वारा निर्मित घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र) में स्थित काजीरंगा भारत का सबसे बड़ा अविभाजित बाढ़-मैदानी घासभूमि है, जहाँ जैविक अनुक्रमण (वनस्पति और जीवों में क्रमिक पारिस्थितिक परिवर्तन) स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - विश्व के एक-सींग वाले गैंडे (Rhinoceros unicornis – संवेदनशील प्रजाति) का 70% से अधिक भाग यहाँ पाया जाता है
  - 1905 में अधिसूचित, भारत के सबसे पुराने संरक्षित क्षेत्रों में से एक
  - 1974 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (भारत का प्रमुख वन्यजीव कानून) के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान घोषित
  - 1985 में UNESCO विश्व धरोहर स्थल (असाधारण सार्वभौमिक मूल्य वाला स्थल) घोषित
  - महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (IBA) के रूप में मान्यता प्राप्त (पक्षी विविधता के लिए महत्त्वपूर्ण आवास)

निष्कर्ष

- काजीरंगा का एलिवेटेड कॉरिडोर पर्यावरण-संवेदनशील अवसंरचना का एक मॉडल है, जो एक नाजुक बाढ़-मैदानी परिदृश्य में विकास और दीर्घकालिक वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करता है।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य

भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) (उत्सर्जन न्यूनीकरण हेतु बाजार-आधारित तंत्र) के अंतर्गत अतिरिक्त कार्बन-गहन क्षेत्रों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य (उत्पादन की प्रति इकाई पर उत्सर्जित उत्सर्जन) अधिसूचित किए हैं।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS)

- CCTS भारतीय कार्बन बाजार (ICM) (कार्बन क्रेडिट के व्यापार हेतु राष्ट्रीय ढाँचा) की आधारशिला है, जिसे 2023 में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 (ऊर्जा दक्षता एवं उत्सर्जन नियंत्रण को सुदृढ़ करने वाला कानून) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया।
- यह भारत की निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था (कम उत्सर्जन के साथ विकास) की ओर संक्रमण का समर्थन करता है तथा नेट-जीरो 2070 (उत्सर्जन और अवशोषण के बीच संतुलन) और पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) (भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएँ) के अनुरूप है।

संचालन तंत्र

- **अनुपालन तंत्र:** अनिवार्य उद्योगों को GEI लक्ष्य प्राप्त करने होंगे; अधिशेष कमी पर कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र (CCCs) (व्यापार योग्य उत्सर्जन-न्यूनीकरण इकाइयाँ) प्राप्त होते हैं।
- **ऑफसेट तंत्र:** CCCs का व्यापार गैर-अनुपालक इकाइयों के साथ किया जा सकता है, जिससे लचीलापन (अनुपालन में विकल्प) एवं आर्थिक दक्षता (कम अनुपालन लागत) सुनिश्चित होती है।

संस्थागत ढाँचा

- **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE):** (नोडल कार्यान्वयन एजेंसी) नियम एवं MRV प्रणाली (मापन, प्रतिवेदन एवं सत्यापन) विकसित करता है।
- **केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC):** (बाजार नियामक)।
- **राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC):** (नीतिगत पर्यवेक्षण निकाय)।
- **इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) एवं पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (PXIL):** (इलेक्ट्रॉनिक व्यापार हेतु पावर एक्सचेंज)।

क्षेत्रीय कवरेज

2026 में एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर-एल्कली एवं पल्प एवं पेपर से विस्तार करते हुए पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, वस्त्र तथा द्वितीयक एल्युमिनियम क्षेत्रों तक विस्तारित।

निष्कर्ष

- CCTS के अंतर्गत GEI लक्ष्य बाजार-प्रेरित डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाते हैं, जो जलवायु कार्रवाई को औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता एवं विकास के साथ समन्वित करते हैं।

द्वितीयक कणीय पदार्थ: दिल्ली के शीतकालीन प्रदूषण का प्रमुख कारक

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा आयोगित एक रिपोर्ट (आयोग द्वारा कराए गए अध्ययन) में पाया गया है कि द्वितीयक कणीय पदार्थ दिल्ली के शीतकालीन वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान (27%) देता है। इसके बाद परिवहन, बायोमास दहन, धूल और उद्योग का स्थान है।

कणीय पदार्थ (PM) क्या है?

- कणीय पदार्थ (PM) वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कणों और तरल बूंदों से मिलकर बना होता है।
- PM10 (≤10 माइक्रोमीटर) ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है।
- PM2.5 (≤2.5 माइक्रोमीटर, मानव बाल से लगभग 30 गुना पतला) फेफड़ों और रक्त प्रवाह में गहराई तक प्रवेश करता है, जिससे हृदय-श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं।

प्राथमिक बनाम द्वितीयक कणीय पदार्थ

- **प्राथमिक PM:** ऐसे स्रोतों से सीधे उत्सर्जित होता है जैसे वाहन, निर्माण धूल, उद्योग और खुले में जलाना।
- **द्वितीयक PM:** वायुमंडल में तब निर्मित होता है जब पूर्ववर्ती गैसें (नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक) अमोनिया (NH3) (जो उर्वरकों और पशुधन से उत्सर्जित होती है) के साथ सूर्य प्रकाश और आर्द्रता की उपस्थिति में अभिक्रिया करती हैं, जिससे सल्फेट और नाइट्रेट बनते हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- द्वितीयक कण PM2.5 का 25-60% हिस्सा बनाते हैं, जिससे वे शीतकाल के प्रमुख प्रदूषक बन जाते हैं। पूर्व अध्ययनों में पद्धतिगत असंगतियों को भी रेखांकित किया गया।

CAQM के बारे में

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक वैधानिक निकाय है (CAQM अधिनियम, 2021), जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, जिसमें GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) का क्रियान्वयन शामिल है।

नीतिगत प्रतिक्रिया

- CAQM वर्ष 2026 में नए उत्सर्जन सूचीकरण (स्रोत-वार प्रदूषण मानचित्रण) एवं स्रोत विभाजन अध्ययन (प्रदूषण स्रोतों की वैज्ञानिक पहचान) संचालित करेगा।

निष्कर्ष

- दिल्ली के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष उत्सर्जन में कमी के साथ-साथ अमोनिया और पूर्ववर्ती गैसों सहित द्वितीयक प्रदूषकों के निर्माण पर नियंत्रण अनिवार्य है।

हीराकुंड आर्द्रभूमि एक प्रमुख प्रवासी पक्षी आश्रय स्थल के रूप में उभरा

ओडिशा के संबलपुर जिले में स्थित हीराकुंड आर्द्रभूमि (मीठे पानी का आर्द्रभूमि पारितंत्र) में वर्तमान मौसम के दौरान 4.21 लाख प्रवासी पक्षियों (जो विभिन्न क्षेत्रों के बीच मौसमी प्रवास करते हैं) का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है।

हीराकुंड आर्द्रभूमि

- यह आर्द्रभूमि हीराकुंड बाँध जलाशय (मानव-निर्मित विशाल जलाशय) का हिस्सा है, जो महानदी (प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पूर्ववाहिनी नदी) पर निर्मित है और लगभग 26 किमी तक विस्तृत है।
- **जलविद्युत उत्पादन:** लगभग 350 मेगावाट (विद्युत उत्पादन क्षमता)
- **सिंचाई सहायता:** लगभग 4.36 लाख हेक्टेयर (कृषि योग्य भूमि)

पारिस्थितिक महत्त्व

- हीराकुंड आर्द्रभूमि एक जैव-विविधता हॉटस्पॉट (अधिक प्रजातीय समृद्धि वाला क्षेत्र) है और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे (Central Asian Flyway) के अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है।
- यह 128 पक्षी प्रजातियों का आश्रय स्थल है।
- **सामान्य प्रजातियाँ:** नॉर्दर्न पिनटेल, शोवेलर, टील, पोचार्ड, बार-हेडेड गूज।
- **दुर्लभ प्रजातियाँ:** रफ (यूरेशियाई लंबी दूरी के प्रवासी तटीय पक्षी)।

रामसर दर्जा

- इसे 2021 में रामसर स्थल (रामसर अभिसमय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि) घोषित किया गया।

आवास विविधता

- यह खुला जल, दलदली क्षेत्र, कीचड़युक्त मैदान (mudflats) और उथली आर्द्रभूमियों जैसे परस्पर संबद्ध पारितंत्रों का समूह प्रदान करता है।

निष्कर्ष

- हीराकुंड आर्द्रभूमि एक महत्त्वपूर्ण प्रवासी पक्षी शरणस्थली के रूप में उभरी है। वैश्विक पक्षी जैव-विविधता के संरक्षण हेतु इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

ताज ट्रेपेजियम जोन

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (विशेषीकृत पर्यावरण न्यायाधिकरण) ने ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) में पर्यावरणीय मानकों (पर्यावरण संरक्षण हेतु विधिक रूप से निर्धारित नियमों) के कथित उल्लंघन के संबंध में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

परिचय

- ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) एक अधिसूचित पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र (कड़े पर्यावरणीय विनियमन वाला क्षेत्र) है, जो लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
  - इसे ताज महल को वायु प्रदूषण (हानिकारक गैसों एवं कणीय पदार्थ) तथा पारिस्थितिक क्षरण (प्राकृतिक तंत्रों को क्षति) से संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया।
- यह क्षेत्र आगरा परिक्षेत्र को आच्छादित करता है तथा इसमें ऐतिहासिक धरोहर स्मारक जैसे आगरा का किला और फतेहपुर सिकरी सम्मिलित हैं।

विधिक आधार एवं विनियमन

TTZ की रूपरेखा एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (1996) में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय से उत्पन्न हुई, जिसमें निम्न निर्देश दिए गए:

- प्रदूषणकारी उद्योगों (हानिकारक प्रदूषक उत्सर्जित करने वाले कारखानों) का विनियमन
- स्वच्छ ईंधनों एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाना
- औद्योगिक एवं वाहनीय उत्सर्जन (वायु में प्रदूषकों का उत्सर्जन) पर नियंत्रण
- **एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (2015)** में न्यायालय ने ताजमहल से 5 किमी की हवाई दूरी (सीधी रेखीय परिधि) के भीतर बिना पूर्व स्वीकृति के वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक वैधानिक निकाय है, जिसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत स्थापित किया गया।
- यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत मामलों के निपटान को सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

- TTZ मानकों का प्रभावी क्रियान्वयन ताज महल की विरासत-संरक्षणीय महत्ता को बनाए रखने तथा इसके आस-पास के पर्यावरण की सुरक्षा हेतु अनिवार्य है।

समुद्री कछुओं की उपग्रह टैगिंग से संरक्षण को बढ़ावा

पहली बार, चेन्नई तट पर अंडे देने वाले ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं को दो वर्षीय टेलीमेट्री अध्ययन (2025-27) (पशुओं की गतियों की दूरस्थ निगरानी) के अंतर्गत उपग्रह टैग (उपग्रह से जुड़े उपकरणों द्वारा ट्रैकिंग) लगाया गया है, ताकि संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ किया जा सके।

ऑलिव रिडले समुद्री कछुए

- ऑलिव रिडले समुद्री कछुए (Lepidochelys olivacea) विश्व की सबसे छोटी और सर्वाधिक प्रचुर समुद्री कछुआ प्रजाति है। इनका नाम इनके जैतूनी-हरे, हृदयाकार कवच (ऊपरी कठोर खोल) के आधार पर रखा गया है।
  - ये हिन्द, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के उष्णकटिबंधीय (गर्म) जल क्षेत्रों में पाई जाते हैं।
- **आहार:** माँसाहारी - जेलीफिश, झींगा, केकड़ा तथा अन्य अकशेरुकी (रीढ़विहीन) जीवों का सेवन।
- **विशिष्ट व्यवहार:** अरिबाडा - सामूहिक घोंसला-निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें हजारों मादा कछुए एक ही तट पर एक साथ अंडे देती हैं।
- **भारत में प्रमुख घोंसला स्थल:**
  - रुशिकुल्या नदी तट,
  - गाहिरमाथा तट (Bhitarkanika National Park के अंतर्गत),
  - तथा देवी नदी का मुहाना - जहाँ विश्व का सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला-निर्माण देखा जाता है।

संरक्षण स्थिति

- **IUCN रेड लिस्ट:** संवेदनशील (प्राकृतिक वातावरण में विलुप्ति का उच्च जोखिम)
- **CITES परिशिष्ट-I:** (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कठोरतम संरक्षण)

उपग्रह टैगिंग का महत्त्व

- यह प्रवास मार्गों (दीर्घ दूरी की आवाजाही पथ) की निगरानी, महत्त्वपूर्ण आवासों (मुख्य भोजन एवं घोंसला क्षेत्र) की पहचान तथा मत्स्यन गतिविधियों से अंत:क्रिया (मछली पकड़ने से संभावित खतरे) का आकलन करने में सहायक है, जिससे साक्ष्य-आधारित संरक्षण योजना संभव होती है।

निष्कर्ष

- उपग्रह टेलीमेट्री तटीय एवं खुले महासागरीय पारितंत्रों में ऑलिव रिडले कछुओं के लक्षित संरक्षण को सुदृढ़ बनाती है।

जैव-बिटुमेन

भारत सड़क निर्माण के लिए जैव-बिटुमेन (पौध-आधारित, पेट्रोलियम बिटुमेन का विकल्प) का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है, जिससे सतत् अवसंरचना विकास को आधार प्राप्त होगा।

बिटुमेन क्या है?

- बिटुमेन एक काला, सान्द्र हाइड्रोकार्बन मिश्रण (गाढ़ा पेट्रोलियम उत्पाद) है, जो कच्चे तेल के अंशीय आसवन (कच्चे तेल को उपयोगी घटकों में विभाजित करने की प्रक्रिया) से प्राप्त होता है।
- यह सड़क निर्माण में बाइंडर (एग्रीगेट को बाँधने वाला पदार्थ) के रूप में कार्य करता है।

जैव-बिटुमेन क्या है?

- जैव-बिटुमेन एक नवीकरणीय बाइंडर (पर्यावरण-अनुकूल विकल्प) है, जिसमें जीवाश्म-आधारित बिटुमेन के एक भाग को बायोमास-उत्पन्न पदार्थ (पौध-आधारित जैविक अपशिष्ट) से प्रतिस्थापित किया जाता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन (ऊष्मा अवरोधक गैसों का उत्सर्जन) में कमी आती है।

उत्पादन प्रक्रिया

इस प्रक्रिया में शामिल हैं:

- धान की पराली का संग्रह (फसल कटाई के बाद का अवशेष)
- पेलेटाइजेशन (बायोमास को ठोस पेलेट में संपीड़ित करना)
- पाइरोलिसिस (ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास को गर्म करना) जिससे बायो-ऑयल (नवीकरणीय तरल ईंधन) का उत्पादन होता है
- बायो-ऑयल को पारंपरिक बिटुमेन के साथ मिलाना (आंशिक प्रतिस्थापन)

भारत के लिए जैव-बिटुमेन का महत्त्व

- बिटुमेन आयात में कमी (भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 50% आयात करता है)
- विदेशी मुद्रा बहिर्गमन में कमी (आयात पर व्यय घटता है)
- फसल अवशेष दहन की रोकथाम (वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण)
- परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा (अपशिष्ट संसाधनों का पुनः उपयोग)
- निम्न-कार्बन अवसंरचना का समर्थन (जलवायु-अनुकूल विकास)

निष्कर्ष

- जैव-बिटुमेन अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा सुरक्षा का समन्वय करता है, जिससे भारत का सड़क निर्माण क्षेत्र अधिक सतत् और आत्मनिर्भर बनता है।

बैटरी पैक आधार संख्या

केंद्रीय सरकार ने बैटरियों के संपूर्ण जीवनचक्र अनुरेखण (निर्माण से निपटान तक ट्रैकिंग) को सुनिश्चित करने के लिए बैटरी पैक आधार संख्या (BPAN) (बैटरियों के लिए विशिष्ट डिजिटल पहचान) का प्रस्ताव किया है, विशेष रूप से विद्युत वाहनों (EV) की बैटरियों (इलेक्ट्रिक वाहनों को शक्ति प्रदान करने वाली बैटरियाँ) के संदर्भ में।

BPAN क्या है?

- BPAN एक 21-अक्षरीय विशिष्ट पहचान संख्या (अलग डिजिटल कोड) है, जो भारतीय बाजार में रखे जाने वाले प्रत्येक बैटरी पैक को आवंटित की जाएगी।
- यह बैटरियों के लिए डिजिटल आधार (पहचान प्रणाली) के रूप में कार्य करेगा, जिससे निर्माण (उत्पादन चरण) से लेकर पुनर्चक्रण या निपटान (जीवन-चक्र समाप्ति प्रबंधन) तक निगरानी संभव होगी।
- यह प्रणाली मुख्यतः लिथियम-आयन बैटरियों (लिथियम यौगिकों का उपयोग करने वाली पुनर्भरणीय बैटरियाँ) को लक्षित करती है, जो EV उपयोग में प्रमुख हैं।

मुख्य विशेषताएँ

- **अनिवार्य विशिष्ट पहचान:** प्रत्येक निर्माता या आयातक (बैटरी उत्पादक या विक्रेता) के लिए आवश्यक।
- **जीवनचक्र ट्रैकिंग:** कच्चे माल के स्रोत, उपयोग, प्रदर्शन, द्वितीय जीवन उपयोग (ऊर्जा भंडारण में पुनः उपयोग), पुनर्चक्रण तथा अंतिम निपटान को शामिल करता है।
- **गतिशील अद्यतन:** संरचना या स्वामित्व में परिवर्तन (हस्तांतरण या संशोधन) की स्थिति में नया BPAN आवश्यक होगा।
- **स्थायी अंकन:** BPAN स्पष्ट रूप से स्थायी (छेड़छाड़-प्रतिरोधी पहचान) के रूप में प्रदर्शित होना चाहिए।

महत्त्व

- BPAN प्रभावी पुनर्चक्रण को सक्षम करता है, परिपत्र अर्थव्यवस्था (संसाधनों के पुनः उपयोग) को सुदृढ़ करता है, पर्यावरणीय जोखिम (प्रदूषण और विषैले अपशिष्ट) को कम करता है तथा स्वच्छ गतिशीलता (निम्न-उत्सर्जन परिवहन) को समर्थन देता है।

निष्कर्ष

- BPAN सतत् बैटरी शासन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जो भारत के EV संक्रमण को पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संसाधन दक्षता के साथ संरेखित करता है।

5 भूगोल

डूम्सडे ग्लेशियर (थ्वाइट्स ग्लेशियर)

हाल ही में 'जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च: अर्थ सरफेस' में प्रकाशित एक अध्ययन में अंटार्कटिका के थ्वाइट्स ग्लेशियर की संरचनात्मक कमजोरी में तीव्र वृद्धि को रेखांकित किया गया है।

डूम्सडे ग्लेशियर क्या है?

- थ्वाइट्स ग्लेशियर एक विशाल आउटफ्लो ग्लेशियर (ऐसा हिमनद जो हिमचादर से बर्फ को समुद्र की ओर प्रवाहित करता है) है, जो पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित है और अमुंडसेन सागर (दक्षिण महासागर का भाग) में प्रवाहित होता है।
- यह West Antarctic Ice Sheet (डब्ल्यूएआईएस) का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जो समुद्र तल से नीचे स्थित विशाल हिमसमूह है, और इसे जलवायु टिपिंग एलिमेंट (ऐसी प्रणाली जो सीमा पार करने पर तीव्र एवं अपरिवर्तनीय परिवर्तन से गुजर सकती है) के रूप में पहचाना गया है।

मुख्य वैज्ञानिक निष्कर्ष

- अध्ययन में 362 आइस-सम्बंधित अर्थक्वेक (बर्फ की गति और दरार से उत्पन्न भूकंपीय कंपन) दर्ज किए गए, जिनमें से 245 मरीन टर्मिनस (ग्लेशियर का समुद्र की ओर स्थित अंतिम भाग) के समीप पाए गए।
- ये आइस फ्रैक्चरिंग (बर्फ में दरार) और संरचनात्मक अस्थिरता (यांत्रिक शक्ति में कमी) में वृद्धि का संकेत देते हैं। बेसल मेल्टिंग (गर्म समुद्री जल के कारण ग्लेशियर के आधार का पिघलना) आइस लॉस को तीव्र कर रही है।

यह वैश्विक चिंता का विषय क्यों है?

- थ्वाइट्स निकटवर्ती ग्लेशियरों के लिए बट्रेस (समर्थनकारी अवरोध) का कार्य करता है।
- इसके ध्वस्त होने पर वैश्विक सी-लेवल (विश्वव्यापी औसत महासागरीय स्तर) लगभग 3 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे तटीय क्षेत्रों और द्वीपीय देशों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

निष्कर्ष

- डूम्सडे ग्लेशियर एक गंभीर क्लाइमेट अलार्म है, क्योंकि इसकी डेस्टेबिलाइजेशन अपरिवर्तनीय वैश्विक सी-लेवल राइज को प्रेरित कर सकती है।

शक्सगाम घाटी

भारत ने शक्सगाम घाटी पर अपनी संप्रभुता पुनः स्थापित करते हुए 1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को अस्वीकार किया है तथा अवैध रूप से अधिकृत भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली CPEC परियोजना का विरोध किया है।

परिचय

- शक्सगाम घाटी, जिसे ट्रांस-कराकोरम ट्रैक्ट भी कहा जाता है (कराकोरम पर्वत श्रृंखला के पार स्थित क्षेत्र), सियाचिन ग्लेशियर (विश्व का सर्वाधिक ऊँचाई वाला सैन्यीकृत क्षेत्र) के उत्तर में लद्दाख (भारत का केंद्र शासित प्रदेश) में स्थित है।
- ऐतिहासिक रूप से यह जम्मू और कश्मीर की पूर्व रियासत (1947 से पूर्व अर्ध-स्वायत्त राज्य) का अभिन्न अंग था।
- वर्तमान में यह चीन के वास्तविक नियंत्रण (विधिक संप्रभुता के बिना वास्तविक प्रशासन) में है, जो पाकिस्तान द्वारा किए गए अवैध प्रादेशिक हस्तांतरण के परिणामस्वरूप हुआ।

1963 चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता

- चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता के अंतर्गत पाकिस्तान ने लगभग 5,180 वर्ग किमी शक्सगाम घाटी चीन को हस्तांतरित कर दी।
- भारत इस समझौते को अवैध, शून्य एवं बाध्यकारी न मानते हुए अस्वीकार करता है और यह प्रतिपादित करता है कि पाकिस्तान के पास जम्मू-कश्मीर के किसी भी भाग को हस्तांतरित करने की विधिक संप्रभुता नहीं थी।

सामरिक एवं भू-राजनीतिक महत्त्व

- यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह अक्साई चिन (विवादित उच्च पठारी क्षेत्र), सियाचिन ग्लेशियर तथा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) के निकट स्थित है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत चीन-प्रेरित अवसंरचना कॉरिडोर है।
- यह भारत की क्षेत्रीय अखंडता (राष्ट्रीय भू-भाग की एकता एवं संप्रभुता) को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

निष्कर्ष

- भारत का मत है कि शक्सगाम घाटी पर अवैध कब्जा है तथा इसकी स्थिति में परिवर्तन करने वाला कोई भी समझौता विधिक रूप से मान्य नहीं है।

पश्चिमी विक्षोभ

हाल ही में हिमालयी क्षेत्र में कम वर्षण मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ की कमजोर गतिविधि के कारण है।

पश्चिमी विक्षोभ क्या है?

- पश्चिमी विक्षोभ एक बहिर्उष्णकटिबंधीय तूफान (उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बाहर बनने वाली मौसम प्रणाली) है, जिसकी उत्पत्ति भूमध्यसागरीय क्षेत्र (भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र) में होती है।
- यह पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम एशिया (ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान) के पार गति करता है और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है।

- "विक्षोभ" से आशय एक निम्न-दाब प्रणाली (वायुमंडलीय दाब के कम क्षेत्र) से है, जो दाब संतुलन (वायुमंडलीय दाब में संतुलन) को पुनर्स्थापित करने के लिए वायु और आर्द्रता को अपनी ओर आकर्षित करती है।

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव

- उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम भारत में वर्षा, हिमपात और कोहरा (आर्द्रता-जनित कम दृश्यता) का कारण बनता है।
- रबी फसलों (शीतकाल में बोई जाने वाली फसलें जैसे गेहूँ और जौ) के लिए शीतकालीन वर्षा उपलब्ध कराकर आवश्यक है।
- हिमालय में हिम-संचय (संचित पर्वतीय हिम) का निर्माण करता है, जो ग्रीष्मकाल के दौरान नदी प्रवाह को बनाए रखता है।

संबंधित जोखिम

- पश्चिमी विक्षोभ कभी-कभी चरम मौसम घटनाओं (गंभीर वायुमंडलीय परिस्थितियाँ) को उत्पन्न कर सकता है, जैसे बाढ़, आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन, ओलावृष्टि, धूल भरी आँधी तथा शीत लहर (असामान्य रूप से कम तापमान की अवधि)।

निष्कर्ष

- पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की जलवायु, कृषि और जल सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है; इसकी कमजोरी सीधे वर्षा के पैटर्न और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती है।

फूलों की घाटी

फूलों की घाटी के निकट एक भीषण वनाग्नि (प्राकृतिक वनस्पति का अनियंत्रित दहन) ने अधिकारियों को भारतीय वायु सेना से सहायता (हेलीकॉप्टरों के माध्यम से हवाई अग्निशमन सहायता) प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

वनाग्नि क्या है?

- वनाग्नि एक अनियंत्रित आग (मानवीय नियंत्रण के बिना तीव्र गति से फैलने वाली अग्नि) है, जो वनों या घासभूमियों में लगती है।
- यह प्राकृतिक कारणों (आकाशीय विद्युत गिरना, दीर्घकालिक सूखा) अथवा मानवीय गतिविधियों (लापरवाही, जानबूझकर आग लगाना) के कारण उत्पन्न हो सकती है।
- वनाग्नि जैव विविधता हानि (वनस्पति और पशु प्रजातियों में कमी), वायु प्रदूषण (धुएँ और सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन) तथा मृदा अपक्षय (पोषक तत्त्वों और उर्वरता की हानि) का कारण बनती हैं।

फूलों की घाटी

- फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (कानूनी रूप से संरक्षित पारिस्थितिक क्षेत्र) के अंतर्गत आती है तथा नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विस्तृत संरक्षण क्षेत्र) का भाग है।
- यह अपनी आल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र (उच्च हिमालयी पारिस्थितिक प्रणाली) तथा मानसून कालीन पुष्प प्रस्फुटन (जून से सितंबर के बीच मौसमी सामूहिक पुष्पन) के लिए प्रसिद्ध है।

संरक्षण स्थिति

- राष्ट्रीय उद्यान (1982) (वैधानिक संरक्षण दर्जा)
- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (2005) (असाधारण सार्वभौमिक महत्त्व का स्थल)
- 1931 में फ्रैंक स्माइथ (ब्रिटिश पर्वतारोही) द्वारा खोजा गया।

निष्कर्ष

- वनाग्नि फूलों की घाटी की संवेदनशील आल्पाइन जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं, जिससे त्वरित आपदा प्रत्युत्तर और सतत् संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

ध्रुवीय भंवर

संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शक्तिशाली शीतकालीन तूफान को ध्रुवीय भंवर द्वारा तीव्र किया गया है, जिससे अत्यधिक ठंड और भारी हिमपात हुआ।

ध्रुवीय भंवर क्या है?

- ध्रुवीय भंवर वायुमंडलीय निम्न दबाव का एक बड़ा क्षेत्र (ऐसा क्षेत्र जहाँ वायु दाब आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम होता है) है, जिसमें बहुत ठंडी वायु होती है।
- यह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों (उत्तर और दक्षिण ध्रुव के आसपास के क्षेत्र) के चारों ओर उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में घूमता है।

ध्रुवीय भंवर के प्रकार

- **ट्रोपोस्फेरिक ध्रुवीय भंवर:**
  - यह ट्रोपोस्फियर (वायुमंडल की सबसे निचली परत जहाँ मौसम बनता है) में उत्पन्न होता है, और सतह से 10-15 किमी ऊँचाई तक फैलता है।
  - यह मौसम के पैटर्न (दैनिक वायुमंडलीय स्थितियों) को सीधे प्रभावित करता है।
- **स्ट्रैटोस्फेरिक ध्रुवीय भंवर:** यह स्ट्रैटोस्फियर (ट्रोपोस्फियर के ऊपर की परत) में 15-50 किमी ऊँचाई पर बनता है। यह सर्दियों में सबसे मजबूत होता है और गर्मियों में कमजोर या टूट जाता है।

ध्रुवीय भंवर के प्रभाव

- जब भंवर कमजोर होता है या स्थानांतरित होता है, तो आर्कटिक हवा (ध्रुवीय क्षेत्रों से अत्यधिक ठंडी हवा) दक्षिण की ओर बढ़ सकती है, जिससे:
  - शीत लहरें (असामान्य रूप से लंबे समय तक कम तापमान)
  - भारी हिमपात (तीव्र बर्फ का जमाव)
  - ठंडी हवाएँ (मजबूत, ठंडी वायु प्रवाह)
- ये प्रभाव आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया में महसूस किए जाते हैं।

निष्कर्ष

- ध्रुवीय भंवर शीतकालीन जलवायु में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके व्यवधान से मध्य-देशांतर क्षेत्रों में गंभीर ठंड की घटनाएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

डोनबास

अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी और एक तटस्थ कूटनीतिक स्थल) में हुई शांति वार्ताओं में डोनेट्स्क (यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र) पर जारी विवादों को उजागर किया गया।

डोनेट्स्क क्या है?

- डोनेट्स्क यूक्रेन के चार क्षेत्रों में से एक है, जिसे रूस ने 2022 में विवादित जनमत संग्रह (सैन्य कब्जे के अंतर्गत आयोजित वोट, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली) के बाद अपने क्षेत्र में शामिल करने का दावा किया।
- यूक्रेन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिकांश भाग (संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य राज्य) डोनेट्स्क को यूक्रेन के संप्रभु क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है।
- रूस डोनेट्स्क को अपने "ऐतिहासिक भूभाग" (ऐतिहासिक कथाओं के आधार पर दावा किए गए क्षेत्र) का हिस्सा बताता है।

डोनबास क्षेत्र क्या है?

- डोनबास (डोनेट्स बेसिन) में डोनेट्स्क और लुहांस्क शामिल हैं, दो कोयला समृद्ध क्षेत्र, जो कभी यूक्रेन का औद्योगिक हृदयस्थल (मुख्य खनन और विनिर्माण क्षेत्र) थे।
- इस क्षेत्र में उर्वर कृषि भूमि (उत्पादक मिट्टी) और एजोव सागर (ब्लैक सी से जुड़ा आंतरिक समुद्र) तक पहुँच भी है।

वर्तमान नियंत्रण

- रूसी बल (सैनिक) लगभग पूरे लुहांस्क और डोनेट्स्क के लगभग 70% पर नियंत्रण रखते हैं।

कानूनी स्थिति

- यूक्रेन के संविधान (सर्वोच्च राष्ट्रीय कानून) के अनुसार, क्षेत्रीय परिवर्तन के लिए देशव्यापी जनमत संग्रह आवश्यक है, जिससे रूस का शामिल करने का दावा कानूनी रूप से अमान्य है।

इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक आउटपोस्ट को नई बस्ती के रूप में कानूनी मान्यता

इजराइल ने वेस्ट बैंक के एक आउटपोस्ट (पहले अनधिकृत इजराइली बस्ती स्थल) को यात्जिव (Yatziv) नामक नई बस्ती के रूप में कानूनी मान्यता दी, जिससे बस्ती विस्तार पर बहस फिर से प्रारंभ हो गई।

यात्जिव बस्ती

- यात्जिव एक यहूदी बस्ती (इजराइली नागरिक समुदाय, जो कब्जे वाले क्षेत्र में स्थापित है) है, जो वेस्ट बैंक में बेइट सहूर (बेथलेहेम के पास का फिलिस्तीनी नगर) के निकट स्थित है।
- इसकी मान्यता लंबे समय तक बस्तियों (कब्जे वाले क्षेत्रों में रहने वाले इजराइली नागरिक) द्वारा किए गए प्रयासों के बाद हुई, जो इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष (दीर्घकालीन क्षेत्रीय और राजनीतिक विवाद) के बीच थी।

वेस्ट बैंक

- वेस्ट बैंक जॉर्डन नदी (पश्चिम एशिया की प्रमुख नदी) के पश्चिम में स्थित है और इसके सीमांत देश इजराइल और जॉर्डन हैं।
- मुख्य शहरों में रामल्लाह (फिलिस्तीनी प्राधिकरण की प्रशासनिक राजधानी), हेब्रोन, नाबलुस, जेनीन और बेथलेहेम शामिल हैं।

ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि

- **1948-49 अरब-इजराइल युद्ध:** वेस्ट बैंक पर कब्जा और उसे जॉर्डन ने अपने में शामिल किया।
- **1967 छः दिवसीय युद्ध:** इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया।
- **ओस्लो समझौते (1993-95):** इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति समझौते; इसके अंतर्गत फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) का गठन हुआ और वेस्ट बैंक को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया:
- **क्षेत्र A:** पूर्ण फिलिस्तीनी नियंत्रण
- **क्षेत्र B:** फिलिस्तीनी नागरिक और संयुक्त सुरक्षा नियंत्रण
- **क्षेत्र C:** पूर्ण इजराइली नियंत्रण (~60% क्षेत्र)

निष्कर्ष

- यात्जिव की कानूनी मान्यता असुलझी संप्रभुता समस्याओं को उजागर करती है, क्योंकि फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक को भविष्य के संप्रभु राज्य (स्वतंत्र राष्ट्र) के लिए चाहते हैं।

कामचटका प्रायद्वीप

रूस के दूर पूर्व में स्थित कामचटका प्रायद्वीप में एक भयंकर शीतकालीन तूफान ने जीवन को ठहराव पर ला दिया, भारी हिमपात ने सड़कों और घरों को ढक दिया।

परिचय

- कामचटका रूस के दूर पूर्वी संघीय जिले का हिस्सा है और कामचटका क्राई का निर्माण करता है, जिसकी आबादी लगभग 3,22,000 है।
- यह 1,250 किमी लंबा प्रायद्वीप है, जो ओखोट्स्क सागर (पश्चिम), प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर (पूर्व) के बीच स्थित है। इसमें स्रेडिन्नी (केंद्रीय) और वोस्तोचनी (पूर्वी) पर्वतमालाएँ हैं, जिनमें यूनेस्को सूचीबद्ध कामचटका के ज्वालामुखियों में 29 सक्रिय ज्वालामुखी शामिल हैं।
- कामचटका नदी मध्य घाटी से होकर बहती है।

6 आंतरिक सुरक्षा

DRDO ने 'प्रलय' मिसाइलों के सल्वो लॉन्च को सफलतापूर्वक अंजाम दिया

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने उन्नत त्वरित-आग क्षमता का प्रदर्शन करते हुए ओडिशा तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप से दो 'प्रलय' मिसाइलों का सल्वो लॉन्च (समानांतर या तीव्र क्रम में प्रक्षेपण) सफलतापूर्वक किया, जिससे लक्ष्यों को तेजी से निशाना बनाया गया।

परिचय

प्रलय: सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल

इंजन: दो चरणों वाला रॉकेट मोटर, तीसरे चरण में MaRV

गति: माख 1 से 1.6 तक

रेंज: 150-500 किमी

प्रक्षेप पथ: निम्न

मार्गदर्शन प्रणाली: जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली

लॉन्च प्लेटफॉर्म: 8×8 BEML-टाट्रा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर

द्रव्यमान: 5 टन (4.9 लॉन्ग टन; 5.5 शॉर्ट टन)

संचालन रेंज: 150-500 किमी (93-311 मील)

प्रलय एक कैनिस्टरयुक्त सामरिक, सतह से सतह पर मार करने वाली और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे युद्धक्षेत्र में उपयोग के लिए भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने विकसित किया है।

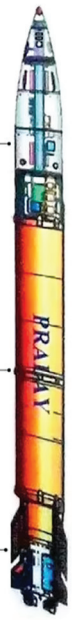

इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है और इसमें नवीनतम नेविगेशन प्रणाली तथा एकीकृत एवियोनिक्स लगे हैं।

यह हवा में निश्चित दूरी तय करने के बाद अपना मार्ग बदल सकती है और इसका पता लगाना कठिन है।

यह इंटरसेप्टर मिसाइलों को परास्त करने की क्षमता रखती है।

हाइपरसोनिक मिसाइल विकास

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक प्रमुख तकनीकी सफलता हासिल की है।

परिचय

- DRDO ने सक्रिय रूप से ठंडा किए जाने वाले पूर्ण आकार के स्क्रामजेट कम्बस्टर का लंबी अवधि का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया।
- **टेस्ट सुविधा:** यह परीक्षण उन्नत स्क्रामजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट (SCPT) सुविधा में किया गया।
- **परीक्षण परिणाम:** कम्बस्टर ने लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक संचालन किया, जो सतत् हाइपरसोनिक उड़ान की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **परीक्षण एजेंसी:** यह परीक्षण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी (DRDL), हैदराबाद द्वारा किया गया, जो DRDO के अंतर्गत प्रमुख मिसाइल प्रणाली प्रयोगशाला है।

हाइपरसोनिक मिसाइल

- **गति क्षमता:** हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें मैक 5 से अधिक गति (6,100 किमी/घंटा से अधिक) से यात्रा कर सकती हैं।
- **इंजन तकनीक:** ये एयर-ब्रीदिंग स्क्रामजेट इंजन का उपयोग करती हैं, जो सुपरसोनिक दहन पर आधारित होते हैं।
- **संचालन लाभ:** उच्च गति और नियंत्रणीयता (manoeuvrability) इन मिसाइलों को आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों से बचने में मदद करती है।
- **हथियार श्रेणियाँ:** हाइपरसोनिक हथियार दो प्रकार के होते हैं-
  - **हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन (HGVs):** रॉकेट-प्रक्षेपित और लक्ष्य तक ग्लाइड करते हैं।
  - **हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें (HCMs):** पूरे उड़ान के दौरान स्क्रामजेट इंजन का उपयोग करती हैं।

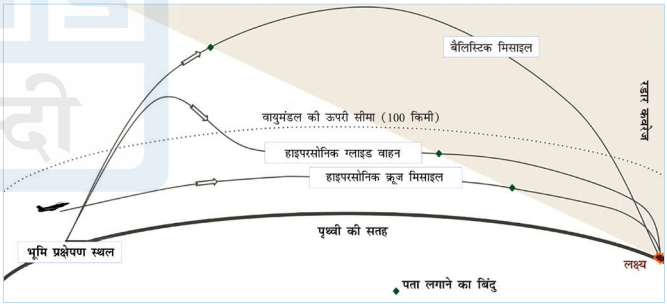

भारत में मिसाइल प्रणाली

- **बैलिस्टिक मिसाइल:** ये मिसाइलें बैलिस्टिक मार्ग का पालन करती हैं और रणनीतिक निवारक के रूप में काम करती हैं।
  - **शॉर्ट-रेंज:** पृथ्वी-I, II, III
  - **अग्नि शृंखला:** अग्नि-I से अग्नि-V (मध्यम से अंतरमहाद्वीपीय रेंज तक)

एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP)

पृथ्वी	आकाश	नाग	त्रिशूल	अग्नि
सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल	मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल	तीसरी पीढ़ी की 'फायर एंड फॉरगेट' एंटी-टैंक मिसाइल	कम दूरी की, निम्न ऊँचाई वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल	मध्यवर्ती दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल

- **क्रूज मिसाइल:** ये मिसाइलें वायुमंडल में एरोडायनामिक लिफ्ट का उपयोग कर उड़ती हैं और उच्च सटीकता प्रदान करती हैं।
  - **निर्भय:** लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल
  - **ब्रह्मोस:** सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल

सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर प्रणाली

भारतीय सेना ने निबे लिमिटेड (NIBE Limited) के साथ आपातकालीन खरीद (Emergency Procurement) के अंतर्गत 293 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि सूर्यास्त्र प्रणाली प्राप्त की जा सके, जो इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स (Elbit Systems) के सहयोग से विकसित की गई है।

परिचय

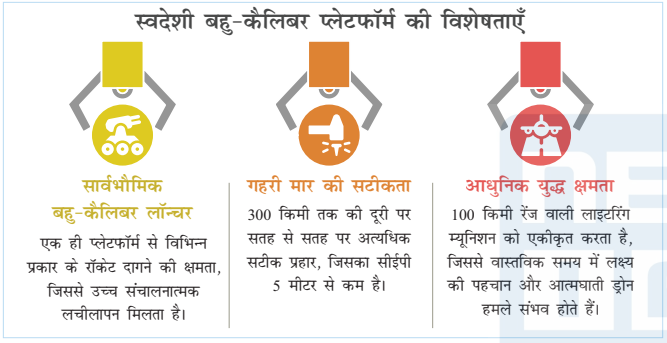

राष्ट्रीय IED डेटा प्रबंधन प्रणाली

केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय IED डेटा प्रबंधन प्रणाली (NIDMS) का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य भारत के काउंटर-IED और आंतरिक सुरक्षा ढाँचे को सुदृढ़ करना है।

NIDMS

- **विकास एजेंसी:** NIDMS को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) द्वारा विकसित किया गया है।
- **उद्देश्य:** यह एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे पूरे देश में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) और बम विस्फोट घटनाओं का व्यवस्थित विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- **मुख्य कार्य:** यह प्रणाली IED से संबंधित डेटा का संग्रह, संयोजन और विश्लेषण सक्षम करती है।
- **डेटा प्रबंधन:** विस्फोट संबंधी जानकारी का सटीक, संरचित और केंद्रीकृत भंडारण सुनिश्चित करती है।
- **उपयोगकर्ता पहुँच:** प्लेटफॉर्म तक एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS), राज्य पुलिस बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) पहुँच सकते हैं।
- **संचालन लाभ:** राष्ट्रीय स्तर के डेटा तक आसान पहुँच बेहतर जाँच, खतरा मूल्यांकन और रोकथाम उपायों में मदद करती है।
- **दो-तरफा प्लेटफॉर्म:** NIDMS एक दो-तरफा प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो एजेंसियों को जानकारी अपलोड करने और कार्रवाई योग्य डेटा प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- **सुरक्षा प्रभाव:** यह प्रणाली सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करती है और IED से संबंधित खतरों से निपटने में भारत की क्षमता को बढ़ाती है।

एक्सरसाइज सांझा शक्ति

भारतीय सेना ने डिगी हिल्स रेंज में सैन्य-सिविल फ्यूजन अभ्यास (Military-Civil Fusion Exercise), एक्सरसाइज सांझा शक्ति, का आयोजन किया, जो दक्षिण कमांड के अधीन, विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा क्षेत्र में हुआ।

परिचय

- इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य और नागरिक समन्वय को मजबूत करना, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाना, और पीछे के क्षेत्रों में जन सुरक्षा सुनिश्चित करना, विशेषकर आपदाओं, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और अन्य आपात परिस्थितियों में था।
- एक्सरसाइज सांझा शक्ति ने यह स्पष्ट किया कि पीछे के क्षेत्रों की सुरक्षा सशस्त्र बलों की एक प्रमुख जिम्मेदारी है और इसके लिए सिविल संस्थाओं के साथ घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता होती है, चाहे वह शांति समय की आपात स्थिति हो या सुरक्षा परिस्थितियाँ।

भैरव बटालियन्स

सेना की नव स्थापित भैरव बटालियन्स ने जयपुर में आयोजित आर्मी डे परेड में पहली बार भाग लिया।

परिचय

- **भूमिका और उद्देश्य:**
  - भैरव बटालियन्स भारतीय सेना की उच्च गति वाली आक्रामक इकाइयाँ हैं, जो पारा स्पेशल फोर्सेज और नियमित इन्फैंट्री के बीच की खाई को पाटने के लिए बनाई गई हैं।
  - ये अचानक सीमा संकट या अल्प समय में आक्रामक अभियान के लिए त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करती हैं।
- **संचालनात्मक विशिष्टता:**
  - ये घातक पलटन (Ghatak Platoons) और पारा SF के बीच आती हैं।
  - जहाँ घातक पलटन बटालियन स्तर के हमलों को संभालती हैं और पारा SF गहरे रणनीतिक मिशन के लिए दुश्मन रेखाओं के पीछे कार्य करती हैं, भैरव बटालियन्स संवेदनशील क्षेत्रों में तीव्र, सीमित अवधि के हमलों पर केंद्रित होती हैं।
- **आधुनिकीकरण पहल:** इन्हें 2025 में सेना के पुनर्गठन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ किया गया, ताकि हाइब्रिड और तकनीक-संचालित युद्ध की चुनौतियों का सामना किया जा सके।

- **संरचना:**
  - प्रत्येक बटालियन में लगभग 200-250 सैनिक होते हैं, जो इन्फैंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और सिग्नल्स से लिए जाते हैं।
  - भर्ती "Sons of the Soil" अवधारणा के अनुसार होती है, ताकि सैनिक स्थानीय भूभाग और जलवायु से परिचित हों।
- **तैनाती:**
  - अब तक 15 बटालियन्स तैयार की जा चुकी हैं, और इसे 23-25 बटालियन्स तक बढ़ाने की योजना है।
  - इन्हें राजस्थान, जम्मू, लद्दाख और पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोर और डिवीजनल कमांड के अधीन रखा गया है।
- **अनमैंड और हाइब्रिड युद्ध पर ध्यान:**
  - ये इकाइयाँ सेना की ड्रोन आधारित संचालन और गहरे लक्ष्य मिशनों की पहल में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं।
  - इस क्षमता का समर्थन करने के लिए एक लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों का पूल तैयार किया जा रहा है।

जस्टिस मिशन-2025

हाल ही में, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने ताइवान के आसपास 'Justice Mission-2025' नामक बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास का आयोजन किया

परिचय

- यह चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किया गया एक सैन्य अभ्यास था।
- यह वर्ष का दूसरा प्रमुख अभ्यास था, जिसका उद्देश्य चीन की सांप्रभुता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा में संकल्प दिखाना और ताइवान के अलगाववादी बलों तथा विदेशी हस्तक्षेप, विशेषकर अमेरिका, को चेतावनी देना था।
- **उद्देश्य:**
  - चीन की सांप्रभुता और राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा करना;
  - ताइवान की स्वतंत्रता की चालों को रोकना;
  - विदेशी हस्तक्षेप का मुकाबला करना (विशेषकर अमेरिका और जापान से)।
- यह अभ्यास ट्रम्प प्रशासन के ताइवान के साथ 11 अरब डॉलर के हथियार सौदे से जुड़ा है, जिसमें स्व-चालित हॉवित्जर, उन्नत रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल सिस्टम शामिल हैं, जो अभी यूएस कांग्रेस की मंजूरी के अधीन हैं।

भारत के रणनीतिक हितों पर प्रभाव

भारत सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की ताइवान के निकट अभ्यासों को चीन के व्यापक सैन्य विस्तार का हिस्सा मानता है।

परिचय

- यह धारणा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर चीन की आक्रामक कार्रवाई, तथा दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में दबंग व्यवहार से और मजबूत होती है।
- **भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति पर प्रभाव:**
  - ये अभ्यास भारत के QUAD समूह (भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया) के माध्यम से सामूहिक निवारण के विश्वास को मजबूत करते हैं।
  - ये अभ्यास सागरीय क्षेत्र में बेहतर समन्वय और जागरूकता की आवश्यकता को भी उजागर करते हैं, जिससे मालाबार जैसे नौसैनिक अभ्यासों की अधिक आवृत्ति हो सकती है ताकि समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- **चीन और ताइवान के साथ कूटनीतिक संतुलन:**
  - भारत औपचारिक रूप से वन-चाइना नीति का पालन करता है, लेकिन सेमीकंडक्टर, व्यापार, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंध बढ़े हैं।
  - भारत रणनीतिक अस्पष्टता (strategic ambiguity) बनाए रखते हुए अपने औपचारिक रुख को दोहराने के साथ-साथ व्यावहारिक सहयोग को धीरे-धीरे गहरा करने की संभावना रखता है।

लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल

DRDO ने 77वें गणतंत्र दिवस परेड में लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल (LR-AShM) और उसके लॉन्चर का प्रदर्शन किया, जो कर्त्तव्य पथ पर आयोजित हुआ।

LR-AShM परिचय

- **विकास:** DRDO द्वारा विकसित, LR-AShM एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, जिसे भारतीय नौसेना की तटीय रक्षा और हमले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- **क्षमता:** यह मिसाइल स्थिर और गतिशील समुद्री लक्ष्यों दोनों पर हमला करने में सक्षम है और इसमें कई प्रकार के पेलोड कॉन्फिगरेशन का उपयोग किया जा सकता है।
- **विशिष्टता:** यह पहली प्रकार की स्वदेशी (indigenous) प्रणाली है, जिसमें स्वदेशी एवियोनिक्स और उच्च-सटीकता सेंसर पैकेज लगे हैं।
- **गति और मार्ग:**
  - यह मिसाइल मैक 10 तक की गति प्राप्त कर सकती है, जबकि औसत हाइपरसोनिक गति मैक 5 है।
  - यह क्वासी-बैलिस्टिक (quasi-ballistic) मार्ग का अनुसरण करती है।

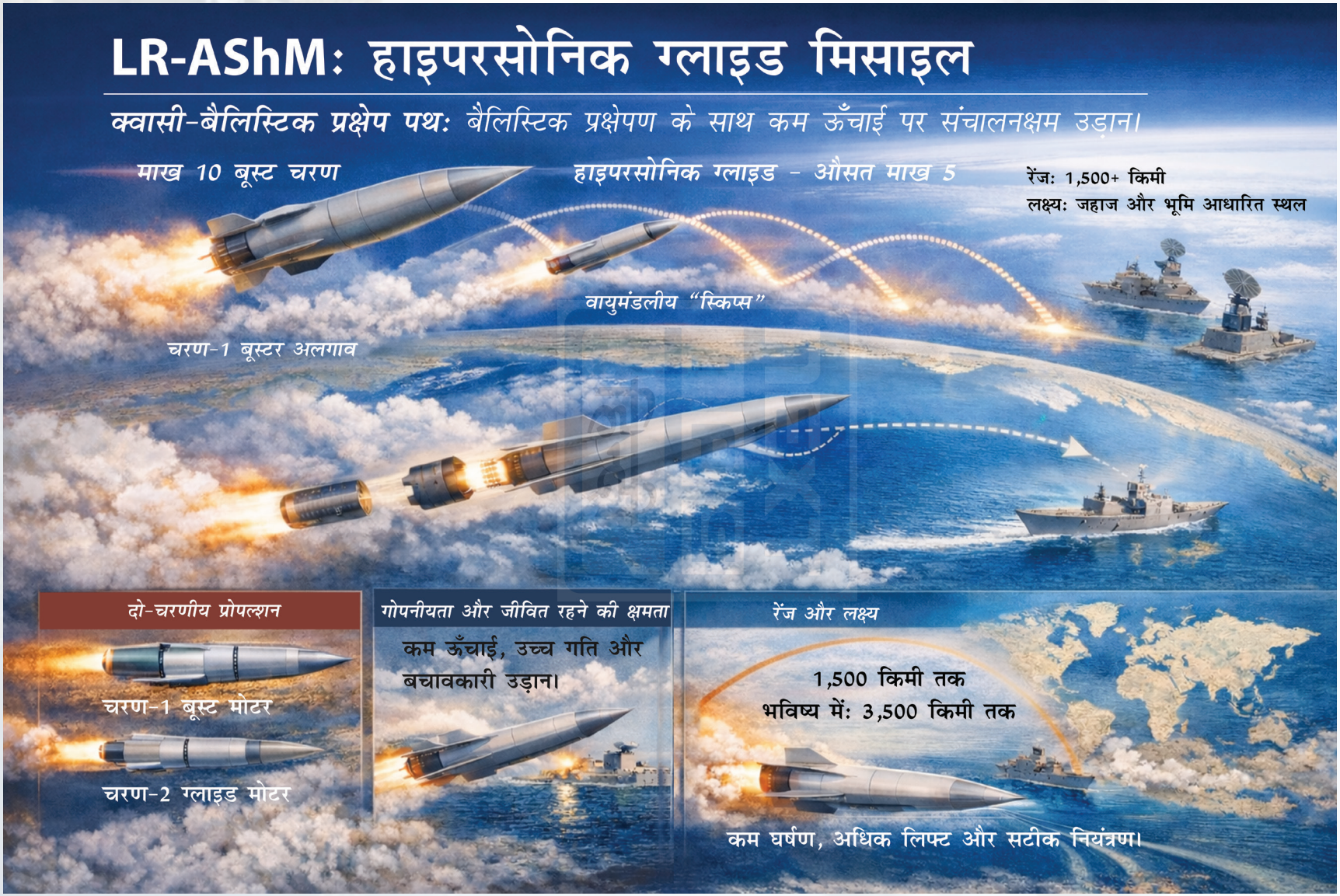
LR-AShM: हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल
क्वासी-बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ: बैलिस्टिक प्रक्षेपण के साथ कम ऊँचाई पर संचालनक्षम उड़ान।
माख 10 बूस्ट चरण
हाइपरसोनिक ग्लाइड - औसत माख 5
रेंज: 1,500+ किमी
लक्ष्य: जहाज और भूमि आधारित स्थल
वायुमंडलीय "स्किप्स"
चरण-1 बूस्टर अलगाव
दो-चरणीय प्रोपल्शन
चरण-1 बूस्ट मोटर
चरण-2 ग्लाइड मोटर
गोपनीयता और जीवित रहने की क्षमता
कम ऊँचाई, उच्च गति और बचावकारी उड़ान।
रेंज और लक्ष्य
1,500 किमी तक
भविष्य में: 3,500 किमी तक
कम घर्षण, अधिक लिफ्ट और सटीक नियंत्रण।

7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तत्परता मूल्यांकन ढाँचा

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) (भारत सरकार के मुख्य विज्ञान सलाहकार) ने उभरती प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन में सुधार के लिए NTRAF लॉन्च किया।

NTRAF परिचय

- NTRAF एक मानकीकृत ढाँचा (uniform evaluation system) है, जो प्रौद्योगिकी की परिपक्वता का मूल्यांकन करता है, मूल अनुसंधान (laboratory-level work) से लेकर व्यावसायिक तैनाती (market-ready application) तक।
- यह टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स (TRLs) का उपयोग करता है, जो नौ-स्टेज स्केल है और तकनीकी प्रगति को मापता है, ताकि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके।
- NTRAF भारत की राष्ट्रीय मिशनों के अंतर्गत अनुसंधान और विकास (R&D) वित्त पोषण का संचालनात्मक आधार (core assessment tool) के रूप में कार्य करता है।

मुख्य विशेषताएँ

- NASA के TRL सिस्टम से अनुकूलित (वैश्विक तकनीकी मानक)
- साक्ष्य-आधारित चेकलिस्ट का उपयोग, व्यक्तिगत राय के बजाय
- स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र-विशेष परिशिष्ट (sector-specific annexures)
- परियोजना प्रमुखों (research leaders) द्वारा स्व-मूल्यांकन की सुविधा, ताकि तकनीकी अंतराल की पहचान हो सके

महत्त्व

- NTRAF वित्त पोषण में पारदर्शिता बढ़ाता है, निवेश जोखिम कम करता है और व्यावसायीकरण (lab-to-market transition) को मजबूत करता है।

निष्कर्ष

- NTRAF भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है, सुनिश्चित करता है कि प्रौद्योगिकी मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ, कुशल और उत्तरदायी हो।

थोरियम

क्लीन कोर थोरियम एनर्जी (CCTE) (यूएस आधारित परमाणु ईंधन प्रौद्योगिकी कंपनी) ने NTPC Ltd (भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी) के साथ साझेदारी की है, ताकि थोरियम आधारित परमाणु ईंधन (वैकल्पिक परमाणु ईंधन) को भारतीय रिएक्टरों में लागू किया जा सके और भारत-यूएस नागरिक परमाणु सहयोग (शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग) को मजबूत किया जा सके।

थोरियम क्या है?

- थोरियम एक रेडियोधर्मी धात्विक तत्त्व है, जो पृथ्वी की पर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है।
- यह उर्वर (fertile) है लेकिन विखंडनीय (fissile) नहीं है, अर्थात् यह अपने आप परमाणु शृंखला प्रतिक्रिया नहीं चला सकता।

थोरियम ईंधन प्रौद्योगिकी

- CCTE ने ANEEL (Advanced Nuclear Energy for Enriched Life) विकसित किया है, जो मुख्यतः थोरियम ईंधन हैं। इसमें थोरियम को HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium) के साथ मिलाया गया है, जिसका यूरेनियम 5-20% तक समृद्ध है (हथियार-ग्रेड से कम)।
- यह ईंधन प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (PHWRs) में बिना बड़े संरचनात्मक बदलाव के उपयोग किया जा सकता है।

परमाणु व्यवहार

- जब थोरियम न्यूट्रॉनों (परमाणु प्रतिक्रियाओं के दौरान उत्सर्जित उपपरमाण्विक कण) को अवशोषित करता है, तो यह यूरेनियम-233 में परिवर्तित हो जाता है, जो विखंडनीय समस्थानिक है और फिशन प्रक्रिया को जारी रख सकता है।
- परमाणु विखंडन (परमाणु नाभिक का विभाजन) से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो विद्युत उत्पादन के लिए गर्मी प्रदान करती है।

महत्त्व

- ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है (विश्वसनीय घरेलू बिजली),
- रिएक्टर सुरक्षा बढ़ाता है (कम दुर्घटना जोखिम), और
- प्रसार प्रतिरोध बढ़ाता है (परमाणु हथियारों के दुरुपयोग की संभावना कम)।

निष्कर्ष

- थोरियम भारत की दीर्घकालिक स्वच्छ और सुरक्षित परमाणु ऊर्जा रणनीति को सुदृढ़ करता है।

BSNL द्वारा वॉइस ओवर WIFI (VOWIFI) लॉन्च (VoWiFi)

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) (सार्वजनिक क्षेत्र की राज्य-स्वामित्व वाली टेलीकॉम कंपनी) ने भारत के सभी टेलीकॉम सर्किल्स (लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र) में वॉइस ओवर WiFi (VoWiFi) सेवा लॉन्च की।

वॉइस ओवर WiFi (VoWiFi) क्या है?

- VoWiFi एक टेलीकॉम प्रौद्योगिकी है, जो उपयोगकर्ताओं को वॉइस कॉल (रीयल-टाइम ऑडियो संचार) और SMS (शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज) भेजने की सुविधा देती है, इसमें सेलुलर नेटवर्क (मोबाइल टावरों) के बजाय Wi-Fi नेटवर्क (वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन) का उपयोग किया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

- एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग (SIM बदलने की जरूरत नहीं)
- डिफॉल्ट फोन डायलर के माध्यम से संचालन (पूर्व-स्थापित कॉलिंग ऐप)
- कोई थर्ड-पार्टी ऐप्स आवश्यक नहीं (बाहरी इंटरनेट कॉलिंग ऐप्स)
- VoWiFi कम मोबाइल सिग्नल वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावी है, जैसे भवन, बेसमेंट और दूरदराज के क्षेत्र।

VoWiFi के पीछे की तकनीक:

- VoWiFi IP Multimedia Subsystem (IMS) पर आधारित है, जो कैरीयर-ग्रेड गुणवत्ता (उच्च विश्वसनीयता और स्पष्टता) और सुरक्षित संचार (एन्क्रिप्टेड वॉइस ट्रांसमिशन) सुनिश्चित करता है।

महत्त्व:

- इनडोर कनेक्टिविटी सुधारता है (भवनों के भीतर बेहतर कॉल क्वालिटी)
- डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देता है (टेलीकॉम सेवाओं तक व्यापक पहुँच)
- नेटवर्क जाम कम करता है (मोबाइल टावरों पर लोड घटता है)
- BSNL के अगली पीढ़ी के टेलीकॉम संक्रमण को आधार प्रदान करता है

निष्कर्ष:

- BSNL का VoWiFi रोलआउट इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से विश्वसनीय वॉइस संचार को बढ़ाता है और भारत के डिजिटल कनेक्टिविटी इकोसिस्टम को सुदृढ़ करता है।

दिल्ली में मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करने की योजना

दिल्ली सरकार ने मानव रेबीज को अधिसूचित रोग (Notifiable Disease) घोषित करने की योजना बनाई है। यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में महामारी रोग अधिनियम (Epidemic Diseases Act) के अंतर्गत उठाया जा रहा है, जो रोग नियंत्रण उपायों को कानूनी मान्यता देता है।

अधिसूचित रोग क्या है?

- अधिसूचित रोग वह रोग होता है, जिसके बारे में सरकारी स्वास्थ्य प्राधिकरणों को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना कानूनी रूप से आवश्यक होता है।
- इससे रीयल-टाइम निगरानी (continuous case monitoring), जल्दी संक्रमण की पहचान, और साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई (data-driven policy response) संभव होती है।

रेबीज क्या है?

- रेबीज एक वायरल जूनेटिक रोग (viral zoonotic disease) है, जो केंद्रिय तंत्रिका तंत्र (मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी) को प्रभावित करता है।
- यह मुख्य रूप से कुत्तों से काटने, खरोंच या लार के माध्यम से आँख, मुँह या नाक जैसी श्लेष्म झिल्ली के संपर्क से मनुष्यों में फैलता है।

लक्षण और मृत्यु दर

- शुरुआती लक्षणों में बुखार और सिरदर्द शामिल हैं, जो न्यूरोलॉजिकल लक्षणों जैसे हाइड्रोफोबिया (पानी का डर) और भ्रम (hallucinations) तक बढ़ सकते हैं। एक बार क्लिनिकल लक्षण दिखाई देने के बाद, रेबीज लगभग 100% घातक है।

रोकथाम:

- पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (PEP) – तुरंत टीकाकरण और रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन – पूरी तरह प्रभावी होता है यदि समय पर दिया जाए।

महत्त्व:

- अधिसूचित रोग का दर्जा मामलों की रिपोर्टिंग में सुधार, सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करना, पशु टीकाकरण और आवारा कुत्तों पर नियंत्रण में मदद करता है।
- यह कदम भारत को WHO के 2030 तक शून्य मानव रेबीज मृत्यु लक्ष्य के साथ संरेखित करता है।

निष्कर्ष

- रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करना पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली बीमारी से बची जाने योग्य मौतों को रोकने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

GLP-1 वजन कम करने वाली दवाएँ

2025 में, GLP-1 वजन कम करने वाली दवाएँ जैसे Mounjaro (tirzepatide - dual GLP-1/GIP रिसेप्टर एगोनिस्ट) और Wegovy (semaglutide - GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट) भारतीय बाजार में प्रवेश कीं। ये दवाएँ उच्च मूल्य वाली फार्मास्यूटिकल्स (महँगी, प्रीमियम दवाएँ) के रूप में उभरीं, हालाँकि उपयोगकर्ताओं की संख्या (limited patient uptake) सीमित रही।

GLP-1 क्या है?

- GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1) एक इंक्रेटिन हार्मोन (gut-derived chemical messenger) है।
- इसे एंटेरोएंडोक्राइन कोशिकाओं (hormone-secreting intestinal cells) द्वारा छोटी आंत में भोजन ग्रहण करने के बाद रिलीज किया जाता है।
- यह रक्त शर्करा, भूख (appetite) और पाचन को नियंत्रित करता है।
- GLP-1 का मूल स्तर (basal secretion) हमेशा रहता है और भोजन के बाद तेजी से बढ़ता है।

क्रियाविधि

- **GLP-1 दवाएँ शरीर के endogenous GLP-1 की नकल करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप:**
  - भूख कम होती है (hunger signals suppressed)
  - गैस्ट्रिक एम्प्टींग (stomach emptying) धीमा होता है
  - इंसुलिन स्राव (glucose-lowering hormone release) बढ़ता है
- यह कैलोरी सेवन कम करता है और मोटापे वाले व्यक्तियों में वजन घटाने में मदद करता है।

प्रभाव

- **लाभ:** प्रभावी वजन प्रबंधन और टाइप-2 डायबिटीज का इलाज।
- **जोखिम:** पाचन संबंधी प्रभाव, पैंक्रियाटाइटिस (pancreas सूजन), दुर्लभ थायरॉइड कैंसर, मांसपेशियों का क्षय, और चेहरे की वसा में कमी (premature ageing)।

कैंसर चिकित्सा में नैनोबॉट्स

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने मैग्नेटिक नैनोबॉट्स (externally controlled microscopic robots) विकसित किए हैं, जो ट्यूमर के अंदर गहराई तक दवा पहुँचाने में सक्षम हैं। इससे लक्षित और न्यूनतम आघात वाले कैंसर उपचार को संभव बनाया जा रहा है।

नैनोबॉट्स क्या हैं?

- नैनोबॉट्स अत्यंत सूक्ष्म यंत्र (nanometres में मापे जाने वाले उपकरण - एक मीटर का एक अरबवां भाग) हैं, जो मानव शरीर के अंदर सटीक कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
- चिकित्सा में इनका मुख्य उपयोग लक्षित दवा वितरण (targeted drug delivery) के लिए होता है, जिससे इलाज की दक्षता बढ़ती है और सामान्य स्वस्थ कोशिकाओं को न्यूनतम क्षति होती है।

कैंसर चिकित्सा में कार्यप्रणाली

IISc द्वारा विकसित नैनोबॉट्स बैक्टीरिया की गतिशीलता (bacterial locomotion) की नकल करते हैं।

- **संरचना में शामिल हैं:**
  - हेलिक्स-आकार की पूंछ (spiral structure) जो प्रोपल्शन में मदद करती है।
  - मैग्नेटिक घटक, जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से दिशा निर्देशित होने की अनुमति देता है।
  - इससे ऊतकों के माध्यम से नियंत्रित गति और ट्यूमर साइट पर सटीक दवा रिलीज संभव होती है।
- **चिकित्सीय अनुप्रयोग:**
  - कैंसर रोधी दवाएँ पहुँचाना (cancer cells नष्ट करने वाली दवाएँ)
  - स्थानीय हाइपरथर्मिया उत्पन्न करना (ट्यूमर कोशिकाओं को मारने के लिए नियंत्रित गर्मी)
  - थेराप्यूटिक एजेंट के रूप में कार्य करना (खुद उपचार प्रदान करना)
  - MRI बीकन के रूप में काम करना (Magnetic Resonance Imaging में दिखाई देने वाले मार्कर)
  - गर्भाशय कैंसर, स्तन कैंसर और कुछ बैक्टीरियल संक्रमणों में प्रभावी साबित हुए हैं।

महत्त्व

- प्रिसिजन मेडिसिन का समर्थन करता है (अत्यंत लक्षित उपचार)
- साइड इफेक्ट्स कम करता है
- त्वरित रिकवरी को संभव बनाता है
- भारत की नैनोप्रौद्योगिकी आधारित स्वास्थ्य देखभाल में प्रगति को प्रदर्शित करता है

निष्कर्ष

- नैनोबॉट्स कैंसर चिकित्सा में एक बड़ा नवाचार हैं, जो नैनोप्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स और चिकित्सा को एकीकृत करके सुरक्षित, लक्षित और भविष्य-तैयार स्वास्थ्य समाधान प्रस्तुत करते हैं।

हंटिंग्टन रोग

भारत में हंटिंग्टन रोग (HD) का पता कम लग पाता है, जिसका कारण कम जागरूकता, सामाजिक कलंक (negative societal attitudes) और विलंबित जेनेटिक परीक्षण (DNA-based diagnosis) हैं।

हंटिंग्टन रोग क्या है?

- HD एक दुर्लभ (rare), वंशानुगत (hereditary) न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग (brain cells का धीरे-धीरे पतन) है।
- यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है और निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न करता है:
  - मोटर डिसफंक्शन (involuntary movements, coordination का नुकसान)
  - संज्ञानात्मक ह्रास (memory loss, impaired thinking)
  - मानसिक परेशानियाँ (depression, psychosis, irritability, OCD)
- ये सभी लक्षण आजीवन विकलांगता की ओर ले जाते हैं।

जेनेटिक आधार और वंशानुगतता

- HD HTT (huntingtin) जीन में उत्परिवर्तन (mutation) के कारण होता है, जो सामान्य तंत्रिका कार्य के लिए आवश्यक जीन है।
- यह ऑटोसोमल डोमिनेंट (autosomal dominant) पैटर्न का पालन करता है, यानी माता या पिता में से एक दोषपूर्ण जीन ही रोग का 50% जोखिम संतान में देता है।
- संबंध विवाह (consanguineous marriages) जोखिम को और बढ़ाते हैं।

आरंभ और उपचार

- लक्षण सामान्यत: 40-50 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होते हैं और 15-20 वर्षों में प्रगति करते हैं।
- इस रोग का कोई पूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन लक्षण आधारित उपचार (symptomatic treatment) जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है।

नीतिगत अंतराल:

- HD को NPRD-2021 (National Policy for Rare Diseases) से बाहर रखा गया है, जिससे PM-JAY (सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना) का समर्थन सीमित रहता है।

निष्कर्ष

- प्रारंभिक निदान, जेनेटिक काउंसलिंग और नीति में समावेश भारत में हंटिंग्टन रोग के बोझ को कम करने के लिए आवश्यक हैं।

वुल्फ सुपरमून

जनवरी 2026 में वुल्फ सुपरमून का अवलोकन किया गया, जो पृथ्वी के नजदीक आने वाली जनवरी की पूर्णिमा के रूप में एक विशेष खगोलीय घटना के रूप में ध्यान आकर्षित करता है।

वुल्फ सुपरमून क्या है?

- वुल्फ सुपरमून एक पूर्णिमा (Full Moon) है, जो वुल्फ मून (जनवरी की पारंपरिक पूर्णिमा का नाम) और सुपरमून (पृथ्वी के नजदीक होने वाली पूर्णिमा) का संयोजन है।

वुल्फ मून

- वुल्फ मून पारंपरिक चंद्र नामकरण प्रणाली से उत्पन्न हुआ है, जिसे अल्मनाक्स (seasonal guides for farming and weather) के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया।
- यह सर्दियों के लोककथाओं (winter folklore) से जुड़ा है, जिसमें कहा जाता है कि सर्दियों में भेड़ियों की भौंकने की आवाज बढ़ जाती है।
- इसका कोई खगोलीय महत्त्व नहीं है।

सुपरमून

- सुपरमून तब होता है जब पूर्णिमा चंद्रमा की पेरिजी (पृथ्वी के सबसे नजदीकी बिंदु) के साथ मेल खाती है।
- इससे चंद्रमा सामान्य से बड़ा और उज्जवल दिखाई देता है।

संबंधित घटना

- मून इल्यूजन (Moon Illusion) – जब चंद्रमा क्षितिज के पास दिखाई देता है, तो मानवीय दृष्टि के कारण यह बड़ा दिखाई देता है।

वैज्ञानिक महत्त्व

- यह घटना मुख्यतः सार्वजनिक खगोल विज्ञान में रुचि और चंद्रमा की कक्षीय गति की समझ को बढ़ाती है।

निष्कर्ष:

- वुल्फ सुपरमून सांस्कृतिक परंपरा और प्रेक्षणीय खगोल विज्ञान के संगम को दर्शाता है।

स्टेलर ट्विन्स

हाल ही में W Ursae Majoris-प्रकार के संपर्क बाइनरी (contact binaries) पर किए गए अध्ययन ने द्विगुणित तारा विकास (binary star evolution) – तारों के निर्माण, परस्पर क्रिया और जीवन चक्र के अंतिम चरणों-में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है।

W Ursae Majoris (W UMa) तारे क्या हैं?

- W UMa तारे संपर्क बाइनरी सिस्टम (contact binary systems) होते हैं, यानी दो तारे बेहद पास-पास पर परिक्रमा करते हैं और भौतिक रूप से जुड़े होते हैं।
- **इनकी विशेषताएँ हैं:**
  - सामान्य बाहरी वातावरण (common gaseous envelope)
  - डम्बल आकार की संरचना (dumbbell-shaped structure), गुरुत्वाकर्षण के कारण विकृत
  - बहुत छोटे कक्षीय काल (Orbital Periods < 1 दिन)
  - इस निकटता के कारण तारे लगातार द्रव्यमान और ऊर्जा का आदान-प्रदान करते रहते हैं।

W UMa तारे क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?

- ये प्राकृतिक प्रयोगशालाओं (natural laboratories) की तरह काम करते हैं।
- इनके अध्ययन से तारकीय मापदंडों (mass, radius, temperature) को सटीक रूप से मापा जा सकता है, जो तारकीय विकास के सिद्धांतों (stellar evolution theories) के परीक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

स्टेलर ट्विन्स क्या हैं?

- स्टेलर ट्विन्स वे तारे हैं जो मास, रेडियस, तापमान, रासायनिक संरचना और आयु में लगभग समान होते हैं।
- इन्हें तारकीय तुलनात्मक खगोल विज्ञान (comparative astrophysics) के लिए मूल्यवान माना जाता है।

स्टेलर ट्विन्स के प्रकार

- **बाइनरी स्टेलर ट्विन्स:** गुरुत्वाकर्षण से जुड़े समान तारे
- **सोलर ट्विन्स:** सूर्य के बहुत निकट समान तारे
- **स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्विन्स:** लगभग समान स्पेक्ट्रा (light patterns) वाले तारे

निष्कर्ष

- स्टेलर ट्विन्स, विशेषकर W UMa सिस्टम्स, का अध्ययन तारों की परस्पर क्रिया और विकास की हमारी समझ को और परिष्कृत करता है।

स्पाइना बिफिडा

कई देशों ने राष्ट्रीय जागरूकता अभियान और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जिनका उद्देश्य गर्भधारण से पहले और गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड (Vitamin B9) की सप्लीमेंटेशन के माध्यम से स्पाइना बिफिडा को रोकना है।

स्पाइना बिफिडा क्या है?

- स्पाइना बिफिडा एक जन्मजात दोष (congenital defect) है।
- इसमें रीढ़ की हड्डी (spinal cord) का पूरा विकास नहीं होता, क्योंकि न्यूरल ट्यूब (neural tube) का समापन गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण (गर्भधारण के पहले 4 सप्ताह) में विफल रहता है।

स्वास्थ्य प्रभाव

- यह निचले अंगों में पक्षाघात (paralysis of lower limbs) पैदा कर सकता है।
- हाइड्रोसेफालस (hydrocephalus) – मस्तिष्क में अत्यधिक द्रव का संचय।
- मूत्र और मल असंयम।

- ऑर्थोपेडिक विकृतियाँ (orthopaedic deformities) जैसे क्लबफुट।
- इन लक्षणों के कारण अक्सर आजीवन चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है।

फोलिक एसिड की भूमिका

- फोलिक एसिड (Vitamin B9) DNA संश्लेषण और कोशिका वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्त्व है।
- यह न्यूरल ट्यूब के विकास (formation of brain and spinal cord) के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- गर्भधारण से पहले और प्रारंभिक गर्भावस्था में सेवन से स्पाइना बिफिडा के 70% से अधिक मामलों को रोका जा सकता है।

निष्कर्ष

- स्पाइना बिफिडा अधिकतर रोकी जा सकने योग्य है।
- पर्याप्त फोलिक एसिड का सेवन मातृत्व स्वास्थ्य के लिए सबसे प्रभावी और लागत-कुशल उपाय है।

एचपीवी टीकाकरण

एक बड़े जनसंख्या-आधारित अध्ययन (population-based study) से पता चला है कि उच्च HPV टीकाकरण कवरेज (high vaccination coverage), भले ही कुछ महिलाएँ अप्रभावित रहें, सर्वाइकल लेशन्स (precancerous abnormal cells) को कम करता है, इसका कारण हर्ड प्रोटेक्शन (herd protection/अप्रत्यक्ष सामुदायिक सुरक्षा) है।

ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) क्या है?

- HPV एक सामान्य यौन संचारित संक्रमण (STI) है।
- यह DNA वायरस (Papillomaviridae परिवार का) द्वारा होता है, जो त्वचा और श्लेष्मा (skin and mucosa) को प्रभावित करता है।
- अधिकांश संक्रमण लक्षणहीन और स्व-सीमित (self-limiting) होते हैं।

HPV से होने वाले रोग

- **उच्च जोखिम वाले स्ट्रेन (high-risk strains):**
  - सर्वाइकल कैंसर (cervical cancer)
  - अनल, पेनाइल, वल्वर, वेजाइनल और ओरोफैरिंजियल कैंसर (reproductive और throat cancers)
- **निम्न जोखिम वाले स्ट्रेन:** जेनिटल वार्ट्स - सौम्य त्वचा वृद्धि

HPV टीकाकरण

- HPV टीके कैंसर-जनक स्ट्रेन्स (oncogenic strains) से होने वाले संक्रमण को रोकते हैं।
- यह पहली यौन संपर्क से पहले (sexual debut) सबसे प्रभावी होता है।
- **अनुशंसित आयु:** 9-14 वर्ष (प्रारंभिक किशोरावस्था)
- उच्च कवरेज वायरस के संचरण और प्रारंभिक कैंसर के जोखिम को कम करता है।

निष्कर्ष

- HPV टीकाकरण व्यक्तिगत सुरक्षा (direct immunity) और जनसंख्या स्तर पर कैंसर रोकथाम प्रदान करता है।
- यह सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन (long-term disease eradication) के लिए अत्यंत आवश्यक है।

परम शक्ति

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने IIT मद्रास में परम शक्ति, एक स्वदेशी सुपरकंप्यूटिंग सुविधा (indigenous supercomputing facility) का उद्घाटन किया।

परिचय

- परम शक्ति एक हाई-परफॉर्मेंस कम्प्यूटिंग (HPC) सुविधा है, जिसमें परम रूद्र सुपरकंप्यूटर (Made-in-India system) कार्यरत है।
- इसे C-DAC (Centre for Development of Advanced Computing) द्वारा राष्ट्रिय सुपरकंप्यूटर मिशन (NSM) के अंतर्गत विकसित किया गया है।
- सिस्टम सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर (interconnected servers acting as one unit) के रूप में काम करता है, जिसमें स्वदेशी रूद्र सर्वर और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है।

कंप्यूटिंग क्षमता

- परम शक्ति की क्षमता 3.1 पेटाफ्लॉप्स (3.1×10^{15} floating-point operations per second) है, जो बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक सिमुलेशन सक्षम बनाती है।

महत्त्व

- क्लाइमेट मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), एयरोस्पेस, मैटेरियल्स साइंस, और जीनोमिक्स में सहायक।
- आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है और विदेशी कम्प्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम करता है।

निष्कर्ष

- परम शक्ति भारत की रणनीतिक कंप्यूटिंग क्षमता और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्त्वपूर्ण छलांग का प्रतीक है।

अमोनियम नाइट्रेट

गणतंत्र दिवस समारोहों (उच्च सुरक्षा वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम) से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने 10,000 किग्रा अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया, जो इसके दुरुपयोग के जोखिम को उजागर करता है।

अमोनियम नाइट्रेट क्या है?

- अमोनियम नाइट्रेट (NH_4NO_3) एक सफेद क्रिस्टलीय यौगिक (white crystalline compound) है।
- यह नाइट्रोजन युक्त उर्वरक (~34% नाइट्रोजन) के रूप में व्यापक रूप से उपयोग होता है, जो फसल उत्पादन (crop yield) बढ़ाता है।

रासायनिक गुण

- अत्यधिक जल में घुलनशील (highly water-soluble)
- प्रबल ऑक्सीकारक (strong oxidiser) – जलन को सहायता प्रदान करता है
- अकेले विस्फोटक नहीं, लेकिन प्रदूषित या गर्म होने पर खतरनाक
- ईंधन तेल के साथ मिश्रित होने पर बनता है ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) – खनन और निर्माण में नियंत्रित विस्फोट के लिए उपयोग

डुअल-यूज जोखिम

- **वैध उपयोग:** उर्वरक, अवसंरचना परियोजनाएँ
- **सुरक्षा खतरा:** IEDs (घरेलू बम) बनाने या आकस्मिक विस्फोट

भारत में नियामक ढाँचा

- विस्फोटक अधिनियम, 1884 और अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अंतर्गत नियंत्रित
- कड़ी लाइसेंसिंग, भंडारण और परिवहन नियंत्रण अनिवार्य

निष्कर्ष

- अमोनियम नाइट्रेट आर्थिक रूप से आवश्यक है लेकिन रणनीतिक रूप से संवेदनशील, इसलिए विकास आवश्यकताओं और आंतरिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

स्टील स्लैग प्रौद्योगिकी

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने स्टील स्लैग-आधारित सड़क निर्माण (सड़कों में प्रसंस्कृत इस्पात अपशिष्ट का उपयोग) को विशेष रूप से पहाड़ी एवं हिमालयी क्षेत्रों (भूस्खलन, अत्यधिक वर्षा और बार-बार सड़क क्षति से प्रभावित क्षेत्र) के लिए प्रोत्साहित किया।

स्टील स्लैग प्रौद्योगिकी क्या है?

- स्टील स्लैग (इस्पात संयंत्रों में लौह अयस्क के गलने के दौरान बनने वाला औद्योगिक उपोत्पाद) को पहले अपशिष्ट माना जाता था।
- प्रसंस्करण के बाद, इसे सड़क निर्माण में प्रयुक्त प्राकृतिक एग्रीगेट (कुचला हुआ पत्थर और बजरी) के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है।

संस्थागत समर्थन

- टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (Technology Development Board) ने स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण के समर्थन हेतु रामुका ग्लोबल इको वर्क प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की, ताकि ECOFIX (गड्ढा मरम्मत हेतु तैयार मिश्रण) को लागू किया जा सके, जिसका विकास CSIR-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (भारत का प्रमुख सड़क अनुसंधान संस्थान) द्वारा किया गया है।

मुख्य लाभ

- स्टील स्लैग में उच्च कोणीयता (नुकीले किनारों वाले कण) तथा उच्च दाब-सहनीयता (भार वहन क्षमता) होती है, जिससे बेहतर इंटरलॉकिंग (कणों का सुदृढ़ बंधन), अधिक टिकाऊपन (सड़क की लंबी आयु) तथा बेहतर जल-रोधकता (नमी से होने वाली क्षति में कमी) सुनिश्चित होती है।

पर्यावरणीय महत्त्व

- यह प्राकृतिक एग्रीगेट के लिए पत्थर खनन में कमी लाता है, परिपत्र अर्थव्यवस्था (अपशिष्ट पदार्थों का पुनः उपयोग) को बढ़ावा देता है, कार्बन पदचिह्न (ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन) को घटाता है तथा सतत् अवसंरचना (पर्यावरण-अनुकूल विकास) को प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष

- स्टील स्लैग प्रौद्योगिकी औद्योगिक अपशिष्ट को एक टिकाऊ एवं पर्यावरण-अनुकूल सड़क निर्माण सामग्री में परिवर्तित करती है, जिससे अवसंरचना की सुदृढ़ता बढ़ती है और पर्यावरणीय स्थिरता को समर्थन मिलता है।

भारत का पहला 'राज्य बैक्टीरियम'

केरल भारत का पहला राज्य बन, जिसने राज्य बैक्टीरियम (officially designated microbial symbol) घोषित किया, ताकि लाभकारी सूक्ष्मजीवों (beneficial microbes) के महत्त्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।

बैक्टीरियम (Bacterium) क्या है?

- बैक्टीरियम एक सूक्ष्म, एककोशीय जीव (microscopic, single-celled organism) है।
- यह प्रोकैरियोट्स (prokaryotes) से संबंधित होता है, जिनमें सच्चा नाभिक या झिल्ली-बद्ध अंगक (membrane-bound organelles) नहीं होता।
- बैक्टीरिया सर्वत्र उपस्थित (ubiquitous) हैं – मिट्टी, पानी, हवा, पौधे, जानवर और मनुष्यों में पाए जाते हैं।
- ये पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

केरल का राज्य बैक्टीरियम पहल:

- यह पहल सूक्ष्मजीवों के महत्त्व को दर्शाती है:
  - **कृषि:** नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मिट्टी की उर्वरता, फसल उत्पादन
  - **मानव स्वास्थ्य:** पाचन, प्रतिरक्षा, प्रोबायोटिक्स (लाभकारी बैक्टीरिया)
  - **पर्यावरणीय स्थिरता:** अपशिष्ट अपघटन, प्रदूषण नियंत्रण, पोषक तत्त्व चक्रण
- उद्देश्य बैक्टीरिया को केवल रोगजनकों (pathogens) के रूप में न देखने का दृष्टिकोण बदलना है।

केरल ने बैसिलस सब्टिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया

- **'वन हेल्थ' को बढ़ावा:**
  - यह कदम मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के आपसी जुड़ाव को रेखांकित करता है, क्योंकि बी. सबटिलिस (B-subtilis) तीनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस (AMR) से मुकाबला:**
  - 'अच्छे बैक्टीरिया (गुड बैक्टीरिया)' को उजागर करके, राज्य जनता को माइक्रोबायोम के बारे में शिक्षित करना चाहता है, जिससे एंटीबायोटिक्स के असंगत उपयोग को कम किया जा सके जो AMR का कारण बनता है।
- **जैव प्रौद्योगिकी केंद्र:** केरल माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में अग्रणी बनने का लक्ष्य रखता है।

संगठनात्मक ढाँचा

- बैक्टीरियम का चयन विशेषज्ञ समिति (expert committee) द्वारा किया गया, जो Kerala State Council for Science, Technology and Environment (KSCSTE) के अंतर्गत काम करती है।
- यह प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व (symbolic representation) है, न कि किसी विशेष प्रजाति का संरक्षण।

महत्त्व

- वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाना
- सूक्ष्मजीव साक्षरता (microbial literacy) को बढ़ावा देना
- माइक्रोबायोम अनुसंधान को प्रोत्साहित करना

8 समाज

भारत में ट्रांस पुरुषों के लिए पूर्वाग्रह और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच

कानूनी मान्यता के बावजूद, ट्रांस पुरुष (जिनका जन्म के समय स्त्री के रूप में निर्धारण किया गया, परंतु जो स्वयं को पुरुष के रूप में पहचानते हैं) तथा लिंग-विविध एएफएबी (Assigned Female at Birth; गैर-द्विआधारी पहचानों सहित) व्यक्तियों को भारत में अब भी भेदभाव एवं समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य मुद्दे

- संरचनात्मक बाधाएँ (संस्थागत अवरोध) जैसे गलत लिंग-पहचान (Misgendering), पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण, तथा सार्वजनिक अस्पतालों में उपचार से वंचित किया जाना।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जेंडर प्रमाणपत्र से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को जोड़ा जाना, जिससे प्रशासनिक अवरोध (नौकरशाही बहिष्करण) उत्पन्न होता है।
- चिकित्सकीय पेशेवरों में लिंग की द्विआधारी समझ (पुरुष-महिला ढाँचा) के कारण ट्रांस-पुरुषोन्मुख (Transmasculine) एवं गैर-द्विआधारी व्यक्तियों का बहिष्करण।
- **ज्ञान-अंतराल:** चिकित्सकीय शिक्षा मुख्यत: ट्रांस महिलाओं पर केंद्रित है; भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा समर्थित प्रोटोकॉल (राष्ट्रीय नैतिक चिकित्सा दिशानिर्देश) का अभाव।
- **हार्मोन प्रतिस्थापन चिकित्सा (HRT)** (लिंग-मान्यता हेतु हार्मोन का चिकित्सकीय उपयोग) में टेस्टोस्टेरोन की मानकीकृत खुराक संबंधी दिशानिर्देशों का अभाव, जिसके कारण स्व-चिकित्सा की प्रवृत्ति।
- **अनैतिक प्रथाएँ** (चिकित्सकीय नैतिकता का उल्लंघन) जैसे हिस्टेरेक्टॉमी (गर्भाशय को शल्य-चिकित्सीय रूप से हटाना) से इंकार करना तथा शारीरिक स्वायत्तता (अपने शरीर पर अधिकार) का उल्लंघन करने वाली आक्रामक जाँच प्रक्रियाएँ।

प्रभाव

- **संवैधानिक:** अनुच्छेद 21 (जीवन एवं गरिमा का अधिकार) का उल्लंघन।
- **स्वास्थ्य:** मानसिक तनाव तथा असुरक्षित हार्मोन उपयोग।
- **आर्थिक:** कार्यबल में भागीदारी में कमी।

उपाय एवं भावी मार्ग

- वर्ष 2020 में प्रारंभ राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति पोर्टल; मित्र क्लिनिक (हैदराबाद)।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ: स्व-पहचाने गए लिंग की कानूनी मान्यता।
- आईसीएमआर-नेतृत्व वाले, ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य के लिए विश्व पेशेवर संघ (World Professional Association for Transgender Health - WPATH) के अनुरूप, भारत-विशिष्ट जेंडर-अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएँ।

वोमेनिया पहल

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने वोमेनिया पहल के सात वर्ष पूरे किए।

वोमेनिया पहल

- इसका शुभारंभ वर्ष 2019 में किया गया था। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों तथा स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सरकारी बाजारों तक पहुँच बढ़ाने हेतु क्रेताओं के साथ प्रत्यक्ष, पारदर्शी एवं पूर्णत: डिजिटल इंटरफेस प्रदान करना है, जिससे बिचौलियों और प्रवेश बाधाओं को समाप्त किया जा सके।
- यह महिला-नेतृत्व वाली सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) की सार्वजनिक खरीद में भागीदारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है।
- समय के साथ यह महिला-नेतृत्व वाली MSEs को समर्थन प्रदान करने तथा सार्वजनिक खरीद में उनकी भागीदारी को सशक्त करने वाला एक राष्ट्रीय पारितंत्र के रूप में विकसित हो गई है।

प्रगति

- वोमेनिया एक संरचित एवं विस्तारयोग्य पारितंत्र के रूप में विकसित हो चुकी है और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को लचीलापन एवं विश्वसनीयता के माध्यम से अपने व्यवसायों का विस्तार करने में सक्षम बनाने वाली एक प्रमुख पहल के रूप में उभरी है।
- दो लाख से अधिक महिला-नेतृत्व वाली MSEs GeM पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जिन्होंने सामूहिक रूप से 80,000 करोड़ रुपये से अधिक के सार्वजनिक खरीद आदेश प्राप्त किए हैं, जो GeM के कुल आदेश मूल्य का 4.7% है और महिला-स्वामित्व एवं महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए निर्धारित 3% लक्ष्य से अधिक है।

महत्त्व

- वोमेनिया पहल लैंगिक-सम्मिलित आर्थिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा यह प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार नीतियां, प्लेटफॉर्म और साझेदारियाँ मिलकर भागीदारी को समृद्धि में परिवर्तित कर सकती हैं।

9 संस्कृति एवं इतिहास

संगीत कलानिधि पुरस्कार

प्रख्यात वायलिन वादक आर. के. श्रीरामकुमार को हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया।

पुरस्कार:

- यह पुरस्कार औपचारिक रूप से वर्ष 1942 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा स्थापित किया गया था।
- **महत्त्व एवं पुरस्कार:**
  - इसे कर्नाटक संगीत का 'नोबेल पुरस्कार' भी कहा जाता है।
  - इस सम्मान में एक स्वर्ण पदक और बिरुद पत्र (प्रशस्ति-पत्र) प्रदान किया जाता है।

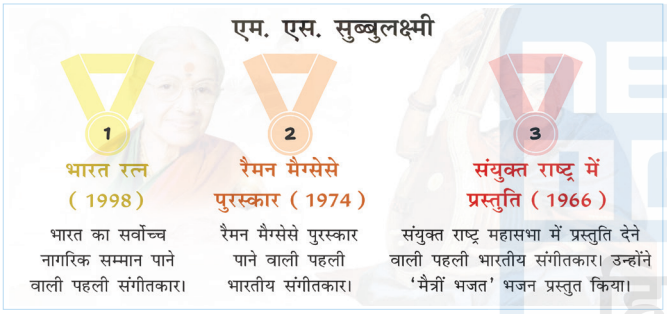

- **एकीकृत सम्मान:** वर्ष 2005 से संगीत कलानिधि नामित कलाकार को एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है, जिसे 'द हिंदू' द्वारा प्रायोजित किया गया है।

मद्रास संगीत अकादमी

- **उद्गम:** अकादमी की स्थापना वर्ष 1928 में मद्रास में आयोजित 1927 के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के उपपरिणामस्वरूप की गई थी।
- **उद्देश्य:** कर्नाटक संगीत और नृत्य के लिए मानक स्थापित करना और उनका संवर्द्धन करना। यह अकादमी एक विनियामक संस्था के रूप में कार्य करती है तथा वार्षिक संगीत एवं नृत्य महोत्सव का आयोजन करती है।
- **अन्य पुरस्कार:** संगीत कलानिधि के अतिरिक्त, अकादमी नृत्य कलानिधि (नृत्य हेतु), संगीत कला आचार्य तथा टीटीके (टी.टी. कृष्णमाचारी) सहित अन्य प्रतिष्ठित उपाधियाँ भी प्रदान करती है।

सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती

प्रधानमंत्री मोदी ने समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शिक्षा के क्षेत्र में समाज के लिए उनके योगदान को स्मरण किया।

परिचय

- कवयित्री और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले को आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।
- 1831 में जन्मी सावित्रीबाई फुले का विवाह 10 वर्ष की आयु में समाजसेवी ज्योतिराव फुले से हुआ था।

रानी वेलु नचियार

प्रधानमंत्री मोदी ने रानी वेलु नचियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

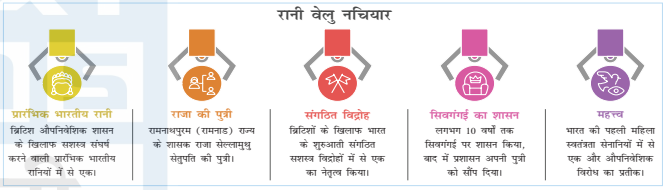

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1,000 वर्ष पूर्ण होने पर स्मरण किया और इस प्रतिष्ठित मंदिर को भारत की सभ्यतागत दृढ़ता तथा अटूट आत्मबल का कालजयी प्रतीक बताया।

परिचय

- गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र के वेरावल के निकट प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर को भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है।

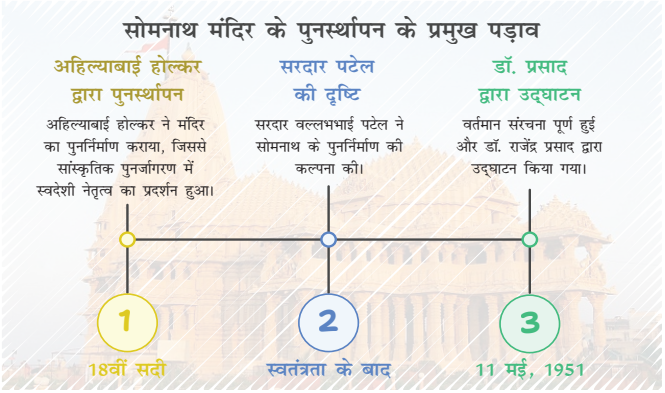

- सोमनाथ को भगवान शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है।
- वर्तमान मंदिर परिसर में गर्भगृह (पवित्रतम कक्ष), सभामंडप (सभा कक्ष) और नृत्यमंडप (नृत्य कक्ष) शामिल हैं, जो अरब सागर के किनारे भव्य रूप से स्थित हैं।

- **विशेषताएँ:** मंदिर के शीर्ष पर 150 फुट ऊँचा शिखर है, जिसके शिखर पर 10 टन का कलश स्थापित है। 27 फुट ऊँचा ध्वजदंड मंदिर की अटल पहचान को दर्शाता है।
- इस तीर्थ पर पहला आक्रमण जनवरी 1026 में महमूद गजनवी द्वारा किया गया, जिससे भारतीय सभ्यता के प्रतीकों को नष्ट करने के उद्देश्य से आक्रमणों की एक शृंखला का प्रारंभ हुआ।
- बार-बार विध्वंस के बावजूद मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया।

पुरातत्त्वविदों ने कुषाण काल के दुर्लभ सिक्के खोजे

पाकिस्तानी पुरातत्त्वविदों ने ऐतिहासिक नगर तक्षशिला के निकट यूनेस्को की सूची में शामिल एक स्थल की खुदाई के दौरान दुर्लभ सजावटी पत्थर और सिक्के प्राप्त किए।

परिचय

- ये खोजें प्राचीन भीर टीले पर की गईं, जहाँ विशेषज्ञों ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सजावटी पत्थर और 2वीं शताब्दी ईस्वी के सिक्के प्राप्त किए।
  - रूपांतरित सजावटी पत्थर की पहचान लैपिस लाजुली के रूप में की गई, साथ ही कुषाण वंश से संबंधित दुर्लभ कांस्य सिक्के भी मिले।
- **सिक्कों** पर सम्राट वासुदेव की आकृति अंकित है।
  - इतिहासकारों के अनुसार वासुदेव को 'महान कुषाण शासकों' में अंतिम माना जाता है, जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया।

कुषाणों का परिचय

- **उत्पत्ति:** मध्य एशियाई घुमंतू जनजाति, जो मूलतः यूएची संघ का भाग थी।
  - उत्तर-पश्चिमी चीन से बैक्ट्रिया (वर्तमान अफगानिस्तान-मध्य एशिया) की ओर प्रव्रजन किया।
  - कुजुल कडफिसेस भारत में कुषाण शासन के संस्थापक थे, जिन्होंने प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास उत्तर-पश्चिमी भारत में सत्ता स्थापित की।
- **साम्राज्य:** मध्य एशिया और अफगानिस्तान से लेकर पंजाब, कश्मीर, गंगा के मैदानों तथा मध्य भारत के कुछ भागों तक विस्तृत था।
  - कनिष्क प्रथम को महानतम कुषाण शासक माना जाता है, जिनका साम्राज्य मध्य एशिया, अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब और गंगा के मैदानों से वाराणसी तक फैला था।
- **प्रमुख नगर:** पुरुषपुर (पेशावर - कनिष्क के अधीन राजधानी), मथुरा, तक्षशिला।
- **धर्म:** इस काल में कुषाणों द्वारा बौद्ध धर्म के व्यापक संरक्षण से स्तूपों, विहारों और विशाल धार्मिक परिसर का निर्माण हुआ।
- **सिक्के:** कुषाणों ने स्वर्ण, रजत और ताम्र सिक्के जारी किए। यह काल गांधार कला के उदय का भी काल था, जो यूनानी, रोमन, फारसी और भारतीय परंपराओं का विशिष्ट समन्वय था, तथा तक्षशिला इसका प्रमुख केंद्र था।
- **पतन:** तृतीय शताब्दी ईस्वी के बाद सासानी दबाव और गुप्त शक्ति के उदय के कारण पतन हुआ।

तुर्कमान गेट

पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र में नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) द्वारा चलाए गए ध्वस्तीकरण अभियान के बाद हिंसक झड़पें देखी गईं।

परिचय

- यह शाहजहानाबाद के द्वारों में से एक है, वह नगर जिसे मुगल सम्राट शाहजहाँ ने 1683 में आगरा से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद स्थापित किया था।
- इस द्वार का नाम शाह तुर्कमान के नाम पर रखा गया है, जो मुगल कालीन संत थे और जिनकी कब्र पास में स्थित है। उनकी पुण्यतिथि पर इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मेला आयोजित किया जाता है।
- **वास्तुकला:** यह आयताकार संरचना है, जो दो खंडों की गहराई वाली है। पहले खंड पर समतल छत तथा दूसरे खंड पर गुंबदाकार छत है।
  - इसमें तीन मेहराबी प्रवेश द्वार हैं, बाहरी सिरों पर दोहरे मेहराब तथा दक्षिणतम द्वार के दोनों ओर अर्द्ध-अष्टकोणीय द्विस्तरीय बुर्ज स्थित हैं।

जाहनपोरा में स्तूपों की खोज

पुरातत्त्वविदों ने फ्रांस के एक संग्रहालय में प्राप्त एक शताब्दी पुराने छायाचित्र के आधार पर जाहनपोरा में प्राचीन बौद्ध स्तूपों और बस्तियों का अनावरण किया।

परिचय

- ये टीले कंधार और उससे आगे जाने वाले प्राचीन रेशम मार्ग के किनारे स्थित हैं।
- जाहनपोरा से बौद्ध स्तूप, एक नगरीय बस्ती परिसर (संभवत: चौत्य और विहार), कुषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े, ताम्र कलाकृतियाँ और दीवारें प्राप्त हुई हैं। आगामी उत्खनन चरणों में और खोजों की अपेक्षा है।

- **कुषाण** एक शक्तिशाली प्राचीन इंडो-ग्रीक वंश था, जिसने प्रथम से तृतीय शताब्दी ईस्वी के बीच उत्तर भारत और मध्य एशिया के विस्तृत भागों पर शासन किया।
- उन्होंने भारत और उससे परे व्यापार, नगरों के विकास तथा बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महत्त्व:

- जाहनपोरा की यह खोज कश्मीर को 2,000 वर्ष पुराने गांधार बौद्ध नेटवर्क से जोड़ती है।
- यह इस दावे को सुदृढ़ करती है कि कश्मीर बौद्ध शिक्षा और मठीय गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था।
- कश्मीर के उत्तरी भाग में कनीस्पोरा, उश्कुर, जाहनपोरा और परिहासपुरा जैसे अनेक ज्ञात बौद्ध स्थलों के प्रमाण मिलते हैं, जबकि हरवान केंद्रीय कश्मीर के श्रीनगर में एक प्रमुख बौद्ध परिसर का प्रतिनिधित्व करता है।
- दक्षिण कश्मीर में सेमथन, हुतमुर, होइनार और कुटबल जैसे पुरातात्विक स्थल स्थित हैं, जिनका बौद्ध परंपरा से सशक्त संबंध है।
- ये सभी स्थल सामूहिक रूप से संरचनात्मक और कलात्मक साक्ष्यों के माध्यम से कश्मीर की बौद्ध धरोहर का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भद्रकाली अभिलेख

हाल ही में यह उजागर किया गया है कि प्रभास पाटन समृद्ध ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत का धनी है, जहाँ भद्रकाली अभिलेख, ताम्रपत्र और स्मारक शिलाएँ इसकी समृद्धि, वीरता और भक्ति को प्रदर्शित करती हैं।

परिचय

- यह अभिलेख 1169 ईस्वी (वलभी संवत 850 और विक्रम संवत 1255) में उत्कीर्ण किया गया था और वर्तमान में राज्य पुरातत्त्व विभाग द्वारा संरक्षित है।
- यह प्रभास पाटन स्थित संग्रहालय के निकट, भद्रकाली लेन में पुराने राम मंदिर के पास अवस्थित है।
- प्रभास पाटन ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का गृहस्थल है, और यह अभिलेख प्राचीन सूर्य मंदिर में संरक्षित है।
- यह अन्हिलवाड़ पाटन के महाराजाधिराज कुमारपाल के आध्यात्मिक आचार्य परम पाशुपत आचार्य श्रीमान भावबृहस्पति की प्रशस्ति है।

विशेषताएँ

- यह सोमनाथ मंदिर के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का वर्णन करता है।
- इसमें चारों युगों में सोमनाथ महादेव के निर्माण का उल्लेख है।
- इसके अनुसार सतयुग में चंद्र (सोम) ने स्वर्ण से, त्रेतायुग में रावण ने रजत से, द्वापर युग में श्रीकृष्ण ने काष्ठ से तथा कलियुग में राजा भीमदेव सोलंकी ने सुंदर कलात्मक पत्थर से मंदिर का निर्माण कराया।
- इतिहास से पुष्टि होती है कि भीमदेव सोलंकी ने पूर्व अवशेषों पर चौथा मंदिर बनवाया, जिसके बाद 1169 ईस्वी में उसी स्थल पर कुमारपाल द्वारा पाँचवाँ मंदिर निर्मित कराया गया।

बागुरुम्बा नृत्य

प्रधानमंत्री ने असम का दौरा किया और बागुरुम्बा द्वहो 2026 में भाग लिया।

परिचय

जल्लिकट्टु

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अलंगानल्लूर में आयोजित जल्लिकट्टु में भाग लिया।

परिचय

- जल्लिकट्टु, जिसे एरुथाझुवुथल के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु में पारंपरिक रूप से पोंगल फसल उत्सव के दौरान खेले जाने वाला सांड को काबू मे करने से संबंधित खेल है।
- इस परंपरा का इतिहास लगभग 400-100 ईसा पूर्व तक जाता है, जब भारत के आयर नामक एक जातीय समुदाय द्वारा इसका आयोजन किया जाता था।

- 'जल्लिकट्टू' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है– 'जल्लि' (चाँदी और सोने के सिक्के) और 'कट्टू' (बाँधा हुआ)। इस उत्सव में एक सांड को लोगों की भीड़ के बीच छोड़ा जाता है, और जो व्यक्ति उसे काबू में करता है, उसे उसके सींग से बंधे सिक्के प्राप्त होते हैं।
  - इस खेल में भाग लेने वाले लोग पशु की कूबड़ को पकड़कर उसे रोकने का प्रयास करते हैं। कभी-कभी वे सांड के साथ दौड़ते भी हैं।
- इस खेल में प्रयुक्त सांडों की नस्ल पुलिकुलम या कांगायम होती है। यह उत्सव राज्य में सांस्कृतिक पर्यटन का भी हिस्सा रहा है।
  - वादी मंजुविरट्टू, वेली विरट्टू और वाटाम मंजुविरट्टू इस खेल के विभिन्न रूप हैं।

तांत्या मामा भील

जनजातीय गौरव दिवस पर खरगोन में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी तांत्या मामा भील की प्रतिमा स्थापना ने ध्यान आकर्षित किया, जब मूल रूप से प्रस्तावित संगमरमर या धातु की प्रतिमा के स्थान पर एफआरपी प्रतिमा स्थापित की गई।

ग्रंथ कुटीर

भारत की राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया।

परिचय

- ग्रंथ कुटीर राष्ट्रपति भवन स्थित एक पुस्तकालय है, जिसमें लगभग 2,300 पुस्तकें और 11 भारतीय शास्त्रीय भाषाओं– तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली– में लगभग 50 पांडुलिपियाँ संग्रहीत हैं।
- यह संग्रह भारत की सांस्कृतिक, दार्शनिक, साहित्यिक और बौद्धिक धरोहर को प्रतिबिंबित करता है।
- विषयों में महाकाव्य, दर्शन, भाषाविज्ञान, इतिहास, शासन, विज्ञान, भक्ति साहित्य तथा शास्त्रीय भाषाओं में भारतीय संविधान शामिल हैं।
- कई पांडुलिपियाँ ताड़पत्र, कागज, वृक्ष की छाल और कपड़े जैसी पारंपरिक सामग्रियों पर हस्तलिखित हैं।
- ग्रंथ कुटीर 'ज्ञान भारतम् मिशन' की उस परिकल्पना का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य परंपरा और आधुनिक प्रौद्योगिकी के समन्वय के साथ भारत की पांडुलिपि धरोहर का संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार करना है।

संस्थागत सहयोग

- इसे केंद्र और राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों तथा व्यक्तिगत योगदानकर्ताओं के सहयोग से विकसित किया गया है।
- इसे शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है।
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) पांडुलिपि संरक्षण, प्रलेखन, प्रबंधन और प्रदर्शन में विशेषज्ञता प्रदान करता है।

पवित्र पिपरहवा अवशेष

प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी "द लाइट एंड द लोटस: रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन" का उद्घाटन किया। यह आयोजन इन पवित्र बौद्ध अवशेषों के 100 वर्षों से अधिक समय के बाद भारत लौटने का प्रतीक है।

पिपरहवा अवशेष क्या हैं?

- पिपरहवा अवशेष 1898 में ब्रिटिश सिविल इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेप्पे द्वारा पाए गए थे। यह खोज उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में हुई थी।
- इन्हें पिपरहवा स्तूप से उत्खनित किया गया, जिसे प्राचीन कपिलवस्तु नगर माना जाता है, जो भगवान बुद्ध का जन्मस्थान था।

अवशेषों में क्या शामिल है

- इन अवशेषों में हड्डियों के टुकड़े, साबुत पत्थर और क्रिस्टल की कास्केट, तथा एक बलुआ पत्थर का डब्बा शामिल हैं।
- इसके अलावा, सोने के आभूषण और रत्न जैसी धार्मिक भेंटें भी शामिल हैं।
- ये अवशेष भगवान बुद्ध के देहांत से संबंधित माने जाते हैं।

महत्त्व

- एक कास्केट पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख अंकित है।
- इस अभिलेख में लिखा है कि ये अवशेष बुद्ध के हैं और इन्हें शक्य वंश द्वारा स्थापित किया गया था।
- यह अवशेषों को ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बनाता है।

वर्तमान स्थिति और संरक्षण

- अधिकांश अवशेष 1899 में कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिए गए थे। इन्हें कानूनी रूप से '।।' प्राचीन वस्तुएँ वर्ग में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि इन्हें बेचा या हटाया नहीं जा सकता। कुछ हड्डी के अवशेष थाईलैंड (तत्कालीन सियाम) के राजा को भेंट किए गए थे।
- अवशेषों का एक छोटा हिस्सा पेप्पे के वंशजों के पास रहा, जिसे अब प्रदर्शनी के लिए भारत वापस लाया गया है।

वन्दे मातरम्

केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय यह अध्ययन कर रहा है कि वन्दे मातरम् को औपचारिक प्रोटोकॉल के अंतर्गत लाया जाए और इसका अपमान करने पर दंड लगाया जाए, जैसा कि राष्ट्रीय गान जन गण मन के लिए किया जाता है।

परिचय

- संविधान सभा ने वन्दे मातरम् को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया, जिसे राष्ट्रीय गान के समान सम्मान प्राप्त है, लेकिन कानूनी दृष्टि से समान दर्जा नहीं है।
- **राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971:**
  - यह राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
  - इस अधिनियम के अंतर्गत वन्दे मातरम् के अपमान के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 51A(a) – मौलिक कर्त्तव्य:** प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह संविधान और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे।
- **स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण का अभाव:** राष्ट्रीय गान की तरह वन्दे मातरम् को किसी भी संवैधानिक प्रावधान द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षण प्राप्त नहीं है। इसका दर्जा संविधान सभा के प्रस्तावों से उत्पन्न होता है, न कि लागू करने योग्य संवैधानिक पाठ से।

वंदे मातरम् का इतिहास

रचना
वंदे मातरम् की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने संस्कृत में की थी और यह पहली बार 1882 में उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित हुआ।

पृष्ठभूमि
आनंदमठ की कहानी 1769-73 के बंगाल अकाल और संन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

राष्ट्रीय पहचान
1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा पहली बार गाए जाने से इसे राष्ट्रीय पहचान मिली।

स्वदेशी आंदोलन
1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम् नागरिक प्रतिरोध का गान बन गया।

राजनीतिक नारा
वंदे मातरम् को राजनीतिक नारे के रूप में पहली बार 7 अगस्त 1905 को उपयोग किया गया।

पेरियार ई. वी. रामासामी

पेरियार और उनके जैसे अन्य सुधारवादी नेताओं ने अस्पृश्यता के विरूद्ध संघर्ष में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

परिचय

- पेरियार ई. वी. रामासामी (1879-1973) तमिलनाडु के समाज सुधारक, तर्कवादी विचारक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जिन्हें आत्म-सम्मान आंदोलन का नेतृत्व करने और द्रविड़ीय राजनीति की वैचारिक नींव रखने के लिए जाना जाता है।
- उन्होंने तमिलनाडु में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और लिंग तथा जाति असमानता के विरूद्ध विद्रोह किया।
- ई. वी. रामासामी ने तर्कवाद, आत्म-सम्मान, महिलाओं के अधिकार और जाति उन्मूलन के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया।

वायकोम सत्याग्रह

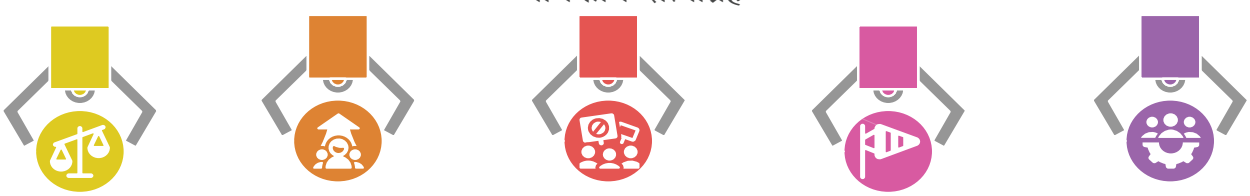

कारण
यह आंदोलन अस्पृश्यता की प्रथा के खिलाफ शुरू किया गया था। दलितों को वायकोम शिव मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं था।

नेतृत्व
इस आंदोलन का नेतृत्व टी.के. माधवन, के. केलप्पन और अन्य प्रमुख नेताओं ने किया। महात्मा गाँधी और ई.वी. रामासामी पेरियार ने भी इसका समर्थन किया।

विरोध प्रदर्शन
प्रतिभागियों ने दलितों को सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने और मंदिर के पास जाने का अधिकार देने की माँग की। उन्होंने शांतिपूर्ण मार्च और सविनय अवज्ञा के कार्य किए।

परिणाम
एक वर्ष से अधिक समय तक चले आंदोलन के बाद सरकार ने अंततः दलितों को मंदिर की ओर जाने वाली सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने की अनुमति दी। यह सामाजिक समानता की जीत थी।

महत्त्व
वायकोम सत्याग्रह ने केरल के सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भारत में अस्पृश्यता और जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ व्यापक संघर्ष का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा था।

10 विविध

पद्म पुरस्कार

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 131 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने को स्वीकृति दी।

परिचय

- ये पुरस्कार 1954 में प्रारंभ में एकल श्रेणी के रूप में स्थापित किए गए थे; बाद में 1955 में इन्हें पुनर्गठित कर वर्तमान तीन स्तरों में विभाजित किया गया।
- पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं, जो कला, सामाजिक कार्य, विज्ञान और लोक-कार्य जैसे विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हैं।
- इन्हें तीन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है- पद्म विभूषण (असाधारण सेवा के लिए सर्वोच्च), पद्म भूषण (उच्च कोटि की सेवा), और पद्म श्री (विशिष्ट सेवा); इनसे ऊपर देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' है। प्रति वर्ष पुरस्कारों की संख्या 120 तक सीमित है (मरणोपरांत और विदेशी व्यक्तियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर)।

पात्रता और प्रक्रिया

- यह सभी व्यक्तियों के लिए खुला है, जिसमें नागरिक, विदेशी, एनआरआई / पीआईओ / ओसीआई शामिल हैं, तथा अत्यंत योग्य मामलों में मरणोपरांत पुरस्कार भी दिए जा सकते हैं।
- सरकारी कर्मचारी, जिनमें पीएसयू के कर्मचारी भी शामिल हैं, पात्र नहीं हैं; अपवादस्वरूप चिकित्सक और वैज्ञानिक पात्र हैं।
- नामांकन पद्म पुरस्कार समिति को भेजे जाते हैं (जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं), जिसकी अनुशंसाएँ स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक भेजी जाती हैं।
- इनका उपयोग उपाधि के रूप में नहीं किया जा सकता (अनुच्छेद 18(1) तथा 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार), और पूर्व पुरस्कार से उच्चतर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष का अंतर आवश्यक है।

पद्म विभूषण विजेता 2026		
क्रम संख्या	नाम	क्षेत्र
1	श्री धर्मेन्द्र सिंह देओल (मरणोपरांत)	कला
2	श्री के. टी. थॉमस	लोक कार्य
3	सुश्री एन. राजम	कला
4	श्री पी. नारायणन	साहित्य एवं शिक्षा
5	श्री वी. एस. अच्युतानंदन (मरणोपरांत)	लोक कार्य
पद्म भूषण विजेता 2026		
क्रम संख्या	नाम	क्षेत्र
1	सुश्री अलका याग्निक	कला
2	श्री भगत सिंह कोश्यारी	लोक कार्य
3	श्री के. आर. पलनीस्वामी	चिकित्सा
4	श्री ममूट्टी	कला
5	डॉ. नोड़ी दत्तात्रेयुडु	चिकित्सा
6	श्री पियूष पांडेय (मरणोपरांत))	कला
7	श्री एस. के. एम. मैइलानंधन	सामाजिक कार्य
8	श्री शतावधानि आर. गणेश	कला
9	श्री शिबू सोरेन (मरणोपरांत)	लोक कार्य
10	श्री उदय कोटक	व्यापार एवं उद्योग
11	श्री वी. के. मल्होत्रा (मरणोपरांत)	लोक कार्य
12	श्री वेल्लाप्पल्ली नटेशन	लोक कार्य
13	श्री विजय अमृतराज	खेल

राष्ट्रीय युवा दिवस 2026

हाल ही में, स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया।

राष्ट्रीय युवा दिवस

- यह प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को महान आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और चिंतक स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनका युवाओं की क्षमता में अटूट विश्वास देश के युवा नागरिकों के साथ आज भी गहराई से जुड़ाव रखता है।
- उनका प्रेरणादायक जीवन और सशक्त संदेश युवाओं को अपने सपनों का पोषण करने, अपनी ऊर्जा को मुक्त करने और उनके द्वारा कल्पित आदर्शों के अनुरूप भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है।
- युवा, जिन्हें 15-29 वर्ष आयु वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 40% हैं।

महत्त्व

- राष्ट्रीय युवा दिवस भारत के युवाओं की आकांक्षाओं और उत्तरदायित्वों को रेखांकित करता है, जो 35 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या का 65% से अधिक हैं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- सरकार ने युवा सशक्तीकरण के लिए एक व्यापक ढाँचा तैयार किया है, जिसमें नागरिक भागीदारी, कौशल विकास, उद्यमिता, स्वास्थ्य, फिटनेस और राष्ट्रीय सेवा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- यह पहल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के नेतृत्व में अन्य मंत्रालयों के सहयोग से संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में सम्मिलित करना है।

जथिया देवी

हाल ही में, जथिया देवी को हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (HIMUDA) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक प्रमुख शहरी विकास पहल के लिए चयनित किया गया है।

परिचय

- शिमला शहर से लगभग 14 किमी दूर स्थित जथिया देवी का नाम क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन जथिया देवी मंदिर के नाम पर रखा गया है।
- प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य एक नियोजित उपग्रह पर्वतीय नगर बसाना है, जिसे शिमला पर बढ़ते दबाव को कम करने, नए आर्थिक केंद्र विकसित करने तथा आपदा-प्रतिरोधक क्षमता के साथ सतत् शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।

चिंताएँ

- सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) ने संभावित चुनौतियों को चिन्हित किया है, जिनमें समुदायों का विस्थापन तथा मंदिरों, विद्यालयों, दुकानों, नहरों और आवासीय संपत्तियों जैसी स्थानीय परिसंपत्तियों की हानि शामिल है।
- हालाँकि, इसमें रोजगार सृजन, बेहतर बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ, उन्नत आर्थिक संपर्कता, कौशल विकास के अवसर तथा दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता जैसे महत्त्वपूर्ण लाभों पर भी बल दिया गया है।

सुखात्मे राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार

सरकार ने सुखात्मे राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार - 2026 के लिए नामांकन/आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इंदिरा गाँधी शांति पुरस्कार

- मोजाम्बिक की अधिकार कार्यकर्ता एवं मानवतावादी ग्रासा माशेल को वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गाँधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।
- इसकी घोषणा इंदिरा गाँधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई।

फ्रांज एडेलमैन पुरस्कार

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) को उसके 'अन्न चक्र' पहल के लिए प्रतिष्ठित 2026 फ्रांज एडेलमैन पुरस्कार के छह अंतिम चयनितों में शामिल किया गया है।

अन्न चक्र पहल

- अन्न चक्र एक ऑपरेशंस रिसर्च आधारित निर्णय-सहायक समाधान है, जो राज्य-विशिष्ट लॉजिस्टिक्स के अनुकूलन के माध्यम से भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करता है।
- यह भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और आईआईटी, दिल्ली के साझेदारी में विकसित किया गया है।
- इसे वर्ष 2025 में पूरे भारत में खाद्यान्नों के परिवहन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। इसके राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन से निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं-
  - प्रतिवर्ष अनुमानित ₹250 करोड़ की बचत।
  - 35% उत्सर्जन में कमी, जो भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।
  - 81 करोड़ से अधिक पीडीएस लाभार्थियों, जिनमें सर्वाधिक संवेदनशील वर्ग भी शामिल हैं, को लाभ पहुँचाने वाली दक्षता में वृद्धि।

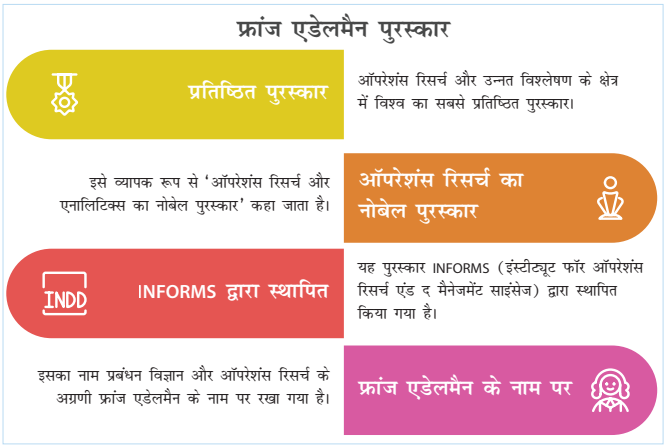

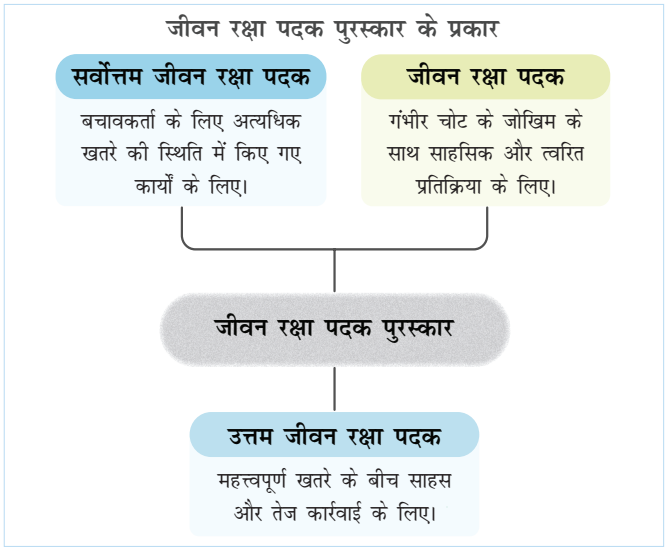

जीवन रक्षक पदक पुरस्कार

भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के लिए जीवन रक्षक पदक शृंखला के पुरस्कारों को स्वीकृति प्रदान की है। ये पुरस्कार 30 ऐसे व्यक्तियों को दिए जाएंगे जिन्होंने मानव जीवन की रक्षा हेतु असाधारण साहस का प्रदर्शन किया।

परिचय

- जीवन रक्षक पदक शृंखला नागरिकों के लिए वीरता पुरस्कारों का एक समूह है, जो जीवन-रक्षा संबंधी कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये उन व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जो डूबने, आग, दुर्घटना, विद्युताघात, खदान दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं जैसी संकटपूर्ण परिस्थितियों में दूसरों को बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं।
- इनकी स्थापना 1961 में अशोक चक्र शृंखला के नागरिक समकक्ष के रूप में की गई थी। ये पुरस्कार सामान्य नागरिकों द्वारा प्रदर्शित निस्वार्थ साहस का अभिनंदन करते हैं।
- ये पुरस्कार नागरिक साहस, निस्वार्थता और मानवीय भावना को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि ये उन व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जो स्वेच्छा से दूसरों की रक्षा हेतु अपने व्यक्तिगत सुरक्षा को जोखिम में डालते हैं।
- ये सभी व्यक्तियों के लिए, लिंग या पेशे की परवाह किए बिना, खुले हैं और मरणोपरांत भी प्रदान किए जा सकते हैं। प्रत्येक पुरस्कार में एक पदक, प्रमाण-पत्र तथा एकमुश्त नकद राशि शामिल होती है (लगभग: सर्वोत्तम – ₹2 लाख, उत्तम – ₹1.5 लाख, जीवन रक्षक – ₹1 लाख)।

विश्व ब्रेल दिवस

विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

परिचय

- **वैश्विक मान्यता:** संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 में विश्व ब्रेल दिवस को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की, जबकि इसका पहला आयोजन वर्ष 2019 में किया गया।
- **उद्देश्य:** इस दिवस का उद्देश्य संचार के माध्यम के रूप में ब्रेल की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना है।
  - यह नेत्रहीन एवं आंशिक दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा मानवाधिकारों के पूर्ण उपभोग को सुनिश्चित करने पर बल देता है।
- **अधिकार ढाँचा:** ब्रेल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना तक पहुँच तथा सामाजिक समावेशन के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, जैसा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (CRPD) के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।
- **भारतीय परिप्रेक्ष्य:** भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में लगभग 50.3 लाख दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं।

11 डेटा पुनर्कथन

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ढाँचा:

- सीवीसी का गठन वर्ष 1964 में के. संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। आयोग के सदस्य चार वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, तक पद पर रहते हैं। आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त होते हैं।

PRAGATI शासन मंच:

- प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 2015 में प्रारंभ किए जाने के बाद से PRAGATI की 50 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इस प्रौद्योगिकी-आधारित मंच के अंतर्गत 377 उच्च-मूल्य परियोजनाओं की समीक्षा की गई है।
- पहचानी गई 3,162 समस्याओं में से 2,958 का समाधान किया जा चुका है, जिससे 94% समाधान दर प्राप्त हुई है।

निरसन एवं संशोधन अधिनियम, 2025:

- यह अधिनियम 1886 से 2023 के बीच अधिनियमित 71 अप्रासंगिक या अप्रचलित कानूनों को समाप्त करता है।
- यह 1897 के सामान्य खंड अधिनियम तथा 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम सहित आधारभूत विधानों को अद्यतन करता है।
- यह कानून पुरातन अधिनियमों को समाप्त करने और प्रचलित कानूनों के आधुनिकीकरण के लिए द्वि-आयामी दृष्टिकोण अपनाता है।

भारत में न्यायिक लंबित मामले:

- वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 88,492 मामले लंबित हैं।
- लंबित मामलों में 69,605 दीवानी और 18,887 आपराधिक मामले शामिल हैं।
- भारत में कुल कैदियों में से 76% विचाराधीन बंदी हैं, जो न्याय वितरण में विलंब को दर्शाता है।

एससीओ शिखर सम्मेलन और क्षेत्रीय प्रभाव:

- एससीओ के सदस्य सामूहिक रूप से वैश्विक जीडीपी का 23% और विश्व की 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। चीन ने एससीओ विकास परियोजनाओं के लिए ¥2 अरब तथा ¥10 अरब के ऋण की घोषणा की।
- एससीओ की कुल सदस्यता 27 देशों तक पहुँच चुकी है, जिनमें 10 पूर्ण सदस्य शामिल हैं।

भारत में एमएसएमई का योगदान:

- एमएसएमई भारत में 32 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और जीडीपी का 30% योगदान करते हैं। ये उद्यम भारत के कुल विनिर्माण उत्पादन का लगभग 45% योगदान देते हैं।
- भारत के कुल निर्यात का लगभग 40% एमएसएमई क्षेत्र से आता है। वर्ष 2025 तक उद्यम पोर्टल पर 7.4 करोड़ से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हो चुके थे।
- भारत में कुल एमएसएमई में से लगभग 95% सूक्ष्म उद्यम हैं।
- सरकार ने एमएसएमई ऋण को बढ़ावा देने हेतु सिडबी में ₹5,000 करोड़ की इक्विटी निवेश को स्वीकृति दी है। टीआरईडीएस मंच के माध्यम से एमएसएमई को ₹7 लाख करोड़ से अधिक की तरलता उपलब्ध कराई गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की पूँजी:

- भारत के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में फँसी कुल पूँजी 30 लाख करोड़ से अधिक है। संतुलित हिस्सेदारी में कमी से सरकार के लिए लगभग 10 लाख करोड़ की राशि मुक्त हो सकती है।
- वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में 14.5 लाख से अधिक कर्मचारी पारंपरिक सुरक्षा प्रावधानों के अंतर्गत कार्यरत हैं।

एक जिला एक उत्पाद (ODOP) का दायरा:

- ओडीओपी पहल के अंतर्गत भारत के 775 जिलों में 1,243 उत्पादों की पहचान की गई है। विदेशों में स्थित 80 से अधिक भारतीय मिशन इन स्थानीय उत्पादों का सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं।
- सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर कुल क्रय मूल्य का 40% से अधिक अब एमएसएमई द्वारा वहन किया जा रहा है।

वैश्विक न्यूनतम कर मानक:

- ओईसीडी ने बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 15% वैश्विक न्यूनतम कर के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया है।
- यह कर उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका वैश्विक कारोबार ₹750 मिलियन से अधिक है। इस सुधार का उद्देश्य कम या शून्य कर वाले देशों में लाभ हस्तांतरण को रोकना है।

भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान:

- वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% तथा दूसरी तिमाही में 8.2% बढ़ी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वैश्विक व्यापार तनावों के कारण 2026 में भारत की वृद्धि दर घटकर 6.6% हो सकती है।
- सार्वजनिक ऋण और उच्च ब्याज दरें अनेक विकासशील देशों में वृद्धि को सीमित कर रही हैं।

बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति (आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट):

- सितंबर 2025 में बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात (GNPA) घटकर 2.1% हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 16% का पूँजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) बनाए रखा।
- खुदरा ऋण चूकों में 53.1% हिस्सा असुरक्षित ऋणों का रहा, जो उभरते जोखिम के क्षेत्र को दर्शाता है।

स्वयं परीक्षण

Visit: www.nextias.com for monthly compilation of Current based MCQs

मुख्य परीक्षा प्रश्न

जीएस पेपर-I

1. भारतीय राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक प्रतिरोध से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संचलन से भी निर्मित हुआ। विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार मुद्रण संस्कृति, जनभाषाओं और 'वंदे मातरम्' जैसे राष्ट्रवादी प्रतीकों ने बिखरी हुई सांस्कृतिक पहचानों को साझा राजनीतिक कल्पना में रूपांतरित किया।
2. भक्ति और सूफी परंपराओं ने आध्यात्मिक समानता और सामाजिक समरसता के विचारों को अभिव्यक्त किया। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि अपने नैतिक सार्वभौमिकता के बावजूद ये आंदोलन जाति-आधारित संरचनात्मक श्रेणियों और लिंग-आधारित सामाजिक संबंधों को क्यों समाप्त नहीं कर सके।
3. भारत में शहरीकरण को बढ़ते हुए अनौपचारिक, बहिष्करणकारी और रोजगार-विहीन बताया जा रहा है। इस प्रवृत्ति के संरचनात्मक कारणों तथा शहरी सामाजिक असमानता पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
4. 1857 का विद्रोह एक जटिल एवं क्षेत्रीय विविधताओं वाला आंदोलन था, न कि एक समरूप राष्ट्रवादी आंदोलन। इसके आर्थिक असंतोष, सांस्कृतिक आशंकाओं, नेतृत्व के प्रतिरूपों तथा क्षेत्रीय विविधताओं की समीक्षा करते हुए इसके ऐतिहासिक महत्त्व का आकलन कीजिए।
5. भूमि सुधारों को कृषिगत न्याय और ग्रामीण लोकतंत्रीकरण के उपकरण के रूप में परिकल्पित किया गया था। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता और सामाजिक शक्ति-संरचनाओं ने विभिन्न राज्यों में भूमि सुधारों के असमान परिणामों को आकार दिया।
6. भारतीय धर्मनिरपेक्षता न तो अधार्मिक है और न ही पूर्णतः पृथकतावादी। "सिद्धांतगत समान दूरी" की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए तथा राज्य हस्तक्षेप, अल्पसंख्यक अधिकारों और सामाजिक समरसता के मध्य उत्पन्न तनावों की जाँच कीजिए।
7. जलवायु परिवर्तन एक जोखिम-वर्धक कारक के रूप में उभरा है, जो विद्यमान सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ा रहा है। भारत में प्रवासन, आजीविका-संवेदनशीलता और अंतर-क्षेत्रीय विषमताओं पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए।

जीएस पेपर-II

8. भारतीय संविधान कठोर शक्तिविभाजन के स्थान पर क्रियात्मक शक्तिविभाजन को अपनाता है। विश्लेषण कीजिए कि न्यायिक पुनरावलोकन, कार्यपालिका के विवेकाधिकार और विधायी पर्यवेक्षण किस प्रकार संस्थागत संतुलन बनाए रखते हैं।
9. दबाव समूह सहभागी लोकतंत्र में योगदान देते हैं, परंतु वे सार्वजनिक नीतिगत परिणामों को विकृत भी कर सकते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस लोकतांत्रिक विरोधाभास का विश्लेषण कीजिए।
10. भारत की संघीय व्यवस्था संवैधानिक अभिकल्पना से परिचालनात्मक व्यवहार तक विकसित हुई है। परीक्षण कीजिए कि वित्तीय विकेंद्रीकरण, सहकारी संघवाद और अंतर-सरकारी तंत्रों ने इस संक्रमण को किस प्रकार आकार दिया।
11. न्यायिक सक्रियता ने अधिकार-विस्तार और प्रशासनिक जवाबदेही में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु इसके साथ न्यायिक अतिक्रमण और लोकतांत्रिक वैधता संबंधी चिंताएँ भी जुड़ी हैं। उपयुक्त उदाहरणों सहित इस तनाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
12. 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा मिलने के बावजूद स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ सशक्त नहीं हो पाई हैं। भारत में विकेंद्रीकृत शासन को सीमित करने वाली राजनीतिक, वित्तीय और प्रशासनिक बाधाओं का विश्लेषण कीजिए।
13. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "मुफ्त उपहारों" और कल्याणकारी योजनाओं के बीच किया गया अंतर नीति-निर्देशक सिद्धांतों, चुनावी जनवाद और राजकोषीय स्थिरता के मध्य अंतर्निहित तनावों को उजागर करता है। इस बहस का संवैधानिक शासन के दृष्टिकोण से परीक्षण कीजिए।
14. भारत का प्रवासी समुदाय भावनात्मक आधार से आगे बढ़कर एक रणनीतिक संपदा के रूप में उभरा है। प्रेषण (Remittances), सॉफ्ट पावर और विदेश नीति प्रभाव में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए तथा श्रम-शोषण और पहचान संबंधी दुविधाओं जैसी चुनौतियों को भी रेखांकित कीजिए।

जीएस पेपर-III

15. ऊर्जा-जल-कृषि परस्पर-निर्भरता की व्याख्या कीजिए तथा यह विश्लेषण कीजिए कि सब्सिडी युक्त विद्युतऔर फसल-चयन जैसी नीतिगत विकृतियाँ भारत में संसाधन-संकट को किस प्रकार बढ़ाती हैं।
16. डिजिटलीकरण ने सेवा-प्रदाय को सुदृढ़ किया है, किंतु समावेशी वृद्धि सुनिश्चित नहीं की है। विश्लेषण कीजिए कि केवल तकनीकी समाधान ही संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं का समाधान क्यों नहीं कर सकते।
17. भारत का भूजल संकट निरपेक्ष अभाव से अधिक शासन-विफलताओं को दर्शाता है। अतिदोहन, नियामक रिक्तता, जलभृत मानचित्रण और सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
18. आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत का रक्षा स्वदेशीकरण रणनीतिक स्वायत्तता और प्रौद्योगिकीय क्षमता को सुदृढ़ करने का उद्देश्य रखता है। रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के अवसरों और सीमाओं का विश्लेषण कीजिए।
19. आधुनिक युद्ध में साइबर, अंतरिक्ष और सूचना क्षेत्रों में बहु-क्षेत्रीय अभियानों की भूमिका बढ़ती जा रही है। इन उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भारत की तैयारी का परीक्षण कीजिए।
20. व्यापार समझौते अब भू-राजनीतिक सरेखण, आपूर्ति-शृंखला लचीलापन और रणनीतिक साझेदारियों के उपकरण के रूप में विकसित हो गए हैं। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में इस परिवर्तन का परीक्षण कीजिए।